दशम माला, खंड 1, अंक 6

16 जुलाई, 1991

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 1, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 16 जुलाई, 1991/25 आषाढ़, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 45 . .	3–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 46 से 48 और 50 से 60 . .	24–34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 136 से 158 और 162 से 222	34–91
सभा पटल पर रखे गये पत्र	92–94
रेल बजट, 1991--92	95–111
नियम 377 के अधीन मामले :	
(एक) चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण, विस्तार और पुनर्वास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता—श्री एम० बागा रेड्डी	112
(दो) बिशाखापट्टनम स्थित नाप्था क्रेकर यूनिट के लिए डाऊन स्ट्रीम परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने को आवश्यकता—श्री रामकृष्ण कोनाथाला	112–113
(तीन) विदर्भ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान सुझाने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता—श्री विलास मुत्तेमवार . . .	113

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

पृष्ठ

(चार) चालू वर्ष के दौरान बरेली में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने की आवश्यकता—श्री संतोष कुमार गंगवार 114

(पांच) हाथरस रेलवे जंक्शन पर ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता—डा० लाल बहादुर रावल . 114

(छः) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सोन नदी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में कदवन में प्रस्तावित जलाशय का निर्माण सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता—श्री छेदी पासवान 114–115

(सात) केरल में अल्पुझा पत्तन से कार्गो आपरेशन बहाल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता—श्री टी०जे० अंजलोज . 115

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव :

श्री बूटा सिंह 116–130

श्री रमेश चेन्नितला 130–137

श्री जसवन्त सिंह 137–185

श्री रवि राय 185–193

श्री सोमनाथ चटर्जी 193–202

श्री दिग्विजय सिंह 202–207

लोक सभा

मंगलवार, 16 जुलाई, 1991/25 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय :: माननीय सदस्य गण, मुझे सदन को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री दत्तात्रेय परशुराम करमार्कर तथा श्री जगन्नाथ राव जोशी के दुखद निधन के सम्बन्ध में सूचित करना है।

श्री दत्तात्रेय परशुराम करमार्कर वर्ष 1952–57 के दौरान प्रथम लोकसभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन बम्बई राज्य के धारवाड़ उत्तर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह केन्द्रीय विधान सभा तथा अन्तरीय संसद के सदस्य रहे। उसके पश्चात् वर्ष 1962–68 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे।

वह एक प्रसिद्ध संसदविद तथा कुशल प्रशासक थे। एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत से मंत्रालयों का कार्यभार बड़ी कुशलता से संभाला।

उन्होंने 1930–32 के दौरान अकोला तालुका में 'नो टैक्स' अभियान, चलाया। उन्होंने ऐतिहासिक अनुसंधान में गहरी रुचि ली तथा विभिन्न हैसियतों में, वह कई अनुसंधान समितियों से जुड़े रहे।

उन्होंने काफी यात्राएं कीं तथा व्यापार और रोजगार संबंधी अनेक अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1951 और 1952 में क्रमशः लाहौर और रंगून में हुए "इकैफे" सम्मेलनों में उन्होंने भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

श्री करमार्कर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे तथा उन्होंने कई कृतियां लिखीं। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में 'हिस्ट्री',ऑफ कांग्रेस' (कन्नड़ भाषा में) तथा 'ए पराइमर टू कांस्टीटयूशनल हिस्ट्री' शामिल है। उन्होंने 'विजयनगर कामैमोरेशन वाल्यूम', का संपादन भी किया।

उनका निधन 20 जून, 1991 को 89 वर्ष की लम्बी आयु में हुआ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी ने 1967--77 की अवधि के दौरान लगातार दो लोक सभाओं में मध्य प्रदेश के भोपाल और सूरजपुर चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। बाद में 1978-84 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे ।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने अपना सारा जीवन राजनैतिक पुर्नजागरण में लगा दिया तथा गोआ को विदेशियों से मुक्त करवाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई ।

वह एक विद्वान वक्ता थे। संसद की कार्यवाही में उनकी सशक्त तथा प्रभाव पूर्ण हिस्सेदारी ने एक गहरी छाप छोड़ी है तथा उन्हें उन प्रसिद्ध संसदविदों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है जिन पर यह सदन तथा इस देश के लोग गर्व अनुभव करते हैं तथा श्रद्धा से उन्हें स्मरण करते हैं।

श्री जोशी का निधन 15 जुलाई, 1991 को 71 वर्ष की आयु में हुआ।

अपने इन मित्रों से बिछुड़ने का हमें अत्यधिक दुख है तथा मुझे विश्वास है कि यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करने में मेरा साथ देगा।

अब सदन के सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहेंगे।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे]

श्री पीयूष तीरकी : महोदय, लगता है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि आज कुछेक मंत्री भी यहां बैठे हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल मार्गों का विद्युतीकरण :

*41. **श्री अशोक राव आनन्दराव देशमुख:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या था;

(ख) क्या इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं, और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1990-91 के दौरान 1040 मार्ग कि०मी० के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सम्बद्ध नई संचार प्रणाली को चालू करने में पेश आ रही प्रारम्भिक समस्याओं के कारण ।

(घ) 675 मार्ग कि०मी० का विद्युतीकरण ।

[हिन्दी]

श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख : अध्यक्ष जी, रेल के इलेक्ट्रीफिकेशन के बारे में, विद्युतीकरण के बारे में इस देश में जो बढ़ावा देना चाहिए था, अभी तक उतना बढ़ावा दिया नहीं गया। कोयले की शार्टेज होने की वजह से या कोयले की ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आने से और तीसरी बात, जो डीजल की खपत होती है, उसकी वजह से फौरन एक्सचेंज का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो भी लाइनें आज के बाद बनें, उनका इलैक्ट्रीफिकेशन हो। 1990-91 के बारे में आपने जो बताया है कि टोटल आप 1014 कि०मी० लाइन बनाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन-कौन से राज्यों में आपने यह लाइनें इलैक्ट्रीफाइड की हैं और इसमें महाराष्ट्र, का भी कुछ हिस्सा है ? उसमें मेरे क्षेत्र की जो लाइन है, मनमाड-औरंगाबाद, परभना-परसो यह लाइन इलैक्ट्रीफाइड होने जा रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, वर्ष 1990-91 में जिन रेल मार्गों को लिया गया है, वे इस प्रकार हैं :–

नाम	मार्ग (कि०मी०)
1. पालसोरा-माक्सी	75
2. बदनेरा-वर्धा (जोकि महाराष्ट्र में भी है)	99
3. नागपुर-इटारसी	297

नाम	मार्ग (कि० मी०)
4. इटारसी-पिपलानी	109
5. भूसावाल-असीरगढ़	59
6. दुर्ग-थरसा	225
7. मोरापुर-सलेम-संकरीदुर्ग	99
8. मैगनेसाइट-मैत्तूरदम	37
9. जोल्लारपेट्टाई-कुप्पम	38
10. यमुनापुल-आगरा	5
कुल मार्ग	1,040

[हिन्दी]

श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख : मेरा सवाल है कि आपने अभी तक 1985—90 तक 9252 किलोमीटर की लाइनें विद्युतीकरण की हैं, उनका इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है। उसमें सातवीं योजना के अन्तर्गत आप 2812 किलोमीटर लाइनों को विद्युतीकरण कर चुके हैं। यह सारी लाइनें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में इस योजना में एक भी लाइन नहीं बनी। आठवीं और नवीं योजना में भी शायद आपने महाराष्ट्र को छोड़ा है, इसमें सिर्फ दिल्ली-अम्बाला- लुधियाना, गुमीया-पत्रातु, सीतारामपुर-झाजा, बोकारो-पुरी-हटिया, बोंदामुंडा और अहमदाबाद-गांधीनगर जैसी लाइनों को इलैक्ट्रीफाइड करने की योजना है तो मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में हमारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर तीन, ज्योतिर्लिंग हैं, गुरु गोविन्द सिंह का वहां गुरुद्वारा है, वहां यात्री लोग बहुत आते हैं, वहां छोटी लाइन है, मनमाड से आगे जो निकलती है तो मैं चाहूंगा कि आठवीं और नवीं योजना में जो ब्राडगेज का काम चालू है, मनमाड-औरंगाबाद लाइन पर, उसका आप इलैक्ट्रीफिकेशन करेंगे या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव का प्रश्न है, इस संबंध में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री के० राममूर्ति टिण्डिवणम : महोदय, मद्रास द्रुत गति यातायात प्रणाली पर कार्य कुछ वर्ष पहले आरम्भ हुआ था और इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। इस कार्य की प्रगति बहुत धीमी है तथा इससे मद्रास नगर की यातायात प्रणाली और अधिक खराब हो रही है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी के कारण जान सकता हूं ? इस परियोजना से नगर की समस्त जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा।

श्री एम० मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री के० राममूर्ति टिण्डिवणम : मैंने अपना प्रश्न पूरा नहीं किया है। मंत्री महोदय समस्या से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने बीच में यह कह कर टोक दिया कि यह प्रश्न मूल प्रश्न के संबंधित नहीं है। मद्रास द्रुत गति यातायात प्रणाली विद्युतीकरण के अन्तर्गत आती है। शायद मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं कि इस प्रणाली के साथ क्या व्यवहार हो रहा है ?

रेल मंत्री श्री सी०के०जाफर शरीफ : रेल मार्गों का विद्युतीकरण रेलवे का प्रमुख लक्ष्य है। विद्युतीकरण के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों में होने वाली चर्चा से यह स्पष्ट है कि संसद सदस्य अपने क्षेत्रों तथा चुनाव क्षेत्रों में विकास कार्यों के प्रति बड़े उत्सुक रहते हैं। तथा वह इन कार्यों की अपने क्षेत्र के लिए मांग करते रहते हैं। हमारी सदैव उनके प्रति सहानुभूति रहती है। मैं सदन को यह आवश्वासन देना चाहता हूं कि सदस्यों की आकांक्षाओं के प्रति हम उतने ही गंभीर हैं। परन्तु संसाधनों की कमी के कारण हम यह सब उतनी तेजी से नहीं कर पाते जितनी तेजी से वे चाहते हैं। हमारी और आपकी सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए, हम अपने मतदाताओं को ऊपरी तौर पर तो बातों से संतुष्ट कर सकते हैं, परन्तु यातायात की अधिकता को देखते हुए हमें एक योजित और चरणबद्ध प्रणाली अपनानी होगी। जिस द्रुत गति यातायात प्रणाली के बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में जानता हूं। यह एक उपनगरीय प्रणाली है। जब तक हम अधिक व्यस्त मुख्य रेल मार्गों के विद्युतीकरण को पूरा नहीं कर लेते, हम उपनगरीय मार्गों के विद्युतीकरण को शुरू नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि उपनगरीय समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे-जैसे हम समस्या से उबरने के लिए कार्यवाही करेंगे तथा हम अपने आपको बेहतर स्थिति में अनुभव करेंगे, हम और अधिक उत्तरदायित्वों को अपनाने तथा और अधिक कार्य करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शंकरजी लक्ष्मणजी वघेला : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोयले के इंजन से डीजल का इंजन कितना सस्ता पड़ता है, डीजल के इंजन से बिजली का इंजन कितना सस्ता पड़ता है ? आज बिजली की देश में बहुत कमी है जहां गैस 10,15 और 20 कि० मी० में करोड़ों रुपए की जलाई जाती है और गैस मंत्री बगल में बैठे हैं। तो क्या आप बिजली एक्ससेस करके, गैस में से बिजली बना कर रेलवे का विद्युतिकरण करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी०के०जाफर शरीफ : वाष्प ईंजिनों को हटाने की नीति बनाई गई है जो कि हम चरणबद्ध तरीके से अपना रहे हैं। जहां तक डीजल और बिजली का सम्बन्ध है, इन पर होने वाले खर्च में कोई अधिक अन्तर नहीं है। इसके लिये हम बाह्य स्रोतों पर निर्भर कर रहे हैं। रेल मार्गों का विद्युतीकरण मूल उद्देश्य है। जहां तक गैस का सम्बन्ध है, तो जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचार हमारे समक्ष नहीं है। ऐसा करना संभव होगा या नहीं तथा यह कैसे कार्य करेगी, इस सम्बन्ध में हमें जानकारी नहीं है। परन्तु फिर भी, हम इस पर गौर करेंगे।

डा० (श्रीमति) के० एस० सौन्द्रम : रेल मार्गों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वह इस बारे में बताएं कि तमिल नाडु में जोलारपेट से इरोडे रेल मार्ग विशेष कर सलेम और कोयम्बतूर के बीच रेल मार्ग के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है। मैंने देखा है कि कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह इस परियोजना पर कार्य की गति को बढ़ाएं तथा जल्द से जल्द इसे कोयम्बतूर तक पूरा करने का प्रयत्न करें।

श्री मल्लिकार्जुन : जोलारपेट से इरोडे रेल मार्ग का कार्य अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा तथा इरोडे से एर्णाकुलम तक के रेल मार्ग पर भविष्य में कार्य आरम्भ किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्न बाकी रह गए हैं इस लिये आप इसको आधे घंटे की चर्चा में लें।

[अनुवाद]

डीजल तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी

***42. श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार डीजल तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में कब तक कमी किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन करने पर विचार आपूर्तियों, मांग में वृद्धि तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं उत्तर के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो प्रश्न मैंने पूछा है उस का यह उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न काफी स्पष्ट है कि क्या सरकार का विचार मूल्यों में कमी करने का है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मूल्यों में कोई परिवर्तन...।" अतः मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में निर्देश दें क्योंकि यह न केवल प्रश्न संख्या 4 है बल्कि वह मामला है जो मैं उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। मैं इस मामले में आपका निर्देशन चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें और इस सम्बन्ध में मंत्री जी का निर्देश तथा उत्तर प्राप्त करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : निर्देशन आपकी तरफ से आना है, सरकार की तरफ से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को उत्तर कैसे देना चाहिये इस बारे में अध्यक्ष निर्देश नहीं देते । प्रश्न का उत्तर कैसे देना है यह अध्यक्ष को नहीं बताना है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको सदन के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये अनुपूरक प्रश्न का प्रावधान है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने एक प्रश्न पूछा है मुझे उसका ठीक उत्तर चाहिये । मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक अच्छा सासंदविज्ञ होने के नाते आपको जानना चाहिये कि उत्तर कैसे प्राप्त किया जाता है । आपको इसका उत्तर मिल जायेगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं । मैं वास्तव में सरकार के व्यंग्य पर और दोहरी बातों पर हैरान हूं ?

मेरे पास कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता के चित्र के साथ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है ।

एक माननीय सदस्य : क्या इसका उलेलेख करना जरूरी है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि इस सदन में मूल्यों के प्रश्न पर हर बार चर्चा की जाती है । मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं आप बैठना चाहें तो बैठें और यदि आप ऊब गये हैं तो आप सदन छोड़ कर जा सकते हैं । मैं अपील नहीं करूंगा..... **(व्यवधान)** मैं स्पष्ट वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं ।

महोदय, घोषणा पत्र में कहा गया है "इस घोषणा पत्र में किये गये वायदों को पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा । कांग्रेस का इससे अभिप्राय कार्य की शुरूआत प्रथम दिन से करनी होगी ।" जो बड़े अक्षरों में **(व्यवधान)**....सुनिये, यह बहुत जरूरी है ....**(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी न लीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कृपया आप पहले अपना घोषणा पत्र पढ़िये ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय यहां पर कितने पैट्रोलियम मंत्री हैं ? ....**(व्यवधान)** ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों उचित प्रश्न पूछने और ठीक उत्तर देने के मामले में सक्षम हो ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह जरूरी है। मेरा प्रश्न कतिपय आश्वासनों पर आधारित है। .... (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह न कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय मेरा प्रश्न यह है कि चुनावों से पहले भारत की जनता को एक आश्वासन दिया गया था और वह आश्वासन यह था "यद्यपि, कांग्रेस का अभिप्राय कार्य की शुरूआत प्रथम दिन से करना है। यह प्रत्येक कार्य को ठीक तरह से एक निश्चित समय में जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, लागू करेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार प्रथम सौ दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुओं और डीजल के मूल्यों को कम करके उन्हें 10 जुलाई 1990 के स्तर पर ले आयेगी।"

अब मेरा प्रश्न यह है क्या मंत्री जी कहते हैं कि यह आश्वासन जो घोषणा पत्र में दिया गया है, वैध है या क्या सरकार ने इस आश्वासन को छोड़ने का निर्णय किया है चूंकि पार्टी जब जनता के समक्ष गई थी तो उसका रूप कुछ और था और इस सदन में सरकार का रूप दूसरा है।

श्री चित्त बसु : सब कुछ ठीक है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज को हमारी पार्टी के घोषणा पत्र का हवाला देने के लिये मजबूर होना पड़ा है और इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने हमारी पार्टी और हमारे पथ पर्दशक की सराहना की है। हम अपने दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी के आभारी हैं जिनके नेतृत्व और कौशल्य के अधीन यह घोषणा पत्र तैयार किया गया था और हम घोषणा पत्र में किये गये वायदों के प्रति वचनबद्ध हैं हमारे सभी प्रयास पार्टी के घोषणापत्र में दिये गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जारी रहेंगे ...... (**व्यवधान**)।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय प्रश्नकाल सरकार से विशेष उत्तर प्राप्त करने के के लिये होता है। मेरे विचार से माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं जब उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या सरकार डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्यों को कम करने पर विचार कर रही है। उत्तर अजीब सा है। अनुपूरक प्रश्न का उत्तर भी अस्पष्ट सा है इस समय अध्यक्ष महोदय को मंत्री जी का अपना उत्तर सुस्पष्ट शब्दों में देने का निर्देश देना चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने उस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से दिया है जो उन्होंने पूछा था ..... (**व्यवधान**) जो कुछ मैंने अपने पूरक उत्तर में कहा था क्या मैं उसे कह सकता हूं ..... (**व्यवधान**) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन, मांग में वृद्धि तथा अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। विशेषतया डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्य निर्धारित करते हुए इन सब बातों पर ध्यान देना होगा और इसके लिये सरकार बजट प्रस्तुत करते समय बजट के विवरण में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी...... (**व्यवधान**)।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आपको सदन के हितों की रक्षा करनी चाहिये . . . . (**व्यवधान**) अब में एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा । क्या सरकार खाड़ी अधिभार को उचित समझती है जो पूर्व सरकार द्वारा लगाया गया था और यदि वह उचित समझती है तो क्या वह मतदाताओं को असत्य बोलने के सम्बन्ध में उनसे माफी मांगेगी ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय वह खाड़ी अधिशुल्क के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं । निःसंदेह खाड़ी अधिशुल्क लगाया गया था किन परिस्थितियों में इसे लगाया गया था ? पूर्व सरकार को इस बात की जानकारी है । बजट प्रस्तुत करते समय वित्तीय उपायों की घोषणा की गई थी । मैं स्वयं को वित्तीय प्रबंधों के पहलू में डाल कर सदन का समय नहीं लेना चाहता . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है आज मंत्री जी सरकार में हैं । पूर्व सरकार ने कतिपय सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख कर खाड़ी अधिभार के बारे में निर्णय लिया था । क्या मंत्री जी का यह विचार है कि यह उचित था ? यह बहुत स्पष्ट प्रश्न था यदि मंत्री जी के पास इसका उत्तर नहीं है तो इसका अभिप्राय है कि वह यह नहीं जानते कि वह इस बारे में क्या बात कर रहे हैं. . . . (**व्यवधान**) ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य जी से सदन में बजट प्रस्तुत होने तक इन्तजार करने का अनुरोध करता हूं . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री जसवन्त सिंह : यह विशेष प्रश्न यह जानते हुए स्वीकार किया कि बजट प्रस्तुत किया जाना है । इसलिये इस प्रश्न पर प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के लिये मंत्री जी को कहना है । बजट प्रस्तुत होने तक इन्तजार कीजिये जो वास्तव में इस सदन के लिये शर्म की बात है । महोदय, क्या आप सुझाव देंगे कि इस बारे में जो कुछ मंत्री जी ने कहा है हमें स्वीकार करना चाहिये ? मैं अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज को अपना समर्थन देना चाहूंगा । खाड़ी अधिभार एक विशेष परिस्थिति में लगाया गया था जब अंतर्राष्ट्रीय तेल का मूल्य अस्थायी रूप से 40 डालर प्रति बैरल हो गया था । अब तेल के मूल्य घटकर लगभग 22 डालर हो गये हैं । अब खाड़ी अधिभार लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 40 डालर से घटकर 22 डालर हो गया था । मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक साधारण सा प्रश्न पूछा था . . . . . . (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले से ही उनके द्वारा पूछा गया था । कृपया अलग स प्रश्न पूछिए ।

श्री जसवन्त सिंह : बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अब खाड़ी अधिभार हटा लेगी जिससे कि मूल्य स्वतः ही सामान्य स्थिति में आ जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह प्रश्न पहले ही पूछ लिया था ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह कार्यवाही किये जाने योग्य एक सुझाव है ।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसानों को वैसे ही डीजल नहीं मिल रहा है और डीजल का भाव ज्यादा है तो उनको ब्लैक में खरीद कर अपनी पूर्ति करनी पड़ती है। किसानों को रियायत देने के लिये मंत्री महोदय कब तक डीजल का भाव कम करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : किसानों की मदद के लिये हम सभी संभव प्रयास करेंगे।

श्री नानी भट्टाचार्य : कांग्रेस पार्टी ने देश के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि 100 दिनों के भीतर पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी की जायेगी। उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। क्या सरकार सौ दिनों के भीतर डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी करेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने 100 दिनों का हवाला देकर स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : डीजल व मिट्टी के तेल के प्रति लीटर मूल्यों में केन्द्रीय कर तथा खाड़ी अधिभार का प्रतिशत क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : उसके लिये मुझे अलग से सूचना दिये जाने की आवश्यकता है।

इष्टतम विद्युत उत्पादन

***43. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु कई उपायों पर राज्य विद्युत बोर्डों से विचार-विमर्श किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विद्युत वितरण निगम की भूमिका के बारे में कुछ मतभेद हैं और क्या उन्हें इस बीच दूर कर लिया गया है;

(ग) विद्युत उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा इस बारे में उठाए जाने वाले नए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विद्युत उत्पादन को इष्टतम किए जाने समेत कुल मिलाकर राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने हेतु उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय और विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्र सरकार राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विद्युत उत्पादन को इष्टतम किए जाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में यह शामिल हैं;

(1) ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार गुणक में अभिवृद्धि करना;

(2) पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए कदम उठाना;

(3) वोल्टता संबंधी परिदृश्य में सुधार करने के लिए केपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना;

(4) पुराने ताप विद्युत केन्द्रों के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम बनाना;

(5) विद्युत संयत्रों की गैर नियोजित बंदियों की संख्या को कम करने के लिए इंजीनियरों और प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना;

(6) विद्युत उत्पादन के लिए उत्पादकता से लिंक प्रोत्साहन स्कीम को लागू करना और अपेक्षित गुणवत्ता वाला एवं पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने तथा स्वदेशी एवं विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराने में भी राज्य बिजली बोर्डों को सहायता करना। इस प्रकार के कदम उठाना जिनको विगत के दौरान जारी रखा गया था, इनको वर्तमान योजनावधि में भी जारी रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त 8वीं योजना के दौरान नई विद्युत क्षमता जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान 8 प्रतिशत ऊर्जा की कमी की तुलना में 8वीं योजना के अन्त तक देश में कुल मिलाकर ऊर्जा की कमी कम होकर लगभग 3 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : देश में विद्युत की अभूतपूर्व कमी है और विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं लेकिन उनमें सीमित सफलता ही मिली है। विद्युत उत्पादन के संबंध में विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच मिली भगत प्रतीत होती है इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं परम्परागत और गैर-परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन और वितरण तथा इष्टतम विद्युत उत्पादन के संबंध में एक राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : इष्टतम उत्पादन करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के साथ सतत सम्पर्क बनाकर अनेक बैठकें की जाती हैं। कार्यचालन समन्वय समिति की मासिक बैठकें होती हैं जिनमें सभी राज्य विद्युत बोर्ड भाग लेते हैं। सचिव (कोयला) और विशेष सचिव (विद्युत) राज्य विद्युत

बोर्डों के अध्यक्षों से अलग-अलग मिलते हैं और उत्पादन एककों में इष्टतम उत्पादन करने से संबंधित चर्चा के लिए क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित करते हैं। सचिव (समन्वय) प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक बैठक करता है । वह ताप विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की संवीक्षा करता है ताकि उत्पादन का स्तर बनाए रखा जा सके और कोई भी विद्युत गृह अपर्याप्त कोयले की आपूर्ति के कारण बन्द न हो सके। इष्टतम विद्युत उत्पादन करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए विद्युत मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों का प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन होता है। विद्युत मंत्रियों का पिछला सम्मेलन सितम्बर, 1990 में और मुख्य मंत्रियों का पिछला सम्मेलन फरवरी, 1991 में हुआ था। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत विकास में राज्य विद्युत बोर्डों की भूमिका और उनकी वित्तीय समस्याओं पर चर्चा की गई। मैंने अगस्त, 1991 में राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है।

श्री वी०श्री निवास प्रसाद : कर्नाटक में भी विद्युत की भारी कमी है। वहां अधिक विद्युत उत्पादन के लिए कुछ परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, उदाहरण के लिए कैगा आणविक विद्युत परियोजना। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के विरोध के कारण इस परियोजना को लागू करने में अनेक समस्याएं हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण की समस्या के बारे में सरकार का क्या विचार है और कैगा आणविक विद्युत परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, यह प्रश्न मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने कहा है कि हम पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता के आधार पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कोटा स्थित ताप विद्युत गृह में जो पर्याप्त मात्रा में कोयला दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है और पांच-पांच दिन तक ताप विद्युत गृह बन्द पड़ा रहता है। जब कोयला मिलता भी है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। वहां के चीफ इंजीनियर आज से तीन दिन पहले आपके विभाग के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आपके मंत्रालय ने अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए आपका विभाग कृपया अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराने का प्रयास करे ताकि वहां अधिक विद्युत का उत्पादन हो सके। इसलिए क्या मंत्री महोदय कोटा थर्मल पावर को देश के आधार पर विद्युत उत्पादन कराने में मदद करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, यह प्रश्न मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा और आप दूसरी बात कह रहे हैं।

[अनुवाद] :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कर्नाटक में विद्युत की सबसे अधिक कमी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्नाटक में विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और यदि ऐसा है तब इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने का विचार करती है ?

श्री कल्पनाथराय : अध्यक्ष महोदय, मगलौर ताप विद्युत सयत्र विचाराधीन है और सरकार कर्नाटक को अधिक विद्युत आपूर्ति करने का पूर्ण प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : दिल्ली में बिजली की बहुत कमी है, ब्लैक आउट रहता है। दिल्ली में बिजली अधिक देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं .... **(व्यवधान)** ....मैं जानना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय औसत से कम है या नहीं... **(व्यवधान)** ...महोदय, यह विद्युत के इष्टतम उत्पादन के बारे में है। यह इसी प्रश्न के अंतर्गत आता है। मंत्री महोदय को प्रश्नों के उत्तर देने में इतनी तकनीकी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री महोदय, क्या आप उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं ?

.... **(व्यवधान)** ....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। एक के बाद एक आयेगा।

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, देश पांच क्षेत्रों में विभाजित है —उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर-पूर्व। मेरी सरकार ने वर्ष 1989 में इस दक्षिण क्षेत्र में मंगलौर ताप विद्युत निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था। इसमें करोड़ों रुपयों का प्रावधान था। जहां भी विद्युत उपलब्ध है हम वहां से उसे प्राप्त करके कुछ और क्षेत्रों को आपूर्ती करने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि आजकल दिल्ली में बिजली की कमी इतनी चल रही है कि 28-28 घंटे बिजली नहीं आती है। दिल्ली में अधिक बिजली देने के लिए ऊर्जा मंत्री क्या कदम उठा रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी वह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। यह एक आम प्रश्न है और आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बिजली के उत्पादन से तो संबंधित है ही।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तब पूछ लीजिए ....

.... (व्यवधान) ....

[हिन्दी]

श्री कालका दास : जहां पर बिजली की कमी है, उसको इंडीकेट करेंगें कि नहीं ? यह ऊर्जा के उत्पादन के विषय में है। जहां की कमी है, वहां तो बतायेंगे। बिजली की कमी है, आप बिजली देंगे कि नहीं ? ..... (व्यवधान) ....

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप बार-बार उठ रहे हैं, जब दूसरे क्वश्चन पूछ रहे हैं तो यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

जब मैं आपका नाम पुकारूं तब आप खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन कृपया इस तरह प्रश्न मत पूछिए, इससे दूसरों को भी परेशानी होती है।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है.... (व्यवधान) ....

हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह कहने का मंत्री को अधिकार नहीं है कि "क्वश्चन डज नॉट एराईज।" आप कह सकते हैं कि यह क्वश्चन बराबर नहीं है।

[अनुवाद]

डा० काकेश्वर पात्र : महोदय, यह कहा गया है कि माननीय मंत्री महोदय ने राज्य विद्युत बोर्डों के साथ चर्चा की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि धनाभाव और भारी घाटे के कारण राज्य विद्युत बोर्ड इष्टतम विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : नहीं यह सत्य नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि आज संयंत्र भार गुणक बिहार में सबसे कम है। यह राज्य विद्युत बोर्डों का कार्य है और राज्य विद्युत बोर्ड स्वायत्त निकाय हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता .... (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष महोदय : हां, खुराना जी

.... (व्यवधान) ....

[हिन्दी]

श्री कालका दास : या तो आप कह दें कि बिजली के बारे में न पूछें। दिल्ली में बिजली नहीं है और आप कहते हैं . . . . .

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं . . . .

श्री कालका दास : मेरे सवाल का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे उत्तर नहीं मांग सकते हैं। आपको मंत्री महोदय से उत्तर मांगना है . . . . .

. . . . . (**व्यवधान**) . . . . .

[हिन्दी]

श्री कालका दास : आप बतायें दिल्ली के बारे में क्वश्चन रेलेवेंट है या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके अनुसार उत्तर संतोषजनक नहीं है तब आप उसकी अपनी व्याख्या कर सकते हैं। हमेशा मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, आप मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं ? बिजली भी देश का हिस्सा है और यह महत्वपूर्ण बात है। . . . . . (**व्यवधान**) . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैं खुराना जी को बोलनें के लिए कह रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि 7वें प्लान के अंत तक पॉवर जनरेशन का टारगेट क्या था और कितना ऐचीव किया और टोटल जो बोर्डस हैं, उनमें टोटल नेट लॉस कितना है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 22,245 मैगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य था जो पूरा किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 38,000 मैगावाट था, लेकिन जब आप लोग यहां आ गए तो सर्वनाश हो गया। . . . . (**व्यवधान**) . . . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करुगा।

. . . . . (**व्यवधान**) . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में मैं जांच करुंगा।

. . . . . (**व्यवधान**) . . . . .

91-M/J(N)249LSS—2

दिल्ली से इलाहाबाद होते हुए बम्बई के लिये विमान सेवा

[हिन्दी]

***44. श्री राम पूजन पटेल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद-दिल्ली विमान सेवा को नियमित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार दिल्ली से इलाहाबाद होते हुए बम्बई के लिए विमान सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरु किये जाने की सभावना है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मो० एच० फारूक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण इलाहाबाद के लिए अपनी सेवा अस्थायी रूप से रोक दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन सबंधी कठिनाईयों के कारण इलाहाबाद के लिए अपनी विमान सेवा अस्थायी रूप से रोक दी है। मैं जानना चाहता हूं कि परिचालन संबंधी कौन-कौन सी कठिनाईयां हैं और उन कठिनाईयों को कब तक दूर करके इलाहाबाद के लिए पुन: विमान सेवा चालू करेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि अगस्त 1990 में गल्फ में सग्राम शुरु हुआ और उसके पश्चात् वहां जो भारतीय निवास कर रहे थे उनको वापस भारत लाने में काफी बड़ी संख्या में और काफी बड़ा मात्रा में हमें अपने विमानों का वहां उपयोग करना पड़ा । इसके कारण विशेषकर हमारी एयर बसेज वहां इस्तेमाल की गई और जहां अधिक मात्रा में यात्री सफर करते हैं––हाई डेनिसटी रूट्स जिनको कहा जाता है, उनमें विमान सेवा जारी रखने के लिए लो डेन्सिटी रूट्स से बोइंग 737 विमान लिए गए और इसीलिए कुछ समय तक इस विमान सेवा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बहुत साधारण सी बात है। अब तो गल्फ जैसे दिनों को नहीं आना है। अब जो मानानीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, मैं चाहूंगा कि उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जल्दी ही इलाहाबाद के लिए विमान सेवा पुन: चालू करें जिससे कि जनता को आने जाने के लिए सुविधा हो।

श्री माधव राव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्यशैली यही होगी कि सहानुभूति से विचार करने का प्रयास प्रत्येक विषय में हम करते रहें, इसका मैं विश्वास माननीय सदस्य को देना चाहता हूं। कुछ लोग, कुछ स्थानीय लोग इलाहाबाद के भी हम लोगों के पास आए थे। कांग्रेस के भी कुछ लोग आए थे और काफी कुछ उन्होंने इस बारे में अनुरोध किया था और पूर्व से ही इस पर दोबारा विचार करने का प्रयास हमने पिछले दो हफ्तों में किया था और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो मांगें उन स्थानीय लोगों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने उठाई थीं उन पर ध्यान दिया जा रहा है. . . . (**व्यवधान**) . . . यह सही बात है जो मैं कह रहा हूं। . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहे हैं. . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री चंद्रजीत यादव : यह कांग्रेस का सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय को यह अवश्य जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्रियों के लिए एक पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करें। . . . (**व्यवधान**) . . . .

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष जी, जो वस्तुस्थिति थी वह मैंने सदन के सामने रखी। कुछ लोग यहां ऐसे हैं, जो ज्यादा शोर करने में विश्वास रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पार्टियों के साथ सम्बन्धित हैं और जो ठोस कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो वस्तुस्थिति थी वह मैंने रखी और जो मैं कहने जा रहा हूं यदि माननीय सदस्य उसे सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो मैं नहीं कहता हूं।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय पर्यटन एवं नागरविमानन मंत्री ने बताया कि खाड़ी युद्ध के दौरान संग्राम के वक्त वहां के लोगों को लाने से लिये जहाजों का इस्तेमाल किया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही सीमित प्रश्न है जो केवल इलाहाबाद, मुम्बई और दिल्ली से सम्बन्धित ही है। आपको केवल इन्हीं से सम्बन्धित ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

श्री हरिन पाठक : इसीलिए मैं यह आवास सम्बन्धी यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

जो भारतीय खाड़ी देश से हिन्दुस्तान लाए गए, उनसे उस वक्त यह बॉण्ड लिखवा लिया था कि उनका जो किराया है, वह वापस जाते वक्त उन्हें भरना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद जो किराया वापस लेना चाहिए था क्या वह वापस ले लिया और क्या वह सरकार के खजाने में जमा करवा ददिया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता है। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री माधव राव सिंधिया : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि, जैसा कि आपने कहा है, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। किन्तु पहले कुछ कारणों से मेरे भाषण में हस्तक्षेप किया गया था। मैं केवल यह कहना चाहता था कि इलाहाबाद से आए हुए एक दल विशेष से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की मांगों पर हमने विचार किया है क्योंकि हमें उनसे सहानुभूति है। मैं उस दल का नाम नहीं बताऊंगा। उन लोगों की भी यही मांग थी कि इलाहाबाद सेवा को पुनः आरम्भ किया जाए। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए पहली अगस्त से दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद तथा वापस दिल्ली तक के लिए सप्ताह में दो बार यह सेवा पुनः शुरु की जा रही है।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, श्री वी० पी० सिंह की सरकार के दौरान दूर-दराज के अनेक स्थानों के लिए हवाई सुविधा बन्द कर दी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे निकट भविष्य में हवाई सुविधा पुनः शुरु करने के ऐसे सभी मामलों, विशेषतया अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पर विचार करेंगे।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, माननीय सदस्य के सुझावों और भावनाओं को नोट करा लिया गया है।

मीटर-गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना तथा दोहरा करना

[हिन्दी]

***45. श्री राजवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मीटर-गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मीटर-गेज रेल लाइनों को दोहरा करने का निर्णय भी लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बाद शुरु किया जाता है। इस तरह के कार्यों को योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करके बजट में शामिल किया जाता है। संसद द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद ही कार्य शुरु किए जाते हैं।

(ख) आमान परिवर्तन के जो कार्य इस समय चल रहे हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कि० मी०
1	फुलेरा-बीकानेर (लालगढ़) तथा मेड़ता रोड–जोधपुर	430
2	भिलड़ी-समदड़ी और समदड़ी से जोधपुर तक समानान्तर बड़ी रेल लाइन	303
3	छपरा-औंडिहार	171
4	सलेमपुर-बरहज बाजार	21
5	समस्तीपुर-दरभंगा	37
6	काशीपुर-लालकुआं	60
7	मैसूर-बेंगलूर	138
8	मनमाड-परभनी-परली बैजनाथ	354
9	परभनी-पूर्णा और मुदखेड़-आदिलाबाद तथा पूर्णा से मुदखेड़ तक समानान्तर बड़ी लाइन	248
10	सवाई माधोपुर-जयपुर तथा जयपुर से फुलेरा तक समानान्तर बड़ी लाइन	187
11	भिलड़ी-विरमगाम नयी लाइन/आमान परिवर्तन	145
12	नडियाद-कपड़वंज	45

(ग) इकहरी लाइन वाले मौजूदा संतृप्त खंडों पर, चाहे वे बड़ी लाइन के खंड हों या मीटर लाइन के, दोहरी लाइन बिछाने का कार्य वहन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया जाता है।

(घ) दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड पर 31 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन को दोहरा करने का काम प्रगति पर है। गढ़ी हरसरू और पटौदी रोड के बीच 21 कि० मी० लम्बी दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है और पटौदी रोड़ तथा खलीलपुर के बीच 10 कि० मी० लम्बी लाइन को अभी खोला जाना है। इस निर्माण कार्य की प्रत्याशित लागत 19.82 करोड़ रुपये होगी।

(ङ) यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां-कहीं जरूरी हो, रेलपथ तथा सिगनलों के स्तर आदि में सुधार करके, लाइन क्षमता बढ़ाने के कार्य किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरा सवाल यह था कि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका है वह बम्बई और मद्रास से आने वाले लोगों के लिए मात्र आगरा-काठगोदाम की छोटी लाइन से जुड़ा हुआ है। जब लोग बम्बई और मद्रास आदि शहरों से आगरा पहुंचते हैं, तो वहां से छोटी लाइन द्वारा काठगोदाम पहुंचते हैं और वहां से पहाड़ों में। लेकिन वहां छोटी लाइन होने के कारण व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके कारण बहुत कम यात्री आते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आगरा-काठगोदाम लाइन को बड़ी लाइन कब तक करने की योजना है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सामान्य बात से विशेष मुद्दे की ओर जा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : प्रश्न सामान्य में है। किन्तु, फिर भी, जो माननीय सदस्य चाहते हैं उस पर रेलवे अभी विचार नहीं कर रहा है।

. . .

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो नई सरकार आई है इसके मन्त्रियों को कोई जानकारी नहीं है, यह कह कर अपना पिण्ड छुड़ा लेते हैं। जानकारी करके आना चाहिए। हम क्या सपलीमैंट्री पूछेंगे यह तो ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने काशीपुर और लालकुआं की लाइन को डबल लाइन करने की बात लिखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि काशीपुर से लालकुआं सात किलोमीटर की लाइन कब तक पूरी हो जाएगी और वहां पर यातायात कब तक शुरु होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप जनरल क्वश्चन नहीं पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : काशीपुर से लालकुआं की दूरी 60 कि० मी० है न कि 7 कि० मी०। इस समय, कार्य प्रगति पर है और धन उपलब्ध होने पर यह पूर्ण हो जाएगा।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज : मैसूर-बंगलौर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंगलौर-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा मैंने पहले ही कहा है, इस समय मैसूर-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बदलने का मामला विचाराधीन है। . . . (व्यवधान) . . .

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : बंगलौर-मैसूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य इस समय प्रगति पर है और इसके दिसम्बर 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि 1984 में बिहार सरकार ने पहलेजा, पिपरादी, भवनातपुर मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिणत करने का प्रस्ताव भेजा था। 1988 में केन्द्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी थी कि इस कार्य को अविलम्ब पूरा करवाया जाएगा। लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहलेजा, पिपरादी, भवनातपुर मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में कब तक परिणत किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य प्रश्न बहुत ही स्पष्ट सामान्य रूप का है। मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सामान्य रूप में से किन्तु स्पष्ट रूप से देना चाहता हूं।

दुर्भाग्यवश, छोटी लाईन प्रणाली का महत्त्व इतना नहीं है जितना बड़ी लाईन का। इसका कारण यह है कि चाहे सार्वजनिक क्षेत्र निवेश हो अथवा निजी क्षेत्र निवेश, वे सदा बड़ी लाईन की व्यवस्था को ही महत्त्व देते हैं। निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र छोटी लाईन व्यवस्था में निवेश नहीं करना चाहते। छोटी लाईन व्यवस्था की उपेक्षा का एक कारण यह भी है।

सारी छोटी लाइनों को बड़ी लाईनों में बदलने में अरबों रुपये का खर्च होगा जो हम वहन नहीं कर सकते। किन्तु यह बात स्पष्ट है कि जब तक दोनों व्यवस्थाएं उपस्थित हैं हम मीटर गेज की लगातार उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उन क्षेत्रों में जहां पर बड़ी लाईन में परिवर्तन नहीं हो पाया है वहां पर मीटर गेज व्यवस्था लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। अतः, मैंने अपने मंत्रालय को मीटर गेज को और अधिक उपयुक्त बनाने के बारे में सुझाव देने को कहा है जिससे कि उन क्षेत्र के लोगों को कम से कम कष्ट दिये बिना यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ऐसा इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में आत्मविश्वास पैदा हो सके और वे इसमें धन लगाने के लिए आगे आएं जिससे इस क्षेत्र का विकास हो और उससे लाभ हो सके।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर देते समय बार-बार 2–3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसमें कहा गया है कि मीटर गेज लाइन करने का काम गुण-दोष के आधार पर, कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से और सुधार की दृष्टि से किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि गुण-दोष के बारे में उनकी कल्पना क्या है, कितने साल पुरानी रेल

लाइन में सुधार या बदलाव लाया जायेगा क्योंकि इसी सदर्भ में इन्दौर-खंडवा मीटरगेज लाइन 100 साल पुरानी हो गई है। अतः किस गुण-दोष के आधार पर यह लाइन आपके क्राइटिरिया में आती है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यही बताना चाहूंगा कि जिस लाइन के बारे में उन्होंने प्रस्ताव किया है वह सिर्फ उसी लाइन के लिये नहीं बल्कि जितनी भी मीटरगेज लाइनें हैं उन पर हम को विचार करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं वहां के लोग और यात्री ज्यादा देर तक कठिनाइयों से न गुजरें जिससे कि उन रीजन्स की तरक्की के बारे में कुछ नया वातावरण पैदा हो।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर "ख" में कहा गया है कि समस्तीपुर और दरभंगा के बीच कनवर्शन का काम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कब तक पूरा हो जायेगा और क्या उसे दरभगा से आगे नरकटियां गंज तक ले जाने की योजना है ? .... (**व्यवधान**) ....

अध्यक्ष महोदय : आप स्पैसिफिक क्वश्चन पूछिये।

श्री हरि किशोर सिंह : यह स्पैसिफिक क्वश्चन है... (**व्यवधान**) ...

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के पूछे जाने की उम्मीद थी। यदि मंत्री के पास सूचना है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : समस्तीपुर–दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को सम्मिलित किया गया है किन्तु धनाभाव के कारण इस कार्य की प्रगति बहुत कम है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्यों ? आप धन उपलब्ध करवाइये। क्या यह सरकार बदलने के कारण हैं अथवा किसी और कारण से है ?

[**हिन्दी**]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, चूंकि मंत्री जी स्पैसिफिक क्वश्चन का जवाब दे रहे हैं.. (**व्यवधान**) .. उन्होंने यह बात सही कही है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, अगर वहां मीटरगेज लाइन है तो लोग वहां नये उद्योग लगाने को तैयार नहीं होते हैं। आपको मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल देश का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उसमें शाहगंज से मऊनाथभंजन तक छोटी लाइन है। पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि उसको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जायेगा। मैं और कल्पनाथ जी दोनों उसी जिले से आते हैं, आजमगढ़ और मऊनाथ-भंजन जिलों से। यह न केवल इन दोनों जिलों का सवाल है बल्कि तमाम पूर्वांचल के विकास का सवाल है। क्या शाहगंज से मऊनाथभंजल की छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने के लिये मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक धन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष जी, मुझे आदरणीय दोस्त श्री चन्द्रजीत यादव जी के क्षेत्र की लाइन के बारे में सहानुभूति है। मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे चन्द्रजीत यादव जी हों या हमारे दूसरे मित्र हों, जो सहानुभूति आप हमसे चाहते हैं, वही सहानुभूति अगर हम लोगों में हो तो इस देश के संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने के लिये और जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने के लिये, क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं, मैं यह कुछ नहीं कह सकता कि हम कितना आगे बढ़कर कुछ काम कर सकेगें। . . . (**व्यवधान**)। . . .

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या इसके लिये आप विदेशी निवेश आमन्त्रित करेंगे ? . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

. . . (**व्यवधान**) . . .

[हिन्दी]

श्री बोलेया नंदी : अभी हमारे माननीय मंत्री जी यह कह रहे थे कि बैकवर्ड एरिया के अन्दर जहां रेल लाइन नहीं बिछी है, ऐसे इलाके ज्यादा दिनों तक ऐसी स्थिति में नहीं रहने चाहिये लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के अन्दर मेंडक डिस्ट्रिक्ट में रेलवे लाइन का काम स्टार्ट हुए आज 15 साल हो गये लेकिन 8 किलोमीटर का काम कम्पलीट नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि उस बैकवर्ड एरिया को फॉरवर्ड एरिया बनाने के लिये कितना समय लगेगा ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा में कोयले के भंडार

***46. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उत्तम और मध्यम श्रेणी के कोयले का विशाल भडार है और कोल इडिया लि० ने इसके उपलब्ध होने के बारे में विस्तृत जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान उड़ीसा में निकाले गये कोयले की (मात्रा और श्रेणी) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में कोयले की खुदाई के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है और इस शताब्दी के अन्त तक कितनी मात्रा में कोयला निकाला जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए०संगमा) : (क) जी हां ! उड़ीसा में कोयले के बड़ी मात्रा में भंडार विद्यमान हैं, किन्तु यह कोयला अधिकतर घटिया ग्रेड में उपलब्ध है जो कि विद्युत उत्पादन के लिये लाभकारी है। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा में कोयले के संसाधनों का मूल्यांकन दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार 44,307 मि० टन किया गया है। इन कुल भडारों में से केवल लगभग 5 से 6 प्रतिशत भंडार उच्च तथा मध्यम ग्रेड के हैं।

(ख) उड़ीसा में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल संसाधनों की अधिप्राप्ति लगभग 38,000 मि० टन होने का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान उड़ीसा की तलचर तथा ईब घाटी के कोयला क्षेत्रों में क्षेत्रीय अन्वेषण के लिये 6 ड्रिलों को कार्यरत किये जाने का एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम से कोयले के और संसाधनों का पता लगाया जाने की संभावना है।

खान आयोजन तथा डिजाइन के लिये विस्तृत रूप में अन्वेषण किये जाने के उद्देश्य से अपेक्षित 21 ड्रिलों को केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान द्वारा 24 ब्लॉकों में आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कार्यरत किया जाएगा जिससे 9,000 मि० टन के अतिरिक्त भडारों को प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत लाया जा सकेगा।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

***47. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में प्रत्येक श्रेणी के पेट्रोलियम उत्पाद का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उसका मूल्य (रुपयों में) कितना था ;

(ख) इसी अवधि में देश में उपर्युक्त पदार्थों का श्रेणीवार उत्पादन कितना-कितना हुआ; और

(ग) इन पदार्थों का वर्तमान भंडार कितना है, इनका कितना आयात करने का प्रस्ताव है और देश में इनका कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) से (ग) वर्ष 1990–91 के दौरान 4660.22 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग 8.66 मिलियन टन मात्रा का कुल आयात किया गया था और ऐसे उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन 27.20 मि० टन का था।

वर्ष 1991–92 के दौरान उत्पादों की लगभग 9.626 मि० टन मात्रा के आयात करने की योजना है और इन उत्पादों की लगभग 26.75 मि० टन मात्रा का देश में उत्पादन होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

हसनपुर-सकरी रेल मार्ग

***48. श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हसनपुर से सकरी तक एक रेल लाइन बिछाने की मांग बहुत देर से की जा रही; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण, इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू करना फिलहाल कठिन होगा।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० का कार्य-निष्पादन

***50. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी सहयोगी कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है तथा इनके कामकाज में सुधार लाने के लिये सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० के 1858 करोड़ रुपये विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर अभी भी बकाया हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिये अब तक क्या कदम उठाए गये हैं तथा यह बकाया राशि कितने-कितने वर्ष से संचित होती जा रही है; और

(ङ) कोयले का उत्पादन बढ़ाने, इसका अवैध खनन तथा चोरी रोकने इत्यादि के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां । प्रत्येक वर्ष के शुरू में कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कपनियों के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं जिसमें सभी पहलुओं को समाहित किया जाता है और इनके क्रियाकलापों की मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक रूप में समीक्षा की जाती है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) के स्तर पर भी प्रत्येक सप्ताह कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण की समीक्षा की जाती है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। 30-4-1991 की स्थिति के अनुसार अनन्तिम रूप में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं को 1856.50 करोड़ रु० की राशि देनी बकाया थी। इस संबंध में एक विस्तृत विवरण-पत्र अनुलग्नक 'क' संलग्न है। ये बकाया राशि 6 महीने से अधिक की अवधि की है और उक्त राशियां 4 से 5 वर्षों से अधिक की अवधि से बकाया हैं। इस बकाया राशि की वसूली किये जाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. कोयला विभाग ने 1-4-1990 से 25 प्रतिशत संयोजनों को, प्रगामी रूप से वर्तमान कोयले की आपूर्ति को अग्रिम अदायगी के साथ संयोजित करने की पद्धति शुरू कर दी है, जिसे 1-1-1991 से 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा। शेष अदायगी की राशि का भुगतान बिलों को प्रस्तुत किये जाने के एक महीने की अवधि के अन्दर किया जाना था।

2. 1-4-1989 के बाद चालू की गई सभी विद्युत गृह यूनिटों को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी अथवा रिवोलविंग लेटर आफ क्रेडिट के एवज में की जानी है।

3. तदनुसार कोयला कंपनियों को यह सलाह दी गई है कि थर्मल पावर स्टेशनों को, उनके द्वारा की गई अदायगी को ध्यान में रखते हुए, रेल द्वारा कोयले का संचलन करने के लिये विशिष्ट पेशकश करें। इस तरह से ऐसे राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताएं जोकि पूरी अदायगी करेंगी, वे अधिकतम कोयले की आपूर्ति प्राप्त करेंगी और ऐसे राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत उपयोगिताएं, जोकि अदायगी नहीं करती हैं, वे अपेक्षाकृत कम मात्रा में कोयला प्राप्त करेंगी।

4. कोयला सचिव के स्तर पर इस मामले को संबद्ध राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के नोटिस में ला दिया गया है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को अवश्य ही तत्काल बकाया राशि की अदायगी करने के निर्देश दें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि दोषी राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति पर रोक लगा दी जाए।

5. भारत सरकार ने कोल इंडिया लि० की नाजुक वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31-5-1990 को कोयले की बिक्री की बकाया राशि को राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता के एवज में वर्ष 1990-91 से 4 वार्षिक किश्तों में समायोजित कर दिया जाए। तद्नुसार को० ई० लि० को जून से अक्तूबर, 1990 की अवधि में इस तरह की केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 273.36 करोड़ रु० की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि दिनांक 31-5-1990 की स्थिति के अनुसार देय अविवादित राशि के 25 प्रतिशत को प्रदर्शित करती है। आर्थिक कार्य विभाग को दिनांक 31-5-1990 की स्थिति के अनुसार अविवादित बकाया राशि की दूसरी किश्त को समायोजित करने के प्रस्ताव भेज दिये गये हैं।

इन उपायों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और दिनांक 1-4-1990 की स्थिति के अनुसार बकाया 1876.60 करोड़ रु० की राशि की तुलना में बकाया राशि घटकर दिनांक 30-4-1991 को 1856.50 करोड़ रु० हो गई और इसके बाद दिनांक 31-5-91 को अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार यह राशि और घटकर 1795.55 करोड़ रु० हो गई।

(ङ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिये उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं—नई खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, अधिकतम अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये नई प्रौद्योगिकी का लगाया जाना और कोयले का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये समय से आधारभूत ढांचा सुविधाएं तथा आगतों को उपलब्ध किया जाना।

कोयले के गैर-कानूनी रूप में किये जा रहे खनन कार्यों को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत गैर-कानूनी रूप से किये जा रहे कोयले के खनन क्रियाकलापों को दंडनीय अपराध बनाया गया है। राज्य सरकारों से इस अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के उपबधों की शर्तों के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में किये गये अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं –

(ii) पुरानी बन्द पड़ी खानों की घेराबदी तथा उनका बन्द किया जाना ;

(iii) गैर-कानूनी रूप से किये जा रहे खनन कार्यों आदि को रोकने के लिये दिन-रात निगरानी।

कोयले की चोरी को रोकने के लिये सख्त सुरक्षा उपाए किये जा रहे हैं, जिसमें कोयला डम्पों की घेराबन्दी तथा उनके संरक्षण का कार्य शामिल है।

अनुलग्नक

दिनांक 30-4-91 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा कटौती की गई राशि तथा

(आंकड़े

विद्युत गृह/राज्य विद्युत बोर्ड	कुल बकाया राशि		एक मास के अन्दर	
	देय राशि	कटौती की गई राशि	देय राशि	कटौती की गई राशि
1	2	3	4	5
बी एस ई बी	7832	1717	390	–
यू पी एस ई बी	56483	6735	1388	–
ओ एस ई बी	224	4	280	–
पी एस ई बी	14788	11021	626	–
टी एन ई बी	6124	3791	1476	2
एच एस ई बी	13208	7187	520	–
आर एस ई बी	2059	975	258	11
एम एस ई बी	15304	9916	2114	272
एच पी ई बी	5547	1765	918	2
जी ई बी	9767	6146	2004	182
डब्ल्यू बी एस ई बी	4627	15	770	–
ए पी ई बी	508	391	63	21
ई/बी जोड़	136531	49663	10807	490
के टी पी	335	–	(–) 197	–
डब्ल्यू बी पी डी सी	2984	–	1117	–
बी पी एल	3932	817	222	1
डी वी सी	17198	2735	1397	–
डी ई एस यू	3769	1392	215	–
बी टी पी एस	11219	10229	584	–
एन टी पी सी	6607	3697	2372	5
सी ई एस सी	346	53	281	–
ए ई सी	2740	2395	369	40
अन्य	(–) 11	18	(–) 40	–
उप जोड़	49119	21336	6320	46
कुल जोड़	185650	70999	17127	536

'क'

विद्युत गृह/वार-बिजली बोर्ड-वार "देय बकाया राशि" का विवरण-पत्र

लाख रु० में)

एक मास से अधिक किन्तु 3 मास के अंदर		6 मास के अंदर किंतु 3 मास से अधिक		6 मास तथा इससे अधिक की अवधि	
देय राशि	कटौती की गई राशी	देय राशि	कटौती की गई राशी	देय राशि	कटौती की गई राशि
6	7	8	9	10	11
–	–	–	–	7442	1717
2804	–	4715	–	47576	6735
4	4	–	–	–	–
1204	–	899	–	12059	11021
695	18	934	934	3019	2837
–	–	19	–	12669	7187
161	147	262	6	1378	811
139	111	818	732	12233	8801
848	14	(–) 329	111	4110	1638
2241	602	1621	1475	3901	3887
–	–	–	–	3857	15
377	302	43	43	25	25
8473	1198	8982	3301	108269	44674
334	–	108	–	90	–
318	–	147	–	1402	–
–	–	–	–	3710	816
737	–	1386	–	13678	2735
–	–	–	–	3554	1392
38	–	–	–	10597	10229
588	221	628	559	3019	2912
–	–	–	–	65	63
35	35	511	511	1825	1809
–	–	–	–	29	18
2050	256	2780	1070	37969	19964
10523	1454	11762	4371	146238	64638

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

*51. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन संयंत्रों को स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा 817 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित ताप-विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से ईंधन लिंकेज और अन्य सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

आन्दोलनों के परिणामस्वरूप रेलवे को हुई क्षति

*52. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसा और आंदोलनों के परिणामस्वरूप रेलवे को अनुमानतः कितनी क्षति हुई; और

(ख) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990–91 में लगभग 125 करोड़ रुपये।

(ख) रेलों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध रोकने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस को जलाकर नष्ट किया जाना

*53. **श्री लाल कृष्ण अडवाणी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितने मूल्य की कितनी प्राकृतिक गैस जला कर नष्ट की जा रही है और ऐसा कब से किया जा रहा है;

(ख) प्राकृतिक गैस को इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किये गए हैं;

(ग) इन उपायों के क्या परिणाम निकले;

(घ) भविष्य के लिये यदि कोई कार्य योजना है, तो वह क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक से सम्पर्क किया है;

(च) यदि हां, तो उसे भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (छ) प्राकृतिक गैस 1957-58 से जलाई जा रही है। वर्ष 1990-91 के दौरान 720 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की लगभग 5161 मि० घनमीटर गैस जलाई गई।

गैस के जलाए जाने को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में विभिन्न ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना शामिल है जिनमें से कुछ को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता मंजूरी दी गई है, विश्व बैंक ने 450 मि० अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता मंजूर की है।

[हिन्दी]

ऊना से जोगेन्द्र नगर के लिए रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण

***54. प्रो० प्रेम धूमल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें ऊना, शाहतलाई, बिलासपुर, बरमाणा, सुन्दरनगर और मंडी होते हुए जोगेन्द्रनगर तक बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए, इस काम को शुरू करना कठिन होगा।

[अनुवाद]

एयरबस ए-320 की उड़ानों पर रोक

***55. प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी एयरबस ए-320 की उड़ानों पर बंगलौर विमान दुर्घटना के पश्चात् रोक लगा दी गई है;

(ख) क्या एयरबस ए-320 की उड़ानों पर रोक लगाना उचित है; और

(ग) इन विमानों की उड़ान पुनः शुरू करने से पहले जो सुरक्षा उपाय किये गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :(क) 14 एयरबस ए-320 विमानों की उड़ानें 19-2-1990 से बन्द रहीं। 4 एयरबस ए-320 विमान भी जो अक्तूबर, 1990 में प्राप्त हुए थे, उनकी प्राप्ति की तारीख से इसी स्थिति में रहे।

(ख) बंगलौर विमान दुर्घटना के बाद यात्रियों के मन में आशंका को देखते हुए और बेड़े के सुरक्षित परिचालन के लिए इंडियन एयरलाइन्स की तैयारी का जायजा लेने हेतु ए-320 विमानों का परिचालन स्थगित कर दिया गया था।

(ग) एयरमार्शल एस० एस० रामदास की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति ने ए-320 बेड़े के सुरक्षित परिचालन के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(1) विमान चालकों का प्रशिक्षण

(2) "ए" और "सी" इंजीनियरों का प्रशिक्षण

(3) आधारभूत सुविधाओं का अनुरक्षण

(4) अनुरक्षण/परिचालन प्रक्रिया और न्यूनतम उपस्कर सूची (एम० ई० एल०) का उपयोग

(5) नोट की गई कमियों को सुधारने से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए एकीकृत प्रबन्ध प्रणाली।

ए-320 विमानों के दोबारा परिचालन को शुरू करने से पहले इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने पर्याप्त कदम उठाए हैं।

रसोई गैस के कनैक्शन

***56. श्री अमर राय प्रधान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान बिना पारी के आधार पर कितने रसोई गैस कनैक्शन दिये गये ; और

(ख) इसके लिए क्या मानदंड अपनाया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 59350।

(ख) (i) संसद सदस्यों की अनुशंसा पर।

(ii) सरकार के स्वविवेक के आधार पर।

कोंकण रेल परियोजना

***57. श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम कोंकण रेल परियोजना से सम्बन्धित कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर रहा है ;

(ख) इस समय इस परियोजना का निर्माण-कार्य किस चरण में है ; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस रेल लाइन को मंगलौर से केरल में शबरीमाला तक बढ़ाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों सिरों से तथा बीच में अनेक स्थानों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। दो खंडों, अर्थात् मंगलौर–उडुपी (68 कि० मी०) और रोहा–दसगांव (47 कि०मी०), के 1992-93 में तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

तालचेर सुपर ताप विद्युत् संयंत्र

***58. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही**
श्री भाग्य गोवर्धन } : क्या विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तालचेर में सुपर ताप विद्युत संयंत्र की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे समय पर पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ;

(ग) क्या निर्माण में विलम्ब और मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण इस परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि करने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1988 (जून, 1988 के मूल्य पर) में परियोजना की मूल अनुमोदित लागत 1480.85 करोड़ रु० थी । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने (मार्च, 1991 के मूल्य पर) अप्रैल, 1991 में 2047.40 करोड़ रु० परियोजना लागत हेतु सरकार को एक संशोधित प्रारूप परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है । लागत में प्रस्तावित संशोधन का कारण कार्य में विलम्ब होना नहीं है अपितु इसका कारण मूल्य वृद्धि, विनिमय दर में भिन्नता, कार्य-क्षेत्र के स्वरूप में परिवर्तन और शुल्क एवं करों में परिवर्तन आदि होना है ।

सहरसा को वायुदूत सेवा से जोड़ना

[हिन्दी]

59. **श्री सूर्य नारायण यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तरी बिहार की सहरसा कमीशनरी को वायुदूत सेवा से जोड़ने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमीशनरी को देश के अन्य भागों के साथ वायुदूत सेवा के जरिये कब तक जोड़ा जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) : वायुदूत को हो रही भारी हानि के कारण उसे अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में वायुदूत द्वारा नये स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये मानदंड

*60. **श्री सन्तोष गंगवार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी गांव को वहां रहने वाले ग्रामीणों को बिजली के कनैक्शन दिये बिना भी विद्युतीकरण मान लिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को इस तरह का निदेश दिया है कि किसी गांव को बिजली का केवल एक कनैक्शन देकर भी विद्युतीकृत माना जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) गांव विद्युतीकरण सम्बन्धी विद्यमान परिभाषा के अनुसार गांवों की राजस्व सीमा के अन्तर्गत यदि एक भी सर्विस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता है तो उस गांव को विद्युतीकृत माना जाता है ।

इज्जतनगर में तहबाजारी के आधार पर रेल विभाग की भूमि का आबंटन

136. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन में रेल विभाग की भूमि तहबाजारी के आधार पर आबंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं,

(घ) क्या इस आबंटन प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां ।

(ख) इज्जतनगर में लगभग 51.150 वर्ग फीट माप का रेलवे भूमि का एक प्लाट 1976 से तहबाजारी के लिए लाइसेंस पर दिया गया है । भूमि से राजस्व प्राप्त करने तथा रेलवे स्टाफ कालोनी के निवासियों को खरीदारी की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऐसा किया गया है ।

(ग) मौजूदा नियमों के अनुसार तहबाजारी के आधार पर मौजूदा लाइसेंसों को तब तक जारी रखने की अनुमति दी गयी है जब तक यह भूमि रेलवे को विकास कार्यों के लिए अपेक्षित नहीं होती है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) तहबाजारी लाइसेंसों की हर साल समीक्षा की जाती है और इनका नवीकरण किया जाता है बशर्ते कि रेलवे को भूमि की जरूरत न हो और लाइसेंसधारियों द्वारा देयताओं की अदायगी कर दी गयी हो ।

[अनुवाद]

एयर इंडिया का ब्रिटिश एयरवेज के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा प्राधिकरण के पास जाना

137. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1991 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" के कलकत्ता संस्करण में "ए० आई० टू एपरोच आई० ए० टी० ए० अगेन्सट ब्रिटिश एयरवेज एण्ड ब्लिटज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया, ब्रिटिश एयरवेज द्वारा भारत से मुफ्त यात्री ले जाए जाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा प्राधिकरण के पास गया है :

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और भारत में व्यवसाय करने वाली विदेशी विमान कम्पनियों को ऐसे अस्वस्थ व्यापारिक तरीके अपनाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नही ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह पेशकश पूर्व अनुमति लिये बिना की गयी थी और इसलिए नागर विमानन महानिदेशालय ने इस मामले को ब्रिटिश एयरवेज के साथ उठाया। उनके उत्तर पर विचार करने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने ब्रिटिश एयरवेज को सलाह दी कि भविष्य में उन्हें इस प्रकार की पेशकश करने से पहले, वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले का ग्रामीण-विद्युतीकरण

138. **श्री हरसेन चौधरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिले में विद्युतीकरण वाले और गैर-विद्युतीकरण वाले गांव कितने हैं ; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितने गांव का विद्युतीकरण किया गया ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा, राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, तैयार एवं क्रियान्वित किये जाते हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों की संख्या संचयी रूप से क्रमशः 1,335 तथा 549 थी।

(घ) 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विद्युतीकृत 67 गांवों की सूचना प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप का आबंटन

139. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान आबंटित पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों की संख्या का राज्यवार और कम्पनीवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार के स्वविवेक द्वारा आबंटित ऐसी डीलरशिपों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक संबंधित बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से विचारित और अनुमोदित डीलरशिपों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप के लिए दिए गए आशय पत्रों की पुनरीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली-दरभंगा-गुवाहाटी के बीच विमान सेवा

140. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली–दरभंगा–गुवाहाटी के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या पटना–मुजफ्फरपुर–दरभंगा के बीच प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर वायुदूत सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

देश में उड़ानों में मद्यपान पर रोक लगाना

141. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की सभी उड़ानों में मद्यपान पर रोक लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोपड़, हरीक और फिरोजपुर हेडवर्क्स का नियंत्रण

142. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब ने रोपड़, हरीके ग्रौर फिरोजपुर हेडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा–ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को नहीं सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने 6 दिसम्बर, 1989 को इस सम्बन्ध में ग्रविलम्ब कार्रवाई करने के ग्राशय का एक पत्र प्रधान मंत्री को लिखा था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को ग्रावश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; ग्रौर

(ङ) यदि नहीं, तो यह निर्देश कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को नहीं सौंपा गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब पुनर्गठन ग्रधिनियम, 1966 की धारा 79 की उपधारा (8) के ग्रन्तर्गत एक निदेश जारी किया गया था जिसमें पंजाब सरकार को रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हेडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने का निदेश दिया गया था । तत्पश्चात्, 31-12-1981 को प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सभी सहभागी राज्यों को जल के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने का प्रावधान किया गया था । तदनुसार, विभिन्न राज्यों को जल के वितरण का भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है । भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में राजस्थान एवं हरियाणा सहित सभी सहभागी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं ग्रौर कम ग्रापूर्ति सम्बन्धी शिकायत को संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा बोर्ड में उठाया जाता है ग्रौर उनका समाधान किया जाता है । इसके ग्रलावा, 19-9-90 को हुई संयुक्त बैठक जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर ग्रादि की सरकारों के वरिष्ठ ग्रधिकारी उपस्थित थे, में यह बात सामने ग्राई थी कि राजस्थान द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड की तकनीकी समिति के समक्ष कभी भी जल के कम वितरण संबंधी शिकायत नहीं की गई थी । ग्रन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार के मामलों का निपटान तकनीकी समिति की बैठकों में सहभागी राज्यों द्वारा परस्पर सहयोग से किया जाना चाहिए ।

[अनुवाद]

पर्यटन योजना

143. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के लिये कोई नई पर्यटन योजना बनाई है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मंत्रालय ने वर्ष 1991-92 के लिए अपनी वार्षिक योजना तैयार कर ली है जिसमें राज्य सरकारों को उनकी पर्यटन आधारित-संरचना संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ वित्तीय सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। यह सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए दी जाती है।

सिंगरेनी कोयला खानों से कोयले की ढुलाई

144. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सिंगरेनी कोयला खानों को विजयवाड़ा ताप बिजली घर को कोयला ले जाने के लिये पर्याप्त संख्या में रेक नहीं दिये हैं जिसके कारण कुछ इकाइयां बन्द हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस कोयला खान की रेकों सम्बन्धी मांग की पूर्तिहेतु रेलवे द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में रेल लाइनें

145. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जिन रेल सम्पर्क लाइनों के क्रियान्वयन की सिफारिश की है उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उस पर क्या कार्रवाई की गयी/किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) उड़ीसा सरकार ने जिन रेल सम्पर्कों के नाम की सिफारिश की है, नीचे दिये गये हैं :—

1. दैतारी—बांसपानी रेल लाइन	143 कि०मी०
2. तालचेर—गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन	325 कि०मी०
3. जैपुर—मलकानगिरी रेल लाइन	100 कि० मी०
4. रायगडा—गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन	165 कि०मी०

(ख) 1. दैतारी-बांसपानी रेल लाइन (143 कि० मी०)

लोह अयस्क के निर्यात हेतु पारादीप पोर्ट के विकास के लिए दक्षिण कोरिया के मैसर्स ह्युंडई कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग के रूप में दैतारी—बांसपानी (143 कि०मी०) बड़े आमान की नयी रेल लाइन के निर्माण के बारे में भूतल परिवहन मंत्रालय तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा विचार किया जा रहा है। ज्यों ही भूतल परिवहन मंत्रालय तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा इस परियोजना में धन लगाने के लिए वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया

जायेगा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से इसकी स्वीकृति मिल जायेगी, रेलें इस नयी बड़ी लाइन का निर्माण शुरू कर सकती हैं।

2. तालचेर-गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन (325 कि० मी०)

रेलवे से तालचेर–ब्रह्मपुर–गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन का त्वरित मूल्यांकन सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

3. जैपुर-मलकान गिरी रेल लाइन (100 कि० मी०) तथा

4. रायगडा-गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन (165 कि० मी०)

संसाधनों की अत्यधिक तंगी और चालू परियोजनाओं के लिए भारी वचनबद्धताओं के कारण जैपुर–मलकान गिरी एवं रायगडा–गोपालपुर पोर्ट लाइनों को इस समय शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

खुर्दा रोड से भवानी पटोरा (उड़ीसा) के लिये रेल लाइन

146. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में खुर्दा रोड से भवानीपटोरा तक रेल लाइन बिछाने का फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मृत्तिका इकाइयों को कोयले की पूर्ति

147. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कुछ मृत्तिका इकाइयों को सामान्य मूल्यों पर कोयला प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इकाइयों को सामान्य दरों पर कोयला उपलब्ध कराने की दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) से (ग) सरकार प्राथमिकता के क्षेत्रों को, जिसमें विद्युत, सीमेंट, इस्पात, रेलवे, उर्वरक तथा एल्यूमिनियम क्षेत्र शामिल हैं, कोयले के संचलन के लिए रेलवे वैगनों के आवंटन के मामले में तरजीही देती रही है। रेलवे वैगनों की सीमित उपलब्धता के कारण रेलवे द्वारा अन्य उपभोक्ताओं को कोयले का संचलन

किए जाने के मामले में, जिसमें मृत्तिका उद्योग भी शामिल है, प्रभावित हुए हैं, । अतः उन्हें अपनी आवश्यकताएं पूरी कराए जाने के लिए सड़क द्वारा कोयले का संचलन करना पड़ता है, जो कि अधिक खर्चीला है । तेजी से वैगनों को उपलब्ध करके कोयले के लदान के लिए रेलवे वैगनों की उपलब्धता को बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और वैगनों के लदान तथा उतराई के समय में कमी की जा रही है ।

सोवियत संघ से विमान की खरीद

148. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से कोई यात्री विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय सोवियत संघ से सिविलियन यात्री विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

[हिन्दी]

149. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री धर्मन्ना मेंडियुबा सादुल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में कितनी रसोई गैस एजेंसियां और कितने पैट्रोल पम्प अलग-अलग सामान्य श्रेणी और बिना बारी के महीनेवार तथा श्रेणीवार आबंटित किए गए ;

(ख) इसके लिए क्या मानदंड अपनाये गये ;

(ग) क्या सरकार का विचार आबंटन की पुनरीक्षा करने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) (सामान्य श्रेणी और बिना बारी के अलग-अलग) कितने प्रार्थना-पत्र अभी भी लंबित हैं ; और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : गत छः माह के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप के लिए (क) से (घ) जारी किए गए आशय पत्रों की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है ।

(ङ) ऐसा कोई सांख्यिकीय ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

मनमाड-नानदेड रेल लाइन का बदला जाना

150. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड–औरंगाबाद–नानदेड रेल लाइन को बदलने सम्बन्धी कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना को कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) मराठवाड़ा क्षेत्र में मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के दो कार्य स्वीकृत किए गए हैं :—

(क) मनमाड–परभनी–पर्ली वैजनाथ

(ख) परभनी–पूर्णा और मुदखेड़–आदिलाबाद तथा पूर्णा और मुदखेड़ के बीच समानान्तर बड़ी रेल लाइन ।

पर्ली वैजनाथ ताप बिजली घर के लिए वर्धा घाटी से कोयले की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से परियोजना को निम्नलिखित ढंग से चरणों में बांटा गया है :—

चरण–I मनमाड–औरंगाबाद

चरण–II आदिलाबाद–मुदखेड़–परभनी–पर्ली वैजनाथ

चरण–III औरंगाबाद–परभनी

चरण–I का कार्य तेज गति से हो रहा है तथा पूरा होने को है

चरण–II का कार्य भी टुकड़ों में शुरू कर दिया गया है

चरण–III का कार्य अर्थात् औरंगाबाद–परभनी का कार्य चरण–II के कार्य पर पर्याप्त प्रगति होने के बाद शुरू किया जाएगा ।

(ख) मनमाड से औरंगाबाद तक चरण–I का कार्य वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान पूरा होने की आशा है । चरण-II और III का कार्य पूरा करने की अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है जो आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप के मिनिकाय और एन्ड्राथ द्वीप समूहों में हवाई पट्टियां

151. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने लक्षद्वीप में मिनिकाय और एन्ड्राथ द्वीप समूहों में हवाई पट्टियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसक कार्यान्वयन में कोई देरी हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त हवाई-पट्टियों को कब तक पूरा करके उपयोग हेतु बनाया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 1989 में किए गए व्यवहार्यता अध्ययन मे पता चलता है कि डोर्नियर–228 और एवरो–748 विमान परिचालनों के लिए एन्ड्रोथ और मिनीकाय द्वीप समूहों पर हवाई अड्डों का निर्माण सम्भव है जिन पर क्रमश: 8.20 करोड़ रुपए और 11 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निकट भविष्य में परियोजनाएं शुरू करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा रसोई गैस के कनैक्शन देने में विलम्ब

152. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन रसोई गैस के कनैक्शन देने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा मूल पत्र प्राप्त न करने की स्थिति में दूसरा पत्र देने में लम्बा समय लगाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के कार्यकरण में सुधार के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि विलम्ब के विशेष मामले की जांच की जा सकती है परन्तु, ऐसी कोई और शिकायत नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रनकपुर में हवाई पट्टी

153. **श्री गुमानमल लोढा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रनकपुर मंदिर विश्व भर में अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हवाई पट्टी का निर्माण करके वहां वायुदूत सहित विमान सेवा प्रदान करने का विचार है ताकि पर्यटकों को सुविधा दी जा सके ;

(ग) यदि हां, तो विमान सेवा शुरू करने हेतु हवाई पट्टी का निर्माण कहां किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) यातायात संभाव्यता, परिचालनों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और उनका लगाया जाना, बेड़ा उपलब्धता और अनुसूचित विमान कम्पनियों के परिचालन की योजना और नये हवाई

अड्डे के निर्माण से संगत ऐसे अन्य कारक निकट भविष्य में रतनपुर में नये हवाई अड्डे का निर्माण करने की सम्भावना की अनुमति नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

रेलवे टर्मिनलों पर व्यय

154. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के कुरला टर्मिनल और पश्चिम रेलवे के बान्द्रा टर्मिनल पर पृथक-पृथक कुल संशोधित अनुमानित व्यय कितना होने की सम्भावना है और इसके कब तक पूरा होने और चालू होने की सम्भावना है ; और

(ख) इन दो परियोजनाओं पर 31 मार्च, 1991 तक पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क) कुर्ला (चरण–I, स्तर–I) और बांद्रा के नये यात्री टर्मिनलों के निर्माण पर किये जाने वाले कुल अनुमानित व्यय क्रमश: 24.95 करोड़ रुपये और 12.53 करोड़ रुपये हैं। कुर्ला टर्मिनल के मामले में 13 एकड़ और 33 गट्ठे भूमि के बारे में विवाद होने तथा बांद्रा टर्मिनल इमारत को जाने वाले प्रस्तावित पहुंच मार्ग के अन्दर रेलवे भूमि पर लगभग 1200 झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण इन दोनों टर्मिनलों को चालू करने का काम रुका हुआ है। दोनों मामले न्यायाधीन हैं। न्यायालय द्वारा संबंधित मामले को क्रमश: निपटा दिए जाने के 6 महीनों के भीतर इन टर्मिनलों को चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

(ख) 31 मार्च, 1991 तक इन 2 परियोजनाओं अर्थात् कुर्ला टर्मिनल तथा बांद्रा टर्मिनल पर क्रमश: 20.72 करोड़ रुपये (लगभग) और 10.95 करोड़ रुपये (लगभग) व्यय किए गए हैं।

कोंकण रेल परियोजना

155. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना का कार्य मूल कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) क्या कोंकण रेल निगम को इस प्रयोजन के लिए ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है;

(ग) ऋण-पत्र जारी करने में यदि कोई विलम्ब हुआ हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के लिए पूर्ण रूप से संसाधन उपलब्ध कराने के अन्य कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने वर्ष 1991-92 के दौरान 250 करोड़ रुपये के बन्ध-पत्र जारी करने के लिए कोंकण रेलवे निगम को अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। अब निगम ने पूंजी निर्गम नियंत्रक से स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है।

(घ) आशा है कि हिस्सा-पूंजी तथा बन्ध-पत्रों को जारी करने से प्राप्त होने वाला धन परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

पूर्वी दिल्ली की कालोनियों में मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था

[हिन्दी]

156. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली की अनेक बस्तियों में गत कई वर्षों से मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था के अभाव में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वस्तियों में मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और कहां पर ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) डेसू के अनुसार पूर्वी दिल्ली की अधिकांश कालोनियों में स्ट्रीट लाईट की सुविधा पहले से ही विद्यमान है। चूंकि यह सुविधा प्रतिष्ठापन एवं रख-रखाव की लागत का प्रायोजक अभिकरणों द्वारा भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जाती है, इसलिये ऐसी किसी कालोनी में इसकी आवश्यकता के लिए किसी नई स्कीम को प्रस्तुत किया जाना और उनके द्वारा अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्त पोषित किया जाना अपेक्षित होता है।

राज्य बिजली बोर्डों का घाटा

[अनुवाद]

157. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन बिजली बोर्डों का कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) पूंजीगत ढांचे में इक्विटी घटक के अभाव, विगत में परियोजनाओं के निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण न किया जाना, निम्न कृषि टैरिफ राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान न किया जाना, राज्य विद्युत संबंधी शुल्क का भुगतान,

विद्युत प्रणाली में पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा अधिक होना, कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण स्थापना संबंधी लागत अधिक होना, राजस्व राशि एकत्र करने में अधिक बकाया राशियों का होना, परियोजनाओं को पूरा करने में समय और लागत में वृद्धि होना आदि के कारण अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड घाटे की स्थिति में चल रहे हैं।

(ग) विगत के तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के बारे में अधिशेष/कमी को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्न के रूप में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य बिजली बोर्ड के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं—बोर्डों के लिए यह अनिवार्य किये जाने के लिए कि वे अपनी निर्धारित परिसम्पत्तियों पर 3 प्रतिशत अधिशेष का लाभ अर्जित करें, संविधि में संशोधन किया जा रहा है, विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित करना, ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को क्रियान्वित करना, ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार स्कीम लागू करना आदि।

विवरण

लेखे-जोखे में निर्दिष्ट किए गए अनुसार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता को लेखे-जोखे में शामिल करने के पश्चात् राज्य बिजली बोर्डों के वार्षिक लाभ/हानि।

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्दिष्ट: लाभ/हानि 1988	1989	1990	दी गई आर्थिक सहायता 1988	1989	1990
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.30	16.80	2.50	0.00	0.00	0.00
2.	बिहार	−25.74	−190.95*	−8.30*	196.40	26.89	163.00
3.	गुजरात	24.30	13.90	−239.89	169.80	156.60	0.00
4.	हरियाणा	−80.90	−52.13	−67.77	65.00	32.93	33.00
5.	हिमाचल प्रदेश	−16.60	71.00	−5.90	7.50	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	−104.50	−50.60	−84.30	0.20	0.10	0.00
7.	केरल	−56.70	−14.30	−10.50	0.00	0.00	0.00
8.	मध्य प्रदेश	53.60	80.00*	82.56*	73.50	84.50	97.00
9.	महाराष्ट्र	73.20	39.50	14.50	0.10	183.25	272.50
10.	उड़ीसा	−45.50	−24.71	18.24*	16.70	21.20	26.03
11.	पंजाब	−5.00	−68.10	−57.80	192.40	246.60	374.50
12.	राजस्थान	−65.90	−57.20	−147.80*	0.00	0.00	0.00
13.	तमिलनाडु	33.20	41.30	58.20	287.10	437.50	554.10
14.	उत्तर प्रदेश	40.80	41.50*	89.70*	424.70	473.00	497.00
15.	प० बंगाल	−26.70	−38.80	−45.30	34.40	39.90	47.80
16.	असम	−96.48*	−121.07*	−222.69*	49.49	60.36	0.00
17.	मेघालय	2.40*	1.48*	1.08*	3.00	4.00	5.20
	जोड़	−267.22	−312.38	−623.47	1520.29	1766.83	2070.23

*अनन्तिम/गैर लेखा-परीक्षित

औरंगाबाद विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाया जाना

158. **श्री अशोक राव आनन्दराव देशमुख** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद विमानपत्तन का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में दर्जा बढ़ाने और नानदेड हवाई-पट्टी का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में विमानपत्तन

162. **श्री रुद्र सेन चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में स्थित श्रावस्ती में एक विमानपत्तन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों, विशेषकर बौद्ध भक्तों की सुविधा के लिए श्रावस्ती तक एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती पर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने और इसके लिए संसाधन जुटाने पर निर्भर करता है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अनुदान

163. **प्रो० प्रेम धुमल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमशः कितनी अनुदान राशि प्रदान की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों हेतु राज्य सरकारों को रिलीज की गई वित्तीय सहायता को दर्शाया गया है।

वर्ष 1991-92 के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से अनुमानों के साथ प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए दी जाएगी।

91-M/J(N)249LSS—4

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91*
		के दौरान अवमुक्त राशि	
1	आन्ध्र प्रदेश	132.29	36.50
2	अरुणाचल प्रदेश	1.00	3.50
3	असम	–	7.50
4	बिहार	2.00	73.63
5	गोवा	14.70	–
6	गुजरात	21.25	41.50
7	हरियाणा	78.08	95.89
8	हिमाचल प्रदेश	33.44	35.61
9	जम्मू एवं कश्मीर	180.80	39.18
10	कर्नाटक	56.99	42.00
11	केरल	170.13	113.97
12	मध्य प्रदेश	27.13	113.96
13	महाराष्ट्र	24.53	74.93
14	मणिपुर	1.00	7.50
15	मेघालय	34.00	12.19
16	मिजोरम	15.00	8.50
17	नागालैंड	43.62	17.50
18	उड़ीसा	5.00	47.83
19	पंजाब	9.29	20.90
20	राजस्थान	46.00	82.88
21	सिक्किम	26.86	30.30
22	तमिलनाडु	67.00	76.30
23	त्रिपुरा	21.50	14.23
24	उत्तर प्रदेश	117.24	201.25
25	पश्चिम बंगाल	86.65	98.00
	जोड़ :	1215.50	1295.55

*अनंतिम

[अनुवाद]

कच्चे तेल और गैस के भण्डार

164. **श्री अशोक राव आनन्दराव देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में कुछ और कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस के भण्डार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कहां-कहां पाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) और (ख) वर्ष 1990-91 में गुजरात में पालेज, नान्देज, और संगमपुर, राजस्थान में खारतर, बाखरी, टिब्बा, बांकिया और डाण्डेवाला, बम्बई अपतटीय क्षेत्र में सात संरचनाओं, आन्ध्र प्रदेश में मोरी, मानेपल्ली, इलमञ्चिल्ली, कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में एक संरचना, तमिलनाडु में कमलापुरम और तिरुवरपुर और असम में डिकोम, शालमारी/हापजन, सरोजिनी, दिरोई और कथलोनी सहित 25 संरचनाओं में तेल/गैस पाये गए हैं।

मराठवाडा में मीटर रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

165. **श्री अशोक राव आनन्दराव देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र में मीटर रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क) जी हां।

(ख) मराठवाड़ा में चल रहे दो आमान परिवर्तन कार्यों में हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

परियोजना का नाम	31-3-1991 को प्रगति
(i) मनमाड-परभनी-परली वैजनाथ मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (मनमाड-औरंगाबाद खंड पर केवल 114 कि० मी० में कार्य प्रगति पर है)	मनमाड-औरंगाबाद 114 कि० मी० में प्रगति—74.5 प्रतिशत।
(ii) परभनी-पूर्णा और मुदखेड-आदिला बाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव तथा पूर्णा और मुदखेड के बीच समानांतर बड़ी लाइन	12 प्रतिशत।

(ग) मनमाड से औरंगाबाद तक चरण-I का कार्य वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है। अभी तक चरण II और III के कार्यों को पूरा करने के लिए कोई तारीख निश्चित् नहीं की गई है और ये कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे।

कोयला परमिट

166. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 18 महीनों के दौरान उनके मंत्रालय अथवा कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले के कितने परमिट दिये गए; और

(ख) भिन्न-भिन्न दलों को किस श्रेणी का कोयला सप्लाई किया गया ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी०न्यामागौड) : (क) और (ख) इस संबंध में न तो कोयला मंत्रालय और न ही कोल इंडिया लि० कोयले का कोई परमिट जारी करता है। कोयला को जारी किए जाने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई तथा इन अनुरोधों का निपटारा कोल इंडिया लि० की बिक्री नीति समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विभिन्न पार्टियों को आपूर्ति किए गए कोयले का ग्रेड उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर तथा ग्रेड विशेष की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा जनरल सेल्स एजेंटों की नियुक्ति

167. **श्री शिवेन्द्र बहादुरसिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा गत अठारह महीनों में नियुक्त किये गए जनरल सेल्स एजेंटों अथवा बिक्री एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे जनरल सेल्स एजेंट/एजेंटों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइंस जनरल सेल्स एजेंटों की नियुक्ति नहीं करती है। दिनांक 1-1-90 के बाद इसने देश के विभिन्न भागों में 154 यात्री एजेंटों और 22 कार्गो एजेंटों की नियुक्ति की है।

(ख) यात्री/कार्गो एजेंटों की नियुक्ति के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :—

(i) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद के महानगरीय शहरों के लिए आवेदक एजेंट के पास इयाटा की मंजूरी होनी चाहिए।

(ii) आवेदक के पास उपयुक्त परिसर होना चाहिए जहां इंडियन एयरलाइंस के दस्तावेजों को जारी करने के लिए समर्थ कम से कम 2 कर्मचारी हों, पर्याप्त

सुरक्षा व्यवस्था हो और उपर्युक्त (i) में उल्लिखित के अलावा अन्य स्टेशनों के लिए विमान परिवहन सम्बन्धी कार्यों में कुछ पूर्व अनुभव हो।

(iii) सभी आवेदक एजेंटों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो।

(iv) किसी विशेष स्टेशन पर इंडियन एयरलाइंस की वाणिज्यिक आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त एजेंसी प्रतिनिधित्व हो।

राजधानी में बिजली की सप्लाई

168. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कार्य बल द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण के बारे में बताई गई कमियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) राजधानी में विद्युत पूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली में विद्युत सप्लाई सम्बन्धी स्थिति और इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक कृतिक बल का गठन किया है। हाल ही में हुई बैठकों में एक बैठक के दौरान कृतिक बल ने सुझाव रखा था कि 220 के०वी० पारेषण लाइनों का शीघ्र निर्माण किया जाए, क्षतिग्रस्त तीन गैस टर्बाइन यूनिटों को शीघ्र चालू किया जाये, राजघाट विद्युत घर के एक यूनिट को समकालित किया जाए तथा संतोषजनक वोल्टता स्तर बनाये रखने के लिए डेसू द्वारा उपयुक्त 212 कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित किये जायें।

(ख) गैस टर्बाइनों का मरम्मत कार्य करने के लिए डेसू द्वारा पहले ही कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। राजघाट की यूनिट संख्या 2 की पहले ही मरम्मत की जा चुकी है और इसके शीघ्र ही चालू किए जाने की आशा है। 210 एम०वी०ए०आर० केपेसिटर्स के लिए डेसू ने भेल को भी आर्डर दिए हैं।

[हिन्दी]

प्लेटफार्मों का विस्तार

169. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर 1991 के दौरान प्लेटफार्मों का विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश में छोटी तथा बड़ी रेलवे लाइनों पर स्थित ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं और वहां पर चलाये जा रहे इस प्रकार के कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के०जाफर शरीफ) : (क) इस वर्ष के दौरान भारतीय रेलों पर 238 प्लेटफार्मों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

(ख) उत्तर प्रदेश में बड़ी लाइन प्रणाली पर, मुजफ्फरनगर, टूण्डला, अलीगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, औलैण्डा और सिंगापुर में एक-एक प्लेटफार्म तथा सैयदराजा में दो प्लेटफार्मों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। जहां तक मीटर लाइन प्रणाली का सम्बन्ध है कानपुर में मीटर लाइन के एक प्लेटफार्म को बड़ी लाइन के प्लेटफार्म में बदलने से सम्बन्धित कार्य शुरू कर दिया गया है।

हाथरस किला दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

170. **श्री राजवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाथरस किले और दिल्ली के बीच एक नई रेल सेवा शुरू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

171. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश को कितना पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इन मदों की कमी को पूरा करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क)

(टन में)

	एम० एस०	एच०एस०डी०	एस०के०ओ०
मई	34177	231541	71523
जून	32136	210367	70918

(ख) मई और जून, 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए इन मदों की आपूर्ति में कमी होने की कोई सूचना नहीं थी।

(ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल दुर्घटनाएं

172. श्री राजवीर सिंह : डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत छह महीनों के दौरान जोन-वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) इनके क्या कारण थे ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप जोन-वार कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(घ) क्या दुर्घटनाओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है ;

(ङ) सरकार द्वारा दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(च) इन दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) जनवरी से जून 1991 तक की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं और हताहतों की रेलवे वार संख्या नीचे दी गई है :—

रेलवे	जनवरी से जून, 1991 के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
		मृत	घायल
मध्य	22	8	22
पूर्व	33	19	37
उत्तर	25	20	115
पूर्वोत्तर	8	9	58
पूर्वोत्तर सीमा	27	2	13
दक्षिण	40	4	5
दक्षिण मध्य	29	2	25
दक्षिण पूर्व	40	38	71
पश्चिम	26	6	63

दुर्घटना मुख्यतः रेल कर्मचारियों की गलती, उपस्कर की खराबी, रेल उपयोगकर्ताओं की लापरवाही और तोड़-फोड़ के कारण हुईं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(1) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरण लगाना।

(2) संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन और बार-बार निरीक्षण।

(3) नाजुक कोटि के संरक्षा कर्मचारियों जैसे ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना।

(4) परिचालनिक कोटियों में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक जांच सहित गहन प्रशिक्षण।

(5) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री को ले जाने के विरुद्ध अचानक जांच।

(6) बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच स्थलों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था तथा सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी के ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार।

(च) जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना होती है, उस क्षेत्र के रेल दावा अधिकरण की खंडपीठ द्वारा दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों का मुआवजा तय किया जाता है और निर्णय प्राप्त होने पर दावों को निपटाया जाता है। मुआवजे के रूप में 4.25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को 3.52 लाख रुपये की राशि अनुग्रह राहत के रूप में प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

चिलका झील का विकास

173. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा स्थित चिलका झील गाद से भर गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गाद को हटाने और सागर में जाने वाले इसके मार्ग को साफ करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) एक पर्यटन स्थल के रूप में चिलका झील का विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पर्यटन का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

दरभंगा से मानसी तक रेल मार्ग

174. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए रेल मार्ग को दरभंगा-कुशेश्वर अस्थान से होते हुए मानसी तक बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलें संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं। नई लाइनों के लिए प्राप्त धन चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए ही अपर्याप्त है। अतः इन नई लाइनों के बारे में विचार करना संभव नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

175. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस डीलरों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के डीलरों को ऐसी कितनी एजेंसियां दी गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अपेक्षित विवरण संलग्न है।

विवरण

1-4-1991 के अनुसार पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या

	खुदरा बिक्री केन्द्र			एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप		
	कुल	एस सी	एस टी	कुल	एस सी	एस टी
अंडमान और निकोबार	3	0	0	1	0	0
आन्ध्र प्रदेश	1191	61	13	337	36	11
अरुणाचल प्रदेश	26	0	20	10	0	5
असम	322	9	16	92	10	8
बिहार	908	42	12	141	18	10
चंडीगढ़	19	2	0	26	6	0
दादर और नागर हवेली	3	0	1	1	0	0
दमन और दीव	4	0	0	2	0	0
दिल्ली	234	3	0	207	25	0
गोआ	65	3	1	28	3	0
गुजरात	964	31	27	292	16	26
हरियाणा	491	35	0	117	23	0
हिमाचल प्रदेश	76	8	0	34	5	2
जम्मू और कश्मीर	115	3	0	55	5	0
कर्नाटक	925	45	2	234	40	2
केरल	698	28	1	167	34	1
लक्षद्वीप	–	0	0	1	0	0
मध्य प्रदेश	869	15	19	214	11	22
महाराष्ट्र	1519	36	27	540	32	35
मणिपुर	28	0	10	8	0	3
मेघालय	48	0	22	9	0	5
मिजोरम	12	0	0	8	0	3
नागालैण्ड	26	0	9	12	0	6
उड़ीसा	325	17	14	80	6	10
पांडिचेरी	25	4	0	5	1	0
पंजाब	946	55	0	162	28	0
राजस्थान	891	52	30	158	17	11
सिक्किम	9	0	1	2	0	0
तमिलनाडु	1401	107	3	305	55	2
त्रिपुरा	29	0	3	9	0	4
उत्तर प्रदेश	1886	109	0	427	65	0.
पश्चिमी बंगाल	998	61	5	218	30	7
योग	15056	726	244	3002	466	173

नोट : जिन मामलों में दिसम्बर 1989 से आशय पत्र जारी किये गये थे, उनकी समीक्षा की जा रही है।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विमान चालक

176. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में कुल कितने विमान चालक हैं तथा उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विमान चालकों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विमान चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया में 348 विमान चालक हैं जिनमें से 9 अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं। इंडियन एयरलाइंस में 516 विमानचालक हैं जिनमें से 16 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी सातवें वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम से 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति देगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी संबंधित राज्य सरकारों से भी सिफारिश करेगी कि वे अपने राज्यों से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को ठहरने, आवास, पुस्तकालय, क्रीड़ा इत्यादि पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करें।

[अनुवाद]

मराठवाड़ा में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

177. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मराठवाड़ा क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस संबंध में इन स्टेशनों में कम्प्यूट्रीकरण की योजना के साथ-साथ अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मराठवाड़ा क्षेत्र में नानदेड़ रेलवे स्टेशन को 97.90 लाख रु० की अनुमानित लागत पर आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इस संबंध में, दूसरे दर्जे के नये प्रतीक्षालय का काम, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिये आधुनिक किस्म के शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, पूरा हो गया है और स्टेशन के पुनर्निर्माण और उसे सुन्दर बनाने तथा आधुनिक किस्म के नये बुकिंग काउंटर सहित केन्द्रीय प्रांगण की व्यवस्था करने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, परभनी स्टेशन को 12 लाख रुपये की लागत से आधुनिक बनाया गया है और 39.50 लाख रु० की लागत पर औरंगाबाद स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया गया है।

फिलहाल मराठवाड़ा क्षेत्र में कम्प्यूटर से आरक्षण कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में रेल यात्रियों की ग्रीष्मकालीन भीड़

178. **श्री प्रकाशबापू बसंतराव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में यात्रियों की ग्रीष्मकालीन भीड़ के बारे में जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में विभिन्न गन्तव्य स्थानों की रेलगाड़ियों में अतिरिक्त स्थान की मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में यात्रियों की भीड़-भाड़ की निकासी के लिए रेलवे ने 1991 के ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ के दौरान 444 विशेष गाड़ियां चलाने का प्रबन्ध किया था।

एयरबस ए-320 का अधिग्रहण

179. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइंस के पास कितने ए-320 विमान एअर बस हैं;

(ख) उनमें से कितने विमानों की उड़ानें चालू हैं और उनका कार्य-निष्पादन कैसा है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस के लिये कुछ और एयरबस ए-320 विमानों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस समय दो ए-320 विमानों को छोड़ कर जिनकी "सी" जांच हो रही है, इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में सभी अन्य 16 विमान परिचालन के लिए उपलब्ध हैं। इन विमानों को बारी-बारी से लगाया जा रहा है और विमान चालकों की कमी के कारण इनमें से किन्हीं 12 को प्रति दिन अनुसूचित सेवाओं की उड़ान पर लगाया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 5-6-1989 को अनुपूरक खरीद करार के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइंस द्वारा 12 और एयरबस ए-320 विमान प्राप्त किए जाने हैं।

रसोई गैस की एजेंसियों का आवंटन

180. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान रसोई गैस की कितनी एजेंसियां आबंटित की गईं; और

(ख) इसके लिये क्या मानदंड अपनाए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न नल कम्पनियों द्वारा दिये गए आशय-पत्रों की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

संबलपुर-तालचर रेल लाइन

181. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबलपुर-तालचेर रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसको शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) तालचेर-सम्बलपुर नई बड़ी लाइन पर (172 कि० मी०), तालचेर-अंगुल (18 कि० मी०) और सम्बलपुर-मानेश्वर (16 कि० मी०) अर्थात् 34 कि०मी० लम्बी लाइन को 1991 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि उड़ीसा राज्य सरकार की कानून और व्यवस्था और अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण इस खण्ड को नहीं खोला जा सका। निर्माण कार्य अग्रिम चरण पर है और आशा है कि इन खण्डों को चालू वित्त वर्ष के दौरान खोल दिया जाएगा।

(ग) परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सहायक कोयला कम्पनियों की स्थापना

182. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत नई सहायक कोयला कम्पनियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसी एक कोयला कम्पनी स्थापित करने की कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) से (घ) उड़ीसा में कोल इंडिया लि० की एक नई सहायक कोयला कम्पनी को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विद्युत् संयंत्रों के स्थानों का चयन करने के लिए समिति

183. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भविष्य में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु किसी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति द्वारा चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है और तत्सम्बन्धी स्थलवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) जी, हां। वृहत् ताप विद्युत केन्द्रों हेतु स्थलों का चयन करने के लिए मार्च, 1988 में एक स्थल चयन समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष, सदस्य (ताप विद्युत) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण थे। 2000/3000 मेगावाट की क्षमता वाले वृहत् ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु जून, 1990 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में तीन पिटहैड स्थलों (कोयला आधारित), दो लिग्नाइट आधारित और विभिन्न राज्यों में सोलह भार केन्द्र/तटीय स्थलों के लिए समिति ने सिफारिश की थी। समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्थलों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वृहत् ताप-विद्युत् केन्द्रों के लिए स्थल चयन समिति द्वारा अनुशंसित स्थल

1.0 पिट हैड ताप विद्युत केन्द्र

1.1 **कोयला आधारित**

(1) पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा क्षेत्र (मध्य प्रदेश)

(2) पश्चिमी क्षेत्र में सिंगरौली क्षेत्र

(3) इब घाटी क्षेत्र (उड़ीसा)

1.2 **लिग्नाइट आधारित**

(1) बहूर क्षेत्र (पाण्डिचेरी)

(2) जायमकोंडन क्षेत्र (त्रिची)

2.0 **भार केन्द्र/तटीय स्थल**

(1) दसवीं योजना तथा उसके बाद के लिए गुजरात में नर्मदा ।

(2) 9वीं योजना से महाराष्ट्र में भुसावल (हथनूर) ।

(3) 9वीं योजना के बाद बिहार में चांदिल ।

(4) उत्तरी भारत में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु 9वीं योजना के बाद बिहार में नबीनगर ।

(5) 9वीं योजना के बाद पश्चिम बंगाल में सागरदीघी (मुर्शिदाबाद)।

(6) कर्नाटक में कृष्ण राज सागर जलाशय के तट पर मैसूर के निकट दो स्थल।

(7) कर्नाटक में होसपेट के निकट तोरंगलू।

(8) 9वीं योजना के लिए पंजाब में धूरी।

(9) 8वीं योजना से आगे के लिए आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम।

(10) 9वीं योजना के लिए गुजरात में तटीय स्थल।

(11) 9वीं योजना के लिए महाराष्ट्र में तटीय स्थल।

(12) दसवीं योजना के लिए कर्नाटक में कारवार के निकट तटीय स्थल।

(13) दसवीं योजना के लिए आन्ध्र प्रदेश में कृष्णापत्तनम के निकट तटीय स्थल।

(14) तमिलनाडु में कुड्डालूर के निकट तटीय स्थल।

(15) तमिलनाडु में नागापत्तनम के निकट तटीय स्थल।

विवरणी-II

की गई कार्यवाही

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्थल चयन समिति की रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/युटिलिटियों के अध्यक्षों जिनके अधिकार-क्षेत्र में संबंधित स्थल अवस्थित हैं, को प्रेषित की गई थी ताकि उनके द्वारा संबंधित मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

2. निम्नलिखित अनुशंसित स्कीमों से प्राप्त होने वाले लाभों को अनन्तिम रूप से 9वीं योजना के लिए विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम और क्षमता (मेगावाट)	9वीं योजना में प्राप्त होने वाले लाभ	अभ्युक्ति
1	2	3	4
कार्यबल द्वारा पता लगाई गई			
1	गुजरात में तटीय ता० वि केन्द्र 4× 500	1000	गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
2	भुसावल-महाराष्ट्र 2× 500	500	संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
3	सिंगरौली क्षेत्र में नया सु०ता०वि० केन्द्र मध्य प्रदेश 4× 500	1000	एन०टी०पी०सी० से संभाव्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
4	विशाखापत्तनम 4× 500	1500	के० वि० प्रा० द्वारा चरण - 1–2× 500 मे० वा० को स्वीकृत कर दिया है। यूनिट को 8वीं योजना में चालू किए जाने की संभावना है।

1	2	3	4
5	महाराष्ट्र में तटीय ता० वि० केन्द्र 4×500	1000	संभाव्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
6	पांडिचेरी (लिग्नाइट) 2×250	1000	संभाव्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
7	कुड्डालूर 2×500	1000	3×210 मे० वा० के लिए संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट प्रतिक्षित है।
के०वि०प्रा० द्वारा पता लगाई गई			
1	कोरबा क्षेत्र में नया सु०ता०वि० केन्द्र मध्य प्रदेश 4×500	1000	एन० टी० पी० सी० से संभाव्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2	चान्दील-बिहार 4×500	1000	2×500 मे० वा० चरण-1 के लिए संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
3	इब घाटी में वृहत सु०ता० वि० केन्द्र–4×750	1500	संभाव्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
4	सागरदीघी 2×500	1000	4×500 मे० वा० के लिए संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

[हिन्दी]

मानसी-फारबेसगंज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

184. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसी-फारबेसगंज बरास्ता सहरसा मीटर गेज रेल लाइन की हालत बड़ी खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी०के०जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) सहरसा के रास्ते मानसी-फारबेसगंज लाइन उत्तर बिहार के मीटर लाइन नेटवर्क का एक अभिन्न अंग है। कहीं-कहीं पर इसे बड़ी लाइन में बदल देने से मीटर लाइन की यातायात संचलन प्रणाली प्रभावित होगी। अत: आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय

185. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली, रेलवे स्टेशन में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में सवारी-डिब्बे का कारखाना

186. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली उत्तर प्रदेश में एक सवारी डिब्बा बनाने के कारखाने को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों की प्रक्षेपित आवश्यकताओं, निधियों का आबंटन और रेलवे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सवारी डिब्बों सहित चल स्टाक की आवश्यकता का निर्धारण करना एक सतत प्रक्रिया है। संयंत्र की आवश्यकता, इसके आकार अथवा स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

187. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1990-91 के दौरान कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई;

(ख) क्या यह संख्या वर्ष 1989-90 की संख्या से अधिक है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 10,214 अनन्तिम थी। यह संख्या वर्ष 1989-90 के दौरान विद्युतीकृत 15,347 गांवों की तुलना में कम थी क्योंकि वर्ष 1990-91 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य, निधि संबंधी बाधाओं तथा पम्पसैटों के ऊर्जन हेतु और अधिक निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण, घट गया था।

रेलवे में खोए हुए सामान के लिए मुआवजा

188. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग ने जोन-वार गत दो वर्षों के दौरान गुमशुदा/खोये हुए सामान के लिए मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) क्या सामान की चोरी रोकने के लिए कोई नई योजना तैयार की जा रही है;

(ग) क्या मुआवजा प्राप्त करने के लिए गलत दावे भी पेश किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में रेल विभाग के कर्मचारी भी शामिल पाये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति से किस प्रकार निपटा जा रहा है ?

91-M/J(N)249LSS—5

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) विशेषकर अपराध बाहुल्य क्षेत्रों में सामान की चोरी के अपराधों की रोकथाम से संबंधित योजना-नीतियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है और स्थिति की आवश्यकतानुसार अपराधों को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अपराध नियंत्रण उपाय किये जाते हैं ।

(ग) जी हां।

(घ) निपटान से पहले प्रत्येक दावे की जांच की जाती है ।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे	खोये/गुम हुए सामान के लिए भुगतान की गयी कुल राशि (लाख रुपयों में)	
	1988-89	1989-90
मध्य	88.19	66.81
पूर्व	541.81	240.57
उत्तर	387.41	328.07
पूर्वोत्तर	43.77	49.31
पूर्वोत्तर सीमा	121.81	64.43
दक्षिण	66.00	48.04
दक्षिण मध्य	38.13	29.53
दक्षिण पूर्व	69.33	84.42
पश्चिम	213.43	132.99
जोड़	1569.88	1044.17

[अनुवाद]

"केरल एक्सप्रेस" का देरी से चलना

189. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल एक्सप्रेस के देर से चलने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को निर्धारित समय के अनुसार चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) समयपालन के लिए गहन अभियान चालू किया गया है ।

नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

[अनुवाद]

190\. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नई दिल्ली-त्रिवेन्द्रम सेक्शन पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ रहने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेक्शन पर नई गाड़ी/गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां, कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कायमकुलम सुपर ताप बिजली संयंत्र

191\. **श्री वी० एस० विजयराघवन : श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कायमकुलम में सुपर ताप बिजली घर का निर्माण किस स्तर पर है;

(ख) क्या श्रमिक विवादों के कारण निर्माण-कार्य में बाधा पहुंची थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कायाकुलम सुपर ताप बिजली घर को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस विद्युत संयंत्र के निर्माण में कोई वित्तीय बाधा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग), (च) और (छ) भारत सरकार का अनुमोदन लम्बित होने तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने आधारभूत कार्य शुरू करा दिये हैं । इस प्रकार के कार्यों की प्रगति में किसी भी प्रकार के श्रमिक विवाद के कारण बाधा नहीं पड़ी है ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं ।

समस्तीपुर–दरभंगा रेल लाइन

192. **श्री योगेन्द्र झा : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर से दरभंगा तक की बड़ी लाइन के विस्तार-कार्य को मंजूरी कब मिली थी;

(ख) इस परियोजना के लिये विगत तीन वर्षों के बजटों में, वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पूरे किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान परियोजना को पूरा कर लेने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1974-75 में यह कार्य आमान परिवर्तन परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया था जिसे बाद में 1990-91 के बजट में सामानान्तर बड़ी लाइन में बदल दिया गया था।

(ख) इस निर्माण कार्य के लिए अब तक धन की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि संसाधनों की अत्याधिक तंगी और योजना आयोग द्वारा इस योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित अल्प राशि को ध्यान में रखते हुए, इस निर्माण कार्य को स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची में प्राथमिकता नहीं दी गई है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) इस परियोजना को पूरा करना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विजयवाड़ा सिटी में पुल

193. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विजयवाड़ा सिटी में मद्रास हावड़ा रेल लाइन पर अजीत सिंह नगर के निकट रेलवे फाटक के स्थान पर रेल लाइन के नीचे सड़क पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव" वर्ष 1988-89 के रेल यातायात संबंधी निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था;

(ख) उक्त प्रस्ताव तथा इसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। प्रारम्भ में इस कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम, 1987-88 में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित प्रस्ताव इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिये है। कार्य की समग्र लागत लगभग 304.72 लाख रुपये है जिसे रेलों (143.81 लाख रुपये) तथा राज्य सरकार (160.91 लाख रुपये) द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) ऊपरी सड़क पुल की संशोधित योजना का तकनीकी ब्यौरा तैयार करने में कुछ समय लगा।

(घ) अनुमान को स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरे हो जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा।

विजयवाड़ा स्टेशन का विकास

194. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने के लिए चुने गए 67 स्टेशनों में से एक स्टेशन विजयवाड़ा भी है, जिसकी अनुमानित लागत 164.95 लाख रुपये है। इस योजना के अंतर्गत पीने के पानी के नल, प्लेटफार्मों पर तथा प्रतीक्षालयों में बेंच/सीटें, स्नानघर, शौचालय, पेशाबघर, प्लेटफार्मों पर सायबान, प्लेटफार्मों तथा परिचलन क्षेत्र के सुधार कार्य और बुकिंग कार्यालय क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित करने से संबंधित कार्य पूरे कर लिए गए हैं। रोशनी तथा पंखों की व्यवस्था करने, ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने, साइकल स्टैंड, प्रकाश बोर्डों, प्लेटफार्मों नं० 1ए से ऊपरी पैदल पुल के लिए नयी सीढ़ियां जन उदघोषणा प्रणाली में सुधार करने तथा मौजूदा स्टेशन भवन का विस्तार कार्य प्रगति पर है। मार्च, 1991 तक इस योजना पर लगभग 120.00 लाख रु० खर्च किये जा चुके हैं।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे के "रनवे" का विस्तार

195. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर बोइंग विमान की उड़ानों की सुविधा के लिए उसके रनवे के विस्तार एवम् इसे मजबूती प्रदान करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या प्रस्तावित कार्य प्रगति पर है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होने की सभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर बोइंग उड़ान परिचालनों की सुविधा जुटाने के लिये धावनपथ के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निम्नलिखित के संबंध में एक योजना बनाई है :—

(i) धावनपथ का 7500′ तक विस्तार और उसे सुदृढ़ करना,

(ii) एप्रन और टैक्सी पथ को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण करना; तथा

(iii) नये टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना पर अभी कार्य शुरू करना संभव नहीं हो सका है।

कोयले के दामों में वृद्धि

196. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले के दामों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने की स्थिति में देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड): (क) और (ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतें जून, 1988 तथा जनवरी, 1989 के सूचकांक पर आधारित है, जिसमें पिछली बार क्रमशः 1-1-1989 तथा 24-1-1989 से संशोधन किया गया था। इसके बाद से उत्पादन लागत में, निम्नलिखित आगतों की लागत में वृद्धि होने के कारण जैसे एन०सी०डब्ल्यू-ए०-IV के कारण मजदूरी में, वी० डी० ए०, विस्फोटक, पी० ओ०एल० तथा ब्याज की दरों में वृद्धि होने के कारण, काफी वृद्धि हुई है। अतः कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० ने उत्पादित किए जाने वाले कोयले की कीमतों में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

एयर इंडिया में भारतीय विमान चालक गिल्ड द्वारा हड़ताल

197. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया को भारतीय विमान चालक गिल्ड द्वारा मई, 1991 के दौरान हड़ताल करने के कारण कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने एयरलाइंस प्रबंध को तालाबंदी घोषित करने तथा भारतीय विमान चालक गिल्ड क विरुद्ध क्षतिपूर्ति मुकदमा दायर करने की संभावनाओं का पता लगाने के आदेश दे रखे थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की हड़तालों से बचने हेतु किये गये/किये जा रहे दीर्घकालीन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) ठीक-ठीक आंकड़े प्रस्तुत करना तो संभव नहीं है, तथापि, एयर इंडिया को अनुमानित शुद्ध नकद हानि लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) एयर इंडिया विमान चालकों की यह हड़ताल अवैध और अनुचित थी। इसे भारतीय विमानचालक गिल्ड ने बिना किसी शर्त के समाप्त कर दिया। तथापि, आने वाले समय में, एयर इंडिया का प्रयास रहेगा कि वह संपूर्ण संगठन में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रखे और अपने कर्मचारियों के सभी वर्गों में अपनापन और वचनबद्धता का माहौल पैदा करें।

राजधानी में बिजली की सप्लाई बन्द होना

197. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मी का मौसम प्रारम्भ होने के बाद से ही राजधानी में लगातार लोड-शैडिंग और बिजली की सप्लाई बंद हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत् और गैर-परम्पारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) चालू ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। ऊर्जा की उपलब्धता में मात्र 1.5% की कमी और अप्रैल—जून, 1991, के दौरान 3.7 से 10.1% तक व्यस्ततमकालीन भार में कमी की पूर्ति के लिए समुचित भार व्यवस्था की गई और व्यवस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लगाने पड़े।

(ग) से (ङ). दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए गये कदमों में ये शामिल हैं; विभिन्न वोल्टता स्तरों पर पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और इसका विस्तार करना, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विद्यमान गैस टर्बाइनों के स्थान पर 3× 34.07 मेगावाट के अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिटें और दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० पारेषण रिंग प्रतिष्ठापित करना। आठवीं योजना के दौरान दिल्ली में 800 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने की भी परिकल्पना की गई है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

जयपुर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार

199. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री जयपुर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार के बारे में 26 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 523 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर हवाई अड्डे की भूमि से होकर गुजरने वाली सड़क की दिशा बदल दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य सरकार से बार बार गांव के रास्ते को मोड़ देने का अनुरोध किया गया है जिससे जयपुर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार किया जा सके परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ।

खाड़ी संकट के कारण रेलगाड़ियों को रद्द करना

[हिन्दी]

200. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी संकट के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 41 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियां स्थगित की गई थीं।

(ख) और (ग) 8631/8632 हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन चलने वाली) के सिवाय सभी गाड़ियां पुनः चालू कर दी गई हैं।

राजस्थान में पर्यटन स्थल

201. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान आने वाल स्थानीय तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष राजस्थान में कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है ;

(ग) क्या राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए नये पर्यटक स्थलों का विकास करने तथा वर्तमान पर्यटक स्थलों में अधिक सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, यद्यपि 1990 के दौरान इस राज्य में आने वाले स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।

(ख) देश में आने वाले लगभग 31 प्रतिशत विदेशी पर्यटक राजस्थान की यात्रा करते हैं।

(ग) से (ङ) पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन की उपलब्धता तथा संबंधित गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता देती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि करने से संबंधित दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये दोनों प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन

202. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जिन जगहों पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित हैं, उनके नाम क्या हैं तथा इनकी स्थापना के लिये क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ख) संगानेर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में कब तक परिवर्तित किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और तिरुअनन्तपुरम। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना के लिए व्यापक मानदंड उक्त क्षेत्र से उत्पन्न ऐसा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय यातायात है जो अन्तर्राष्ट्रीय अनुसूचित वाहकों को वाणिज्यिक रूप से आकर्षित करेगा और जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाई अडडों के उन्नयन, या उसके निर्माण के लिए आवश्यक भारी निवेश का औचित्य सिद्ध करेगा।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे क रेलमार्गों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

203. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने प्रतिशत रेलमार्गों (बड़े तथा मीटरगेज दोनों) का विद्युतीकरण किया जा चुका है; और

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा रोड तथा खड़गपुर खण्डों के रेलमार्गों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की सम्भावना है और तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बड़े आमान का—28.7%, मीटर आमान का—00.7% और समग्र—16.2%।

(ख) फिलहाल, दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर या खोरधा रोड मंडलों में किसी और खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तालचेर से गोपालपुर (उड़ीसा) के लिए रेलवे लाइन

204. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने दक्षिण-क्षेत्र स्थित ताप विद्युत केन्द्र को कोयला पहुंचाने के लिए तालचेर से गोपालपुर के लिए रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे से कहा गया है कि वह तालचेर-ब्रह्मपुर—गोपालपुर पोर्ट रेलवे लाइन के लिए जल्दी से पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण करे ।

केरल में एल पी जी एजेंसियां और पैट्रोल पम्प

205. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन स्थानों पर एल पी जी एजेंसियां और पैट्रोल पम्प चालू करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : : पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करने की राज्यवार कोई योजना नहीं बनाई जाती है ।

त्रिवेन्द्रम से बंगलौर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस

206. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम से बंगलौर के बीच शताब्दी जैसी एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुफ्त यात्रा रेलवे पास जारी करना

207. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान, माह-वार प्रत्येक श्रेणी के कितने रेलवे पास निःशुल्क यात्रा हेतु जारी किये गये हैं ;

(ख) 1 अप्रैल, 1990 तक प्रत्येक श्रेणी के ऐसे कितने पास मान्य थे ;

(ग) इस अवधि के दौरान ऐसे कितने पास रद्द किये गये थे ;

(घ) क्या इन पासों को जारी करने को विनियमित करने हेतु कोई नियम बनाये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पहली अप्रैल, 1990 को वैध पासों की संख्या इस प्रकार है :—

पहला दर्जा वातानुकूल	1
पहला दर्जा	55
दूसरा दर्जा	1
जोड़	57

(ग) 57 पासों में से 13 कार्ड पासों का नवीकरण नहीं किया गया था।

(घ) और (ङ) रेल मंत्रालय द्वारा मानार्थ कार्ड पास जाने-माने व्यक्तियों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों आदि में लगे "अखिल भारतीय स्तर" के संगठनों को जारी किए जाते हैं। इन मार्ग निदेशों के आधार पर इस तरह के पास प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष का मूल्यांकन करने के बाद जारी किए जाते हैं।

विवरण

1990-91 के दौरान महीने-वार और कोटिवार जारी किये गए मानार्थ कार्ड पासों का ब्यौरा

माह	पहला दर्जा वातानुकूल	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
अप्रैल 1990	–	5	–
मई 1990	–	6	–
जून 1990	–	3	1
जुलाई 1990	–	8	1
अगस्त 1990	–	3	–
सितम्बर 1990	–	3	1
अक्तूबर 1990	–	4	–
नवम्बर 1990	1	5	–
दिसम्बर 1990	1	5	1
जनवरी 1990	2	13	–
फरवरी 1991	1	34	2
मार्च 1991	–	38	5
जोड़	5	127	11

समस्तीपुर से चलने रेल सेवाओं को पुनः चालू करना

(हिन्दी)

208. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान आरक्षण विरोधी आन्दोलन के कारण समस्तीपुर से जयनगर, सीतामढ़ी, निरमली और लोकाहाबाजार को चलने वाली स्थगित की गई रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं और उनमें से अब तक कितनी रेलगाड़ियों को चालू नहीं किया गया है, और

(ख) इन रेलगाड़ियों को कब तक चालू किया जाएगा, और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले वर्ष इन खण्डों पर आरक्षण विरोधी आन्दोलन के कारण विभिन्न गंतव्यों की कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया था। पर्याप्त यातायात औचित्य न होने के कारण इनमें से 5 जोड़ी गाड़ियों को फिर से नहीं चलाया गया है। फिलहाल इन गाड़ियों को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये गाड़ियां हैं :-

1. 331/332 समस्तीपुर–निर्मली पैसेंजर
2. 459/460 समस्तीपुर–दरभंगा पैसेंजर
3. 425/426 दरभंगा–नरकटियागंज पैसेंजर
4. 327/328 दरभंगा–जयनगर पैसेंजर
5. 321/322 दरभंगा–जयनगर पैसेंजर

समस्तीपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों से धन की अवैध वसूली

209. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समस्तीपुर से जयनगर, सीतामढ़ी, निर्मली और लोकाहाबाजार को चलने वाली रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और फेरीवालों से अनधिकृत तत्वों द्वारा धन वसूला जाता है जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई-गोवा-रत्नागिरि के बीच इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा

210. **श्री गोविंदराव निकम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने हवाई अड्डे हैं जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने तथा वहां अधिक संख्या में यात्रियों के आने जाने के बावजूद इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या रत्नगिरी हवाई अड्डा इनमें से एक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मुम्बई और गोवा से रत्न गिरि के लिए "इंडियन एयरलाइन्स" "की विमान सेवाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। रत्नगिरि हवाईअड्डा इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े के विमानों के परिचालन के लिए सुसज्जित नहीं है।

मुम्बई और रत्नगिरि के मध्य वायुदूत सेवा का रद्द किया जाना

211. **श्री गोविंदराव निकम :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और रत्नगिरि के मध्य चलने वाली वायुदूत सेवायें बन्द कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन उड़ानों को फिर से शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब से?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) धावनपथ की मरम्मत, विमानक्षमता की कमी और संसाधनों की तंगी के कारण बम्बई और रत्नगिरि के बीच वायुदूत सेवा को बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

[अनुवाद]

312. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कोयले का राज्यवार अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष के दौरान रायल्टी की दर कितनी थी और उसे आखिरी बार कब संशोधित किया गया था ;

(ग) 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 को कोयले की खान से बाहर ढुलाई दर क्या थी ; और

(घ) बिहार को रायल्टी की मद में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार, कितनी धनराशि का वास्तव में भुगतान किया गया?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान हुआ कोयले का (अनंतिम) उत्पादन राज्यवार नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मि० टन में)

राज्य का नाम	(अनंतिम) कोयले का उत्पादन
1	2
1. आंध्र प्रदेश	17.708
2. असम	0.678
3. जम्मू एवं कश्मीर	0.015
4. मध्य प्रदेश	65.361
5. महाराष्ट्र	16.848
6. उड़ीसा	16.212
7. उत्तर प्रदेश	10.320
8. बिहार	67.485
9. पश्चिम बंगाल	17.002
जोड़ : (अखिल भारतीय)*	211.632

*इसमें मेघालय की असंगठित खानों में हो रहा उत्पादन शामिल नहीं है।

(ख) पिछली बार रायल्टी की दरों में संशोधन दिनांक 12 फरवरी, 1981 को किया गया था। वर्ष के दौरान प्रवृत्त रायल्टी की दरें नीचे दी गई हैं :—

(i) **ग्रुप-I कोयला :**

(क) कोककर कोयला इस्पात ग्रेड-I इस्पात ग्रेड-II वाशरी ग्रेड-I (ख) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल 7 रु० प्रति टन

(ii) ग्रुप-II कोयला :

(क) कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-II कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-III (ख) अर्ध-कोककर कोयला ग्रेड-I अर्ध-कोककर कोयला ग्रेड-II (ग) अ-कोककर कोयला ग्रेड-ए अ-कोककर कोयला ग्रेड-बी (घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में उत्पादित उच्च अ-ग्रेडिड आर० ओ० एम० कोयला	केवल 6 रु० तथा 50 पैसे प्रति टन

(iii) ग्रुप-III कोयला :

(क) कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) अ-कोककर कोयला ग्रेड-सी	केवल 5.50 पैसे प्रति टन

(iv) ग्रुप-IV कोयला :

अ-कोककर कोयला ग्रेड-डी अ-कोककर कोयला ग्रेड-ई	केवल 4.30 पैसे प्रति टन

(v) ग्रुप-V कोयला :

अ-कोककर कोयला ग्रेड-एफ अ-कोककर कोयला ग्रेड-जी	केवल 2.50 पैसे प्रति टन

(vi) ग्रुप-VI कोयला :

आंध्र प्रदेश की (सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०) द्वारा उत्पादित कोयला	केवल 5 रु० प्रति प्रति टन

• (ग) कोयला कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से सड़क परिवहन के रूप में लिए जाने वाले प्रभार कोयले की कीमतों में अंतिम बार जनवरी, 1989 में संशोधन किए जाने के बावजूद भी समान स्तर पर ही रहे। उपर्युक्त प्रभारों का संगणन नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है :—

जब कोयले का परिवहन लदान तीन किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है तब कोयला कंपनियां क्रेताओं से निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त परिवहन लागत लेने की हकदार, होंगी :

–तीन कि० मी० से अधिक किन्तु 10 कि०मी० से अनधिक की दूरी के लिए—10 रु० प्रति टन।

–10 कि० मी० से अधिक किन्तु 20 कि० मी० से अनधिक की दूरी के लिए 20 रु० प्रति टन।

गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में कोयले का परिवहन 20 कि० मी० की दूरी के लिए सामान्यत: नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में जहां कोयले का परिवहन लदान स्थल के लिए 20कि० मी० से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है, वहां ऐसी स्थिति में परिवहन प्रभार वास्तविक आधार पर देय होंगे और ये प्रभार क्रेता वहन करेगा।

इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टील, लोको, सीमेंट, विद्युत (उपभोगिता), विद्युत (कैप्टिव) और उर्वरक सम्मिलित हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को कोयले पर रायल्टी की वास्तविक रूप में दी गई राशि को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	रायल्टी की अदा की गई राशि
1988-89	33.16
1989-90	27.93
1990-91	28.99

(आंकड़े अनंतिम)

भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

213. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

श्री गोविन्दराव निकम : क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) देश-वार-अलग-अलग उनकी संख्या कितनी थी ;

(ग) देश में पर्यटकों द्वारा बिताये गये दिनों की औसत संख्या क्या है;

(घ) प्रति-पर्यटक विदेशी मुद्रा की औसत आमदनी कितनी रही ; और

(ङ) वर्ष –1990-91 के दौरान पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गए और 1991-92 के दौरान क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, भारत की यात्रा करने आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	पर्यटक आगमन
1988-89	1,265,007
1989-90	1,360,227
1990-91	1,240,082

पर्यटकों के आगमन का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत में विदेशी पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि लगभग 30 दिन है ।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत आए विदेशी पर्यटकों का प्रति व्यक्ति औसत व्यय 19,070 रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) देश में पर्यटन आधारिक-संरचना का लगातार उन्नयन तथा विदेशी बाजारों में विपणन प्रयासों को सुदृढ़ करना—ऐसे उपाय हैं जो देश में प्रति वर्ष पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं।

सोनपुर बक्सरी "ए" में खुली खदान वाली कोयला खान को चालू करना

214. **श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर बक्सरी "ए" स्थित खुली खुदान वाली कोयला खान को चालू करने में विलंब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विलंब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्याभागौड) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की सोनपुर बाजारी "ए" ओपेनकास्ट परियोजना को सरकार द्वारा 192.26 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत से जुलाई, 1985 में स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना को क्रियान्वित किए जाने में विलंब भूमि के अधिग्रहण की समस्या के कारण तथा इससे सम्बद्ध मामले जैसे भू-वंचित व्यक्तियों के पुर्नवास के कारण हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लम्बी बातचीत के बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को भूमि नवम्बर, 1990 में उपलब्ध की गई और अब इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के संशोधित लागत अनुमान अब 453.91 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। यह संभावना है कि परियोजना अपना 3 मि० ट० प्रतिवर्ष का निर्धारित उत्पादन मार्च, 1997 तक प्राप्त कर लेगी।

धुले हुए कोयले का उत्पादन

215. **श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लि० की प्रत्येक सहायक इकाई के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे सहित प्रत्येक इकाई द्वारा धुले हुए कोयले का कितना मासिक उत्पादन, किया गया ;

(ख) क्या इसका उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से कम हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(क) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान धुले हुए कोलले के उत्पादन में निम्नलिखित कारणों से कमी आई :-

(i) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति में निरन्तर अवरोध तथा विद्युत की कम आपूर्ति होने के कारण पूर्वी ग्रिड में बहुत खराबी हो जाने के कारण दिनांक 25-26 जून, 1990 को विद्युत की आपूर्ति अस्त-व्यस्त रही। लगभग अक्तूबर, 1990 तक विद्युत की आपूर्ति की स्थिति निरन्तर असंतोषजनक रही। इस अवधि में

अधिक वर्षा होने के कारण स्थिति और खराब हो गई। विद्युत की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने के बाद उत्पादन में नवम्बर, 1990 से वृद्धि होनी शुरू हुई।

(ii) बंद, आरक्षण विरोधी आन्दोलन तथा अन्य आंदोलनों द्वारा उत्पन्न की गई कानून संबंधी व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य में लगातार रुकावट आई।

उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :—

(i) प्राथमिकता के आधार पर कोयला कंपनियों को विद्युत की आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से कोल इंडिया लि० तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, दामोदर घाटी निगम, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच घनिष्ठ समन्वय रखना और विद्युत की आपूर्ति की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखा जाना।

(ii) कोयला कम्पनियों से विद्युत आपूर्ति के फिडरों को अलग किए जाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और कोकिंग कोयला वाशरियां अब दामोदर घाटी निगम से सीधे फिडरों के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रही हैं।

(iii) नार्दर्न ग्रिड तथा उड़ीसा से दामोदर घाटी निगम प्रणाली (सिस्टम) को विद्युत की अतिरिक्त आपूर्ति।

(iv) कोयला कंपनियों के पास उपलब्ध लघु कैपटिव विद्युत आपूर्ति यूनिटों का निरन्तर कार्य चालन तथा अधिक कैपटिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना किया जाना।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में हुआ महीनेवार धुले कोयले का उत्पादन

(मि० टन)

मास	भा०को०को०लि०		से०को०लि०		वे०को०लि०		जोड़	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
अप्रैल	0.35	0.30	0.31	0.33	0.03	0.03	0.69	0.66
मई	0.39	0.31	0.31	0.34	0.02	0.02	0.72	0.67
जून	0.38	0.29	0.33	0.34	0.02	0.02	0.73	0.65
जुलाई	0.38	0.27	0.32	0.29	0.03	0.03	0.73	0.59
अगस्त	9.38	0.27	0.33	0.32	0.03	0.03	0.74	0.62
सितम्बर	0.37	0.27	0.31	0.32	0.03	0.03	0.71	0.62
अक्टूबर	0.42	0.27	0.34	0.31	0.02	0.03	0.78	0.61
नवम्बर	0.42	0.30	0.37	0.34	0..03	0.03	0.82	0.67
दिसम्बर	0.44	0.32	0.38	0.38	0.03	0.04	0.85	0.74
जनवरी	0.44	0.37	0.38	0.41	0.04	0.04	0.86	0.82
फरवरी	0.41	0.34	0.37	0.43	0.03	0.03	0.81	0.80
मार्च	0.44	0.38	0.48	0.50	0.03	0.04	0.95	0.92
जोड़	4.82	3.69	4.23	4.31	0.34	0.37	9.39	8.37

कोयला-कारों जल विद्युत् परियोजना को कार्यान्वित करना

216. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला-कारों जल विद्युत परियोजना के निष्पादन में उसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई तथा कितना अधिक समय लगा;

(ख) परियोजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना पर किया गया पूंजी निवेश बिजली की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार ने जून, 1981 में कोयला-कारों जल विद्युत परियोजना (710 में.वा.) को 444.67 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत (मार्च, 80 के मूल्य स्तर पर) जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज शामिल है, पर केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय किया था और इसका निर्माण कार्य 8 वर्ष में पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की जल-विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों में हिस्सेदारी संबन्धी फार्मूले के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहमति और परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त होने तक स्थापना, भूमि के अधिग्रहण तथा निर्माण-पूर्व अन्वेषण आदि के लिए केवल 8 करोड़ रुपये के व्यय की अनुमति दी गई थी। भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध स्थानीय जनता के विरोध और लोगों को उनकी भूमि से बेदखल किए जाने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण परियोजना का निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका – उक्त स्थगन आदेश अब निष्प्रभावी हो गया है। परियोजना के सम्बन्ध में वन सम्बन्धी स्वीकृति जुलाई, 1990 में ही प्राप्त हुई थी। इस बीच, कीमतों में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत काफी बढ़ गई थी। मार्च, 1991 के मूल्य स्तर पर परियोजना की लागत 1338.80 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज शामिल है। परियोजना को विद्युत उत्पादन उपस्कर प्रदान किए जाने की तारीख से 7 वर्ष के भीतर चालू किया जा सकता है बशर्ते कि निवेश सम्बन्धी निर्णय पर पुर्नविचार किया जाए और अद्यतन लागत अनुमानों के अनुसार निधियां उपलब्ध करवाई जाएं।

(ग) कोयला-कारों परियोजना में निवेश के फलस्वरूप पूर्व क्षेत्र जहां विद्युत की कमी है, में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

छोटे रसोई गैस एजेंटों की नियुक्ति

217. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री मोरेश्वर सावे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे स्थानों पर उपभोक्ताओं की कठिनाइयों का निवारण करने के लिये छोटे रसोई गैस एजेंटों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे एजेंटों को सीधे नियुक्त करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) सैदपुर, बनारस तथा जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उन गांवों ग्रौर कस्बों का ब्यौरा क्या है जिनकी ग्राबादी 20,000 से भी ग्रधिक है परन्तु जहां कोई रसोई गैस वितरण प्रणाली नहीं है ;

(ङ) ऐसे स्थानों पर रसोई गैस की एजेंसियां खोलने के लिये क्या उपाय किये गये;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रसोई गैस की कितनी एजेंसियां तथा कितन पेट्रोल पम्प स्वीकृत किये गये ग्रौर इसके लिये क्या मानदंड ग्रपनाये गये; ग्रौर

(छ) रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों के ग्राबंटन के लिये कितने ग्रावेदन पत्र लंबित पड़े हैं ग्रौर इन्हें रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पम्प कब तक ग्राबंटित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ग्रार (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राम नगर ।

(ङ) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) 1989-61

1990-62

1991-95
(ग्रब तक)

ये ग्राबंटन सरकार के विवेकानुसार किये गये थे। दिसम्बर, 1989 से जारी किये गये ग्राशय-पत्रों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

(छ) ऐसे कोई संख्यिकीय ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

पाली स्टेशन पर पुल का निर्माण

[हिन्दी]

218. **श्री गुमानमल लोढा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाली रेलवे स्टेशन के क्रासिंग के निकट ग्रत्यधिक भीड़ होती है ; ग्रौर

(ख) यदि, हां, तो क्या सरकार का विचार जनता की सुविधा के लिए वहां पर रेलवे पुल बनाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, तथापि, समपार पर याता-यात में वृद्धि होती आ रही है ।

(ख) रेलें, नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा इस सुविधा के लिए प्रस्ताव प्रायोजित कर दिए जाने तथा इसकी लागत में हिस्सेदारी वहन करने हेतु विधिवत् रूप से अपनी सहमति दे दिए जाने के बाद ही इस मामले में कार्रवाई कर सकती हैं।

दिल्ली में मयूर विहार के लिए पृथक् विद्युत्-ग्रिड का निर्माण कार्य पूरा करना

[अनुवाद]

219. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार फेज एक एक्सटेंशन (नोएडा मार्ग) में सामूहिक आवास समितियों के लिए पृथक विद्युत ग्रिड का निर्माण कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार मयूर विहार फेज़-1 में 66 के. वी. ग्रिड उपकेन्द्र को मार्च, 1991 में चालू किया जा चुका है। उपकेन्द्र की सुनिश्चित क्षमता 20 एम. वी. ए. है। क्षेत्र के निवासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसलिये एक नया उपकेन्द्र भी चालू किया गया है। क्षेत्र की सामूहिक आवास समितियां इस उपकेन्द्र का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत् निगम का कार्य-निष्पादन

220. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) का कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) एवं (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है। तथापि उनके कार्य-निष्पादन की सतत रूप से समीक्षा की जाती है।

बेरोजगार शिक्षित युवकों को रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन

[हिन्दी]

221. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरेजगार शिक्षित युवकों को रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प आबंटित करने संबंधी कोई योजना तैयार की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

222. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत :** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से कुछ अतिरिक्त धन देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) यदि राज्य सरकार द्वारा देय ग्राम विद्युतिकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता को हिसाब में लिया जाता है तो वर्ष 1990 के दौरान उ.प्र.रा.बि.बो. के पास 89.70 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि (अनन्तिम) होगी।

(ग) और (घ) उ. प्र.रा. बि. बो. के अनुसार, अनपारा "बी" ताप विद्युत परियोजना पारेषण, वितरण एवं ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार, विद्युत वित्त निगम, ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा अन्य से लगभग 400 करोड़ रुपये तक के ऋण का अनुरोध किया गया है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री शरत्चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष जी, बोलंगीर क्षेत्र में इस साल बारिश बहुत कम हुई है। वहां के मजदूर और किसान भूख और अकाल के शिकार हो रहे हैं और काम की तलाश में भटक रहे हैं। उड़ीसा की सरकार इस काम को निपटाने में नाकाम रही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह जो भूख और अकाल की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कुछ व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसले की ओर दिलाना चाहता हूँ जोकि इस समय अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में हो रहा है काफी बड़ी संख्या में विदेशी लोग द्वीप समूह में अनधिकार रूप से आ रहे हैं और मूल्यवान इमारती लकड़ी काट कर बड़े-बड़े जहाजों से ले जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक पुलिसवाला मुठभेड़ में मारा गया। उन अनधिकार रूप से आने वाले विदेशी लोगों ने आठ ग्रामीणवासियों को मार डाला। परन्तु प्रशासन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। न तो पुलिसकर्मी और न ही मारे गये ग्रामवालों के आश्रितों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उस क्षेत्र में विशेषत: उत्तरी अण्डमान में आतंक छाया हुआ है। लोग अपने घरों में रहने से भी डरते हैं क्योंकि इस प्रकार अनधिकार रूप से विदेशी लोग हथियारों के साथ अक्सर वहां आ जाते हैं। तट रक्षक कार्मिक जहाज में बैठकर द्वीप के आस-पास जाते हैं। परन्तु वे जंगलों में नहीं जाते। उनका कहना है कि "यह हमारा कार्य नहीं है। हम केवल बाहर से ही देख सकते हैं। यदि हमें कोई जहाज दिखाई देगा तो हम उसे पकड़ लेंगे अन्यथा, जो लोग मैदानों में रहते हैं उनकी देखभाल दूसरे लोगों को करनी होगी" परन्तु यह खेद की बात है कि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं इस संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उन्हें उस क्षेत्र में रह रहे लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं और श्री बासुदेव आचार्य ने एक पत्र के परिचालन के बारे में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, केरल सरकार ने राज्य में राशन की दुकान के जरिए दिए जाने वाले चावल की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया था। अभी मानसून का मौसम है कतिपय क्षेत्रों में सरकार को मुफ्त राशन भी वितरित करना पड़ा था इसके अतिरिक्त, ओणम पर्व भी आने वाला है। अत: राशन की मात्रा बढ़ायी जानी चाहिये। इसके अलावा, राज्य को दिया जाने वाला राशन भी घटिया किस्म का होता है। राज्य को दी जाने वाली चावल की मात्रा भी बहुत ही कम है। अत: मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे इस बारे में कुछ करें। हमारे मुख्य मंत्री श्री के. करुणाकरण हाल ही में आये थे और उन्होंने खाद्य मंत्री के साथ जोरदार चर्चा की थी। अत:

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस ओर ध्यान दें तथा केरल को अच्छी किस्म का और अधिक मात्रा में चावल आवंटित करें। ......(**व्यवधान**)......

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों का परिचालित पत्र के संबंध में आपने अपना विनियमन नहीं दिया है ......(**व्यवधान**) .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है, कि मैं इस विषय को बाद में लूंगा।

.....(**व्यवधान**)......

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल हमने आपकी इजाजत चाही थी कि यदि रेल मंत्री 600 व्यक्तियों को पुनः रोजगार देने के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं देते तो हम अध्यक्षपीठ के आसन के निकट आ जायेंगें।......(**व्यवधान**)......अन्यथा, रेल मंत्री को हमें आश्वासन देना चाहिए.....(**व्यवधान**).....क्या आप आज हमें संरक्षण देंगें हम आपसे संरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुरोध करते करते हैं.....(**व्यवधान**)......

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे समाचार पत्र में यह पढ़कर प्रसन्नता हुई है कि माननीय संचार मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि वह आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक गांव में लम्बी दूरी की टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायेंगे। वास्तव में यह प्रशंसनीय बात है।

परन्तु, क्या मैं आपके अध्यक्ष से उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकती हूं कि मैं अथवा कोई अन्य व्यक्ति भी पंसकुरा (मिदनापुर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय) में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के पश्चात् संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। इसे केवल जिला मुख्यालय मिदनापुर से ही जोड़ा जा सकता है। यही स्थिति कोलाघाट के बारे में है जहां पर एक ताप विद्युत घर भी है और यही बात तामलुक के बारे में भी लागू होती है जो कि मिदनापुर जिले का उप-मण्डलीय मुख्यालय है।

क्या मैं इस बात की आशा कर सकती हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों की ओर ध्यान देंगे और स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे ....(**व्यवधान**)....

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सूखे की स्थिति है और बिजली का भी अभाव है। नहर में पानी नहीं है, जिससे किसान को परेशानी है। भोजपुर और बक्सर जिले के 485 नलकूपों में से चार सौ नलकूप खराब हैं। बिहार सरकार के पास रुपया नहीं है कि सरकार उसकी मरम्मत करा सके। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जगदीशपुर में पावर ग्रिड बनान के लिए चार करोड़ 85 लाख रुपए भारत सरकार प्रदेश सरकार को जल्दी से जल्दी दे, जिससे बिजली का इन्तजाम हो सके। बिहार सरकार को चार सौ नलकूपों को चालु करने के लिए भी रुपया दिया, जिससे सूखाड़ का मुकाबला किया जा सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक विशाल महादेश है, जहां पर कहीं बाढ़ कहीं सूखाड़ की स्थिति से जनता तबाह एवं परेशान रहती है।

इस वर्ष पूरा बिहार राज्य सूखाड़ की चपेट में आ गया है। ध्यान का विचड़ अभी तक डाला नहीं गया है, जहां डाला गया है वह भी अब जल रहा है। राज्य में लालफिताशाही के कारण सूखाड़ से बचाया नहीं जा सकता। अगर सचमुच में लोकतंत्र रहता तो सरकारी अधिकारी जनता के दुःख-दर्द के साथ होते। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवैल का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सभी के सभी बेकार पड़े हुए हैं। पुनपुन और फलगु नदी में पानी बह रहा है। इन दोनों साधनों का इस समय युद्ध स्तर पर इस्तेमाल किया जाता तो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र पूरा का पूरा सूखाड़ से बचाया जा सकता है। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को इस कार्य के लिए जल्दी जल्दी सहायता दी जाए, ताकि वहां की जनता को सूखाड़ की स्थिति से बचाया जाए।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से बम्बई के बीच में अजमेर, नसीराबाद, नीमच और मंदसौर मांग अत्यन्त कम दूरी का मार्ग है। किन्तु इस मार्ग पर निरन्तर भारी यातायात का दवाब होने के कारण आए दिन दुर्घटनायें नसीराबाद से आगे होती रहती हैं। इस कारण नसीराबाद से यह मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना व बनवाना आवश्यक है। इस मार्ग पर कई बड़े औद्योगिक संस्थान, आर्मी-हैडक्वार्टर, सी आर पी एफ क्वार्टर, कई टैक्सटाइल्स मिलें तथा सीमेंट फक्ट्रियां हैं। इतना यातायात का दवाब होने के कारण यह मार्ग अत्यन्त व्यस्ततम मार्गों में से है। अभी पिछले दिनों वहां, अनेकों घटनाएं चित्तौड़ और नीमच के पास हुई हैं। मैं माननीय भूतल-परिवहन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस मार्ग को, शेष जो बीच का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है इसको राष्ट्रीय मार्ग के रूप में सम्मिलित करने की कृपा करें तथा इसे शीघ्र बनाया जाये।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग शिक्षा की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन जो विद्या आज दी जा रही है उसके कारण गुजरात के अन्दर कालेजों में लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। हजारों की लाइन लगी हुई है जो बहरे हैं, जो प्रायमरी ट्रेनिंग कालेज के अन्दर एडमिशन लेना चाहते हैं, वे दर-दर भटक रहे हैं। उनसे रिश्वत ली जा ही है और रिश्वत लेने के बाद भी उनके साथ धोखा किया जा रहा है। इस कारण से आज बहुत से लोग परेशान हैं और इसलिए गुजरात के अन्दर आन्दोलन छेड़ने की तैयारी की जा रही है। मेरा आप से निवेदन है कि आज हम लोग कहते हैं——बहुत कर रहे हैं पढ़ाई की बात, लेकिन एडमिशन के लिए करनी पड़ती है हमें लड़ाई, कैसी है ये पढ़ाई। ...... **(व्यवधान)** ..... अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि गुजरात के अन्दर ज्यादा कालेज खोलने के लिए आप उन्हें आश्वासन दें और जल्दी से जल्दी इसके लिए उचित प्रबन्ध करें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कल दिल्ली के अन्दर ओखला फेज-1 (वन) में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जो डकैती हुई, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आतंकवादियों ने ये डकैती की। इसमें पांच निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और दो लाख रुपये निकाल कर ले गए। इसी तरह की एक घटना परसों रात को स्वा ग्यारह बजे यमुना पार में पड़पड़गंज के पास आतंकवादियों ने एक लाइन को उड़ाया और दो फुट रेलवे लाइन उड़ गई। कुछ समय

पहले वहां से प्रयागराज एक्सप्रेस निकली थी, वहां पर और भी दुर्घटना हो सकती थी। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक घटनाएं दिल्ली के अन्दर ऐसी हो रही हैं जिससे कि ये पता लग रहा है कि आतंकवादियों ने दिल्ली के अन्दर अपने अड्डे बना लिये हैं। दिल्ली के अन्दर कुछ लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसकी सरकार के पास भी खबर है, यह सी आई बी की खबर है, लेकिन उसके बाद भी जब कोई घटना हो जाती है तो पुलिस की ओर से रेड अलर्ट कर दिया जाता है इसके सिवाय और कुछ नहीं किया जाता है। मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ कि आज से साढ़े चार साल पहले यहां पर बम काण्ड हुआ था पच्चास से ज्यादा लोग उस में मारे गये थे, उस समय के केस आज तक शुरू नहीं हो पाए। उन आतंकवादियों के केस स्टार्ट नहीं हो पाए। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया कि आपको आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, इस कारण से आज दिल्ली की जनता में असुरक्षा की भावना फैल रही है।

मेरा निवेदन है कि इस संबंध में होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि दिल्ली में न असेम्बली है, न मैट्रापोलिटिन काउंसिल है, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां कि दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां होम मिनिस्टर साहब दिल्ली के अन्दर जो घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादियों की और पिछले एक महीने से लगातार हत्याएं हो रही हैं और खास कर दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र में दिल्ली में ला एण्ड आर्डर की हालत बद से बदत्तर होती जा रही है, बैड टू वर्स हो रहा है। उसके कंट्रोल के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, होम मिनिस्टर साहब क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इस बारे में सदन के अन्दर वक्तव्य दें। दूसरा मेरा सुझाव है कि दिल्ली के एम. पीज. के साथ बैठ करके उनको विचार करना चाहिये कि दिल्ली के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की हालत को कैसे सुधारा जाये, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसी केवल एक ही घटना नहीं है बल्कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में बैंक डकैती की अनेक घटनाएं हुई हैं। कल मैं दक्षिण दिल्ली स्थित ओखला में था और यह गंभीर घटना थी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है। अतः हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए। स्टेट बैंक आफ पटियाला शाखा के प्रबन्धक सहित पांच कर्मचारियों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। अतः गृह मंत्री जी को आज ही वक्तव्य देना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जो दिल्ली में घटित हो रही है। दिल्ली में अनेक बैंक डकैतियां हो रही हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री जी आज ही सदन में आएं और एक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप आदेश दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत सीरियस मैटर है। दिल्ली के मामले कहां डिसकस हों, हम यह जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने मामला उठाया है, अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में असेम्बली नहीं है, मेट्रोपोलिटिन कौंसिल नहीं है, इसलिए कम से कम होम मिनिस्टर साहब को यहां पर तो जवाब देना चाहिए । . . . . . (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दिल्ली की कानून-व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूँ । पिछले दिनों भी मैंने मामला उठाया था कि यहां पर एमपीज़ सुरक्षित नहीं हैं, रोजाना बैंक डकैतियां हो रही हैं । मेरे साथी ने एक्सट्रीमिस्ट्स का भी जिक्र किया । दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पर रोजाना इस तरह की घटनाएं हों, मैं समझता हूं यह कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती है । हमने इस बारे में कालिंग अटेंशन भी दिया है, अडजर्नमेंट मोशन भी दिया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है और आपसे निवेदन है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाए । या तो होम मिनिस्टर को यहां पर बताना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए, यदि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो कोई भी प्रस्ताव, कालिंग अटेंशन, 184, 193 किसी भी प्रस्ताव के जरिए दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था के बारे में एक बार अवश्य चर्चा कराइए ।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़े भाग के अंदर अक्सर नीलगायें आ जाती हैं और इनके उत्पात के कारण सारे किसानों की फसल बरबाद हो जाती है । फारेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है । इसके कारण किसानों को रात–रात भर अपने खेतों पर पहरा देना होता है, लेकिन झुंड के झुंड रोजेज के, नीलीगायों के आते हैं और खड़ी फसल और पैदा कर के इकट्ठी की हुई फसल को बरबाद करके चले जाते हैं । मेरा निवेदन है कि यहां पर कोई सेंचुरी बना कर रोजेज़ को नीलगायों को बंद कर दिया जाए या किसानों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जाएं ।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : कोचीन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय प्रायः निष्क्रिय रहता है । पासपोर्ट जारी कराने हेतु 5,000 से अधिक आवेदन पत्र जिनकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, विचाराधीन हैं । इसका मात्र एक ही कारण है कि सात लेमिनेशन मशीनों में से छः मशीनें काम नहीं कर रही हैं । अतः वे लोग पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं । बेरोजगार युवकों की समस्याओं से सभी लोग अवगत हैं । खाड़ी के देशों में जाने के लिए बहुत से व्यक्तियों को अवसर प्राप्त हैं । उन्होंने वीसा प्राप्त कर लिए हैं, उन्होंने अन्य सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं, पासपोर्ट को छोड़कर उनके पास सब कुछ है । यह बहुत ही गंभीर स्थिति है । इससे लोग बहुत ही अधिक कुण्ठित है ।

पिछले वर्ष ही 30,000 आवेदन पत्रों की इस कार्यालय में जांच की गई और 10,000 आवेदन पत्रों के लिए भी मौजूदा कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं । अतः मौजूदा कर्मचारी पर्याप्त नहीं है । इसके अलावा लैमिनेशन मशीनों की शीघ्र ही मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है । यदि मेरी जानकारी सही है, तो इन मशीनों के नाजुक होने के कारण उनकी मरम्मत केवल नासिक में ही करानी पड़ेगी । एक दिन का भी विलम्ब होने का अर्थ है कि कई व्यक्ति नियुक्ति से वंचित हो

जाएंगें अतः विदेश मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उन मशीनों की शीघ्र मरम्मत करवाने व पासपोर्ट जारी करवाने के लिए इन्तजाम करना चाहिए ।

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय मैं बैंक डकैती से संबंधित मामला उठाना चाहूंगी । इससे पहले भी अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है । मैं भी यह मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी । ऐसा केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है । जहां कहीं भी ग्रामीण बैंक हैं वहां बहुधा ऐसी डकैतियां होती हैं । बैंक में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और बैंकिंग प्रणाली के प्रति लोगों में विश्वास खत्म होता जा रहा है ।

जब यात्री बसों में यात्रा कर रहे होते हैं तो ऐसी डकैतियां होती हैं और ये डकैतियां आसामाजिक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं । अतः उन क्षेत्रों में जहां ऐसी डकैतियां होती हैं उसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । जो यात्री बसों, अथवा रेलगाड़ियों अथवा वाहनों से यात्रा करते हैं उनको समुचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । सरकार को शीघ्र ही इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए ताकि लोग बैंकिंग प्रणाली के प्रति अपना विश्वास फिर से स्थापित करें । इससे न केवल राष्ट्र को बल्कि उन जमाकर्ताओं को भी अत्याधिक हानि हो रही है जो बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं । इस तरह की घटनाओं पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय वित्त मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अर्थशास्त्रियों के विचारों को परिचालित किये जाने पर खेद प्रकट किया गया है । मैं समझता हूं इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह पत्र क्या है ? . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने खेद प्रकट किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी ओर से अब खेद प्रकट किया है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रयोजन के लिये वे लोक सभा सचिवालय का लाभ उठा रहे हैं । उन्हें लोक सभा सचिवालय पर दवाब नहीं डालना चाहिये । सचिवालय के कर्मचारी काफी अनुभवी हैं । लोक सभा सचिवालय पर जरूर दवाब डाला गया होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस संबध में दो पहलू हैं । एक पहलू वित्त मंत्रालय से संबधित है । दूसरा पहलू विधानमडल सचिवालय से संबंधित है । जहां तक वित्त मंत्रालय का संबध है, मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है और मामलों को वहीं समाप्त कर देना चाहिये ।

जहां तक इस सचिवालय का संबंध है, समुचित कार्यवाही के लिये मैं स्वयम् इसको देख रहा हूं । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं . . . **(व्यवधान)** . . . मैं सचिवालय पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं . . . **(व्यवधान)** . . . सचिवालय के कर्मचारी अपना काम जानते हैं । इसी लिये मैं कहता हूं कि उन पर जरूर दबाव डाला गया है . . . **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : लोक सभा को इस बारे में, आज सूचित किया जा रहा है । हमने देखा कि राज्य सभा को कल सूचित किया गया है । महोदय, दोनों सदनों को एक समान समझना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री राम नाईक : वित्त मंत्री द्वारा खेद प्रकट करने के बारे में राज्य सभा को कल बता दिया गया था । परन्तु इस बारे में यह आज बताया जा रहा है । कम से कम ऐसे मामलों में दोनों सदनों—लोक सभा और राज्य सभा को एक समान समझना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को बढ़ाइये मत । मुझे पत्र केवल शाम को ही प्राप्त हुआ है । हो सकता है वह पत्र मात्र कल ही लिखा गया हो । यह मेरी जानकारी में शाम को ही आया है । मैं अब आपको बता रहा हूं । यह आवश्यक नहीं है कि आप इसे और लम्बा खींचे ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड, पटियाला का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वार्षिक लेखे और वर्ष 1989-90 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि

विद्युत् और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 के अन्तर्गत पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण [1989–90 (वास्तविक), 1990–91 (बजट/संशोधित प्राक्कलन) तथा 1991–92 (बजट प्राक्कल) को सम्मिलित करते हुए] की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण को सभा पटल पर रखने के लिए उद्देश्यों और कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(3) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण का सारांश तथा उस पर पंजाब सरकार की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 31/91]

(4) (एक) पंजाब राज्य के संबध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 के पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1989–90 के पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी० 32/91]

कोयला खान भविष्य निधि कोयला खान परिवार पेंशन आदि का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) वर्ष 1989–90 के कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन तथा कोयला खान जमा सम्पर्क बीमा योजना के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) वर्ष 1989–90 के कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन तथा कोयला खान जमा सम्पर्क बीमा योजना के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 33/91]

भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 34/91]

(2) (एक) रेल भारत तकनीकी तथा आर्थिक सेवा लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल भारत तकनीकी तथा आर्थिक सेवा लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 35/91]

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : डाला, चुरू और कजरहार सीमेंट फैक्टरी की 750 करोड़ रुपये की जायदाद को केवल 26 करोड़ रुपये में बेच दिया है। यह गंभीर मामला है। इस पर बहस होनी चाहिये। **(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, इस तरह से नहीं। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करियेगा। ऐसा नहीं होता है। यदि कोई महत्वपूर्ण मामला है तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया इसे मेरे ध्यान में लायें। मैं आपको इस प्रकार करने में आपकी सहायता करूंगा, ताकि यह रिकार्ड का हिस्सा बन जाये तथा कुछ किया जाये। कृपया इसे इस प्रकार न करें। मुझे आशा है कि आप कृपया मेरा सहयोग करेंगे।

रेल बजट 1991-92

12.24 म०प०

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० के० जाफर शरीफ रेलवे बजट पेश करेंगे ।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरा नियम 222 के अंतर्गत विशेषाधिकार का एक मुद्दा है । कुछ दिन पूर्व आनन्द बाजार पत्रिका ने रेलवे बजट का कुछ भाग प्रकाशित किया था

(**व्यवधान**) ।

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : अपना भाषण शुरू करने से पहले उन्हें उत्पीड़ित रेलवे कर्मचारियों के संबंध में कुछ बोलना चाहिये । पहले रेल मंत्री द्वारा वर्ष 1981 के दौरान सात सौ रेलवे कर्मचारियों को बरखास्त किया गया था । . . . **(व्यवधान)** ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या वे उस पर भी बोलने वाले हैं? . . . **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उन्हें रेल बजट प्रस्तुत करने से पहले सदन को बताना चाहिये कि क्या उनको वापस लिया जायेगा अथवा नहीं । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अपना भाषण शुरू करने से पूर्व उन्हें इसके संबध में कुछ बताना चाहिये । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाना चाहिए । महोदय सम्पूर्ण सदन की यही इच्छा है । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री उस समय विपक्ष में थे और उन्होंने भी यही भावना व्यक्त की थी । हम इस संबंध में एक संतोषजनक उत्तर चाहते हैं कि क्या रेल बजट पेश करने से पूर्व उनको बहाल किया जायेगा । हम इस समय केवल यही चाहते हैं । यदि वह इस सदन को इस संबंध में कोई आश्वासन दें तो हम उन्हें शान्तिपूर्वक बजट प्रस्तुत करने देंगे । . . . **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : जब श्री जार्ज फर्नान्डीज रेल मंत्री थे, तब उन्होंने तथा उनके उत्तराधिकारी ने आश्वासन दिया था कि उन्हें बहाल किया जायेगा और यहां तक कि कांग्रेस सदस्यों ने भी जो कि अब मंत्री हैं यह कहते हुए सदन में धरना दिया था कि उन कर्मचारियों को बहाल किया जाना चाहिये । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ाजी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? रेल मंत्री अपना बजट पेश करने वाले हैं तथा आप कृपया देखें कि क्या उनके विवरण में वे मुद्दे सम्मिलित है अथवा नहीं जिन पर आप उनसे उत्तर चाहते हैं। विवरण देने से पूर्व आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उसमें इन मुद्दों का उत्तर उसमें सम्मिलित नहीं है । उनके विवरण देने तक आप प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ?

जहां तक गीता जी के प्रश्न का संबंध है, उस पर भी निर्णय केवल तभी लिया जा सकता है जबकि आप उनकी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, साधारणतया मैं विशेषाधिकार का मुद्दा नहीं उठाती हूं । . . . **(व्यवधान)**

मेरा मुद्दा यह है कि दो-तीन दिन पूर्व आनन्द बाजार पत्रिका में बजट का कुछ भाग प्रकाशित हो चुका है । यह मेरा विशेषाधिकार का मुद्दा है । मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि वे देखें कि क्या बजट लीक हुआ था अथवा नहीं और हमें इसकी जानकारी दें । यदि बजट लीक हुआ था तो यह स्पष्टरूप से विशेषाधिकार का प्रश्न है । इसलिये, म आपसे इस मामले की ओर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं । "आनन्द बाजार पत्रिका" की कतरन मेरे पास है तथा मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं ।

अध्यक्ष महोदय : गीताजी, "आनन्द बाजार पत्रिका" पर विश्वास मत कीजिए । यदि जो कुछ वह कहने वाले हैं वही इसमें है, तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं इसे पटल पर रखती हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : : नहीं । गीता जी इस प्रकार नहीं । आप इसे अपने पास रखिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां मैं इसे अपने पास रखूंगी । रेल मंत्री मेरे अच्छे मित्र हैं । मुझे आशा है कि वे इस पर ध्यान देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब रेल मंत्री ।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज भगवान के प्रति कृतज्ञ हूं कि प्रकृति हम पर बहुत दयालु है । जब मैं इस सदन में प्रवेश कर रहा था, तो मैंने बहुत ठण्डा वातावरण पाया । मेरा विश्वास है कि सदस्य भी इसी भावना से व्यवहार करेंगे और वे प्रकृति के

विरुद्ध नहीं जाएंगे । मैं वित्त वर्ष 1991-92 के लिए रेलवे बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

25 फरवरी, 1991 को एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था और वित्त वर्ष के पहले चार महीनों का खर्च पूरा करने के लिए लेखानुदान प्राप्त किया गया था । आम चुनावों के बाद अब नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला है ।

श्रीमन्, हमारे प्रिय नेता, सुप्रसिद्ध और दूरदर्शी राजनीति, श्री राजीव गांधी की दु:खद हत्या से देशभर में उदासी की लहर छा गई और समस्त विश्व समुदाय स्तब्ध रह गया। राष्ट्र और विशेषकर रेलों के प्रति उनके योगदान को रेल कर्मचारी श्रद्धा के साथ याद रखेंगे । सातवीं योजना में रेलों का कार्य-निष्पादन समूची अर्थव्यवस्था के लिए एक उज्जवल उदाहरण है और इसका श्रेय काफी हद तक श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए प्रोत्साहन को जाता है । रेल कर्मचारी गाड़ियों को गतिमान रखकर स्थिरता, शांति और प्रगति सुनिश्चित करने और समृद्ध तथा खुशहाल भारत का उनका सपना पूरा करने के लिए राष्ट्र की सेवा में अपने आपको पुन: समर्पित करें, यही राजीव जी की स्मृति में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

माल यातायात 1990-91

रेल परिचालन के लिए 1990-91 का वर्ष अत्यंत कठिन रहा । अनेकानेक बंद, व्यापक नागरिक उपद्रव, पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी तथा पूर्वी-तट पर विनाशकारी तूफान के कारण रेलों के कार्य-निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा । 325 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य पूरा होने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती थी और संशोधित अनुमान के अंतर्गत 9 मिलियन टन की कमी प्रक्षेपित की गई थी । लेकिन, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में, रेलों ने माल यातायात के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया और प्रतिदिन औसतन एक मिलयिन टन से अधिक माल का लदान किया । इससे यह कमी घटकर 7 मिलियन टन रह गई । इस तरह वर्ष में कुल लदान 318 मिलियन टन रहा, जबकि संशोधित लक्ष्य 316 मिलियन टन रखा गया था ।

यात्री यातायात में काफी अधिक वृद्धि हुई है । 1989-90 की तुलना में 1990-91 में प्रारंभिक यात्रियों की संख्या और यात्री किलोमीटर के अंतर्गत क्रमश: 5.17% और 6.34% की वृद्धि हुई है ।

वित्तीय निष्पादन 1990-91

रेलवे बजट के बाद मार्च, 1990 में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि अक्तूबर, 1990 में खाड़ी अधिभार और साधन-सामग्री की लागत में आम वृद्धि के कारण, संचालन व्यय पर बहुत अधिक असर पड़ा । इसके अलावा, संशोधित अनुमान के अंतर्गत 9 मिलयिन टन की प्रत्याशित कमी को देखते हुए, निश्चितता की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी और 186 करोड़ रुपये के बजटीय अधिशेष की राशि को अनिवार्यत: कम करके 155 करोड़ रुपये रखना पड़ा था । बहरहाल यातायात से कुल प्राप्तियों में वृद्धि और कठोर वित्तीय नियंत्रण के कारण खर्च में कटौती के परिणामस्वरूप, रेलें न केवल बजट के बाद होने वाली वृद्धि का भार सहने में समर्थ हुई हैं बल्कि लेखा परीक्षा से पूर्व के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 186 करोड़ रुपये का अधिशेष भी प्राप्त किया है । इसके अलावा, पेंशन निधि में 70 करोड़ रुपये की वृद्धि करना भी संभव हुआ है । यदि हम परिवहन

के अन्य क्षेत्रों में किरायों में की गई वृद्धि के संदर्भ में देखें तो बीच वर्ष में किराया और माल भाड़ा दरों में वृद्धि किए बिना प्राप्त इस वित्तीय स्थिति को सुखद ही माना जाएगा ।

माल यातायात संबंधी संभावनाएं 1991-92

चालू वित्त वर्ष में माल यातायात की ढुलाई की शुरुआत उत्साहवर्धक रही है। पहली तिमाही में, रेलों ने लगभग 80 मिलयिन टन की ढुलाई की है जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 6 मिलियन टन और लक्ष्य की तुलना में 1-25 मिलयिन टन अधिक है। वर्ष में 335 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात के दुस्साध्य लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में यह एक शुभ संकेत है।

तथापि, म यह स्वीकार करता हूं कि चल स्टॉक—माल डिब्बा और रेल इंजन दोनों—की कमी तथा टर्मिनल की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैंने मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इस पहलू की शीघ्रता से जांच की जाए।

माल डिब्बों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए टर्मिनल की पर्याप्त सुविधाएं होना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि रेलें और रेल उपयोगकर्त्ता संयुक्त रूप से जिन शर्तों पर टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, उनका आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया जाए।

यात्री सेवाएं

एक ओर तो संसाधनों की लगातार तंगी बनी हुई है, दूसरी ओर माल यातायात, जो कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अंत्यन्त महत्वपूर्ण है, की बढ़ती हुई मात्रा को सम्हालना है। ऐसी स्थिति में यात्री सेवाओं के लिए बढ़ती हुई मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करना रेलों के लिए कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद, चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं शुरू की गई हैं। उनमें से महत्वपूर्ण गाड़ियां इस प्रकार हैं :—

1. पुरी—तिरुपति एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन)
2. बम्बई—वाराणसी एक्सप्रेस
3. इलाहाबाद सिटी—छपरा एक्सप्रेस
4. बम्बई—अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
5. बम्बई—नई दिल्ली ए०सी० एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
6. सिकन्दराबाद—तिरुपति एक्सप्रेस
7. फिरोजपुर छावनी—जम्मूतवी एक्सप्रेस
8. सिरपुर कागजनगर—काज़ीपेट पैसेंजर
9. अजमेर—मारवाड़ पैसेंजर (परीक्षण के तौर पर 3 महीनों के लिए)
10. पोरबंदर—वांसजलिया पैसेंजर

इसके अलावा, निम्नलिखित गाड़ियों का चालन क्षेत्र भी बढ़ाया गया :—

1. दादर—वाराणसी एक्सप्रेस (सातों दिन गोरखपुर तक)
2. बोकारो—मद्रास एक्सप्रेस, टाटानगर—मद्रास एक्सप्रेस } अलेप्पी तक
3. विरार—संजाण पैसेंजर का भिलाड तक
4. कोटा—चित्तौड़गढ़ पैसेंजर का नीमच तक
5. धनबाद—लुधियाना गंगा-सतलुज एक्सप्रेस का फिरोजपुर तक
6. वेरावल—जूनागढ़ तेज पैसेंजर का राजकोट तक
7. निडदवोलु—भीमावरम पैसेंजर का राजमंड्री तक

पहली जुलाई, 1991 को गाड़ी परिचालन के क्षेत्र में बिना किसी धूम-धाम के एक महत्वपूर्ण घटना घटी। भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में पहली बार, एक मौजूदा रेलगाड़ी के पीछे-पीछे एक दूसरी गाड़ी चलाने की योजना बनाई। मेरा आशय हाल ही में सप्ताह में तीन दिन चलाई गई नई दिल्ली–बम्बई सेंट्रल ए०सी० एक्सप्रेस गाड़ी से है, जो दोनों सिरों से 45 मिनट के अंतराल पर राजधानी एक्सप्रेस के पीछे-पीछे चलती है और यात्रा पूरी करने में लगभग उतना ही समय लेती है। लोकप्रिय समय अनुसूची के अनुसार गाड़ियां चलाने की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है। यदि यह परीक्षण सफल रहा तो भारतीय रेलें आगे चलकर अन्य मार्गों पर भी ऐसी ही सेवाएं शुरु करने पर विचार कर सकती हैं, क्योंकि इससे क्षमता का सर्वाधिक किफ़ायत पूर्ण और अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा, लेकिन इसके लिए टर्मिनल सुविधाएं बढ़ानी होंगी।

सेवा की गुणवत्ता

संसाधनों की तंगी तथा रेलों के सामने पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के बावजूद, मैं इस बात के लिए कृतसंकल्प हूं कि यात्रियों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी के कारण, गाड़ियों के परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे गतायु सवारी डिब्बों, जिन्हें समाप्त किया जाना था, के बकायों के कारण, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सवारी डिब्बों के बेड़े में कुल मिलाकर केवल लगभग 500 सवारी डिब्बों की शुद्ध वृद्धि हुई है। इसके अलावा, लगभग 28,000 सवारी डिब्बों में से, 5,500 से अधिक सवारी डिब्बों को अभी भी बदला जाना है। पिछले वर्ष नागरिक उपद्रवों के दौरान, 500 से अधिक सवारी डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट कर दिए गए थे।

इसके साथ ही, जनता द्वारा चिरकाल से की जा रही मांगों का पूरा करने के वास्ते अधिक गाड़ियां चलाने के लिए दबाव बराबर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए रेलों ने रेल सम्पर्कों का एकीकरण और विभिन्न टर्मिनलों पर पड़ाव-अवधि में कमी जैसे नये तरीके अपनाकर, 1990-91 में 50 से अधिक यात्री गाड़ियां चलाई। यात्री सेवाओं के लिए बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए, सवारी डिब्बों का अधिक गहन उपयोग किया जा रहा है। इन सब उपायों के बावजूद, सवारी

डिब्बों की कमी और भी अधिक हो गई है। इस समय लगभग 1,500 सवारी डिब्बों की कमी है। सवारी डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी अधिप्राप्ति के लिए कदम उठाए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में लगभग 2,100 सवारी डिब्बे प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जबकि 1990-91 में 2,000 सवारी डिब्बे प्राप्त किए गए थे। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

जनता, राजधानी, शताब्दी और सुपरफास्ट जैसी प्रमुख सेवाओं को छोड़कर, बाकी जो गाड़ियां चलाई गई हैं, उन्हें मुख्यत: कतिपय विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए चलाया गया है। मैं चाहता हूं कि उपलब्ध गाड़ियों की संख्या और सेवित स्टेशनों आदि के मौजूदा स्वरूप को युक्ति संगत बनाया जाए ताकि विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सबसे पहले, उत्तर-दक्षिणी मार्ग का अध्ययन किया जाएगा, जो सर्वाधिक कठिन और भीड़-भाड़ वाला मार्ग है।

मेरा यह भी प्रस्ताव है कि एक कार्यदल की नियुक्ति की जाए जो देश में अपेक्षित यात्री सेवाओं की रूप-रेखा और एक निवेश योजना तैयार करे जिसे पांच से सात वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जा सके।

शहरी रेल परिवहन सुविधाओं में सुधार और उनका विस्तार करने में और विलंब नहीं किया जा सकता। ऐसी योजनाओं के लिए धन जुटाने के अभिनव तरीके अपनाने ही होंगे, क्योंकि कोई भी एजेंसी, चाहे वह रेलवे, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार हो, इन योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकती। ऐसी राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को, जो इन सुविधाओं में सुधार लाने और उनकी व्यवस्था करने की इच्छुक हों, बातचीत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि शहरी विकास मंत्रालय, जो नीतियों के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है, के साथ परामर्श करके समयबद्ध और अर्थक्षम योजनाएं तैयार की जा सकें।

कंप्यूटर द्वारा यात्री आरक्षण से ग्राहकों को अत्यन्त संतुष्टि मिली है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। इस बजट में वाराणसी, बडोदरा, जोधपुर, आगरा, तिरुच्चिरापल्लि, कोयम्बतूर, सूरत और नागपुर स्टेशनों पर भी इस सुविधा की व्यवस्था करने का काम शामिल किया गया है। इसके औरइस समय चालू अन्य परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल आरक्षण कार्य का लगभग 70 प्रतिशत कंप्यूटर से होने लगेगा।

कुल माल यातायात का 47 प्रतिशत यातायात कोयले और खनिज तेल का होता है। इससे संबंधित रेलवे रसीदों को कंप्यूटर से तैयार करने की कुछ पायलट परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे रेलवे रसीदें तैयार करने के काम में तेजी और परिशुद्धता आएगी।

संरक्षा

हमारी कार्य-सूची में यात्रियों की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी रहेगा। यद्यपि पिछले दशक के अंत तक दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है और आठवें दशक के शुरू में हुई दुर्घटनाओं की तुलना में इनकी संख्या घटकर लगभग आधी रह गयी है, फिर भी यह

संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें जान और माल का खतरा रहता है। अतः संरक्षा की ओर पूरा निरंतर ध्यान दिया जाता रहेगा। मानवीय तत्व का दुर्घटनाओं के होने में प्रमुख हाथ बना हुआ है। अतः इस पर निर्भरता कम करने के अलावा, उत्तरोत्तर आधुनिक प्रौद्योगिकीय सुधार भी किए जा रहे हैं ताकि रेल परिचालन को निरापद बनाया जा सके।

सही कार्य विधि के बारे में कर्मचारियों को परामर्श देने के काम में तेजी लाना, उनके काम पर कड़ी नज़र रखना, रेल पथ, चल स्टाक और सिगनल उपस्कर सहित उपस्करों का निरीक्षण और उनकी अच्छी तरह से जांच करना इस दिशा में हमारे मुख्य प्रयास होंगे।

सुरक्षा

जैसा कि सदन को ज्ञात है, रेल परिचालन की सफलता काफी हद तक राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है। दुर्भाग्यवश, कतिपय राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति कार्य के सुचारू संचालन के अनुकूल नहीं रही है। कुछ क्षेत्रों में, अनधिकृत यात्री आरक्षित डिब्बों में घुस जाते हैं, जिससे सदाशयी यात्रियों को काफी असुविधा होती है और गाड़ियों को उनके अनुसूचित स्थानों से भिन्न स्थानों पर रोके जाने के कारण उनके समयपालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, डकैती, लूटपाट और यात्रियों के समान की चोरी की भी बहुत सी घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष हुए नागरिक उपद्रवों के दौरान, रेलों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी थी। आन्दोलनकारी उन मामलों को लेकर अक्सर गाड़ियों का संचलन रोक देते हैं, जिनका रेलों से कोई वास्ता ही नहीं होता। हालांकि रेलवे प्राधिकारी विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सिविल और पुलिस प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं, परन्तु इन समस्याओं से और भी अधिक कारगर ढंग से निपटना होगा।

समयपालन

कुछ समय पहले गाड़ियों के समयपालन में आई गिरावट से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने इसे सुधारने के लिए अभियान चलाया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। पहले समयपालन की जो स्थिति 75 प्रतिशत के आस-पास रहती थी, उसमें 4 से 5 प्रतिशत तक का सुधार हो गया है। लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों के चालन पर विशेष रूप से नजर रखने का प्रस्ताव है।

विपणन प्रयास

परम्परा से ही, रेलें थोक पण्यों की वाहक रही हैं और इस काम के लिये वे सर्वाधिक उपयुक्त भी हैं। इसके बावजूद, द्रुत परिवहन सेवा, माल अग्रेषक योजना, तेज रफ्तार लिंक एक्सप्रेस और कंटेनर द्वारा माल की ढुलाई जैसी विभिन्न ग्राहकोन्मुखी सेवाएं लागू करके, अधिक लाभप्रद यातायात आकर्षित करने के कुछ उपाय किये गये हैं। हाल ही में, निम्नलिखित क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त हुई है :—

(i) विशेष रूप से तैयार किये गये डिब्बों के गाड़ीभार में निर्यात के लिये मारुति कारों की ढुलाई की जा रही है। आशा है, 1991–92 में निर्यात के लिये रेल द्वारा लगभग 25,000 कारों की ढुलाई की जाएगी।

(ii) 1990-91 में कंटेनरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अर्थात् 1989–90 की तुलना में इसमें 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वार्षिक परियोजना 1991-92

अंतरिम बजट में, रेल योजना 1991–92 के लिये, परिव्यय 4,820 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 5,325 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले वर्ष के 5,000 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में, इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। संशोधित परिव्यय का आबंटन करते समय, चल-स्टाक, यातायात संबंधी सुविधाओं, विद्युतिकरण, कारखानों और शेडों, रेल-पथ तथा अन्य गतायु आस्तियों के नवीकरण से संबंधित योजना शीर्षों पर बल दिया जा रहा है।

1990–91 की ही तरह, रेलों द्वारा आंतरिक और बजटेतर संसाधन जुटाने पर अधिक ज़ोर दिया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बाज़ार से लिये गये ऋण की राशि 1990–91 के 1,170 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये हो गई है।

ल-पथ का नवीकरण

हाल ही में जिन मुद्दों पर विशेष ज़ोर दिया गया है, उनमें से एक है "रेल-पथ का नवीकरण"। रेल-पथ के नवीकरण का काफी काम बकाया रह गया था। सातंवी योजना के अंत में, रेल-पथ के नवीकरण का बकाया काम घटकर लगभग 12,000 कि० मी० रह गया था, जबकि योजना के शुरू में यह लगभग 19,500 कि० मी० था। संसाधनों की उपलब्धता को तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि हर वर्ष लगभग 2,300 कि० मी० और रेल-पथ का नवीकरण करना अपेक्षित हो जाता है, नवीकरण के इस बकाया काम का कुछ भाग नौवीं योजना अवधि में भी चला जाएगा। बहरहाल, जहां तक उच्च घनत्व वाले मार्गों का संबंध है, सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है कि उनके नवीकरण का काम आठवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाए। 1991–92 में 3,325 कि० मी० रेल-पथ के नवीकरण का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिये 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि 1990–91 में 920 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

नई लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरी लाइनें बिछाना

नई लाइन की निम्नलिखित परियोजनाओं और खंडों को 1991–92 में खोले जाने का कार्यक्रम बनाया गया है :–

सतना–रीवा
अलेप्पी–कायनकुलम
त्रिचूर–गुरुवायूर
आदिलाबाद–पिम्पलकुट्टी
आमगुरी–तुली

तेलापुर–पाटनचेरू

तालचेर–सम्बलपुर परियोजना के तालचेर–अंगुल और मानेश्वर–सम्बलपुर खंड ।

कोरापुट–रायगडा परियोजना के दामनजोडी–लक्ष्मीपुर और सिगापुरम रोड–केवटीगुडा खंड ।

रामपुर–न्यू हल्द्वानी परियोजना का रामपुर–चौराहा खंड ।

जम्मू–ऊधमपुर परियोजना का जम्मू–बजालता खंड ।

गुना–इटावा परियोजना के सनीचरा–रिवलानगर और ग्वालियर–पनिहर खंड ।

चित्रदुर्ग–रायदुर्ग परियोजना का चल्लकेरे–फल्लक खंड ।

नई लाइन के जिन खंडों को 1991–92 के दौरान खोले जाने का कार्यक्रम है, उनकी कुल लंबाई 314 कि० मी० है ।

आमान-परिवर्तन की निम्नलिखित परियोजनाओं को, जिनकी कुल लंबाई 185 कि० मी० है, 1991–92 के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है :—

सलेमपुर–बरहज बाज़ार

मनमाड–औरंगाबाद

बीकानेर–मेड़ता रोड

मैसूर-बेंगलूरु आमान परिवर्तन परियोजना का काम भी 1991–92 के दौरान पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाएगा ।

1990–91 में 211 कि० मी० रेलपथ में दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा किया गया था 1991–92 में 269 कि० मी० और रेलपथ में दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ।

1991–92 के शुरू में, कुल 2,070 कि० मी० लंबी 24 नई रेल लाइन परियोजनाओं और 2,118 कि० मी० लंबी 11 आमान-परिवर्तन परियोजनाओं पर काम हो रहा था । इन्हें पूरा करने के लिये लगभग 3,005 करोड़ रुपये की धनराशि और अपेक्षित है । सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि पहले से चल रही परियोजनाओं से शीघ्रतापूर्वक लाभ प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है । परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करके और उपलब्ध संसाधनों को उन सबमें थोड़ा-थोड़ा बांटकर, इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । अतः नई लाइन अथवा आमान परिवर्तन की किसी परियोजना को बजट में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है ।

कोंकण रेलवे निगम

जुलाई 1990 में स्थापित कोंकण रेलवे निगम ने मंगलौर से रोहा तक की 837 कि० मी० लंबी रेल लाइन के निर्माण का काम शुरू कर दिया है । रेलों ने 1990–91 में ईक्विटी में अंशदान के रूप में 70 करोड़ रुपये की अपनी वचनबद्धता का पूर्णतः निर्वाह कर दिया है । वर्ष 1991–92 में भी ईक्विटी पूंजी में 51 करोड़ रुपये के अंशदान की पूर्णतः व्यवस्था की गई है ।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय, मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने कलकत्ता की मेट्रो रेल प्रणाली के एसप्लेनेड और बेलगछिया के बीच शेष 6.5 कि० मी० के टुकड़े को पूरा करने में पेश आ रही कुछ समस्याओं का उल्लेख किया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार की सहायता से मुख्य समस्या का समाधान कर लिया गया है और आशा है कि अब यह कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

बम्बई में मानखुर्द से बेलापुर तक की लाइन का काम पूरा होने वाला है। आशा है कि अतिक्रमणों को हटाने तथा अपने काम के कुछ भाग में तेजी लाने में राज्य सरकार की ओर से समय पर सहायता मिल जाएगी, जिसके फलस्वरूप इस परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सकेगा।

मद्रास बीच-लुज द्रुत परिवहन प्रणाली का काम बराबर प्रगति पर है।

रेल विद्युतीकरण

रेल लाइनों का विद्युतिकरण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। पैट्रोल-जन्य उत्पादों पर निर्भरता कम करने के संदर्भ में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। 1990–91 के अंत तक 10,083 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। आठवीं योजना के दौरान रेलों का लगभग 3,000 मार्ग किलोमीटर के विद्युतिकरण का प्रस्ताव है।

इस वर्ष 675 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। भुसावल-इटारसी और दुर्ग-नागपुर खंडों का विद्युतीकरण हो जाने से मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली-बम्बई और नागपुर के रास्ते हावड़ा-बम्बई के महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों का पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा। दिल्ली और मद्रास को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिणी मार्ग का पूरा विद्युतीकरण हो गया है। इस वर्ष जिन अन्य खंडों के विद्युतीकरण का काम पूरा किया जाना है, उनमें जोलारपेट्टै-बेंगलूर, जोलारपेट्टै-सेलम-ईरोड और नागदा-भोपाल शामिल हैं।

विद्युतीकरण के निम्नलिखित नए कामों को बजट में शामिल किया गया है जिनकी कुल लंबाई 812 मार्ग कि० मी० है :—

1. दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना
2. किरिबुरु से बोकारो
3. गोमिया-पतरातु
4. साबरमती-गांधीनगर

सीतारामपुर-झाझा खंड के विद्युतीकरण का जो काम स्थगित रखा गया था, उसे शुरू किया जा रहा है।

रेलें पहली बार बीना-कटनी-अनूपपुर-विश्रामपुर/चिरमिरी खंड पर विद्युतीकरण की 2× 25 किलोवोल्ट प्रणाली शुरू करने जा रही हैं। इस प्रणाली में 50 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन-कुशलता का लाभ उपलब्ध है और साथ ही इस पर 25 किलोवोल्ट ए०सी० के मानक बिजली रेल इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है।

उत्पादन कारखानें

1990-91 के दौरान उत्पादन कारखानों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने इस वर्ष 110 बिजली रेल इंजन और 44 डीज़ल रेल इंजन तैयार किए जबकि पिछले वर्ष यहां 105 बिजली रेल इंजन और 42 डीजल रेल इंजन तैयार हुए थे। डीजल रेल इंजन कारखाने ने 1989-90 में तैयार किए गए 140 डीजल रेल इंजनों की तुलना में 147 डीजल रेल इंजनों का निर्माण किया है। सवारी डिब्बा कारखाने ने भी गत वर्ष तैयार किए गए 925 सवारी डिब्बों के बजाय 1,013 सवारी डिब्बे बनाकर बेहतर कार्य-निष्पादन का परिचय दिया है। रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला का कार्य-निष्पादन उल्लेखनीय रहा है। इस यूनिट ने 1989-90 के 175 डिब्बों के मुकाबले 1990-91 में 600 डिब्बों का निर्माण किया जबकि 1990-91 का संशोधित लक्ष्य 500 डिब्बे रखा गया था। डीजल कलपुर्जा कारखाना और पहिया एवं धुरा संयंत्र के काम में भी सुधार हुआ है।

जब भी उत्पादन कारखानों की क्षमता का विस्तार किया जाता है या किसी नए उत्पादन कारखाने की स्थापना की जाती है तो इस बात का समुचित ध्यान रखा जाता है कि उद्योग की क्षमता का रेलों के सर्वाधिक हित में इस्तेमाल हो।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

श्रीमन्, आठवीं पंचवर्षीय योजना अब हमारे सामने है। यह हम सबके लिए बड़े संतोष की बात है कि रेलों ने अपनी ठोस उपलब्धियों और प्रगति के आधार पर बड़े विश्वास के साथ इस योजना अवधि की शुरुआत की है। सातवीं योजना अवधि के दौरान 74 मिलियन टन का वर्धमान राजस्व उपार्जक माल यातायात पिछले 19 वर्षों के वर्धमान यातायात के बराबर रहा है। न्यूनतम साधन सामग्री के उपयोग और उत्पादकता में सुधार के फलस्वरूप इस अवधि में छठी योजना अवधि की तुलना में माल परिवहन की मात्रा और यात्री परिवहन में क्रमशः 30% और 22% की वृद्धि हुई है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-उन्नयन रेल योजना के महत्वपूर्ण संघटक सिद्ध हुए हैं। इस तरह भावी संवर्धन, विकास और आधुनिकीकरण की एक सुदृढ़ नींव डाल दी गई है।

आठवीं योजना में सातवीं योजना की अपेक्षा 99 मिलियन टन अधिक राजस्व उपार्जक यातायात और यात्री यातायात में कम-से-कम 3% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आठवीं योजना के दौरान रेलवे की निवेश योजना भी इसी लक्ष्य-प्राप्ति के अनुरूप रहेगी; साथ ही रेल प्रणाली की अर्थ क्षमता को भी बनाए रखा जाएगा। जोर इस बात पर दिया जाएगा कि क्षमता बढ़े, रेलवे नेटवर्क का विस्तार चुनिंदा आधार पर हो और रेल प्रणाली को इस प्रकार से समुन्नत किया जाए

कि परिचालन लागत कम हो। दुर्लभ संसाधनों का कारगर उपयोग तथा मानव संसाधनों को उन्नत करने के लिए प्रबंध-दर्शन और पद्धति, प्रौद्योगिकी-विकल्प, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की ओर भी मेरा ध्यान रहेगा।

श्रीमन्, सड़क और वायु मार्ग की तुलना में रेलें ऊर्जा के उपयोग के मामले में अधिक किफ़ायत बरतती हैं। इसलिए यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रेल अवसंरचना में अधिक निवेश करना राष्ट्रहित में होगा। विश्व के विकसित देशों में भी यही विचार रेलों की महत्वाकांक्षी निवेश-योजनाओं का प्रेरणा-स्रोत रहा है। लेकिन संसाधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए सारी आकांक्षओं और मांगों को पूरा करना संभव नहीं होगा। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेल परिवहन की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के विकास पर असर न पड़े।

नीतिगत योजना

श्रीमन्, मैंने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए जिसके ज़रिए लागत, नियंत्रण, लागत में कमी तथा बचत के उपायों के द्वारा संचालन व्यय कम किया जाए तथा राजस्व की चोरी रोकने के लिए खामियों को दूर करने के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से विपणन संबंधी नीतियां भी बनाई जाएं। मेरी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतिगत योजना का लक्ष्य होगा—सुव्यवस्थित कार्यबल, उत्साहपूर्ण विपणन, आस्तियों का बेहतर उपयोग, लागत केन्द्रित तथा लाभ केन्द्रित दृष्टिकोण जिससे कि अधिक जिम्मेदारी के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। समवेत उद्देश्य होगा—बेहतर सेवा जिसमें वाणिज्यिक उन्मुखता, विपणन उन्मुखता और ग्राहक उन्मुखता पर अधिक बल दिया जाएगा।

देश की नई आर्थिक विचारधारा के अनुरूप रेलें भी संरचनात्मक परिवर्तन लाने की कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही हैं। कुछ स्थानों पर खान-पान और सफाई व्यवस्था जैसे कतिपय कार्यों को प्राइवेट हाथों में सौंपकर मैं इस दिशा में शुरुआत करना चाहता हूं। ग्राहकों की संतुष्टि और मितव्ययिता के रूप में जो अनुभव प्राप्त होगा, उसके आधार पर उत्तरोत्तर इस योजना को अत्यधिक गतिविधि वाले महत्वपूर्ण केन्द्रों और अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।

भारतीय रेलों के पास रेल इंजनों, सवारी डिब्बों तथा कल-पुर्जों के उत्पादन के लिए अपने निजी यूनिट हैं। लेकिन एक ओर तो चल-स्टॉक के बदलाव के बकाया काम को पूरा करना है और दूसरी ओर मितव्ययिता के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के लिए उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि के महत्व को भी ध्यान में रखना है। इन यूनिटों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ईक्विटी-पूंजी में जनता की भागीदारी सहित कुछ नए उपाय ढूंढे जाएंगे।

ऊर्जा की बचत

श्रीमन्, हमारे जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहां संसाधनों की तंगी हो, ऊर्जा की बचत विशेष महत्व रखती है। भारतीय रेलें इस दिशा में सतत और संकेन्द्रित प्रयास करती आ रही हैं। जो बहुत लाभदायक रहे हैं। डीजल और बिजली रेल इंजनों का सुव्यवस्थित और बेहतर

उपयोग करके भाप रेल इंजनों का इस्तेमाल खत्म करने में तेजी लाई गई है और परिणामतः सातवीं योजना में ऊर्जा की विनिर्दिष्ट खपत में 17.7% की कमी कर पाना संभव हुआ है। ये प्रयास जारी रहेंगे।

ऊर्जा की बचत के हमारे अभियान में कर्मचारियों को शिक्षित और प्रेरित करने की हमारी विभिन्न योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमने ऊर्जा की बचत के अनेक उपाय और कार्यक्रम तय किये हैं जिनमें अनुसंधान और विकास के माध्यम से किये जाने वाले प्रौद्योगिकीय परिवर्तन भी शामिल हैं। इन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में अमल में लाने का प्रस्ताव है। मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय इनका उल्लेख किया था। विनिर्दिष्ट ईंधन की खपत में कमी करने, बिजली की बचत और ऊर्जा अंकेक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।

रेल दर जांच समिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद माल यातायात के संबंध में भारतीय रेलों की मूल्य निर्धारण नीति की पहली बार समीक्षा श्री ए० रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माल-भाड़ा संरचना जांच समिति (1955--57) द्वारा की गई थी। तत्पश्चात् दो दशक से अधिक समय बाद 1977--80 में डा० एच० के० परांजपे की अध्यक्षता में रेल दर जांच समिति द्वारा पुनः समीक्षा की गई। नई परिचालनिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए, सेवाओं की लागत और मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने तथा किराये-भाड़े के समूचे ढांचे की समीक्षा करने के लिये, रेल दर जांच समिति का गठन बहुत पहले हो जाना अपेक्षित था। मैं कोशिश करूंगा कि इस दिशा में मेरे पूर्ववर्तियों ने जो कारंवाई शुरू की थी, उसे जल्दी अंतिम रूप दिया जाए। प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि सवारी-पार्सल आदि सेवाओं और कम दर वाली वस्तुओं के यातायात से होने वाली हानि, जो 1980-81 में 332 करोड़ रुपये के आस-पास थी, 1990-91 में बढ़कर 2,222 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

श्रीमन्, मैं कुछ ऐसे अन्य मुद्दों का यहां उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिनकी कि बजट भाषण में समीक्षा करने की परम्परा रही है क्योंकि अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय मेरे पूर्व-वर्ती द्वारा उन सबका समावेश कर लिया गया था।

अब मैं 1991-92 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। 1991-92 के अन्तरिम बजट में दिये गये प्राप्तियों और खर्च के अनुमानों की बारीकी से समीक्षा की गयी है। ऐसा करते समय देश के समक्ष अब पेश आ रही अति कठिन वित्तीय स्थिति तथा विकास, पुनः स्थापन और आधुनिकीकरण के लिये योजना परिव्यय के वित्त-पोषण हेतु संसाधन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

किराये और माल-भाड़े की वर्तमान दरों के हिसाब से, वर्ष भर में सकल प्राप्तियां अब 12,735 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 1991-92 के अन्तरिम बजट से 70 करोड़ रुपये अधिक है। ये 1990-91 के संशोधित अनुमानों में प्रक्षेपित यातायात की तुलना में, 19 मिलियन टन

अतिरिक्त राजस्व उपार्जक माल यातायात तथा यात्री यातायात के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि पर आधारित हैं।

साधारण संचालन व्यय का अनुमान अब 9,180 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो 1990–91 के संशोधित अनुमान से 939 करोड़ रुपये अधिक है। लेकिन, 1991–92 के अन्तरिम बजट से यह 90 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमानों की तुलना में यह वृद्धि मुख्यतः वर्धमान यातायात के लिये ईंधन और अन्य साधन-सामग्री की लागत, सामान की बढ़ती हुई कीमतों, जिनमें खाड़ी अधिप्रभार का पूरे वर्ष का प्रभाव शामिल है, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन–वृद्धियों, मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त भुगतान, भारतीय रेल वित्त निगम को देय अधिक लीज़ प्रभारों, आदि के कारण है।

पेंशन निधि में अंशदान 900 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर चालू वर्ष में 1,050 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। अन्तरिम बजट स्तर की तुलना में यह 50 करोड़ रुपये अधिक रखा गया है, क्योंकि इस निधि को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

बहरहाल, मूल्ह्रास आरक्षित निधि में अंशदान की राशि में अन्तरिम बजट स्तर की तुलना में 50 करोड़ रुपये की मामूली कमी करने का प्रस्ताव है। अब 1990-91 के 1,950 करोड़ रुपये की तुलना में इसे 2,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

इस प्रकार कुल संचालन व्यय, जिसमें साधारण संचालन व्यय तथा पेंशन निधि और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग शामिल है, 12,230 करोड़ रुपये हो जाएगा और यातायात से शुद्ध प्राप्तियां 505 करोड़ रुपये रह जाएंगी। शुद्ध राजस्व प्राप्तियों के रूप में अब 183 करोड़ रुपये की राशि होने का अनुमान है जबकि अंतरिम बजट में 180 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार शुद्ध राजस्व 688 करोड़ रुपये हो जाएगा। सामान्य राजस्व को देय लाभांश का अनुमान अन्तरिम बजट के अनुसार ही, 1,037 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस प्रकार, किराया और माल भाड़ा दरों के वर्तमान स्तर पर 349 करोड़ रुपये की कमी रह जाएगी। इसके अलावा विकास निधि को प्रभार्य निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए सामान्य राजस्व से 125 करोड़ रुपये का ऋण लेने की आवश्यकता होगी।

ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर के बारे में एक ज्ञापन रेल अभिसमय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच, 1991-92 के लिए लाभांश की व्यवस्था उन्हीं दरों पर करने का प्रस्ताव है, जिन दरों पर 1990-91 में की गयी थी। समिति के गठन से संबंधित संकल्प यथा-समय लाया जाएगा।

टैरिफ सम्बन्धी प्रस्ताव

श्रीमन्, अब मैं यह महसूस कर रहा हूं कि माननीय सदस्य मुझसे कुछ और प्रत्याशा रखते हैं और मेरे भाषण के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह सम्मान्य सदन देश के सामने उपस्थित आर्थिक चुनौतियों से पूरी तरह अवगत हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति में भारतीय रेलों के लिए यह लाज़िम हो जाता है कि वे अर्थक्षमता बनाये रखें और पहले की तरह सामान्य राजस्व के प्रति अपनी दायिता का निर्वाह करती रहें। माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि रेलों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्र के रूप में आर्थिक प्रगति के मोर्चे पर पथ-प्रदर्शक की

तरह अग्रणी रहना होगा जिससे कि वे अर्थ व्यवस्था के व्यापक हित में सहायक बनी रहें। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि रेल-अवसंरचना को अपनी जरूरतों से अधिक के लिए व्यवस्था रखनी होगी। इस समय मांग सप्लाई से अधिक है और कुछ मार्ग संतृप्त हो चुके हैं और उन पर रेल परिचालन में अत्यधिक रुकावटें आ रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परिवहन क्षमता में वृद्धि के लिए रेल प्रणाली के पुनःस्थापन, आधुनिकीकरण और विकास के संसाधन जुटाने की गति में ढील नहीं आने देनी चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों को मद्देनजर रखन हुए आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिए मैं किराये-भाड़े की दरों में थोड़ी वृद्धि करना चाहता हूं।

माल-भाड़े की दरों में 10% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। लेकिन, समाज के कमजोर वर्गों पर, अधिक बोझ न पड़े, इस उद्देश्य से मैं दिन-प्रति-दिन इस्तेमाल होने वाली कुछ अनिवार्य वस्तुओं को प्रस्तावित वृद्धि के दायरे से बाहर रखना चाहूंगा। ये वस्तुएं हैं—खाने का नमक, खाद्य तेल, खाद्यान्न, दालें चीनी, गुड़ तथा जागरी और फल तथा सब्जियां। मैं मिट्टी के तेल और डीजल तेल को भी पूरी तरह इस वृद्धि से मुक्त रख रहा हूं। इससे परिवहन लागत स्थिर बनी रहेगी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और किसानों को राहत मिलेगी।

पार्सल और सामान की दरों में भी 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

यात्री किरायों के संबंध में मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) ऊंचे दर्जे अर्थात् वातानुकूल पहले दर्जे, वातानुकूल शयन-यान, पहला दर्जा तथा वातानुकूल कुर्सी यान के वर्तमान किरायों में 800 कि०मी० की दूरी तक 20 प्रतिशत और 800 कि०मी० से आगे के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। राजधानी एक्सप्रैस, नयी दिल्ली-बम्बई ए०सी० एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के विशेष किरायों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ii) साधारण दूसरे दर्जे के किरायों में न्यूनतम स्लैब पर 1.00 रुपये की तथा 11 कि०मी० से 60 कि०मी० तक के दूरी-क्षेत्र में मामूली समायोजन करते हुए 400 कि०मी० से अधिक दूरियों के लिए उत्तरोत्तर बढ़ाकर 5.00 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। दिल्ली से पानीपत तक साधारण सवारी गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्री को 1.00 रुपया अतिरिक्त देना होगा और मद्रास से रामेश्वरम तक के यात्री को 5.00 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। बहरहाल, 10 कि०मी० तक के साधारण दूसरे दर्जे के किराये में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है।

(iii) दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस के किरायों में न्यूनतम स्लैब पर 1.00 रुपया प्रति टिकट और 1300 कि०मी० से अधिक की दूरियों के लिए उत्तरोत्तर बढ़ा कर अधिकतम 20.00 रुपये प्रति टिकट की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस तरह दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम तक 3,054 कि०मी० दूरी का किराया केवल 20.00 रुपये बढ़ेगा।

(iv) दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के किराये में यात्रा की दूरी के अनुसार प्रति टिकट 4.00 रुपये से 16.00 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बम्बई वी०टी० से भायखला तक यात्रा करने वाले दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट-धारी को हर महीने केवल 4.00 रुपये अधिक देने होंगे और बम्बई वी०टी० से लोनावाला तक के लिए हर महीने 16.00 रुपये अधिक देने होंगे। पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के किराये में यह वृद्धि यात्रा-दूरी के आधार पर प्रति टिकट 16.00 रुपये से 64.00 रुपये के बीच होगी।

विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने समय-समय पर सिफारिश की है कि दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के किराये को क्रमिक रूप में बढ़ाकर इकहरी यात्रा के किराये के 24 गुने के बराबर कर दिया जाये। इसके अलावा यह सिफारिश भी की गयी है कि पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकटों की कीमत दूसरे दर्जे के सीजन टिकट के चार से छ: गुने के स्तर पर रखी जाये।

मासिक सीजन टिकटों के वर्तमान किराये इन स्तरों के कहीं आसपास भी नहीं हैं। इसलिए इस वर्ष मासिक सीजन टिकट के किरायों में परिवर्तन करके उन्हें इकहरी यात्रा के किराये की तुलना में समुचित स्तर पर लाना होगा।

मैं दूसरे दर्जे के शायिका अधिप्रभार, सुपरफास्ट प्रभार और आरक्षण शुल्क की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। प्लेटफार्म टिकट की कीमत भी पहले की तरह 1.50 रुपये बनी रहेगी।

किराये और माल भाड़े और पार्सल तथा सामान की दरों में ये परिवर्तन 16-8-1991 से लागू होंगे।

उपर्युक्त प्रस्तावों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 584 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्रीमन् मैंने जनवरी, 1980 और अक्तूबर, 1984 के बीच रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। अब मुझे इस रेल-परिवार का प्रमुख होने का गौरव मिला है। रेल कर्मचारियों ने हमेशा देश की पूरे उत्साह और तन-मन से सेवा की है। मुझे विश्वास है कि कठिनाई के इन दिनों में, रेल कर्मचारी जन-साधारण की परेशानियों को समझेंगे और देश के सामने आयी चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आयेंगे। ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को जीवन्त बनाये रखने की दिशा में किया गया कोई बलिदान इतना छोटा नहीं है, कोई प्रयास इतना बड़ा नहीं है तथा कोई लक्ष्य पहुंच से बाहर नहीं है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने संविधान में अन्तर्विष्ट लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर अपने देश के भविष्य की ओर हम पूरे निश्चय और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।

श्रीमन्, अब मैं इन शब्दों के साथ 1991-92 का रेल बजट सदन को संस्तुत करता हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जहां तक विशेषाधिकार के प्रस्ताव का प्रश्न है मेरी बात पूर्णतया न्यायसंगत है। .... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने का कोई जिक्र नहीं है। .... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई थी उनकी बहाली के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या हमें आश्वासन के मिलने तक बैठे रहना चाहिए। .... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह आश्वासन इसी सदन में उनके पूर्व मंत्री महोदय द्वारा दिया गया था। .... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वह आश्वासन को पूरा कर रहे हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि रेल मंत्री उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो प्रधान मंत्री जी यहीं उपस्थित हैं। वे उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक मध्याह्न भोजन हेतु 2.10 मध्याह्न पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.08 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म०प०तक के लिए स्थगित हुई।

14.15 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.15 म०प०पर पुनः समवेत हुई।

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : अब सदन में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी श्री एम० बागारेड्डी ।

(एक) चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण विस्तार और पुनर्वास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता

श्री एम० बागारेड्डी (मेडक) : भारत सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी पर प्रति क्विटल 14 रुपये उपकर लेवी लगाकर चीनी विकास निधि की स्थापना की ।

चीनी विकास निधि का सृजन उद्योग से संग्रहित उपकर से किया जाता है जिससे चीनी के मूल्य में वद्धि हुई है जिससे चीनी मिलों के मुक्त बिक्री हेतु चीनी की वसूली प्रभावित हुई है । तथापि, भारत सरकार चीनी मिलों को दिये गये ऋणों पर 6 प्रतिशत रियायती ब्याज दर वसूल करती है । यद्यपि 24-4-1991 से ब्याज दर में वृद्धि करके इसे 9 प्रतिशत कर दिया गया है ।

चूंकि चीनी विकास निधि का सृजन उद्योग से उपकर के रूप में संग्रहीत राशि से किया जाता है । अतः इस स्थिति में उन शर्तों को लागू करना, जो उद्योग के लिए अनुकूल नहीं हैं और जो वर्तमान योजनाओं को लागू करने में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, औचित्यपूर्ण नहीं है । लगभग 600 करोड़ रुपये के भारी संचयन और प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की वास्तविक अभिवृद्धि से भारत सरकार को चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण विस्तार और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वियन में निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करनी चाहिए । जिसके लिए वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से कम राशि का वितरण किया जाता है ।

(दो) विशाखापत्तनम स्थित नाप्था क्रेकर यूनिट के लिए डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामकृष्ण कोनाथाला (अनकापल्ली) : मैं भारत सरकार का ध्यान नाप्था क्रेकर यूनिट जिसे विशाखापत्तनम में स्थापित किया जा रहा है के लिए डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की ओर दिलाना चाहता हूं । यह समझा जाता है कि डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं की स्वीकृति के बिना केवल नाप्था क्रेकर यूनिट ही वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं है, क्योंकि नाप्था क्रेकर यूनिट द्वारा डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है । अन्य सभी मामलों में जैसे रिलाएन्स पेट्रो-कैमिकल, एन०ओ०सी०आई०एल०, इंडियन पेट्रो, के सम्बन्ध में भारत सरकार ने नाप्था क्रेकर के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं को भी अनुमति प्रदान की है । दूसरे, अन्य मामलों में नेप्था का आयात किया जाता है जबकि इस मामले में नाप्था

विशाखापत्तनम शोधनशाला में उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होती है। आन्ध्र प्रदेश राज्य में यह इस्पात क्षेत्र के अलावा अकेला सबसे बड़ा पूंजी निवेश क्षेत्र होगा तथा इससे राज्य की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा की जाती है।

इसलिए मैं सरकार से नाफ्था क्रेकर के लिए डाउनस्ट्रीम परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) विदर्भ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित् करने के लिए विशेष प्रावधान सुझाने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : विदर्भ के लोगों ने देश में सदैव राजनैतिक स्थिरता का समर्थन किया है तथा फज़लाली आयोग द्वारा विदर्भ के लिए अलग पूर्ण राज्य की सिफारिश के बाद भी उन्होंने अपने भौतिक हितों का त्याग किया है।

तथापि, हमें केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा बार-बार दिये गये आश्वासनों को भुला दिया जाता है तथा इस क्षेत्र की सभी मामलों में यथा कृषि, उद्योग, संचार तथा अन्य मामलों सहित आर्थिक विकास की उपेक्षा की जाती है।

प्रत्येक दूसरे वर्ष हमारा क्षेत्र भयंकर सूखे से प्रभावित होता है जबकि हमारी नदियों के जल का उपयोग नहीं हो पाता है। वेनगंगा नदी पर महत्वपूर्ण इंदिरा सागर परियोजना को लागू करने के लिए धनराशि आबंटित नहीं की गई है, जिसके द्वारा खुशहाली के नये रास्ते खुलेंगे।

हमने वर्धा में स्थापित होने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी खो दी है। मुम्बई हाई से गैस पाइप लाइन उत्तर की ओर जाते हुए विदर्भ को छोड़ते हुए जाती है। नागपुर से नई दिल्ली तथा मुम्बई के लिए कोई भी सीधी अतिरिक्त रेलगाड़ी नहीं है जबकि इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष पूर्व आश्वासन दिया गया था और न ही चन्द्रपुर गोंदिया—जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किया गया है।

नागपुर शहर अपने सोनगांव हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। गढ़चिरोली जो कि देश के सभी जिलों में सर्वाधिक पिछड़ा जिला है और जो कि महाराष्ट्र में उद्योग विहीन जिला है, अभी भी वहां पर कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

मनास गावरी हलबस उन आदिवासियों में से है जिनको उनके आदिवासी होने से वंचित किया गया है तथा उन सुविधाओं से भी, जो उनको पहले प्राप्त थीं, वंचित किया गया है।

इसलिए, मैं विदर्भ के लोगों की ओर से प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विदर्भ का बिना और विलंब किये बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाये।

(चार) चालू वर्ष के दौरान बरेली में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन लगाए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, बरेली उ० प्र० का प्रमुख महानगर है। केन्द्र सरकार ने इसको नेशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत काउन्टर मेगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बरेली एक प्रमुख औद्योगिक नगर है तथा इसका तीव्र गति से विकास हो रहा है परन्तु यहां की टेलीफोन व्यवस्था अत्यन्त दयनीय है। यहां पर दस हजार से अधिक टेलीफोन उपभोक्ता हैं तथा यहां पर काफी पुराना और कम लाइनों का एक्सचेंज है। पिछले कई वर्षों से बरेली में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की मांग की जा रही है तथा समय समय पर विभाग व सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है तथा बताया गया है कि शीघ्र ही इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जायेगा। बरेली की आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय संचार मंत्री से आग्रह है कि अति शीघ्र इसी वर्ष में बरेली इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की घोषणा करें तथा आवश्यक निर्देश सम्बन्धित विभाग को दें।

(पांच) हाथरस रेलवे जंक्शन पर ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डॉ० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : महोदय, हाथरस (उ० प्र०) का एक व्यवसायिक एवं औद्योगिक केन्द्र है। यहां का मुख्य मार्ग जो आगरा से दिल्ली व दिल्ली से आगरा के लिए जाता है उसमें हाथरस के अन्तगत रेलवे छोटी लाईन जो कि लखनऊ–बरेली–जयपुर के लिए जाती है, उक्त मार्ग के बीच से निकलती है जिसके कारण सड़क मार्ग काफी देर तक रुका रहता है। इसके साथ ही हाथरस जंक्शन में चलने वाली बड़ी लाईन जो कि मथुरा–बरली मुख्य मार्ग सड़क से होकर निकलती है उसमें रास्ता काफी अवरुद्ध हो जाता है। फाटक पर काफी देर तक वाहनों और जनता को इन्तजार करना पड़ता है। चूंकि यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय राज मार्ग है इसके कारण यातायात हमेशा चलता रहा है। उक्त मुख्य मार्ग पर क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से छोटी लाइन रेलव पर ओवर ब्रिज तथा बड़ी लाइन हाथरस जंक्शन मार्ग पर भी ओवर ब्रिज बनाये जाने की मांग की जाती रही है। लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त राष्ट्रीय मार्ग पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए।

(छः) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सोन नदी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में कदवन में प्रस्तावित जलाशय का निर्माण सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदय, शताब्दी पुरानी सोन नहर प्रणाली मध्य बिहार के 6 जिलों में करीब 23 लाख एकड़ उपजाऊ भूमि सिंचित करती है और एक करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है पर यह सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रही है। सोन नहरों के लिए पर्याप्त जल की नियन्त्रित व्यवस्था हेतु सोन नदी की मुख्य धारा पर बिहार के पलामू जिला के कदवन नामक स्थान पर एक जलाशय योजना प्रस्तावित है। इससे 450 मेगावाट जल विद्युत भी पिकिन्ज इकाई के रूप में पैदा होगा। अतः सरकार से अनुरोध

है कि इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाए और सोन नहर आधुनिकीकरण योजना के अंग के रूप में इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ।

(सात) केरल में अल्पुझा पत्तन से कार्गो आपरेशन बहाल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी०जे०अंजलोज (अलप्पी) : अल्पूझा पत्तन पश्चिमी तट पर एक प्राचीन तथा महत्व-पूर्ण पत्तन है जिसके द्वारा कोचीन पत्तन के प्रारम्भ होने तक केरल राज्य का अधिकांश आयात और निर्यात किया जाता था । लम्बे समय तक बन्द रहने के पश्चात् पत्तन से 18-11-1988 से पुनः कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु इसे जनवरी, 1989 से पुनः बन्द कर दिया गया था ।

पोत पर कार्गो आप्रेशन के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं हैं तथा अनाज, उर्वरक आदि के आयात तथा निर्यात के लिए इसे एक बड़े अथवा माध्यमिक स्तर के पत्तन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ।

यदि कयाम कुलम थर्मल संयंत्र के लिए कोयले की इस पत्तन से ढुलाई की जाए तो वह अधिक मितव्ययी होगा । पत्तन के पुनः प्रारम्भ होने से 2000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा ।

इसलिए मैं सरकार से अलपूझा पत्तन कार्गो आप्रेशन बहाल करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की मांग करता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सरकार नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों का उत्तर देगी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे ऐसा कभी नहीं करते।.... (**व्यवधान**) ...

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि क्या नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों को सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जायेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, नियम 377 के अधीन उठाए गये मामलों को सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जायेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें नियम 377 के अधीन उठाये गये मामलों का उत्तर देने की अच्छी परम्परा शुरू करनी चाहिए । शायद, उत्तर देने की ऐसी परम्परा हरियाणा में है ।

2.55 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी मद संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। श्री बूटा सिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने पेश करना चाहता हूं :—

"राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 11 जुलाई, 1991 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

सभापति जी, वर्तमान लोक सभा जिस वातावरण में गठित हुई है, जिस वातावरण में इसका चयन हुआ है, वह बहुत ही शोकमय है। टूटे हुए दिल से, बुझे हुए मन से मैं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं क्योंकि वर्तमान लोक सभा का चुनाव हमारे लोक सभा के इतिहास में अभूतपूर्व चुनाव हुआ है। हम समझते थे कि नौवीं लोक सभा के बाद जब हम अपने देशवासियों के सामने जायेंगे तो एक नया उत्साह, एक नया मार्ग निर्देश लेकर वापिस लौटेंगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। नौवीं लोक सभा के बाद देशवासियों के मस्तिष्क में, उनके मनों में जो भावना रही और जिस के अन्तर्गत चुनाव प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई और जो उसका परिणाम सामने आया है वह वर्तमान सदन है जिसके बारे में कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और दूसरे यहां के सीनियर मैम्बर साहिबान ने अपने-अपने भाषणों में उल्लेख किया है। यह एक नया अनुभव हुआ है। इस अनुभव के अन्तर्गत इस वर्तमान लोक सभा को अपना कामकाज करना होगा। सर्वश्रेष्ठ हम सबके सामने राष्ट्र की सेवा है और राष्ट्र की सेवा में आज के सन्दर्भ में सबसे पहले राष्ट्र का अस्तित्व है, जो कि दांव पर है जिसका बहुत सा हिस्सा हमने खुल कर चुनावों में देखा है। जो भयंकर चुनौती राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता और प्रभुसत्ता को है वह चुनाव में देखने को आई है। ऐसा पहली बार लोक सभा के चुनावों में देखने को हमें आया है। इसलिये मैं कहता हूं कि वर्तमान लोक सभा के चुनाव अभूतपूर्व हैं, बेजोड़ हैं। इतिहास में इसका साक्षी नहीं मिलता है। इन चुनौतियों को लेकर, इनके साथ जूझते हुए, लोगों के विचार मंथन से गुजर कर हम यहां पहुंचे हैं। हम अपने दलों को कितना भी ऊंचा क्यों न मानें मगर सर्वोच्च हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता है, सर्वोच्च हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता है, सर्वोच्च हमारे राष्ट्र का अस्तित्व है और भविष्य है। यदि वह कायम रहा तो हमारे दलों की नीतियां, हमारे दलों के दृष्टिकोण सब अपनी-अपनी जगह फिर सही हो सकते हैं, यदि वह कायम नहीं रह पाया और अपनी दलगत नीतियों से उन्हें ठेस पहुंचाई गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य को सामने रखते हुए मैं अपने विचार इस सदन में

आपके सामने, जिनका उल्लेख हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सबसे पहले वाक्य में किया है, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक भयंकर दुःखपूर्ण अथवा एक भयंकर समय के सामने यहां पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे राष्ट्र के महान नायक, हमारे परम पूज्य नेता, देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा और देश के भविष्य के वह साक्षी, वह महान अग्रदूत, विश्व शान्ति के महान नायक श्री राजीव गांधी जी की निर्मम हत्या से उनका समापन हुआ और उनकी निर्मम हत्या हुई। इन हालात में राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र करते हुए कहा है कि हम लोग जो इस सदन के सदस्य चुन कर आए हैं, हमें अपने काम-काज में, सभा के संचालन में इस बात को सही सिद्ध करना होगा कि ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल हमारे देश में न बन पाए जिसमें हम अपने देश के इतने बड़े महान रत्न को खो पाए हैं, एक बहुत बड़े वीर को खो पाए हैं, उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार अपना कर्तव्य निभायेगी, जैसा उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। इस में केवल सत्तारूढ़ दल का ही कर्तव्य नहीं है, इसमें तमाम दलों का कर्तव्य बनता है। आज हमारे विपक्षी दल के जितने भी महान नेता यहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए जो विचार व्यक्त किए हैं उससे ऐसा आभास होता है कि हमारे देश में हिंसा खत्म हो, हमारे देश में जो आपस में भिड़त का एक वातावरण बना हुआ है, वह खत्म हो, उसके लिए सारे वचनबद्ध हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वर्तमान लोक सभा इस ओर बड़ा ठोस काम करेगी जिससे कि हमारे देश में शान्ति का माहौल बने।

मुझे याद है, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर की वह पहली तकरीर, जो उन्होंने मेडन स्पीच कान्स्टीटूवेंट असेम्बली में दी थी। उस वक्त भी कुछ इसी तरह का वातावरण था जिसमें हमारे देश की कान्स्टीटूवेंट असेम्बली बैठी थी, देश का विभाजन हुआ था, खून की नदियां बही थीं तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ऐसा लगता है कि यह सभा ऐसे लोगों की सभा है ।

[हिन्दी]

"परस्पर विरोधी लोग यहां एकजुट होकर बैठे हैं।"

आज भी देश में साम्प्रदायिकता के नाम से, जातिवाद के नाम से, कट्टरवाद के नाम से, अलगाववाद के नाम से ऐसा एक भयंकर वातावरण पैदा हुआ है, जम्मू-कश्मीर से असम तक ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश के अन्दर एक बड़े भयंकर किस्म का वातावरण पैदा हुआ है जिसमें लोग जाति के नाम से, सम्प्रदाय के नाम से, धर्म के नाम से देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए लोग अग्रसर हैं। ऐसे वातावरण में इस लोक सभा का चयन हुआ है और इस लोक सभा को जो लोगों ने एक मौका दिया है, जो सत्ता पक्ष को मौका मिला है, कल हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख किया कि वह इस सदन से क्या उम्मीद करते हैं, कैसे इस सदन में वह अपने पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से एक कार्यक्रम लेकर चलेंगे जिसमें वह इस बात को निश्चित करेंगे कि देश की जो धरोहर है, देश की जो बुनियाद है, उसकी सभी दल मिलकर विषय के आधार पर, घटना के आधार पर किस तरह से हम आगे बढ़ कर अपने देश की सेवा कर पाएं, ऐसा उनका एक ठोस कार्यक्रम उन्होंने कल दिया है। उसी का उल्लेख हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने इस अभिभाषण में किया है।

इससे पहले कि मैं अभिभाषण के अन्दर पेश किये गए सरकार के वैकल्पिक कार्यक्रमों के ऊपर और सरकार की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से देश के सामने और सदन के सामने

जो कार्यक्रम दिये गए हैं, उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करूं, मुझे एक शब्द और भी कहना है। मैं यह मानता हूं कि यह माननीय सदन इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करेगा। हमारी खुश किस्मती है कि इस राष्ट्रीय त्रासदी के समय में हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसी महान आत्मा हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में आज बैठी हुई है, जिसकी कृपा से हमारा राष्ट्र एक बहुत बड़ी भयंकर त्रासदी से भी बचा है। मेरी जानकारी है कि आदरणीय स्व० श्री राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद जो तीन-चार घण्टे हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री दिल्ली में नहीं थे और उन चार घण्टे की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति जी ने एक औपचारिक राष्ट्रपति न होते हुए, एक पूरा प्रशासनिक राष्ट्रपति होने के नाते जो भूमिका निभाई है, हम उसी की वजह से अपने देश में इतनी बड़ी ट्रैजेडी के बावजूद, इतने बड़े सदमे के बावजूद भी शान्ति-व्यवस्था को बनाए रख पाए। इसका सारे-का-सारा श्रेय आदरणीय श्री वेंकटरमण, हमारे परमपूज्य राष्ट्रपति जी को जाता है। जिनका अनुभव न केवल एक नीति-वेत्ता के रूप में, न केवल एक धर्मात्मा के रूप में, बल्कि शायद विश्व-ख्याति के इतने बड़े प्रशासक, इतने बड़े शासक हमारे सौभाग्य में हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में 24 वर्षों तक यूनाइटेड नेशन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता और सदस्यता की है। उन्होंने अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, देश को बचाया। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम 1984 का वह वातावरण सामने लाएं, तो इस देश में क्या नहीं हो सकता था। इतने बड़े महान नेता के निधन के बाद, उनकी निर्मम हत्या के बाद, देश में क्या खून की नदियां नहीं बह सकती थीं। यदि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने हाथ में पूरी स्थिति को लेकर वह चार घण्टे अपने देश की बागडोर नहीं सम्भालते और चार घण्टे में शासकों को पूरी तरह से चौकन्ना करके और उन्होंने पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा कर, इस देश को एक भयंकर आग से बचाया है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि यह सदन उनके प्रति आभार व्यक्त करे, ताकि हम यह कह सकें कि राष्ट्र के अध्यक्ष ने इस देश को गले से लगा कर बचाया है।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हमारे सामने हैं, उसमें उन्होंने जहां संकट का सामना करने के लिए पूरे राष्ट्र को तैयार रहने का आह्वान किया है, वहीं साथ ही साथ उन्होंने देश के सामने जो ज्वलन्त समस्याएं हैं, उनकी ओर भी सरकार का कैसा व्यवहार रहेगा, उसके बारे में उन्होंने संकेत दिया है। उन्होंने अपने अभिभाषण में हमारे राष्ट्र का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है, जिसके बारे में उन्होंने संकेत न किया हो, मार्गदर्शन न किया हो। उन्होंने स्पष्ट रूप में वर्तमान सरकार की नीतियों और वर्तमान सरकार के आदेशों का संकेत किया है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, श्री राजीव गांधी जी की हत्या से देश में एक बहुत बड़ी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे देशवासियों को बहुत ज्यादा क्षति हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने संकेत किया है। साथ-ही-साथ इस हिंसा का प्रत्यक्ष रूप पंजाब में, जम्मू-काश्मीर में और असम में है, हिंसा की गतिविधियां जारी हैं, उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। महोदय, इस सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि पंजाब में पिछले सात सालों से निरन्तर किस प्रकार मासूम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज भी पंजाब में बारूद की होली खेली जा रही है। आज भी हत्याओं का सिलसिला उसी तरह से जारी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समय-समय पर जैसी-जैसी राजनीतिक स्थिति करवट लेती रही है, बावजूद इस बात के कि पूरा राष्ट्र, यह सदन भारत सरकार के साथ मिल कर उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहे, अभी तक हम उस

समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर पाए हैं। आज यह दावा करना कि यह समस्या इतनी जल्दी हल हो सकेगी, सम्भव नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ किसी भी देश में चाहे एडवांस कन्ट्री हो, चाहे डवेल्पिंग कन्ट्री हो, जिस देश में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति आई है, वह हमेशा के लिए एक नासूर बन कर रह गई है। मैं उदाहरण दे सकता हूं दुनिया के बहुत एडवांस कंट्रीज का, जहां पर आज भी ये समस्याएं नासूर की तरह चल रही हैं और हम पिछले दो दशकों से देखते आ रहे हैं। ये समस्याएं पिछले 20–25 सालों से चलती आ रही हैं, मगर हमें इससे ज्यादा असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये समस्या एक सीमांत प्रांत की ही नहीं है हमारी इस समस्या के साथ उन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो लोग हमारे देश के अपने आपको हमेशा रक्षक मानते आए हैं और जो इस देश के रक्षक हो सकते हैं। इस देश के सबसे बड़े महान देशभक्तों में जिनका स्मरण होता आया है, वे लोग इसमें रचे हुए हैं। पूरे राष्ट्र का अस्तित्व, पूरे राष्ट्र का भविष्य इ स में दांव पर लगा हुआ है। इस लिए पंजाब की समस्या के बारे में कोई राजनीतिक मतभेद हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पंजाब की समस्या के बारे में कोई किसी से राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ कर कोई प्वाइंट जीतना चाहे मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं।

पंजाब की समस्या का सबसे बड़ा दुःख यह है कि पंजाब में आज जिस प्रकार की परिस्थिति है वैसी आज से दो साल पहले नहीं थी। सन् 1989 में पंजाब का मसला हम जूझ रहे थे, पंजाब के मसले के साथ और ये मसला केवल सीमा के साथ लगे हुए दो जिलों में ही सीमित था। 1989 में मुझे याद है केवल तीन तहसीलें थीं—एक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की और दूसरी जिला अमृतसर की। उसी के कारण बाकी के सारे 12 के 12 जिले पूरे शांतिपूर्वक ढंग से चल रहे थे और उसी के कारण हम लोक सभा का चुनाव करवा पाए। दुर्भाग्यवश लोक सभा के चुनाव के बाद एकाएक सन् 1990 में वह सारी परिस्थिति वापस चली गई और फिर पूरे पंजाब में उसी प्रकार, बल्कि आधे से भी कहीं ज्यादा भयंकर की संख्या वायलेंस बढ़ी, आतंकवाद बढ़ा। मैं ज्यादा आंकड़े भी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि सन् 1989 में पूरे साल में एक हजार एक सौ अरसठ (1168) लोग मारे गए थे जब कि 1990 में दो हजार दो सौ तेहत्तर (2273) लोग मारे गए। तो ऐसा मालूम होता है कि ये भयंकर परिस्थिति दुगुनी हो गई। सन् 1979 में दो हजार चार सौ छ्यासठ (2466) आतंकवादियों को पकड़ा गया था जब कि 1990 में एक हजार पांच सौ इकसठ (1561) आतंकवादी पकड़े गए। इससे साबित होता है कि 90 में जो आतंकवादियों के ऊपर, राष्ट्रविरोधी तत्वों के ऊपर एक बड़ा अंकुश था वह अंकुश उठ गया और फलस्वरूप उन्होंने हत्याएं बढ़ा दीं, जो दुगुनी हो गई। सरकार की ओर से जो पकड़ थी वह इतनी ढीली पड़ गई कि वह आधी रह गई। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप किसी प्रदेश की या देश के किसी हिस्से की रक्षा करते हैं तो आपको हमेशा एक बात सामने रखनी चाहिए कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं उनके साथ ढील, इस हालत में बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी सिद्धान्त के, सुना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और उनके बाद प्रधानमंत्री जी इस बात का दावा करते गए कि जो 40 साल में नहीं हुआ उसे मैंने चार महीने में कर दिया।

सुना जाता है कि उन्होंने न किसी से कोई बात की और इस सदन को पूछा तक नहीं गया। इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने इस बात को यहां पर उठाया और इस सदन ने मांग की कि बातचीत यदि हुई है तो उसका विवरण दिया जाए। किन सिद्धान्तों पर हुई है, उसके बारे में पूरे

देश को कान्फिडेंस में लिया जाए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फौरन उसके बाद पंजाब में चुनाव की घोषणा कर दी गई। हमने उस वक्त भी, घोषणा करते वक्त भी दूसरे दलों के साथ मिल कर, बातचीत करके इस बात का प्रयास किया कि पंजाब के चुनाव में दो मुद्दे बुनियादी मुद्दे हैं, जब तक उनके ऊपर सरकार की तरफ से स्पष्ट नीति इस सदन में नहीं बताई जाती तब तक चुनाव का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहला मुद्दा यह था कि चुनाव के अन्दर जो तत्व पंजाब में शामिल हो रहे हैं और जो अपने आपको सिक्खों का प्रतिनिधि मानते हैं, चाहे वे किसी भी ब्रांड के दल क्यों न हों, उन्होंने मुद्दे को सामने उभारा था और उन्होंने कहा था कि हम तो पंजाब में इसके ऊपर एक मतदान कराने जा रहे हैं कि पंजाब भारत का हिस्सा है या नहीं, प्लेबिसाइट करने जा रहे हैं। पहले हमारे दल की ओर से, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, राष्ट्रपति महोदय को, सबको हमने आगाह किया कि सबसे ज्यादा खतरनाक यह चीज है। जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता, जब तक सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करती, तब तक हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की प्रभुसत्ता पर कोई प्रश्न-चिह्न लगे। यदि हम पंजाब में इस बात की इजाज़त देते हैं तो भारत के किसी कोने से इस बात को उठाया जा सकता है। इसलिए हमने इस बात की मांग की कि सबसे पहले देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखा जाए, प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण रखा जाए, फिर जाकर हम चुनाव करें। मगर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, उल्टा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात को ध्यान में न रखते हुए चुनाव की घोषणा कर दी।

दूसरा मुद्दा था कि पंजाब के राज्यपाल महोदय ने भारत सरकार को इस बात की लिखित रिपोर्ट की थी कि पंजाब के अन्दर यदि चुनाव होने हैं तो हमारे पास सुरक्षा बल इतना नहीं है कि हम इसका बन्दोबस्त कर पाएं, यह उनकी पहली रिपोर्ट थी। बाद की रिपोर्टें कैसी-कैसी आती रहीं, 3-4 रिपोर्टें बाद में उनसे मंगाई गई और आखिर में राज्यपाल महोदय इतनी जिद पर बैठ गए कि इलेक्शन तो होगा ही।

सभापति जी, विपक्ष के दल हमारे साथ चले, काफी हद तक चले, बड़ी लम्बी-चौड़ी बातचीत हुई और ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे राष्ट्र की ओर से जितने राजनीतिक दल देश की एकता और अखण्डता में विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, सेकुलरिजम में विश्वास रखते हैं, वे एक ही प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बातचीत हुई और काफी आशाजनक बातचीत हुई, मगर दुःख की बात यह है कि ये जो बुनियादी उसूल, बुनियादी मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे, उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब कि हम सुदृढ़ थे इस बात पर कि प्लेबिसाइट के नाम से हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। न भारत सरकार की तरफ से, न पंजाब शासन की तरफ से, तो हमने फैसला किया कि हम ऐसे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। कहा जाता है कि चुनाव स्थगित हुए और आखिरी रात को स्थगित हुए, दुःख है, हम तो उस चुनाव में हिस्सेदार थे नहीं, हमने तो आज तक भी वही पोजीशन रखी हुई है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इस बात के लिए बड़े लम्बे-चौड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पंजाब में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन आज तक उन्होंने एक शब्द भी इस बात पर नहीं कहा, जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है और आडवाणी साहब की नालेज के लिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जितने भी दल अपने आपको सिक्खों का प्रतिनिधि मानते हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को प्लेबिसाइट के नाम से लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई, शासन की ओर से

कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया था कि हम इस प्लेबिसाइट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरी बात यह कि चुनाव आखिरी समय, आखिरी रात को स्थगित हो गए, मुझे नहीं मालूम। अभी दो दिन पहले एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि चुनाव स्थगित हो गए। सभापति जी क्या मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह प्रश्न रख सकता हूं कि जिस दिन यह चुनाव स्थगित करने की घोषणा हुई, उसी दिन पंजाब के तमाम पत्रों में और दिल्ली के कुछ पत्रों में एक बहुत बड़ा ऐलान छपा था, जिसको पंजाब के उग्रवादियों ने अपने आर्डिनेंस का नाम दिया था। पंजाब के पत्रों में छपे इस पत्र में क्या था कि पंजाब से सारी मत पेटियां खाली आनी चाहिए और जो भी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएगा वह अपनी कीमत पर जाएगा। पंजाब के लोग जो आतंकित हैं, उनकी प्रतिक्रिया मैं नहीं बताने जा रहा हूं, मैं पंजाब की शासन प्रतिक्रिया बताने जा रहा हूं। पंजाब शासन ने उस तथाकथित आर्डिनेंस के छपने के साथ ही ऐलान किया था कि स्कूल-कालेजेज बन्द, सरकार की सारी यातायात सेवाएं बन्द, किसने रेसपांड किया था उसको। वह आर्डिनेंस सबसे पहले किसने माना था ? पंजाब के शासन ने माना था। तब हालत यह थी कि एक तरफ शासन आतंकवादियों के आर्डिनेंस के नीचे झुक गया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि चुनाव कौन करवाता है ? इसलिए मैं उस बात के ऊपर अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं कि किसके आदेश से हुए हैं या किसके आदेश से नहीं हुए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि पंजाव के लोग इतने आतंकित हैं कि जब तक उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि हमारी जान की रक्षा हो सकती है और हमारे परिवार की रक्षा हो सकती है तब तक वे मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आप क्या समझते हैं वहां मतदान हो सकता है ? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज जो हालत पंजाब में हैं सभापति जी, आज अफसोस इस बात का है कि राष्ट्रीय समाचार-पत्र तो ऐसे लगता है जैसे सो ही गए हैं पंजाब के बारे में और पंजाब के समाचार-पत्रों की हालत यह है कि वे उन जत्थों का, उन ग्रुपों का आदेश ज्यादा मानते हैं। कहीं किसी के दफ्तर में चिट्ठी भी आ जाए, टेलीफोन भी आ जाए तो अगले ही दिन उनकी स्तुति और उनका स्रोत लिखा जाता है।

आज पंजाब की हालत मैं बहुत संक्षेप में बताऊं जो वहां सरकारी तौर पर मानी गयी है उसमें लिखा है कि आज पूरे पंजाब में आतंकवादियों का पूरा रुतबा है, उनका पूरी तरह से पहरा है, आज कोई उनको रोक नहीं सकता, सिक्योरिटी परसूनल पर अटैक बढ़ चुके हैं, सरकारी वर्दियां पहन कर वे गांवों में, शहरों में खुले-आम हमला करते हैं, चलती हुई गाड़ियों को रोक कर नर-संहार करते हैं, बैंक लूटे जाते हैं। जो लोक राष्ट्र के लिये जूझ रहे हैं उनके परिवारों का अपहरण होता है, पैसा छीना जाता है और जिनको पहली सरकारों ने मदद करने के लिए तैनात किया था उनके परिवारों को लिक्विडेट किया जा रहा है। दरम्यानी रैंक के अफसर सरकार के आदेश को कम मानते हैं और माहवारी भत्ता देते हैं और उन घटकों का, उन ग्रुपों का आदेश ज्यादा मानते हैं। केवल मानते ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में बकायद, सरक्यूलर जारी किये जाते हैं। कुछ गांवों में, अधिकतर पंचायतों से कहा गया है कि तुम अपने खर्चे पर मुखबर पंचायत में तैनात करो, जो सिक्योरिटी फोर्सिज़ की मूवमेंट की इत्तला उनको दे, सिक्योरिटी की पांजीश्न उनको बतलाए। जो लोग राष्ट्र के लिए जूझ रहे हैं, गांवों में रहते हैं उनकी सूचना उन्हें दे। कांग्रेस (आई), कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (एम) आदि के देहात में जो लोग हैं उनके बारे में सूचना दे। ...... **(व्यवधान)** ......
मैं देहात में कह रहा हूं, पंचायतों की बात कह रहा हूं। .... **(व्यवधान)** ....
श्रीमन्, मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी बात सुन लें। शहरों में हालत यह है कि अपनी मर्जी से आते

हैं, जब सुबह लोग सैर करते हैं, खास करके जब उनके पास कोई हथियार नहीं होता है, खुले-ग्राम पार्कों, मन्दिरों, मस्जिदों ग्रौर गुरुद्वारों में जाते हैं, या जब सूर्य ग्रस्त होता है तो ग्राम बौछार कर दी जाती है। बाजार में निकलते हैं तो कितने लोग ग्रॉटोमैटिक वैपन से मारे जाते हैं। किसी की कोई परवाह नहीं। नौजवानों को ग्रपने ग्रुपों में भर्ती किया जाता है ग्रौर कुछ गांवों में तो समाज सभा लगा कर इस बात की सराहना की जाती है कि इन दलों में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान की ग्रोर से जो सोफिस्टिकेटिड ग्रॉर्म्स ग्रौर वहां के ट्रेंड किए हुए ग्रातंकवादी हैं उनको बकायदा इनफिल्ट्रेट करवाया जाता है।

एक ग्रौर प्रक्रिया जो बहुत भयंकर रूप धारण कर गई है। यदि कोई नामवर ग्रातंकवादी मर जाता है तो उनका भोग रचा जाता है। उस भोग में पचास-साठ हजार या एक लाख लोग इकट्ठे किए जाते हैं। मजबूरन लोगों की ट्रालियां एक्वायर की जाती हैं ग्रौर बाकायदा उनको बुला कर उनकी प्रशंसा की जाती है। उन लोगों से चन्दे के रूप में लाखों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रकार का वातावरण ग्राज पंजाब में है। दुःख की बात यह है कि प्रशासन की ग्रोर से "विन ग्रॉफ हार्टस" की बात चल रही है। इसमें शक नहीं कि हमें ग्रपने देश के बिगड़े हुए नौजवानों को वापिस लाने के लिए कदम उठाने चाहिए ग्रौर हर कोशिश करनी चाहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने इन ग्रुपों के कुछ नेताग्रों से बातचीत की है। क्या मैं मान लूं कि उन्होंने सबसे पहले यह बातचीत की होगी कि पहले संविधान को मान लिया जाए ग्रौर फिर बातचीत की जाए। हमने मिजोरम, ग्रासाम, त्रिपुरा ग्रौर दार्जिलिंग में बातचीत की थी। उस बातचीत का सबसे पहले मुद्दा यह होता था कि भारत की प्रभुसत्ता, भारत के संविधान को सर्वोच्च मान लें। ग्रब कहा है कि जो ग्रापकी समस्याएं हैं तो बड़ी खुशी से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ग्रासाम, मिजोरम, त्रिपुरा ग्रौर दार्जिलिंग में हुए सबसे सबके सहयोग से ऐसे वातावरण में बातचीत की जाए। किसी को कोई ग्रापत्ति नहीं है। लेकिन इलैक्शन में ग्रन्दर-ही-ग्रन्दर सीटों का बंटवारा हो ग्रौर दूसरा है कि एकोमोडेशन हो तो इन तत्वों के साथ मिल कर राष्ट्र के टुकड़े करना चाहते हैं। मुझे खेद है कि ऐसी बातें कुछ समाचार-पत्रों में जरूर छपीं। लेकिन इस सदन में कभी भी ऐसी बातें सामने नहीं ग्राईं ग्रौर न राजनीतिक दलों ने ऐसी बातों की चर्चा की। राष्ट्रपति जी ने ग्रपने ग्रभि-भाषण में इस बात को दोहराया है जिसके बारे में मैंने संकेत किया है। मैं उनके ग्रभिभाषण से कोट करना चाहता हूं।

> "सरकार, पंजाब में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल करने ग्रौर लोकतांत्रिक प्रक्रिया ग्रारम्भ करने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन उग्रवादियों ग्रौर ग्रलगाववादियों को चुनावों का ग्रपने स्वार्थों के लिए दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। सरकार राजीव-लौंगोवाल समझौते को मानती है। उन लोगों के साथ हमेशा बातचीत की जा सकती है, जो हिंसा छोड़ दें ग्रौर हमारे संवैधानिक ढांचे को स्वीकार करें"।

यह वर्तमान सरकार की घोषणा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सदन में उपस्थित सभी राष्ट्रीय राज-नीतिक दल ग्रौर पंजाब के राजनीतिक दल के साथ यह राष्ट्रीय प्रयास है। इसमें पूरा-पूरा साथ सरकार को देंगे। सन् 89 में इसी नीति के ऊपर चलते-चलते हम एक शानदार फैसले की ग्रोर पहुंच गए थे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी को पूरा सहयोग

दे करके इसमें इस राष्ट्रीय समस्या का हल ढूंढने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। मुझे खुशी है कि सरकार की ओर से हमारे 'पीपल रिप्रजन्टेशन' एक्ट में ऐसे संशोधनों की भी आकांक्षा की गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि राज्य सभा में ऐसे संशोधन इन्ट्रोडयूस हो चुके हैं। लेकिन इस सदन में अभी नहीं हुआ है। इसकी चर्चा हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहले भी की थी, जब पार्टी मीटिंग हुई थी। मैं ऐसा मानता हूं कि सभी दलों को और सदन को साथ ले कर कार्यवाही की जाएगी जिसमें सही मायनों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए चुनाव प्रणाली को फिर से सजीव किया जाए। चुनाव प्रणाली को फिर से लागू किया जाए जिससे चुनाव में सभी तत्व हिस्सा ले सकें ताकि राष्ट्र की चुनौती का मिल कर मुकाबला कर सकें।

3.00 म० प०

हम इस सदन के माध्यम से उन तमाम तत्त्वों का आह्वान करते हैं जो इस नीति को मानते हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों, वे मिल कर पंजाब में चुनाव प्रणाली को सृजित करें।

अगले पैरा में राष्ट्रपति महोदय ने जम्मू और कश्मीर की आज की व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है। जम्मू और कश्मीर पंजाब की तरह से, बल्कि पंजाब से भी थोड़ा भिन्न है और उतना ही गम्भीर मसला हमारे देश का है जिसमें पूरे राष्ट्र के सहयोग की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सदन में तमाम उपस्थित दल, तमाम राष्ट्र के नेता इस बात को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में भी हम मिल कर एक राष्ट्र के हित को आगे ले कर चलें। जिससे इस वक्त वहां जो हालात है उसको सुधार पाएं। 12 फरवरी, 1990 को गवर्नर साहब ने एक ऑर्डिनेंस निकाल कर जम्मू और कश्मीर की असैम्बली को बर्खास्त कर दिया। लोगों के और आतंकवादियों तथा अलगाववादियों के दरमियान एक ही इस्टीट्यूशन थी जिसके माध्यम से लोगों से राजनीतिक सम्पर्क बनता था, चुने हुए विधायक लोगों के बीच में जाते थे, उनकी बात सुनते थे और असैम्बली के कोरम से बात होती थी और बहुत सी एजेंसीस असेम्बली के रहते हुए काम कर रही थीं, डवेलपमेंट एजेंसीस भी लगी हुई थीं।

प्रो० प्रेम धुमल (हमीरपुर) : 1987 में पजाब में आपने जो कुछ किया वही कश्मीर में हुआ।

श्री बूटा सिंह : आप उस वक्त नहीं थे। मैं वहां के आज के हालात की बात कर रहा हूं कि इस वक्त क्या हो रहा है। आप दो बार आए हैं कुछ नहीं कर पाए। जिनको आपने नेता माना था वे आपकी नीतियों के खिलाफ बोलते रहे और आपने कुछ नहीं किया। आदरणीय देवी लाल जी ने एलान करके कहा था कि मैं 370 को नहीं हटने दूंगा, फिर भी आप साथ रहे। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। मैं आपकी भागीदारियों की बात कर रहा हूं। इससे क्या हुआ कि आज सीधी टक्कर वहां के शासन में और आतंकवादियों में है। लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। राजनीतिक दल वहां नगण्य हो चुके हैं। उनकी वहां कोई भी भूमिका नजर नहीं आती है, हालांकि पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में रजनीतिक दल जूझ रहे हैं, लेकिन वहां राजनीतिक दल शून्य हो चुके हैं। आज हालत यह है कि घाटी से हजारों की तादाद में परिवार उठ कर बाहर आ चुके हैं, करीब 55 हजार परिवार वहां से जम्मू और दिल्ली तथा अन्य जगहों पर चले गए हैं। उनके बारे

में ऐसा लगता है कि जैसे रिकसाइल कर गए हैं। आपने जिनका साथ दिया उन्होंने कुछ नहीं किया अपने 10 महीनों के शासन में, लेकिन आपने उनका ही साथ दिया। इसलिए हमें इस समस्या को दल के नाते ही नहीं देखना चाहिए, राष्ट्र के नाते से देखना चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वहां जो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं उनका नम्बर दिन-प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा 55 हजार परिवार वहां से निकल चुके हैं। जो वहां की लोकल फोर्सेज हैं जो थोड़ा-बहुत रोल पहले कर सकती थीं वे शत प्रतिशत् उनके नीचे चली गई हैं। एक भी खबर उनके बारे में नहीं छप सकती। भारत के खिलाफ बड़े-बड़े किस्से-कहानियां, जो सिक्योरिटी फोर्सेज जान पर खेल कर काम कर रही हैं उनके बारे में न जाने क्या-क्या कहा जा रहा है। उनके लिए बर्बरियत, दरिंदगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जो अखबार हमारे ही श्रीनगर में छप रहे हैं उनकी गूंज पाकिस्तान में, लन्दन में और अमरीका में हो रही है। एक जगह नहीं कई मोर्चों पर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है इसलिए इस प्रज्जवलंत समस्या के बारे में मेरा अनुरोध है। कि हम मिलकर. . . .

एक माननीय सदस्य : 55 हजार फैमलीज के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : अभी मैंने जिक्र ही किया है। मैं अभी बोल रहा हूं। मेरी इस सदन से करबद्ध प्रार्थना है कि इस समस्या को लेकर वर्तमान सरकार ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है, उसमें पूरा प्रयत्न एवं सहयोग दे कर हमें इस सरकार का साथ देना चाहिए ताकि आपके बल एवं सहयोग से इस भयंकर समस्या को अच्छी तरह से निपटा पायें और पूरी दृढ़ता से निपटा सकें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूरा पैरा इस बात से भरा हुआ है कि सरकार किस तरह से इस भयंकर समस्या का समाधान करने की चेष्टा कर रही है।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 55 हजार फैमलीज का उल्लेख नहीं है।

श्री बूटा सिंह : क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको यह भी सूचना दे दूं, खाली इस को पढ़ दूं तो फिर कोई बात नहीं हुई। जो सूचना होती है वह सदन के सामने देनी होती है। राष्ट्रपति जी संकेत करते हैं, वह आपको रास्ता दिखाता है, वह दिशा-निर्देश देता है कि क्या करना है, सरकार को और इसके लिए आपको सुझाव देना चाहिये। हम लोग यहां चुनकर आए हुए हैं, इस काम के लिये आए हैं कि सरकार के सामने अपने पूरे तथ्य विश्लेषण के साथ पेश कर सकें और उससे ही उसका कोई न कोई समाधान निकाल सकते हैं। श्रीमान्, मुझे यहां तो कोई आरिएंटेशन नहीं करना था, मैं चाहता था कि अनेक्सी में कुछ नये आये हुए सदस्यों को आरिएंटेशन देता, माननीय सदस्य ये मानते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, अगर बूटा सिंह जी अनुमति दें तो कहूंगा कि सुझाव क्या रहे, कोई संशोधन स्वीकार करने को तैयार होंगे जो उसके लायक हों ?

श्री बूटा सिंह : मान्यवर, मैं समझता हूं कि एक हजार से अधिक संशोधन छाप कर माननीय सदस्यों को बांटे गये हैं और वे संशोधन सरकार के सामने हैं, उनका अध्ययन किया जायेगा और

जिस वक्त सरकार नीति बनायेगी, इन विषयों पर जो विषय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आये हैं, उन संशोधनों का सदुपयोग अवश्य होगा, मैं इतना अवश्य कह सकता हूं।

श्रीमान्, आज तो हालत यह है कि जो मेरी जानकारी हैं, उसके मुताबिक आज जम्मू-कश्मीर का जो पूरा शासन है, वह पूरी तरह से पैरेलाईज़ हो चुका है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि कर्मचारी इतना ज्यादा आतंकित हो चुके हैं कि उन्होंने एक सप्ताह का बंद का आह्वान किया। उनके बन्द के लिये जो मांगें थीं, उनसे स्पष्ट होता है कि जो आतंकवादी चाहते हैं, उन्हीं को अपनी मांगों में शामिल करके उन्होंने एक सप्ताह का बन्द का कॉल दिया और बन्द कम्पलीट था। इससे साबित होता है कि जैसे पंजाब में आतंकवादी शासन को जिस तरह से अपने घेरे में लिए बैठे हैं, उससे कहीं अधिक जम्मू-कश्मीर का शासन अपने घेरे में लिया हुआ है। उन्होंने जो मांगें रखीं थीं, वे बहुत ही भयंकर मांगें हैं जिसको शासन को झुक कर मानना पड़ा और 72 दिन की स्ट्राइक हुई। उसके बाद मैं मानता हूं कि आज के वर्तमान हालात हैं जम्मू-कश्मीर में, इसमें हम किसी पर लांछन दें या किसी के ऊपर किसी किस्म का चार्ज लगायें तो जो निकम्मे थे वे तो 15 महीने बरबाद करके चले गये। हमारा फर्ज है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज रहा है और हमेशा वह अपने दायित्व से पीछे नहीं रही है। **(व्यवधान)**।

सबसे कठिन काम तो यह है कि अगर मैंने खुलना शुरू कर दिया तो आपकी ऐसी-ऐसी निकम्मी विभूतियां यहां बैठी हुई हैं, उनसे आप मिलना भी बंद कर देंगे। श्रीमान्.....

श्री चन्द्रजीत यादव (आज़मगढ़): आप धन्यवाद का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं तो भाषा में थोड़ा संयम रखिए। प्राईम मिनिस्टर की स्पीच में और आपकी स्पीच में यही फर्क होगा तो कैसे काम चलेगा। आप सीनियर आदमी हैं।

श्रीमान्, आज मैंने जो शासन की हालत पढ़ कर सुनाई है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस राज्य का शासन एक हफ्ते तक बन्द रहे उनकी कॉल पर और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो उस पर मैं क्या कहूं? इसलिए मैं चाहूंगा कि मान्यवर सदन इस बात को ध्यान में रखते हुए आइंदा के लिये जो सरकार की ओर से प्रस्ताव आए हैं, राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से सहयोग देंगे, तभी जाकर यह राष्ट्र की समस्या हल होगी। **(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

[**हिन्दी**]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आपकी शर्तों पर।

श्री बूटा सिंह: टर्म्स तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आई है।

श्रीमान्, असम के बारे में कल ही पूज्य प्रधान मंत्री जी ने सभी दलों की ओर से किए गए प्रयत्नों का यहां जिक्र किया, इस लिए मैं उन का ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वहां जो स्थानीय सरकार है, मुख्य मंत्री हैं, वह सभी दलों को साथ लेकर असम की समस्याओं का समाधान ढूंढने में अग्रसर हैं और सदन की ओर से हम चाहेंगे कि उनको पूरा-पूरा आशीर्वाद हो

ताकि वह असम के इतने ही कठिन और प्रज्वलंत मसले पर राष्ट्र की ओर से इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकालें ।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कांग्रेस की ओर से चुनाव के दरम्यान में लोगों के साथ वायदे किये गये थे और उसमें खास कर के वह हिस्सा जिसमें यह कहा गया था कि पहले तीन महीनों के अंदर हम इतना काम करेंगे—उन 9 मुद्दों में से 6 मुद्दे कवर हो गए हैं, बाकी के तीन मुद्दे मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री महोदय जब अपना बजट पेश करेंगे तो उसमें ज़रूर उनको कवर करेंगे। **(व्यवधान)** अभी तो चंद ही दिन हुए हैं, अभी तो कार्यसूची है **(व्यवधान)** जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है । श्रीमान्, अपने पूरे अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने कम्यूनल सिचुएशन का ज़िक्र किया और साथ ही इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि देश भर में सांप्रदायक दंगों में जो लोग ग्रस्त होंगे उनके लिए स्पेशल कोर्टस का प्रावधान किया जाएगा और एक ऐसी स्पेशल फोर्स कायम की जाएगी। श्रीमान्, मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, जब कहीं भी कम्यूनल रॉयट्स होते हैं तो अक्सर जो लोकल स्थानीय पुलिस होती है उसके ऊपर लोगों का शक शुरू हो जाता है । कभी भी दोनों पक्ष या जितने भी पक्ष उसमें शामिल होते हैं वह लोकल पुलिस से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इन दंगों में जब कभी भी केन्द्र की तरफ से फोर्स भी भेजी गई, दस्ते भेजे गए, लोगों में थोड़ा विश्वास पैदा हुआ और सिचुएशन को काबू करने में बड़ी सहायता मिली । मैं किसी भी एक प्रान्त की लोकल पुलिस का उल्लेख जान बूझकर नहीं करूंगा क्योंकि फिर शायद चन्द्रजीत जी मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं नाराज़ नहीं हो रहा था ।

श्री बूटा सिंह : इसलिए सरकार की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि एक ऐसी स्पेशल फोर्स कायम की जाएगी, उसका जो कंपोजीशन होगा जो उसकी ड्यूटीज होंगी, जो उसको तैनात करने की शैली होगी, इस बात का भी उसमें उल्लेख होगा । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है जो राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में की है। इसी तरह से सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद का मसला है, उसके बारे में भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कहा है , वह कांग्रेस पार्टी की मूल नीति के आधार पर रहा है ।

बातचीत से यह मसला हल होना चाहिए और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे मसले देश की शान्ति व्यवस्था को आए साल, आए तिमाही, हर महीने कभी पूर्णिमा होती है तो कभी अमावस होती है, ऐसे मसले हमेशा हमारे समाज के अंदर खड़े हों और उसके ऊपर खूंरेजी हो इसको हमेशा समाप्त करने के लिए उन्होंने एक ऐसे कदम की ओर भी उल्लेख किया है ताकि हम इसी सदन के माध्यम से 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए अग्रसर हों, ऐसा भी उल्लेख इसमें आया है । ऐसे ही श्रीमन्...... **(व्यवधान)**...... हमारे देश में जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, जो देश में शान्ति और व्यवस्था बनाकर रखती हैं, आज उन पर जो स्ट्रेन आया है, जिस तरह से वे वायोलैंस को एक्सपोज हुई हैं, जिस तरह से वे साम्प्रदायिक दंगों को एक्सपोज हुई हैं, जातिवाद के दंगों को एक्सपोज हुई हैं, रीजनल किस्म के मुद्दों

को निबटाते हुए, जहां उनको जानें देनी पड़ती हैं, उनकी सुरक्षा के लिये और उनको सेवाओं की कण्डीशन्स के लिये सरकार ने अपना इरादा व्यक्त किया है कि अब उनकी पूरी-पूरी रक्षा की जायेगी। श्रीमन्, हमारे देश के अन्दर इकोनौमिक क्राइसेज हैं, जो अभूतपूर्व है। इस इकोनौमिक क्राइसेज़ के लिये, मैं आज बड़े फक्र से कहना चाहता हूं कि पिछले चन्द सालों में, चाहे वे प्रान्तीय सरकारें रही हों, चाहे वे केन्द्र की सरकारें रही हों, उन्होंने हमेशा सॉफ्ट ऑपशन्स अपनाये हैं, कभी भी कड़वा कदम नहीं लिया। मैं यह साबित करना चाहता हूं पिछले प्रान्तीय सरकारों के बजटों से कि उन्होंने इस बात की ओर हमेशा ध्यान रखा है कि पूरा बोझा तो केन्द्र पर फेंक दिया जाये और कोई नये टैक्स न लगाये जायें ताकि अगले इलैक्शन में हमें ज्यादा वोट मिल सकें। उसका नतीजा यह हुआ..... **(व्यवधान)**..... आप भी सुरक्षित हैं, आपके बजट भी पेश कर सकते हैं। मैं क्या करूं जब मुझे ऐसी बातों पर छेड़ते हैं चन्द्रजीत जी, तो फिर मुझे सच्चाई कहनी पड़ती है। इस बात का सबूत तमाम राज्यों के बजट हैं, आप किसी भी राज्य के बजट को उठाकर देख लीजिए, सभी में सॉफ्ट ऑपशन्स रहे हैं। परन्तु भारत सरकार पहले श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में, स्व० पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में और आज श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में कठिन से कठिन कदम उठाने के लिये भी तैयार है और करके दिखाएगी। हम लोग हमेशा राष्ट्र को अपना सर्वोच्च आदर्श मानते हैं। हम कितनी देर के लिये सरकार में आये हैं, कितनी देर के लिये नहीं, इस बात की हमने कभी परवाह नहीं की। चाहे हमें असम एकौर्ड साइन करना पड़ा, हमें मालूम था कि असम के एकौर्ड से कांग्रेस को नुकसान होगा, पंजाब के एकौर्ड से भी, हमें मालूम था कि हमें नुकसान होगा, मिजोरम एकौर्ड से भी हमें मालूम था कि कांग्रेस को नुकसान होगा, मगर हमने कांग्रेस के हित से अपने राष्ट्र के हितों को कोसों ऊपर पाया और हमेशा वे फैसले लिये जिससे राष्ट्र का हित सुरक्षित रह सके। आज भी हमें, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमारे वित्त मंत्री महोदय को, प्रधान मंत्री जी को और उनके सहयोगियों को जो कदम उठाने पड़ रहे हैं, वे कदम निहायत असाधारण परिस्थिति में उठाये जा रहे हैं। इसमें बहुत हौसले की जरूरत है। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त जी कह रहे थे कि कहीं हम मूल सिद्धान्तों से तो कम्प्रोमाईज़ नहीं कर गये। श्रीमन्, कांग्रेस की इस देश में केवल एक ही पहचान है कि कांग्रेस देशवासियों के हित को ही सबसे ऊंचा मानती है। इसीलिए देश के हित में, सबसे अच्छे, सबसे स्पष्ट और सही मायनों में देशवासियों के हितों को महात्मा गांधी जी ने, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने और स्व० श्री राजीव गांधी जी ने, हमेशा आगे रखा है.....
(व्यवधान)..... आज भी ..... **(व्यवधान)**..... हां, लाल बहादुर शास्त्री भी....
(व्यवधान)..... आज भी, इस बात के लिये कांग्रेस की पहचान है कि गांव-गांव में कांग्रेस जन हैं, आज पूरे देश भर में कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा इस बात का सबूत है कि दूसरी कोई विचारधारा इतनी व्यापक नहीं है, जितनी कांग्रेस की विचारधारा है। इसी वजह से तो आज यह कम्पोजीशन हुआ है, यह कन्सैन्सस, ये हालात कांग्रेस की विचारधारा के हैं। कांग्रेस की विचारधारा है गरीबी से लड़ाई लेना, कांग्रेस की विचारधारा है, समाज से असमानता को समाप्त करना, कांग्रेस की विचारधारा है उपेक्षित वर्गों को हमेशा सहारा देना, कांग्रेस की विचारधारा है हमेशा अपने देश की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता को अक्षुण बनाये रखना। इसलिये सभापति महोदय, किसी भी मेरे माननीय नेता के मन में भ्रम नहीं होना चाहिये और जिन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस की संस्कृति को खत्म करो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कांग्रेस

91-M/J(N)249LSS—9

की संस्कृति को खत्म करने के माने जानते हैं। कांग्रेस की संस्कृति को खत्म करने का मतलब होगा भारत की आत्मा को खत्म करना। कांग्रेस की सस्कृति पुराने इतिहास से पैदा हुई सस्कृति है और श्रीमन्, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये मेरे वामपंथी भाई जो आज यहां इस बात पर थोड़ा सा प्रश्न उठा रहे हैं, क्या मैं पूछूं कि आप कितनी देर से पश्चिमी बंगाल में, केरल में राज्य कर रहे हैं, क्या आप कांग्रेस की नीतियों को बदल सके, क्या आप बदल पाएं ? आप जो लैंड रिफार्म की बात करते हैं...... **(व्यवधान)**

श्री मसूदल हुसैन सैयद (मुर्शिदाबाद) : कांग्रेस की शराब-बन्दी की नीति रही है, लेकिन अभी प० बंगाल का जो बजट पेश किया गया, उस में शराब के ऊपर टक्स बढ़ाया तो कांग्रेस के एम० एल० एज० [illegible] का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या यह कांग्रेस की नीति है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : क्या देश में या कश्मीर में कांग्रेस की नीति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है ?

श्री बूटा सिंह : कांग्रेस जन चाहे इस पक्ष में बैठकर देश की सेवा करते रहे, चाहे उस पक्ष में बैठकर, देश की जो आत्मा है, जो रूह है, वह कांग्रेस की मूल नीतियां हैं जिन पर आधार रख कर कांग्रेस कार्य करती रही है। कांग्रेस की नीतियों में सैकुलरिज्म और सोश्यलिज्म हैं जिनके ऊपर कांग्रेस चल रही है। किसी के दबाव के नीचे रहकर कांग्रेस नहीं चल रही है। श्रीमन् कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज भारत का अस्तित्व विश्व में बना है। कांग्रेस की वजह से भारत की पहचान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हुई है। कांग्रेस की नीतियां सौ साल पुरानी हैं। सौ सालों में बनी नीतियां हैं जिन पर कांग्रेस चल रही है। ऐसी-ऐसी पार्टियां यहां पर बैठी हैं, जो कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस से बाहर गई और उन्होंने शासन संभाला, लेकिन वे पार्टियां भी कांग्रेस की नीति से इधर-उधर नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस की नीतियां ही राष्ट्र की नीतियां हैं। इसलिए इनमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई मांग नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने मांग की है कि कांग्रेस की संस्कृति खत्म की जाए, उन्होंने कोई विकल्प नहीं दिया। कोई ऐसा विकल्प नहीं है और न यह पता है कि ऐसी मांग करने वाले लोगों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। एक शब्द भी आज तक कांग्रेस के विकल्प में आया ? हां यह कहा गया कि वोट हमें दो, हम कांग्रेस का विकल्प लायेंगे, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिला।

इसके साथ ही हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन चीजों का जिक्र किया है उनके अनुसार इस आर्थिक संकट की बेला में हमें पूरे राष्ट्र को साथ लेकर चलना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी ने कल ही इंटरवीन करते हुए कहा है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि वे हमेशा देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे और न केवल वर्तमान संकट को दूर करेंगे बल्कि भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और ऊपर ले जाने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमन् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत ने हमेशा विकासशील देशों का साथ दिया है और इसी सिलसिले में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, हमारा विकासशील देशों के साथ अभिन्न सम्बन्ध है और उनको साथ लेकर चलने की घोषणा महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है।

इसके साथ ही जो हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन है, कृषि उत्पादन है और परिवार कल्याण को जो भूमिका है, वह इस अभिभाषण में पूरी तरह से लिखी गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश के किसान जिन्होंने इस वर्ष खाद्यान्न का जो उत्पादन किया है वह आजादी के पिछले इतिहास में सबसे ज्यादा किया है। इसके लिये मैं देश के किसानों का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं सरकार से पूरी आशा रखता हूं कि इससे भी और ज्यादा हमारे देश के काश्तकार, हमारे देश के किसान का ज्यादा क्षमता के साथ साईंस एण्ड टैकनौलोजी, कृषि का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से जो नीतियां आएंगी हम उसका स्वागत करेंगे। साथ-साथ एक बात कहना चाहता हूं कि किसान के साथ खेतीहर मजदूर भी हों। उसको अभी तक कई जगहों पर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत से हिस्सों में मिनिमम वेजेस पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। हम इस बात के लिये हमेशा सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे कि किसान को उसकी उपज का दाम मिले, उसकी उपज लाभदायक हो मगर साथ-साथ उसके साथ मिलते हुए मजदूर का जीवन स्तर भी आगे बढ़े। मैं आशा रखता हूं कि हमारी सरकार की ओर से इस तरह का बन्दोवस्त किया जाएगा। **(व्यवधान)** . . . सरकार ने युवाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए, हमारे देश के अनुसूचित व जनजाति के लोगों के लिए बहुत ही प्रशंसाजनक कदमों का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया है। मैं सरकार को उसके लिए बधाई देता हूं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो डैवलपमेंट कार्पोरेशन की घोषणा की गई है इससे हमारे देश के जो उपेक्षित वर्ग हैं उनको बहुत ही उत्साह मिलेगा। मिनौरीटीज कमीशन को लीगल स्टेटस दिया जाए, यह भी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। देश में पेयजल की व्यवस्था हो और श्री राजीव गांधी जी के नाम से एक व्यापक योजना हो ताकि देश के प्यासे लोगों को, जहां गांवों में पानी नहीं है वहां पानी मिल सके, यह श्री राजीव गांधी के प्रति सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मैं आखिर में इस अभिभाषण का वह पैरा पढ़ूंगा जिसके ऊपर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक आशा व्यक्त की है। उन्होंने हम लोगों से कुछ उम्मीद रखी है, उन्होंने इस सदन से जो शब्द कहे हैं उनको मैं दुबारा पढ़कर आपसे क्षमा चाहूंगा।

> "संकट की एक घड़ी में संसद के इस सत्र का विशेष महत्व है। आपको नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ मार्ग भी प्रशस्त करना है, जिससे हमारे देशवासियों के मन में आत्म-विश्वास उत्पन्न हो और वे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में सोत्साह जुट जाए। आपके समक्ष एक मजबूत और खुशहाल भारत का निर्माण करने का ऐतिहासिक कार्य है, एक ऐसा भारत जहां सहृदयता हो, ऐसा भारत जहां सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक सौहार्द हो, एक ऐसा भारत जहां गरीबी समाप्त हो चुकी हो, एक ऐसा भारत जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो।"

मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी की उम्मीद, उनकी आशा इस सदन के मान्यवर सदस्यों के अभिभाषणों में, उनकी कार्यशैली में प्रतिबिम्बित होगी। अपने दल की नीतियों से ऊपर उठकर मैं खासकर विपक्ष के नेता के प्रति दो शब्द कहूंगा कि आप केवल अपने दल के नेता ही नहीं हैं, आप विपक्ष के नेता हैं। इसलिए कभी-कभी जो कटाक्ष आप कर जाते हैं आप इस बात का ध्यान जरूर

रखा करें कि आप सबकी ओर से बोल रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष के नेता अपनी पार्टी में तो अपनी पार्टी की नीतियों को बहुत अच्छी तरह से कहें मगर जब देश भर में और विदेशों में उनकी वाणी जाए तो सचमुच एक विपक्ष के नेता के रूप में जानी चाहिए। उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी राष्ट्रभक्ति सबसे ऊंची है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन का बहुत आभारी हूं और प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्य इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करेंगे। जो संशोधन छापे गए हैं वे बांट दिए गए हैं। मैं ऐसा मानता हू कि सरकार की ओर से संशोधन के ऊपर समय के मुताबिक विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम)**:** सभापति महोदय, में सरदार बूटा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने राष्ट्र के सामने उपस्थित मुद्दों और इस विकट घड़ी में संसद सदस्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा आगामी एक वर्ष में किए जाने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत करता है।

श्रीमानजी, हमारा देश एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। चुनावों के दौरान हमने अपने महान नेता श्री राजीव गांधी को खो दिया। भूमि–पुत्र श्री राजीव गांधी विश्व–शान्ति के समर्थक थे। जैसाकि यहां पर नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, वह पददलितों, निर्धनों और भारत के श्रमिक लोगों के पक्षधर थे देश की युवा पीढ़ी अपने महान नेता के दुःखद निधन से अनाथ महसूस करती है। इस संकट के समय में, सभी कांग्रेसियों को राष्ट्र और दल के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक जुट हो जाना चाहिए। इस समय इस सामान्य सभा में उपस्थित हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करें।

15.32 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

कल के समाचार–पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें लिट्टे ने श्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अतः में भारत सरकार से श्री लंका की सरकार से सम्पर्क करने और पूरे षड़यन्त्र का पता लगाने तथा जांच में तीव्रता लाने के लिए अनुरोध करता हूँ।

महोदय, हम श्री राजीव गांधी के सपनों, आकांक्षाओं और आदर्शों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस चुनाव में, देश के लोगों का जनादेश एकदम स्पष्ट है। इस देश के लोगों की समझ में आ चुका है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही एक मजबूत और सक्षम सरकार दे सकती है। वास्तव में भारत के लोगों ने हमें सचेत भी किया है। विगत में हमारे पास भारी बहुमत था। लेकिन इस चुनाव में, यद्यपि हमें 10, 12 सीटें कम मिली है, लेकिन जनादेश एक दम स्पष्ट है। इस देश के लोगों को राष्ट्रीय विकल्प, संयुक्त विपक्ष जिसने श्री वी०पी० के नेतृत्व में पिछले ग्यारह माह शासन किया से बहुत आशाएँ थी। इस देश के लोगों ने संयुक्त विपक्ष को एक अवसर दिया था। लेकिन इन्होंने सबकुछ बिगाड़ दिया। श्री वी० पी० सिंह के प्रधान मंत्रित्व के दौरान साम्प्रदायिक

स्थिति इतनी तनावग्रस्त थी कि अनेकों साम्प्रदायिक दंगे हुए और सौहार्द तथा साम्प्रदायिक सदभाव अन्य चीजों की तरह ही बिगड़ गया ।

अतः लोगों का विश्वास राष्ट्रीय विकल्प से उठ गया है । उन दिनों साम्प्रदायिक हिंसा और अनियंत्रित तनाव आम दिनों की बात बन गए थे। सरकार सभी मोर्चों पर असफल हुई।

अतः इस देश के लोगों को विश्वास हो गया है और उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को नेतृत्व प्रदान कर सकती है और कांग्रेस ही एक मजबूत और सक्षम सरकार दे सकती है । वास्तव में, लोगों ने हमें सावधान कर दिया है ।

अब हम टकराव या मतभेद के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम मतैक्य चाहते है । हमारे देश के सामने अनेकों चुनौतियां और समस्याएं हैं । केवल कांग्रेस ही इन सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती । अतः इन समस्याओं को हल करने के लिए सभी दलों को मिलकर कार्य करना चाहिए । हमें उन समस्याओं के हल के बारे में सोचना है जो राष्ट्र के सामने खड़ी है । हमें स्थिति को भी देखना है । हमें अन्य विपक्षी दलों के दृष्टिकोणों को भी देखना है । इस विकट समय में, हमें अधिक व्यावहारिक बनना पड़ेगा । भारतीय जनता पार्टी का तीन राज्यों—मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शासन है । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उतर प्रदेश का क्या हुआ ... (**व्यवधान**) .... ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : जी हां, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं का शासन है । मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों का क्या हुआ? हमें 40 में से 28 स्थान प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में हमें 25 में से 20 स्थान प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 2 स्थानों पर हम जीते हैं। एक स्थान पर तो हम मात्र 3000 मतों के अन्तर से हारे हैं। यह किस बात का संदेश है। (**व्यवधान**) जब इन राज्यों के लोगों ने तुम्हारा प्रशासन देख लिया है, तो वे अब अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं । मेरे विचार से इन तीन मुख्य मंत्रियों को नैतिक आधार पर अपना पद छोड़कर अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाहन करना चाहिए ।

उन्हें त्याग-पत्र देना होगा क्योंकि इन राज्यों के लोगों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है । .... (**व्यवधान**) .... भा० ज० पा० के उत्थान के लिए कौन लोग जिम्मेदार है ? हम जिम्मेदार नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस अत्युक्ति से काम नहीं चलेगा ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : आप भा० ज० पा० के उत्थान के जिम्मेदार है । लोगों ने आपको जिम्मेदार ठहराया है (**व्यवधान**) आठवीं लोक सभा में, भा० ज० पा०, को केवल 2 स्थान मिले थे । नौवीं लोक सभा में उन्हें 88 स्थान प्राप्त हुए । (**व्यवधान**)

अब वह दूसरे स्थान पर आ गई है । इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? (**व्यवधान**)

इसके लिए वामपंथी दल जिम्मेदार हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके साथ आपने हाथ मिलाया है . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : आपको कांग्रेस विरोधी रवैये में परिवर्तन करना होगा । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट सुनिए ।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता ।

श्री पीयूष तीरक (अलीपुरद्वार) : मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है । . . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया इस तरह की टिका टिप्पणी न करें और व्यवधान न डालें ।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप सभापति को सम्बोधित कीजिए ।

(**व्यवधान**)

श्री पीयूष तीरकी : मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है ।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए, तब आप बोल सकते हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री पीयूष तीरकी : मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है ।

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यवस्था प्रश्न न उठाएं ।

(**व्यवधान**)

श्री रमेश चेन्नित्तला : लोकतान्त्रिक और शांतिप्रिय दलों को इकट्ठे हो जाना चाहिए तथा इन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। (**व्यवधान**) हम पर यह जिम्मेदारी आ गई है।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया, आपको उनके व्यवस्था प्रश्न को सुनना चाहिए । आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । सभा की कार्यवाही चलाने का यह ढंग नहीं है (**व्यवधान**) मुझे बहुत खेद है । वह कह रहे हैं कि उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाना है । (**व्यवधान**) आप इसको अस्वीकार कर सकते हैं । आप इसको अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन आपको यह तो सुनना चाहिए कि उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है । आप एक अनुभवी सभापति हैं ।

सभापति महोदय : श्री पीयूष तीरकी आप बोलिए ।

श्री पीयूष तीरकी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति कहीं पर भी दलों के आचरण के संबंध में नहीं बोले हैं, चाहे वह

भा० ज० पा० हो, कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) हो, आर० एस० पी०, अथवा कोई अन्य दल हो। अब माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि किस दल ने क्या किया है। वह अब सत्ता पक्ष में हैं। यहाँ पर सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस ने देश में 40 वर्ष जिस तरह से राज किया है उसे सभी भलीभांति जानते हैं। अब यह इस दल को, उस दल को दोषी ठहरा रहे हैं। वह त्रिपुरा के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? उन्हें अपनी बात त्रिपुरा से शुरु करनी चाहिए थी, आदिवासी लोग वहां पर किस तरह से रहते हैं।

सभापति महोदय : इसमें कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नही है। मैं आपके व्यवस्था प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ठीक है। **(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्निताला : मैं तथ्य बता रहा हूं। हमें साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ना है। हमें अलगाववादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई करनी है **(व्यवधान)** हमें ऐसी शक्तियों के विरुद्ध मिलकर लड़ना है। हमने अपने नेता, श्रीमति इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी को खो दिया है। हमें अलगाव-वादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ना होगा जोकि हमारे देश को खन्डित करने की कोशिश कर रही हैं तथा इस देश में अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है। श्रीमान् जी, वर्तमान आर्थिक संकट के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अभिभाषण में आर्थिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताया गया है। हम संकटमय स्थिति में हैं। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि "हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होगा और देश को कठिन और अप्रिय आर्थिक निर्णय लेने के लिए अपने को तैयार करना होगा।" इसम कोई जादू नहीं हो सकता, हमें इन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में, इससे हमें पीड़ा और दुख होगा, लेकिन कोई विकल्प भी तो नहीं है। इस संबंध में उपायों का भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी निर्यात में सहायता करने और अनावश्यक आयातों आदि पर व्यय कम करने के लिए विनिमय दर में समायोजन किया है। इसका भी उल्लेख किया गया है कि अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए व्यापार नीति के क्षेत्र में और औद्योगिक नीति में सुधार के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे . . . **(व्यवधान)** . . . इस विकट समय में, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया हैं, मूल्य वृद्धि पर भी अंकुश लगाना होगा। मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी को मूल्य वृद्धि रोकने के लिए एक मंत्रालयी पैनल बनाने के लिए बधाई देता हूं।

कल, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उल्लेख किया था। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोष है इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए।

(हिन्दी)

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे होते हैं, तो उनके बीच में से कोई मैम्बर पास नहीं हो सकता है

यह नियम है और नियम के मुताबिक श्री बूटा सिंह जी, जो एक सीनियर मैम्बर हैं, पास हो रहे हैं। यह नियम के खिलाफ है। यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : आप सही कहते हैं। लेकिन कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप केवल सभा की मर्यादा की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बूटा सिंह जी, आप क्षमा मांगिए। .... **(व्यवधान)** ....

श्री बूटा सिंह : मैं आपसे क्षमा मांगता हूं।

(अनुवाद)

मैं भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हूं और नियमों का इस तरह से उपहास नहीं कर सकता। .... (व्यवधान) ....

श्री रमेश चेन्नितला : जमाखोरों, काला बाजारी करने वालों और मुनाफाखोरी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या विदेशी भुगतान संकट की है। सरकारी व्यय को कम करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिए। अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाना चाहिए ताकि निर्धन और पद-दलितों को लाभ मिल सके।

में बेरोजगारी की समस्या का जिक्र भी करना चाहूंगा। भविष्य देश के युवाओं के हाथ में है। बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या है जिससे तत्काल निपटा जाना चाहिए। पिछली सरकार ने रोजगार पैदा करने के जो कार्यक्रम चलाए थे, उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन कार्यक्रमों की समीक्षा की जानी चाहिए और यदि कोई कमी या त्रुटि मिले तो उसे दूर किया जाना चाहिए।

राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को शामिल करने का काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को लगाने की दृष्टि से किए जाने वाले उपायों के बारे में स्पष्ट रूप से अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। मेरा अनुरोध है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी सर्वोच्च प्राथमिकता बेरोजगारी उन्मूलन और रोजगार पैदा करने पर दिया जाना चाहिए।

बूटा सिंह जी ने पंजाब, जम्मू और कश्मीर और असम में विद्यमान स्थिति के संबंध में उल्लेख किया है।

श्री राम नाईक (मुम्बई–उत्तर) : मैं मर्यादा के संबंध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर धन्यवाद संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। न तो प्रधानमंत्री जी और न ही सभा के नेता सभा में उपस्थित हैं। यहां तक की कोई वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित नहीं है। .....

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम नाईक : इसी कारण तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक मर्यादा प्रश्न उठाना चाहता हूं मर्यादा यह है कि जब धन्यवाद प्रस्ताव जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही हो, तो प्रधान मंत्री अथवा सभा के नेता अथवा एक वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगी को उपस्थित होना चाहिए ।

श्री पी०एम०सईद (लक्षद्वीप) : प्रधान मंत्री पूरे समय के लिए कैसे उपस्थित रह सकते हैं ? क्या उनके पास कोई और कार्य नहीं रहता ?

श्री राम नाईक : कम से कम मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए ।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर हैं और वह सरकार का प्रतिनिधि होता है ।

श्री राम नाईक : लेकिन वह कैबिनेट मंत्री नहीं है ।

अनेक माननीय सदस्य : वह हैं । वह कैबीनेट मंत्री हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक कैबीनेट मंत्री यहाँ पर हैं । लेकिन उन्हें बात सुनने दी जाए । उनकी बात में बाधा न डाली जाए ।

श्री रमेश चेन्नितला : बूटा सिंह ने स्पष्ट रूप से पंजाब की स्थिति का उल्लेख किया है । पंजाब में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के चुनावों में भाग न लेने और उसने चुनावों से अलग रहने का निर्णय क्यों किया । सरकार आतंकवादियों और अलगवादियों को कभी भी चुनाव का प्रयोग अपने ... पूरा करने देने की अनुमति के लिए नहीं देगी । पंजाब में इस समय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं हैं । सर्वप्रथम, अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए और तत्पश्चात् लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जानी चाहिए । यही एक रास्ता है । बातचीत सदा हमारे संविधान के क्षेत्र के अन्तर्गत होनी चाहिए । और हमारी सरकार इन कठिन मामलों को हल करने में अपेक्षित सभी उपाय करने के लिए तैयार है । सरकार एक स्थायी समाधान के पक्ष में है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । लेकिन आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए । जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है । सीमा पार से आ रहे प्रशिक्षित लोग पूरी तरह से अराजकता और गड़-बड़ी फैला रहे हैं । अपहरण और हत्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं । निर्दोष लोगों का अपहरण किया जा रहा है । आतंकवादी गतिविधियों से लोगों के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीना दुभर होता जा रहा है । मेरा अनुरोध यह है कि इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धाराओं में पुन: वापिस लाया जाना चाहिए । हम उन्हें कैसे वापिस ला सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में लोगों की वास्तविक कठिनाईयों और समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए, बेरोजगारी एक वास्तविक समस्या है । घाटी और जम्मू के लोग भी राज्य की विकास गतिविधियों में नागरिकों के सहभागी होने और शामिल होने के संबंध में बात करते हैं। आज क्या हो रहा है ? भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है । यह इस लिए कि अधिकारी बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हैं । अत: लोगों की भागीदारीता को सुनिश्चित किया जाए । सांप्रदायिक सदभाव पुन: बहाल किया जाना चाहिए । नौवीं लोकसभा में भी, हम राजनैतिक पहल की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा बातें करते थे । अभी तक घाटी में कोई राजनैतिक गतिविधि शुरु

नहीं की गई है। अलगाववादी शक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। हम सभी एक बात जानते हैं। घाटी और जम्मू के लोग अलगाववादी शक्तियों के विरुद्ध हैं। वे पृथकतावादी ताकतों के खिलाफ हैं। यद्यपि यह एक आसान काम नहीं है, लेकिनएक स्थायी हल तो ढूंढ़ा जाना ही चाहिए। हमें देशभकीत गरीब लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में वापस लाना है। आसाम में जनता का निर्ण य अति स्पष्ट है। बे पृथकतावादी ताकतों के खिलाफ हैं और वे आतंकवाद के खिलाफ हैं। वहां के लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया। आसाम में पिछले चुनाव में 70 प्रतिशत लोगों ने चुनाव-प्रक्रिया में भाग लिया। इससे यह अति स्पष्ट हो जाता है कि वे आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हैं और वे अलगवादी ताकतों के खिलाफ हैं। निःसंदेह, बातचीत का स्वागत होना चाहिए किन्तु राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं। हम आसाम के युवकों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सैकिया सरकार ने इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया है और इस दिशा में निश्चित उपाय भी किए हैं। जिस प्रमुख समस्या का हम सामना कर रहे हैं वह यह कि हमारे धर्म निर्पेक्ष ढांचे में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। साम्प्रदायिक ताकतें देश के वातावरण को दूषित कर रही हैं। सभी शान्तिप्रिय और देश भक्त लोगों को साम्प्रदायिकता के खतरे से लड़ने हेतु एकजुट हो जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय का एक कर्तव्य है। उसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी है। यही हमारी परंपरा है। हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय हमेशा ही अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता आया है। यह हमारे देश की परम्परा है और केवल इसी के कारण हम अपनी धर्म निर्पेक्षता को बनाए हुई हैं। पिछले दो या तीन वर्षों से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे प्रदेशों में साम्प्रदायिकता फैली हुई है। किस प्रकार दिन-प्रतिदिन साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं और किस प्रकार दंगे हो रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित अपराधों की जांच हेतु कुछ विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। इन दंगों को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बातों की भी आवश्यकता है।

कल यह कहा गया था कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के लिए बातचीत द्वारा समझौता करना आवश्यक है। मैं यह कहूंगा कि सम्प्रदायों के बीच टकराव से बचने के लिए, शान्तिपूर्ण समझौता किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है। 15 अगस्त, 1947 की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा जिससे किसी भी नए विवाद से बचा जा सके। हमारा देश इस समय किसी नए विवाद को बरदाश्त नहीं कर सकता।

इस राष्ट्र के लोग मैत्री, मेल मिलाप और शान्ति चाहते हैं। आओ हम सब मिलकर इसके लिए कार्य करें। इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे बीच में राजनैतिक और वैचारिक मतभेद हैं किन्तु यह राष्ट्र महान है। हमें इस राष्ट्र के लोगों के शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए कार्य करना है।

मैं एक या दो अन्तराष्ट्रीय मसलों का जिक्र करना चाहूँगा। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ की गई और इंदिरा जी तथा राजीव जी द्वारा मजबूत की गई विदेश नीति का अनुसरण किया है। हमें दक्षिण एशिया के साथ अपने संबंधों को द्विपक्षीय आधार पर मजबूत बनाना चाहिए। निसंन्देह हम साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। माननीय सदस्यों में से एक ने कल इस संबंध में अपनी शंका जाहिर की थी। इस बारे में शक की कोई बात नहीं है। साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लड़ाई जारी रखेंगे और हम संसार के गरीब तथा दलित लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। भारत इस बात पर हमेशा अटल रहा है। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी देश है। दुर्भाग्यवश, हाल ही में खाड़ी युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आन्दोलन भी असफल हो गया था। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें गुट-निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाता है। हमें यह देखना है कि दलित और गरीब लोगों को बचाया जाये, जिनका बड़ी शक्तियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। केवल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से ही हम तीसरी दुनियां के देशों को बचा सकते हैं।

इसलिए, हमारा उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत बनाने, राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने तथा देश को विकास और समृद्धि के नये युग की ओर ले जाने का होना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :–
> "कि इस सत्र में समावेश लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 11 जुलाई 1991 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर जिनके सशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधन पेश करना चाहें तो उनकी क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर पटल पर पर्चियां भेज दें। केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

तत्पश्चात शीघ्र ही सूचना पट्ट पर एक सूची लगा दी जायेगी जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या बताई गई होगी, जिनको प्रस्तुत किया गया माना गया होगा। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई त्रुटि दिखाई दे तो वे कृपया अविलम्ब पटल के पास बैठे अधिकारी के ध्यान में उसे लायें।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, प्रस्तावक द्वारा कही गई बात को मैंने कुछ रुचि से सुना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि न तो सदन के नेता और न ही प्रधान मंत्री जी यहां पर उपस्थिति हैं। किन्तु यह सरकार प्रस्तावक और समर्थन करने वाले का कर्त्तव्य है कि वे यह निश्चित करें कि वे इस प्रस्ताव को कितना महत्व देते हैं।

मैंने समर्थ न करने वाले सदस्य की बात को भी ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष दिए गए अभिभाषण को भी रुचिपूर्वक पढ़ा था।

मैने कहा है कि इसे पढ़ा क्योंकि व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की थी कि उन्हें सुन पाना तो सम्भव ही नहीं था। अब यह कहना एक ग्राम बात हो गई है कि राष्ट्र एक संकट के दौर से गुजर रहा है। मुझे संसद की सयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सत्ता पक्ष और सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को देख कर खेद हो रहा है और हमें वास्तव में विश्वास ही नहीं होता कि जिन हालातों से देश वर्तमान में गुजर रहा है, उसको वे पूर्णतः महसूस करते हैं कि यह संकट विदेशी देन है। यह दस्तावेज-राष्ट्रपति का अभिभाषण—एक अल्पोषण और अविश्वसनीय दस्तावेज है जो घिसे-पिटे निरर्थक कथन से परिपूर्ण है। मुझे यह कहते हुए झिझक होती है कि संसद की संयुक्त बैठक के समक्ष दिया गया राष्ट्रपति का अभिभाषण स्वयं राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिखा जाता है। इस अभिभाषण का सृजन उनके द्वारा नहीं किया जाता है किन्तु यह तो सरकार द्वारा तैयार किया जाता है जिसे राष्ट्रपति ने केवल पढ़ना होता है। यही कारण है जिसने मुझे यह कहने को उत्प्रेरित किया कि यह एक अल्पोषण और अविश्वसनीय दस्तावेज है। यह घिसे-पिटे निरर्थक कथन से परिपूर्ण हैं। यह की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पूर्णतः अस्पष्ट है। इससे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में स्थिति अस्पष्ट है।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसे अरुचिकर ढंग से तैयार किया गया है ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण प्रारूपण कौशल के महान उदाहरण थे। और हमें दुःख होता है कि इसे संसद के समक्ष लज्जाशील अकुशलता के साथ पेश किया गया, क्योंकि इस महान कक्ष में जिसने स्वतंत्र भारत के इतिहास को देखा है, सदस्य और दर्शक जिन्हें निमंत्रित किया गया था, वे यह नहीं सुन सके कि राष्ट्रपति ने क्या कहा।

4.00 म० प०

यही कारण है मेरे कहने का कि मैंने इस दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यह राष्ट्र के लिए सदेश होता है। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चुनाव के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा दिया गया पहला अभिभाषण है; और इसलिए, इसके माध्यम से वर्तमान सरकार, और राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्र को यह संदेश पहुँचाया जाता है कि सरकार क्या करना चाहती है, और यह किस प्रकार करना चाहती है। यही कारण है कि मैंने इसमें पाया है कि इसमें सरकार के अपने दृष्टिकोण से हमें प्रेरणा मिलने की बजाय, राष्ट्र के सम्मुख विद्यमान संकट की स्थिति से दिलासा दिलाने की बजाय, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृष्ठ पर पृष्ठ और घिसी-पिटी खालीपन की बातें ही पाते हैं।

यह दस्तावेज में 10वें ग्राम–चुनाव के संदर्भ सें प्रारभ होता है; और बिना किसी शंका के यह एक विभाजक चुनाव था। इसमें कोई शंका नहीं है कि इस चुनाव में जितनी हिसा हुई उतनी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। यह हमारे लिए अति खेद और दुख का विषय है कि इस चुनाव के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता की जघन्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई किन्तु 10वें ग्राम चुनाव की ओर मेरा संदर्भ केवल इसी विषय के लिए नहीं है क्योंकि 10वें ग्राम चुनाव के विभिन्न प्रकरणो पर हम पहले ही एक अवसर पर चर्चा कर चुके हैं। यदि दसवें ग्राम चुनाव को इन सब बातों के साथ याद किया जाए, तो इसे मुख्य चुनाव आयुक्त के गौरवपूर्ण

कार्यालय को भी इसके विवादों के साथ याद किया जाएगा। मेरे नेता, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की भांति, मुख्य चुनाव आयुक्त का आचरण भी ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि वह वास्तविक रूप में न केवल न्याय करें, बल्कि ऐसा भी एहसास हो कि वे न्याय कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है कि चुनाव आयुक्त ने—मैं केवल एक मामले की ही जांच नहीं कर रहा हूं—उनकी कार्यवाही से समग्र रूप से दिखाई देता है कि उन्होंने न्याय नहीं किया; उन्होंने केवल न्याय ही नहीं किया हैं वास्तव में उन्होंने इस विवाद में आनन्द उड़ाया, यह एक बहुत ही दुख का विषय है जिसके लिए दसवें आम चुनाव को याद किया जाएगा।

दसवें आम चुनाव का एक अन्य पहलू भी है, जिसका मेरे विचार से हम सभी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दसवें आम चुनाव तक हमारे इतिहास में चुनाव की तिथि से कभी भी खिलवाड़ नहीं किया गया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा एक तरह से लक्ष्मण-रेखा होती थी। इसमें पवित्रता अन्तर्निहित रहती थी। कोई भी घटना क्यों न होती आपको उन तिथियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था।

मुझे 1983 में आसाम में हुए भयंकर चुनाव की याद है। मैंने प्रस्तावक और समर्थक दोनों तर्क-वितर्कों को ध्यानपूर्व सुना है कि पजाब में चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। जहां तक असम में चुनाव का सम्बन्ध है मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी पार्टी ने मुझे इन चुनावों में क्या भूमिका अदा करने को कहा था। ये चुनाव ऐसे थे कि मुझे हमेशा याद रहेंगे। हमने इन चुनावों को छोड़ा नहीं; परिणाम की चिन्ता किये बगैर हमने इन चुनावों को लड़ा। मुझे यह बताया गया कि 1977 महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को सलाह यह दी गयी थी कि वह इस चुनाव को हारने वाली हैं इसलिये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाये। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दसवें आम चुनाव में हमने पहली बार इस रूबिकॉन को पार कर लिया है। हमने इस प्रकार की एक भयावह परम्परा विकसित कर ली है मुझे पता नहीं कि हम भविष्य में चुनांव की तिथि के बारे में क्या करेंगे। चुनाव आयुक्त और वर्तमान सरकार द्वारा संयम की कमी के कारण चुनावों को रद्द किये जाने पर मुझे आश्चर्य होता है। हमने मतदाताओं को धोखा दिया है। यदि हम इस रास्ते पर चलते रहें क्योंकि हमने इस पर अपना पैर जमा लिया है तो कृपया स्पष्ट करें कि भावी मुख्य चुनाव आयुक्त या आगामी सरकार चुनावों की पविव्रता बनाये रखने के सम्बन्ध में क्या कर सकेगी।

इसी सदर्भ में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सस्दय ने पंजाब का उल्लेख किया था। महोदय, मै आप का विचार जानना चाहता हूं। प्रजातन्त्र में चुनाव दिल की धड़कन के समान है। आप इसके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। आप दिल की धड़कन को नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही रोक सकते हैं; आप दिल की धड़कन की प्रक्रिया को पीछे भी नहीं कर सकते हैं; नहीं तो प्रजातन्त्र-रूपी हृदय कार्य करना बिल्कुल ही बन्द कर देगा। दसवें आम चुनाव में हमने जो कुछ किया है वह प्रजातन्त्र रूप दिल की धड़कन के साथ खिलवाड़ की है। यह टिप्पणी न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पजाब में चुनाव स्थगित करने के फलस्वरूप हुई घटनाओं के बारे में निर्णय किया। एक दिन चुनाव कराया जाता है और दूसरे दिन स्थगित कर दिया जाता

है। इस संबंध में भिन्न-भिन्न तर्क दिए गये हैं जिसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इससे केवल सदन का समय ही नष्ट होगा। मैं धन्यवाद प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों से, जो उस राज्य के हैं, अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे कथन पर प्रकाश डालें। मैं उनके राज्य के संबंध में व्यक्तिगत पीड़ा को कभी नहीं बाँट सकता। लेकिन, साथ-ही-साथ में पजाब के लोगों के कष्ट के प्रति उदासीन भी नहीं हूँ। मैं पजाब की स्थिति से अनभिज्ञ भी नहीं हूँ और इसलिए मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब वर्तमान सरकार यह कहती है कि चुनावों को स्थगित करने के लिए यह निर्णय किया गया तो पंजाब में चुनाव स्थगित करने के लिए कितनी बार निर्णय लिये गये ? आप चुनाव की तिथि निश्चित करके इसे स्थगित कर देते हैं, दोबारा तिथि निश्चित करके चुनाव रद्द कर देते हैं, आखिर आप किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : हमने ऐसा कभी नहीं किया।

श्री जसवंत सिंह : आप चन्द्रशेखर सरकार के एक अंग थे। आपने उस सरकार का सात महीने तक साथ दिया। जो अब बिल्कुल भुलाया जा चुका है।

श्री बूटा सिंह : चुनाव के समय तक ऐसा नहीं था।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यह विदित है कि जब पति-पत्नी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं तो किसी खास समय की राजनीतिक व्यवस्था भी निश्चित ही भंग हो सकती है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि, वास्तव में आप उस समय चन्द्रशेखर सरकार के साथ थे अथवा नहीं जब पंजाब में चुनाव स्थगित करने सम्बन्धि निर्णय किये गये थे। लेकिन सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि यह सरकार कहती है। कि हमने पजाब में चुनाव स्थगित करने के लिए निर्णय नहीं लिया। आपने यह निर्णय आधी रात्रि में लिया। आपने यह निर्णय मैंने जैसे कुछ कहा था उसी तरह से लिया और मैं इसे दोहराना चहाता हूँ कि यह निर्णय पंजाब के लोगों के लिए एक निर्दयतापूर्ण, निन्दनीय और सनकी कार्य था। अंतिम क्षण में, जब हमें यह गलत लगा कि अन्ततः भारत और पंजाब संभवतः जीत जायेंगे तो आपने चुनाव स्थगित कर दिया। अब प्रस्ताव लाने वाला और उसका समर्थन करने वाले सदस्य ने हमें बताया है कि आपने इन चुनावों में भाग नहीं लिया। क्या आपने इन चुनावों में भाग लेने के लिये इसे स्थगित कर दिया था ?

श्री बूटा सिंह : बिल्कुल नहीं।

श्री जसवंत सिंह :–लेकिन आपने उन चुनावों को मध्यरात्रि में तत्कालीन सरकार बदलने के समय स्थगित कर दिया था और आप कहते हैं कि आपने उन चुनावों को स्थगित नहीं किया था। इससे हम और भी अधिक चिन्तित होते हैं। उन चुनावों को आखिर किसने स्थगित किया था ? आप कहते हैं कि यह सकार इसके लिये उत्तरदायी नहीं है ? उन्हें स्थगित किसने किया था ? पंजाब में चुनाव स्थगित करने से क्या संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है ? हम इसका उत्तर चाहते हैं।

मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि संकल्प लाने वाला सदस्य कुछ हद तक जम्मू और कश्मीर, असम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी गया है। हम इन राज्यों के बारे में, संसद के समक्ष इनके

बजट पेश किये जाने पर, विस्तार से विचार करेंगे। इसलिए, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के अवसर का उपयोग पंजाब, जम्मू और कश्मीर के बारे में विस्तार से विचार करने के लिए नहीं करना चाहता हूँ। निःसंदेह असम में, इसकी अपनी सरकार है। असम पर चर्चा के लिए दूसरा अवसर आयेगा।

मैंने इस अभिभाषण में एक अत्यधिक कमी पाई और सीमावर्ती राज्यों के संदर्भ में यह कमी मेरे अपने राज्य राजस्थान के संबंध में है। संकल्प के प्रस्तावक माननीय सदस्य राजस्थान के हैं। वह पहले राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे और मुझे विश्वास है कि मैं अभी जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे वह अपरिचित नहीं होंगे।

मैं सरकार के विचारार्थ यह तथ्य प्रस्तुत करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की राजस्थान से लगी सीमा संभवतः हमारा अंतिम स्थिर नियंत्रणीय सीमा–मार्ग है। कृपया आप इसे उसी स्थिति में बनाये रखने के लिए सभी प्रयत्न कीजिए क्यों कि इसे पहले ही काफी क्षति पहुँचायी जा चुकी है।

मुझे पता नहीं कि कौन मेरी बात पर ध्यान दे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि प्रधान मंत्री सचिवालय में कोई मेरी बात पर ध्यान दे रहा होगा क्यों कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा करता हूँ।

सभापति महोदय : सरकार इन मुद्दों को नोट कर रही है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं राजस्थान सीमा के प्रश्न पर बोल रहा था। हाल ही में, जफरवाल ग्रुप के सदस्यों को जोधपुर में पकड़ा गया था। श्री बूटासिंह जी जान गये होंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूं और इस ग्रुप के सदस्यों का पकड़ा जाना कितना महत्वपूर्ण है। वे और हम जानते हैं कि राजस्थान से लगी पाकिस्तान और सिंध की सीमा आजकल भौगोलिक रूप से भेद्य हो गई है। आप वहां पर वास्तव में वह कार्य नहीं कर सकते जो आप जम्मू और कश्मीर या पंजाब में कर सकते हैं। वहां मेरा घर भी है यह मुझे काफी कष्ट पहुंचाता है। यह मादक पदार्थ सम्बन्धी आतंकवाद का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लगभग सभी बालूटीलों में आपको मादक पदार्थ छिपे मिलेंगे। यह निर्यात, भारत से पाकिस्तान को पांच सौ रुपये के नोटों के अवैध निर्यात का प्रमुख क्षेत्र है जहां से इन नोटों को लाहौर होते हुए जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के आतंकवादी गतिविधि वाले क्षेत्रों में लाया जाता है। राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र पहले ही हथियारों के आयात का क्षेत्र बन गया है। कृपया आप स्मरण कीजिये कि जहाँ मादक पदार्थों का आयात किया जाता है वहाँ हथियारों का भी आयात किया जाता है। मैं यह भी कहता हूँ कि भारत और सिंध पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सीमा है जहाँ से वर्तमान में सुनियोजित, संगठित और नियमित रूप से कार्मिक प्रवेश कर लेते हैं। इन बातों को नोट कीजिए। मैंने पिछली सरकार और उससे भी पिछली सरकार को इसके बारे में लिखा था। मैं इस सरकार को राजस्थान सीमा से होने वाले आंतरिक खतरे से आगाह कर देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में राजस्थान सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं कानून व्यवस्था के पहलू पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। राष्ट्रपति ने साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति में कंपोजिट रैपिड ऐक्शन फोर्स तैनात करने को कहा है। जैसा कि पहले हमने कहा है कि मैं एक के बाद दूसरे सुरक्षा बल के लगातार गठन के बिल्कुल ही विरुद्ध हूँ। हमने इस प्रवृत्ति को पिछले दशक या उससे भी पिछले दशक से प्रदर्शित किया है। हम प्रत्येक घटना के लिये एक नया सुरक्षा बल गठित करते हैं। हमारी प्रवृत्ति है कि हम प्रत्येक नये अपराध के लिए एक नया विधान बनाते हैं। मुझे प्रस्ताव लाने वाले माननीय सदस्य को यह कहने का सुअवसर मिला था जब वे केन्द्रीय गृह मंत्री के पद पर थे। यह एक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को हमें रोकना है। प्रत्येक नये अपराध के लिए एक नया कानून बनाया जाता है और प्रत्येक घटना के लिए एक नया सुरक्षा-बल गठित किया जाता है। यह एक अनंत स्थिति है। पिछली सरकार ने "राष्ट्रीय राइफल्स" नामक एक सुरक्षा बल का गठन करना चाहा था। मुझे पता नहीं कि वे राष्ट्रीय राइफल्स अब कहाँ है। मैंने इसका उस समय भी विरोध किया था। मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री को कहा था कि मुझे राष्ट्रीय राइफल्स का गठन बिल्कुल अनावश्यक लगता है। उसी प्रकार, यह रैपिड ऐक्शन फोर्स भी अनावश्यक है।

महोदय, हमारे यहाँ सिविल सर्विस और अफसरशाही है। लेकिन वास्तव में ये रफ्तार से कार्य करने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। महोदय, मुझे पता नहीं है कि आप "रैपिड ऐक्शन" से क्या समझते हैं। क्या आप इसे हेलीकाप्टरों से सज्जित करना चाहते हैं ? इस प्रकार के शब्द भ्रामक हैं। तब, काम्पोजिट शब्द का क्या अर्थ है ? आप यह क्यों नहीं कहते कि यह सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करेगा ? आप इसे "कम्पोजिट" कहकर अनावश्यक सुरक्षा बल के गठन का सुझाव देते हैं। इससे इसकी प्रभाविकता और क्षमता पर असर पड़ेगा।

मेरा विचार है कि आप एक सुरक्षा बल के बाद दूसरा सुरक्षा बल सृजित करने के इस सम्पूर्ण कार्य पर पुनः विचार करें। मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि के विरुद्ध हूं।

इस अभिभाषण में मेरी सबसे बड़ी आपत्ति पैराग्राफ दस के बारे में है। पैराग्राफ 10 की लगभग चार,पांच पंक्तियां इस सरकार की सम्पूर्ण सुरक्षा नीति का उल्लेख करती हैं। यह एक भयावह स्वीकृति है। यदि इस सरकार से सुरक्षा सम्बन्धी तैयारियों के बारे में कहने को कहा जाये तो इससे सम्पूर्ण सुरक्षा का जो दृश्य उभरेगा वह काफी दुःखद होगा। अभिभाषण में भारत के पड़ोसी देशों में अथवा इस के इर्द-गिर्द विद्यमान सुरक्षा के वातावरण का कोई उल्लेख नही किया गया है। अभिभाषण में इसके अलावा, कि हामरा रक्षा बल उत्कृष्ट हैं, हम उनकी पीठ थपथपाते हैं लेकिन वे थोड़ा सा काम के थकान से थके नजर आते हैं और इसलिए, हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिये, विद्रोह, आतंकवाद आदि जैसे आंतरिक कारणों से उत्पन्न सुरक्षा के खतरों के बारे में एक वाक्य भी नहीं कहा गया है। मैंने इस दस्तावेज में जो सब से बड़ी कमी पाई गई है वह है सशस्त्र बलों से सम्बन्धित अपमान जनक पैराग्राफ। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस के विचार में देश के समक्ष क्या खतरे हैं, इराक युद्ध के बाद इस के मन में सुरक्षा के क्या दृश्य उभरे हैं। अभिभाषण के साड़े तीन पृष्ठों पर विदेश निति का विवरण किया गया है जब कि रक्षा के सम्बन्ध में चार पंक्तियों का एक छोटा सा पैराग्राफ है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार रक्षा सम्बन्धी पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करे। यह बात भलीभांति सभी जानते हैं कि राजीव गाँधी की सरकार ने रक्षा सम्बन्धी सातवीं पंचवर्षीय योजना को अत्यधिक विलम्ब से स्वीकृति दी थी। वस्तुत: रक्षा सम्बन्धी सातवीं पचवर्षीय योजना को इसके आरम्भ होने के तीन साल के बाद स्वीकृति दी गई थी और उसके बाद रक्षा मंत्रालय को यह कहा गया कि रक्षा सम्बन्धी सातवीं पंचवर्षीय योजना को बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के स्वीकृति दी गई है। हम रक्षा सम्बन्धी आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम रक्षा सम्बन्धी आठवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति जानना चााहते हैं क्योंकि ये योजनायें अन्य योजनाओं के समकालिक हैं।

महोदय, मैं सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मामलों से भी चिंतित हूँ। मैं इनका संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूँ क्योंकि रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विस्तार से प्रकाश डालने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा हम अभी एक अन्य समस्या से जूझ रहे हैं और जीवन की यह वास्तविकता गुणकारी नहीं बल्कि परिमाणात्मक है कि हम रूस या पूर्वी गुट के देशों पर 70 प्रतिशत सैनिक उपकरणों, हार्डवेयर और हथियार के लिये निर्भर हैं। यह अब पर्याप्त स्पष्ट कारणों से उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह आज उपलब्ध नहीं है, यह विगत डेढ़ वर्ष या अधिक समय से उपलब्ध नहीं है और यह भविष्य में भी उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि यह दुर्लभ मुद्रा के बदले न हों। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस बारे में सोचा है। परन्तु यह एक चिन्ता की बात है। इसने पिछली सरकार को हिला दिया था जब हमारे और हमारे पड़ोसियों के बीच संवधों में अचानक गिरावट आई थी। यह स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संबध में स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि अचानक पूरी आर्थिक परिस्थिति में रिक्तता उभर आई है जहां परिवर्तनीय मुद्रा की कमी है और जहां विक्रेता और कुछ नहीं केवल परिवर्तनीय मुद्रा चाहता है और अभी तक किसी अन्य वैकल्पिक स्रोतों का भी पता नहीं चला है। सरकार इसके संबंध में क्या कर रही है?

4.19 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यह एक लघु पैरा है जिसमें पूरी रक्षा नीति आ जाती है। रक्षा बजट में कटौती के बारे में आम तौर पर मांग की जा रही है। तब यह कहा जाता है "नहीं, हम रक्षा बजट में कटौती नहीं करेंगे। रक्षा सेनाओं की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं के बारे में इस तरह के तर्क की चर्चाएँ चलानें से वास्तव उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस सबध में संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति उचित रूप से अवश्य होनी चाहिए। उनका उचित रूप से आकलन होना चाहिए और उचित रूप से उनकी पूर्ति की जानी चाहिए और तदन्तर उनका अत्यधिक मितव्यता और दक्षता में प्रयोग होना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। श्री अरुण सिंह को उस समिति का सभापति बनाया गया था जिसने रक्षा खर्च के सभी पहलुओं का अध्ययन किया था। मेरे विचार से श्री अरुण सिंह ने उस समिति की रिपोर्ट सरकार को

91-M/J(N)291LSS—10

प्रस्तुत कर दी थी। मेरे विचार से इस समिति ने बहुत सार्थक कार्य किया है. . . . (व्यवधान) . . । वास्तव में, इस समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर ब्यौरेपूर्वक विचार किया था। अतः, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट की स्थिति क्या है, क्योंकि रक्षा खर्च में कमी पर भी उसमें विचार किया गया है । क्या आपने इसकी जांच कर ली है ? क्या आपने इसके संबंध में निर्णय ले लिया है ? आप उस रिपोर्ट पर सरकार के विचार क्यों नहीं स्पष्ट करते ? महोदय, मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि अन्य बहुत से वक्ता इस पर बोलना चाहते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के संबध में मुझे कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने हैं। इन स्पष्टीकरणों की मांग के साथ साथ मेरा यह अनुरोध है कि मेरे इन स्पष्टीकरणों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करने पर नहीं तो कम से कम इस सरकार की कार्यसूची में शामिल करने हेतु सुझाव माना जाए, क्योंकि हाल ही में सदन के नेता ने एक राष्ट्रीय कार्यसूची बनाने की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में कहा था । मैं समझता हूँ कि इस पहलू को और अधिक समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार, चाहे वह किसी भी राजनैतिक दृष्टिकोण वाली हो, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के पहलू को अनदेखा नहीं कर सकती। मैं गम्भीरतापूर्वक सरकार के समक्ष यह सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं, चाहे आप इन्हें इस दस्तावेज में शामिल करें या न करें क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसे तैयार करने के लिए आप के पास बहुत कम समय था और मैंने उक्त प्रस्ताव के लिए औपचारिक संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किये हैं, लेकिन मैं पूरी निष्ठा से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के प्रश्न की ओर अपना दिमाग लगाएं। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के संबंध में अपने विचारों से हमें अवगत कराऐं। 2000 ईस्वी तक आणविक ऊर्जा के 10,000 मैगावाट के लक्ष्य की स्थिति क्या है, इस की प्रस्थिति क्या है? तेल के प्रश्न की प्रस्थिति क्या है? और तेल के बारे में बात करते समय, मैं राष्ट्रीय परिवहन नीति के बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूँ। ऊर्जा नीति और परिवहन नीति एक दूसरे से संबद्ध हैं । मैं आपको केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि हम राजनीति में प्रवेश ही क्यों करते हैं। हममें से कुछ को जयपुर—क्योंकि यह हमारे राज्य की राजधानी है—कई बार जाना पड़ता है । प्रत्येक बार जब हम दिल्ली से सड़क मार्ग से जयपुर जाते हैं तो यह यात्रा हम अपने जीवन को जोखिम में डाल कर करते हैं। यह सड़क एक खतरनाक सड़क है। यातायात उससे भी अधिक खराब है। परन्तु यदि एक ऐसी तेज गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाये जिसमें जयपुर और दिल्ली के बीच 3—4 घंटे का समय लगे तो जयपुर जाने वाली एकमात्र सड़क पर यातायात की इतनी भीड़ क्यों होगी ? राष्ट्रीय परिवहन नीति से मेरा यही तात्पर्य है। पंजाब के किसी कोने से चल कर दक्षिण को जाने वाली अत्यधिक लारियों से सड़कों को अवरुद्ध करने की अपेक्षा एक अधिक कुशल रेल नेटवर्क क्यों नहीं स्थापित किया जाता ? मैं राष्ट्रीय परिवहन नीति के बारे में लम्बी बातें नहीं कहता रहना चाहता, परन्तु राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय परिवहन नीति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक सुधारों में पूर्ण परिवर्तन और नई व्यापार नीति के संबंध में उठाए गये कदमों का स्वागत करते हैं। नई औद्योगिक नीति घोषित की जाने वाली है। इसलिए मैं योजना आयोग की भूमिका और कार्य के संबंध में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप श्री प्रणव मुखर्जी को काम देना चाहते थे। यह पूर्णतया समझे जाने योग्य है। उनको काम अवश्य दें परन्तु उनको काम देने के पश्चात्,

आप योजना आयोग से क्या काम लेना चाहते हैं ? हम यह जानना चाहते हैं कि आप योजना आयोग को क्या कार्य करने के लिए देंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या वह इसके परिसमापन के लिए नहीं है ?

श्री जसवन्त सिंह : परन्तु तब, हम इसकी सतत प्रासंगिकता के बारे में जानना चाहते हैं ।

महोदय, मेरा अगला सुझाव संचार और सूचना से संबंधित है । आप के स्वर्गीय नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि वे उन कुछ व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने संचार और सूचना की अत्यधिक महत्ता को पहचाना था । मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि वास्तव में इस दस्तावेज में सरकार की संचार और सूचना संबंधी कोई नीति दिखाई नहीं पड़ती है । मुझे राष्ट्रपति के इस अभिभाषण से केवल एक पैरा पढ़ कर सुनाना पड़ रहा है जो वास्तव में मेरे कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि यह दस्तावेज घिसी पिटी बातों से भरा हुआ है ।

> "अधोसंरचना की ओर सरकार अत्यधिक ध्यान देगी । ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया जायेगा । इस्पात उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए कदम उठाए जायेंगे । रेल परिवहन के आधुनिकीकरण और क्षमता में वृद्धि पर ध्यान दिया जायेगा । दूरसंचार सेवाओं को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।"

नौकरशाही शब्दों में इसका अर्थ यह है कि उनको फाईल अब से एक सप्ताह पहले प्राप्त हुई होगी....... **(व्यवधान)** इसलिए, मैं चाहता हूँ कि सरकार दूरसंचार और सूचना को और ध्यान दे और अपने विचारों से हमें अवगत कराए ।

मुझे सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करनी है कि सोलह पृष्ठों के इस छोटे से दस्तावेज में उसने $3\frac{1}{2}$ पृष्ठों में विदेश नीति का वर्णन किया है । मैं उस सब की जांच नहीं करना चाहता जो उन्होंने कहा है क्योंकि उसकी विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों के समय तक प्रतीक्षा की जा सकती है । तथापि, यहाँ दो प्रमुख कमियां हैं । विदेश नीति को $3\frac{1}{2}$ पृष्ठ देने के बावजूद भी विदेश आर्थिक नीति पर एक वाक्य भी नहीं कहा गया है । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आज के युग में विदेश आर्थिक नीति के अनुसार ही विदेश नीति चलती है । विदेश नीति के राजनैतिक पहलुओं का राजनैतिक दृष्टि से ही आकृष्ट हो सकता है लेकिन उससे बाद आगे उसका कोई महत्व नहीं है । आज विदेश आर्थिक नीति विदेश नीति की आत्मा है । आप अपनी विदेश नीति में कोई राजनैतिक तत्व नहीं भी रख सकते लेकिन आप आर्थिक विचारधारा रख सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस दस्तावेज में एक बड़ी कमी विदेश आर्थिक नीति और विदेश आर्थिक नीति संबंधी मुद्दों के रूप में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में एक भी वाक्य का न दिया जाना है ।

मैंने रक्षा से संबंधित शस्त्रों के बारे में काफी सुना है । मैंने सोवियत संघ और पूर्वी ब्लाक के देशों के बारे में यह सुना है परन्तु यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि इसमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि हम सोवियत संघ और पूर्वी ब्लाक देशों के साथ अपने व्यापार संबंध किस प्रकार बदलेंगे और रुपया-रूबल व्यवस्था का क्या भविष्य है और यह कितने समय तक चलेगी, आखिरकार हमारी समूची विदेश आर्थिक नीति का काफी बड़ा प्रतिशत कल के उस दैत्य से जुड़ा है । हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे और हमें अपने दृष्टिकोण से अवगत कराए ।

मैं एक अन्य कमी का उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त करूंगा, जो वास्तव में दसवें आम निर्वाचन संबंधी टिप्पणियों के अन्तर्गत आना चाहिए था। आप चुनावों से जुड़ी इतनी अधिक हिंसा देख चुके हैं, लेकिन चुनाव सुधारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। आखिरकार, विगत संसद इस समस्त प्रक्रिया से गुजरी थी। एक संयुक्त संसदीय समिति ने इस समस्त पहलू की जांच की थी, और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और जब आप चन्द्रशेखर सरकार के समर्थक थे, तो उस समय आप ने इसे एक अन्य संयुक्त संसदीय समिति को भेजकर इस मसले को ठण्डा कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसे पुनः जीवित करे और चुनाव सुधारों के संबध में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं क्योंकि इसमें विलम्ब ठीक नहीं है।

ये दिन निःसन्देह असामान्य है। क्योंकि ये इतने असामान्य दिन हैं, शायद इसलिये हम इस दस्तावेज में कुछ असामान्य वस्तु तलाश रहे थे। मुझे खेद है कि मुझे कोई असामान्य बात इस दस्तावेज में नहीं दिखाई दी। निःसंदेह यह चुनौती और परीक्षा के दिन हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वय कहा है कि ये दिन चुनौती और परीक्षा के हैं। हम इस दस्तावेज में उस की गम्भीरता की छाया देखना चाहते थे और वह हमें नहीं मिलती। परन्तु यदि ये चुनौती और परीक्षा के दिन हैं, तो मेरे विचार से ये दिन अत्यधिक क्षमता और असामान्य अवसर के भी हैं। वह भी तो इसमें नहीं दिया गया है। महोदय, दसवें आम निर्वाचन के बाद निःसंदेह एक नया युग आया है; चाहे हम इसे पहचानें या नहीं। कल के मुहावरों, कल की प्रतिमाओं, कल की पूर्वधारणाओं को केवल मामने से न आज का उद्देश्य प्राप्त होगा और न ही कल का उद्देश्य प्राप्त होगा। हम इस दस्तावेज में इस बात की तलाश कर रहे थे कि इसमें राष्ट्र को एक प्रोत्साहात्मक तरह का संदेश मिलेगा जो हमें ऊंचा उठायेगा, जो हमें निश्चय ही एक दिशा प्रदान करेगा। परन्तु ऐसा कुछ भी इस में नहीं है। मुझे खेद है, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे इस दस्तावेज का समर्थन करूं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलायुतुराई) : क्या आप मुझे यह बता सकते है कि क्या कोई अन्य दल भी है जो आपके दल से भी अधिक, पुराने कल की प्रतिमाओं की पूजा करता है?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति प्रदान करेंगे तो मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह एक रुचिकर प्रश्न है; कुछ दार्शनिक है। कुछ प्रतिमाएँ तो राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी होती हैं। वे राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी होती है। आपका प्रश्न निःसन्देह, राम से सम्बन्धित है। अब मैं इसे पूरी गम्भीरता से आप से कहता हूँ कि आप राम को भारत की चेतना से अलग कर दीजिए और मैं नहीं जानता कि आप को कैसा भारत दिखाई देगा ..... **(व्यवधान)** राम केवल एक प्रतिमा ही नहीं हैं। राम सांस्कृतिक चेतना का अंग है। राम भारत की सभ्यता युक्त चेतना की पूर्णता का एक भाग है। राम सिर्फ एक प्रतिमा ही नहीं है। **(व्यवधान)** प्रश्न करने वाले शायद मेरे उत्तर को समझ रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप इसे फीका कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इसे फीका नहीं कर रहा हूँ। यह सम्भव है कि आपका वह दृष्टिकोण न हो। मैं केवल उन स्पष्टीकरणों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ जो मांगे गए हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

हम कहते हैं कि उस का राम उतर गया, ऐसे में राम कोई मूर्ति के रूप में नहीं उतरा है। वह केवल मूर्ति ही नहीं है जिसकी पूजा, अर्चना और आरती करते रहें। राम उतर गया है तो हम कहते हैं उसकी इंसानियत उतर गई है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : यदि राम हमारी सभ्यता की चेतना से इतना जुड़े हैं, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को 1952 से 1984 तक 32 वर्षों में क्यों नहीं उठाया ?

श्री जसवंत सिंह : यह पूर्णतया वैध प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न और उत्तर में लगे रहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से यह प्रश्न बहुत संगत है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : गऊ माता के बारे में आप की क्या राय है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं एक बात कह सकता हूं। वह मेरा मित्र है। निर्वाचन से पहले और निर्वाचन के बाद के समय में राम के संबंध में उनके विचारों में काफी परिवर्तन आया है।

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रत्येक पूछे गये प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, और मैं वास्तव में इस पर चर्चा चाहता हूँ। आखिरकार यह सभा उस तरह के वाद विवाद के लिए ही है। मेरे विचार से जो प्रश्न प्रश्न पूछे गये हैं और जो स्पष्टीकरण मांगे गये हैं उनके उत्तर दिये जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने भाषण दिया है।

श्री जसवंत सिंह : इसे मैं अपने मित्र के साथ व्यक्तिगत वाद-विवाद के लिए छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन किसे आमंत्रित करेगा ?

श्री जसवंत सिंह : हम आपको आमंत्रित करेंगे। **(व्यवधान)**

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। मैं शिष्टाचार तथा ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : पहले भारतीय संस्कृति को समझिए उसके बाद ऐसा बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी है। श्री जसवंत सिंह, आप इसका उत्तर न दें।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, क्या आप मुझे अंतिम वाक्य कहने की इजाजत देंगे? निःसंदेह यह एक वार्षिक रस्म है, यह एक वार्षिक घटना है, तथा प्रत्येक नये वर्ष के आगमन पर, प्रत्येक नई सरकार बनने पर भारत के राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं तथा तत्कालीन सरकार संघ के भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के संयुक्त सत्र द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वास्तव में यह तत्कालीन सरकार का कथन होता है। इसीलिए मैं गणतंत्र के मुख्य के प्रति कोई अनादर नहीं प्रकट कर रहा हूँ। जबकि मेरे द्वारा बताई गई त्रुटि के कारण, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का, जिसका प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है समर्थन करने में असमर्थ हूँ।

मैं आपके सद्भाव और मेरी बात पर ध्यान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डॉ० विश्वनाथ शर्मा (गाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए धनराशि का उपबंध करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम रेलवे मुख्यालय को बम्बई से अहमदाबाद स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रमों को भेजने के लिए अहमदाबाद और दिल्ली दूरदर्शन के बीच माइक्रोवेव संबंध स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए; अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु और सीमान्त किसानों की सहायता योजना' जिसे राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात के आधार पर 1983-84 में केन्द्रीय प्रायोजक योजना के रूप में आरंभ किया गया था को जारी रखने के इरादे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नमक उपकर के रूप में एकत्र की गई धनराशि समर्थित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वियन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

[हिन्दी]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :--

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर तथा असम में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण वहां से अल्पसंख्यक वर्गों के पलायन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात तथा विशेष कर अहमदाबाद की बन्द वस्त्र मिलों को पुनः खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात की बन्द वस्त्र मिलों के कामगारों को सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चिपाबाद, गुजरात को संयुक्त गैस पाइप के माध्यम से बाम्बे हाई से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अहमदाबाद शहर, गुजरात को पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य तेल के आयात के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में चीनी की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए राज्य के लिए चीनी के कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजकोट—पेरावल छोटी लाइन को बड़ी लाइन मे बदलने तथा इसे पहाड़ीनगर तक बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (50)

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी राज्य, अर्थात् उत्तरांचल बनाने के लिए सरकारी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(10)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक-एक पैंशन' देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) :) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्लो के विकास की किसी ठोस योजना और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाने के लिए उठाए जाने वाले कारगर कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों जिन्हें अनारक्षित कर दिया गया है, के बदले में उन जातियों के लोगों को उतने ही पद उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कारगर कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

(अनुवाद)

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अन्दर शिक्षित बेरोजगारी की बढ़तो समस्या और उसके शीघ्र-अति-शीघ्र सार्थक समाधान की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों, विशेष कर उड़ीसा राज्य में विनाशकारी बाढ़ से हुई जान-माल की हानि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तथा सामाजिक ढांचे को बचाने के लिए सार्वजनिक जीवन में बढ़ते हुए कदाचार को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनकी उपजों की समय पर उचित किमत दिलाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में और विशेषकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में बिजली के संकट के शीघ्र समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य से बलियापाल राष्ट्रीय परीक्षण स्थल को स्थानांतरित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में चुनाव सुधारों, जिनका काफी समय से इन्तजार है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता और राज्यों को अपना विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

श्री सुधीर गिरि (कोंटाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार चौदह आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियत करेगी तथा समूचे देश में आम जनता को निर्धारित मूल्य पर उनकी आपूर्ति करने की जिम्मेवारी लेगी।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि कुछ विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए का अवमूल्यन सभी राजनैतिक दलों से सलाह-मशविरा किए बिना किया गया।"। (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि भविष्य में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरों को पूरे वर्ष काम उपलब्ध किया जाएगा।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में नमक कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन सुधार करने के बारे में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (27)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में चुनाव कराने की नई तारीख के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इंग्लैंड को 25 टन सोना भेजे जाने के बारेमें कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीन दिन के भीतर रुपये का 20 प्रतिशत अवमूल्यन किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि लोगों से किये गए वायदे के अनुसार कीमतों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में घुसपैठियों को भेजने में पाकिस्तान की कार्यवाही का कारगर ढंग से प्रतिकार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस समय चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए सभी समुदायों द्वारा समान उत्तरदायित्व में भागीदारी से सम्बन्धित कानून बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान सिविल संहिता अथवा परिवार कल्याण को अनिवार्य बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक निर्धारित तिथि तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और बीमा कम्पनियों में सभी आरक्षित पदों के बकाया को भरे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए संसदीय समिति के गठन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (320)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा असम में आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों की हत्या को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधार तत्काल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति के समान प्राकृतिक विपदाओं की मार को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए किए जाने वाले ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण लोगों को हो रही अत्यधिक परेशानी को कम करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम का अधिकार" को मूल अधिकार बनाने, ताकि बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य देने तथा कृषि श्रमिकों को आवास तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित राज्य सरकारों की परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को हो रही कठिनाई तथा निराशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गाडगिल फार्मूले को पुनः लागू करके राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास कार्यों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए राज्यों को राजस्व का देय भाग देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान चुनाव व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों, सभी उम्र की विधवाओं तथा निशक्त व्यक्तियों को पेंशन देने में सरकार की असफलता के बार कोई उल्लेख नहीं है।" (110),

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में खनिज सम्पदा, पर्यटन सड़क, विद्युत तथा पेयजल से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं, जिन्हें केन्द्रीय सहायता मिल रही है की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता का आवश्वासन दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के लिए किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (643)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय किये जाने के लिए किसी आवश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (644)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-पाक तथा भारत-बंगला देश सीमा पर एक निर्धारित समय के भीतर प्रभावी सुरक्षा पट्टी का निर्माण करने के लिए किसी आवश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (645)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानव अधिकार आयोग की तुरन्त नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (646)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के अन्य राज्यों के समान लाने के लिए अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने की आवयकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (647)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्ते खेद है कि अभिभापण में हमारी निर्वाचन प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर करने की दृष्टि से एक निर्वाचन सुधार आयोग का गठन किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (648)

कि प्रस्तव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाष ण में देश के सभी नागरिकों हिन्दू—तथा मुसलमानों के लिए समान कानून बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (649)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा मुनाफे में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (650)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में चुंगी कर खत्म किये जाने के लिए राज्य सरकारों को मुआवजा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (651)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र तथा राज्यों तथा दो राज्यों के बीच विवाद का हल करने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (652)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (653)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में या जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और कृषि पर आधारित उद्योगों के नेटवर्क के लिए उठाये जाने वाले विशिष्ट कदमों के बारे में दृढ़ आश्वासन का कोई उल्लेख नही है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई दृढ़ आश्वासन नहीं है कि सरकार देश में शक्तिशाली उपभोक्ता आन्दोलन के निर्माण तथा सभी उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए कदम उठायेगी।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई दृढ़ आश्वासन नहीं है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकार भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगला देश सीमाओं को प्रभावी ढंग से सील करने के लिए एक सुरक्षा पट्टी बनायेगी।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई दृढ़ आश्वासन नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जायें, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के किसी वर्ग के विरुद्ध अन्याय की शिकायतों की जांच करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर 'मानव अधिकार आयोग' की शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख तथा जम्मू क्षेत्रों के लोगों के संतुलित विकास के लिए उनकी पुरानी मांग की पूर्ति के लिए विकास परिषदों के शीघ्र गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन प्रणाली में व्याप्त विभिन्न कदाचारों तथा कमियों को दूर करने के लिए देश में चुनाव सुधारों के लिए व्यापक संवैधानिक तथा विधायी उपायों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा तथा विदर्भ के विकास बोर्डों के निर्माण के लिए तुरन्त कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सर्वांगीण औद्योगिक विकास में सरकारी क्षेत्र के योगदान को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका पर पुनः विचार करने तथा सरकारी क्षेत्र की इकाईयों की कार्य कुशलता और उनके मुनाफे में सुधार करने के लिये सुदृढ़ और विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निकट भविष्य में छोटे आर्थिक और लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार्य राज्यों के गठन के वचन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी अंतर-राज्यीय और केन्द्र-राज्य विवादों के समाधान के लिये एक अन्तर-राज्यीय परिषद् की नियुक्ति हेतु किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत चुंगीकर को समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मुआवजा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यस्क नागरिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर फोटो लगे पहचान-पत्र देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत लाने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों को वास्तविक रूप से लागू करने हेतु किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए चुनाव सुधारों सहित प्रभावी कदम उठाने, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपबंधों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु किसी निर्देश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-विकासीय व्यय में भारी कटौती करने के लिए निर्धारित समय के अन्तर्गत किये जाने वाले विशिष्ट उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये सरकार के दृढ़ निर्णय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई समयबद्ध आश्वासन दिये जाने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (142)

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(अनुवाद)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन अधिकृत भारतीय भूमि को मुक्त कराने के संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (464)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए वहां गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने में अनावश्यक विलम्ब होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (465)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-नेपाल संबंधों को सुदृढ़ बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

91-M/P(N)249LSS—11

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिलों में कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खिरकिया (जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश), में प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम तेल शोधक कारखाना लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यातायात की सुविधा और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य के एकीकृत विकास के लिए नसीराबाद-मह्हू (चित्तौड़गढ़-नीमच मंदसौर-रतलाम और इंदौर होते हुए) के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयुर्वेद के व्यापक विकास के लिए किसी विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में व्यापक कानून बनाने और उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करने संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में रेल सुविधायें प्रदान करने सहित परिवहन विस्तार की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इंदौर और दाहोद के बीच नई रेल लाइन बिछाने और नीमच-रतलाम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा करने की समय-सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम तथा अन्य जिलों के अफीम उत्पादकों की समस्याओं को हल करने और उन्हें लाइसेंस जारी करने संबंधी किन्हीं प्रस्तावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (474)

[अनुवाद]

श्री इम्चालम्बा (नागालैण्ड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागालैंड सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के प्रवर्तन की वापसी की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

श्री याइमा सिंह युमनाम (भीतरी मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर से सशस्त्र बलों के संबंध में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के प्रवर्तन की वापसी की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर में एक रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के एक महान शहीद वीर टिकेन्द्रजीत के नाम पर राजधानी में एक सड़क के नामकरण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुरी भाषा को भारत की संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर में वहां की विधान सभा की सदस्यता से सात विधायकों को अनर्ह घोषित किए जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों के लिए सात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में शीघ्र चुनाव कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (257)

श्री डी० डी० खनोरिया (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों के लिये एक रैंक एक पेंशन के संबंध में सरकार के निर्णय के बारे गें कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत अन्तरिम राहत दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (166)

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :––

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद को बातचीत के जरिये हल करने के लिए सरकार द्वारा किसी समय-सीमा के निर्धारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा बहुसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों की कीमत पर नहीं की जायेगी।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों की समान रैंक समान पेंशन की मांग को स्वीकार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं ।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होने वाले घाटे को रोकने की आवश्यकता के बारें में कोई उल्लेख नहीं है ।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यटन का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जबकि पर्यटन से हमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी से आये शरणार्थियों का पुनर्वास करने के बारे में किसी प्रकार की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक विकास निगम की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलादेश में हिन्दुओं और चकमा बौद्धों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बंगलादेश की सरकार के साथ मामला उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (515)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाल में भारत विरोधी प्रचार को रोकने के लिए नेपाल की सरकार के साथ मामला उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिंध प्रान्त में हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने तथा उनके पूजा स्थलों को संरक्षण देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (517)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 371(2) में दिये गये उपबन्ध के अनुसार कोंकण, मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्रों के विकास के लिए सांविधिक विकास बोर्डों के शीघ्र गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (518)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के अवमूल्यन और 25 टन सोना इंगलैंड भेजने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वरिष्ठ प्रशासनिक कार्मिकों को बंधक बनाने, रूस के एक इंजीनियर की हत्या करने तथा उसम में 'उल्फा' के सभी उग्रवादियों को रिहा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू कश्मीर में इजरायली पर्यटकों को बंधक बनाए जाने तथा उनकी हत्या करने और भारतीय तेल निगम के कार्मिक को बंधक बनाये जाने तथा कार्मिकों को तत्काल रिहा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नाथ ब्रह्मो चौधरी (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोडोलैंड की समस्या और उसे बातचीत के जरिये शांतिपूर्ण ढंग से कोई स्थायी हल ढूंढने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (189)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोसी, कमला, बागमती, कसोली तथा पंचेश्वर नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांध बनाकर नेपाल से होकर बहने वाली हिमालय से निकली नदियों के पानी का सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, भोजपुरी, राजस्थानी, डोगरी तथा कोंकणी भाषाओं को सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रमुख उद्योगों में सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की परम आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (282)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी कराने की दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं के निजी थोक व्यापारियों को बैंक ऋण न दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादकों के मूल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने, मूल उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्यों तथा वर्ष के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं से लिए दिए गए मूल्यों के अन्तर की सीमा 20 प्रतिशत तक निर्धारित करके कृषि औद्योगिक उत्पादों में समानता लाने के लिए तथा सम्पूर्ण जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में लाने हेतु एक एकीकृत नीति तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (284)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खद है कि अभिभाषण में पंजाब में चुनावों के अचानक स्थगन की आलोचना नहीं की गई है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संकायी चिकित्कों तथा सरकारी अस्पतालों में रोजगार प्राप्त डाक्टरों द्वारा निजी रूप से व्यवसाय करने पर पावन्दी लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (286)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष में 180 दिन अध्यापन, समयबद्ध परीक्षा और परीक्षाफल के संबंध में जारी किये गये विद्या संबंधी तिथि पत्र को दृढ़ता से लागू करने तथा सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापकों द्वारा निजी रूप से ट्यूशन करने पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "एक व्यक्ति एक रोजगार" के आधार पर रोजगार अथवा स्व-रोजगार उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि संबंधी क्रांतिकारी कृषि सुधारों को शीघ्र लागू करने, जिससे कृषि में मालिकाना हक और कृषि क्षेत्र में अर्द्ध-सामन्ती तथा अन्य पूंजीवादी ताकतों की समाप्ति सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (352)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता जैसे जाति विभेदों आदि को तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और दूसरी जातियों के बीच अन्तरजातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए नौकरियों में आरक्षण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपस्करों में समुचित प्रौद्योगिकी, बीजों, उर्वरकों, तथा अन्य निवेशों और ब्याज रहित अल्पकालिक ऋण प्रदान कराकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमान्त और छोटे किसानों की सहायता करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (490)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है की अभिभाषण में महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 को लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक सुधारों और सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में तूफान से अक्सर पीड़ित क्षेत्रों का पता लगाने और इन क्षेत्रों को विशेष अनुदानों आवंटित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (493)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अल्पविकसित पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (494)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

" परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिए बिना देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए अन्य विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी विधेयक पर सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के लिए दृढ़ कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली तथा मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांगों का कोई उल्लेख नहीं है।" (499)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्प-वेतन भोगी फैक्टरी मजदूरों, ताड़ी निकालने वालों, बुनकरों, बीड़ी और भवन निर्माण श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (500)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पत्रकारों के लिए जोखिम बीमा योजना शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (501)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पृथक झारखंड राज्य के लिए आन्दोलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (502)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भंगी मुक्ति तथा बधुआ मुक्ति के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (503)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बिहार, उड़ीसा तथा अन्य पूर्वी राज्यों जैसे अत्य-धिक निर्धनता से पीड़ित राज्यों में निर्धनता को समाप्त करने हेतु किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (504)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बिहार तथा असम जैसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (505)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अथवा काम के अधिकार के लिए संवैधानिक गारंटी के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (506)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 'दोपहर का भोजन' उपलब्ध कराने के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जाड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमांत तथा छोटे किसानों के उत्थान के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (541)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुनाफाखोरी, मिलावट, कर अपवंचन, तस्करी तथा भारतीय धन को विदेशों में अन्तरित करने को रोकने हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।" (542)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंभीर सांप्रदायिक तनाव के विरुद्ध सभी धर्म-निरपेक्ष ताकतों की राजनैतिक एकजुटता हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।" (543)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब तथा कश्मीर समस्या के समाधान हेतु राजनैतिक दलों की किसी नई पहल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (544)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थ व्यवस्था पर सुपर व्यापार 301 के प्रभाव तथा इससे निपटने हेतु किए गए प्रस्तावों का उल्लेख नहीं है।" (545)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के अवमूल्यन के कारण हुए अत्यधिक वित्तीय घाटे का कोई उल्लेख नहीं है।" (546)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के औद्योगिकीकरण के नेहरु मॉडल के सतत अनुपालन द्वारा आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (547)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के अवमूल्यन करने की नीति के कारण आसमान छूती हुई कीमतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (563)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसी ऐसी सुधार नीति का उल्लेख नहीं है जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बढ़ती रुग्णता को दूर किया जा सके ।" (564)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मानक माल भाड़ा दर, जिससे बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों को भारी घाटा हो रहा है, में परिवर्तन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (565)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्: —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केंद्र से राज्यों को तथा पंचायतों को शक्ति के विकेन्द्रीकरण, जो प्रशासनिक लागत को कम करने का एक मात्र साधन है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (566)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को प्रेषण व्यापार पर बिक्री–कर लेने का अधिकार देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (567)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नदी जल के लिये राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (568)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोज़गार लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (569)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (570)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को संरक्षण प्रदान करने तथा उन राज्यों में जहां उसका प्रचलन बढ़ाने, जहां अधिकांश लोगों की मातृ भाषा उर्दू है, की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (571)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में धन तथा बाहुबल के प्रयोग को समाप्त करने के लिये चुनाव प्रणाली में प्रभावी सुधार करने तथा अनुपाती प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (572)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता परिषद् की नियमित बैठकें आयोजित करके तथा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत इसके निर्णयों को लागू करके इसे अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (573)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक सेवा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सहित सभी अलोकतांत्रिक संविधियों का निरसन करके लोगों के लोकतांत्रिक तथा नागरिक अधिकारों का विस्तार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (574)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसाधारण को शीघ्र तथा कम खर्च पर न्याय सुनिश्चित् करने के लिये न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (575)

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ जैसी यूनियनों के माध्यम से कृषि मजदूरों के कल्याण, सबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किसी विस्तृत कल्याण योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को रोकने में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी करने की निरन्तर बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (362)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (363)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामाजिक वानिकी के विकास में ग्राम पंचायतों की भागीदारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (364)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण युवकों के बारे में किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है ।" (365)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण निर्धनों के लिए शौचालयों, भवनों और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का प्रावधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (366)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा को औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने तथा वहां इलैक्ट्रांनिक तथा अन्य प्रदूषणमुक्त उद्योग स्थापित करके कुटीर उद्योगों में लगे कर्मकारों तथा शिल्पकारों के हितों की रक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (387)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में रोज़गारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने, बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने तथा उनके जीवन निर्वाह के लिए उन्हें बेरोज़गारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (388)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगरा में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (389)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में एक सिविल हवाई अड्डा बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (390)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (391)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा स्थित राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बदलने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (392)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक गैस पाईप लाइन बिछाने, तथा जानवरों के गोबर तथा लकड़ी के स्थान पर आगरा के गांवों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (393)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा को एक नई यात्री गाड़ी के माध्यम से पूर्वी भारत (असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा) तथा बम्बई से जोड़ने तथा यातायात के सुचारु

आवागमन को सुनिश्चित् करने की दृष्टि से वहां एक केन्द्रीय रेलवे स्टेशन की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (394)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा को केन्द्रीय विद्युत् ग्रिड से पर्याप्त बिजली सप्लाई करने तथा विद्युत् सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आगरा में एक गैस-आधृत विद्युत् स्टेशन की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (395)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा छावनी रेलवे स्टेशन और राजामंडी रेलवे स्टेशन का विकास करने और राजामंडी रेलवे स्टेशन पर अधिक रेलगाड़ियों को ठहराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (654)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित करने तथा दिल्ली पर दबाव कम करने के लिए वाणिज्यिक और सरकारी कार्यालयों को आगरा का विकास करने के पश्चात् वहां स्थानान्तरित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (655)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में दूरदर्शन केन्द्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल-कूद स्टेडियम और शुष्क पत्तन स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (656)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रृंगी ऋषि आश्रम, सुरकुटी, रुनकता में भगवान परसुराम का जन्म स्थान, सुर सरोवर, कठिम, बटेश्वर के घाट, एवम् शिव मन्दिर और शौरीपुर स्थित जैन तीर्थ जैसे पर्यटन महत्व के स्थानों का विकास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (657)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश, विशेषकर आगरा में सूखे के कारण कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में क्षति को पूरा करने के लिए सूखा राहत उपायों हेतु विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (658)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराके वहां जल संकट टालने हेतु उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (659)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में और अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आगरा के नियोजित सौन्दर्यकरण और विकास हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (660)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सहायता द्वारा आगरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक अत्याधुनिक आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (661)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने सभी ज़िलों में बम निष्क्रिय दलों (एण्टी बम स्कवैड) का गठन करने तथा वहां आतंकवादी गति-विधियों को रोकने संबंधी अनुरोध को स्वीकृति देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (662)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि को उद्योग का दर्जा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (663)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ताजमहल को प्रदूषण से बचाने, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु और अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के आगरा और राजस्थान के भरतपुर में तेजी से बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए समय पर उपाय करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए विशेष अनुदान देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (665)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के लिए हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित पर्यावरणीय कर्मी दल गठित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा नीति में सुधार करने तथा चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में होशियारपुर-अम्ब-नादौन, हमीरपुर, अवाहादेवी-सरका-घाट-मण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में आवर्ती बाढ़ को रोकने के लिये स्वान नदी तथा इसकी 73 सहायक नदियों के लिए जलमार्ग बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (441)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।।" (442)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृक्षारोपण की एक अद्वितीय योजना—"वन लगाओं रोज़ी कमाओ" के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (443)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेना में भर्त्ती के लिये राज्य की जनसंख्या के बजाय योग्यता तथा कर्त्तव्य परायणता को मूल मानदण्ड बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (444)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य को एक विशेष दर्जे वाला राज्य बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (445)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऊर्जा क्षेत्र में गैर-सरकारीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (446)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (447)

91-M/J(N)249LSS—12

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए "समान रैंक समान पैंशन" दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (448)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (449)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में बड़ी रेल लाइन का विस्तार किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (450)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (451)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में एक आयुद्ध निर्माण कारखाना लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (452)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (453)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण वस्तुओं की आसमान को छूने वाली कीमतों से जनता को राहत दिलाने के लिए किसी विशिष्ट योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (454)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर तथा असम में आतंकवादियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बंधक बनाये जाने को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (455)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन के सभी क्षेत्र में गिरते हुए नैतिक स्तर को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (456)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में पेय जल की समस्या को स्थायी रूप से हल करने तथा राज्य के रेगिस्तानी इलाकों तथा अरावली क्षेत्र का विकास करने के लिए किसी एकीकृत योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (457)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को एक आत्मनिर्भर तथा नाभिकीय क्षमता वाला शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (458)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली-अहमदाबाद की मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने तथा शहर के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अजमेर में एक हवाई अड्डा बनाने के किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (459)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण म देश के व्यापक हित में लोगों के मन में देश भक्ति की भावना और लगन से कार्य करने की भावना उत्पन्न करने के सम्बंध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले किन्हीं कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (527)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पशुधन के संरक्षण के लिए पशुओं के वध पर पूर्णत रोक लगाने के प्रस्तावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (528)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमावर्ती क्षेत्रों में रह-रहे लोगों के रहन-सहन में सुधार करने तथा सीमावर्ती गांवों में मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किन्हीं प्रस्तावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (529)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों, जवानों जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है तथा जो युद्ध में मारे गये हैं, के बच्चों तथा विधवाओं के कल्याण के लिए किन्हीं विशिष्ठ उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (530)

कि प्रस्ताव के अन्त म यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों को "समान रैंक समान पेंशन" देने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जाने के बार में कोई उल्लेख नहीं है।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की वन सम्पदा के संरक्षण तथा वृद्धि के लिये किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।" (532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के स्तर में सुधार करने, कालेजों और विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को रोकने तथा अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों में बढ़ोत्तरी करने के लिए उठाये जाने वाले किन्हीं प्रस्तावित कदमों के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।" (533)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने, बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा सभी शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए किन्हीं विशिष्ट उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (534)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (535)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में युवकों के बहुमुखी विकास तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवादी, साम्प्रदायिक और विघटनकारी तत्वों के हाथों सताये जाने तथा उत्पीड़न के कारण कश्मीरी विस्थापितों, जिन्हें घाटी से भागना पड़ा है के पुनर्वास तथा उन्हें जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिये प्रस्तावित किन्हीं विशिष्ट उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (537)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान तथा चीन के कब्ज़े में भारत की भूमि को मुक्त कराने के किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (538)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन के लिए किन्हीं ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (539)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमारी रहित स्वस्थ समाज की स्थापना के लिय उठाये जाने वाले किन्हीं ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (540)

[अनुवाद]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये; अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 15-8-1947 की यथास्थिति बनाए रखते हुए सोमनाथ मंदिर की पवित्रता बनाये रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

श्री दलीप भाई संघानी (अमरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात के किसानों को बीमा फसल की बकाया राशि देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अभूतपूर्व वित्तीय संकट को दृष्टि में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग गठित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (576)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 के अन्तर्गत प्रसार भारती प्रसारण निगम की तुरन्त स्थापना किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (601)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इलैक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों को विदेशी तथा स्वदेशी एकाधिकार घरानों के हाथों में जाने को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (602)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसार महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की तुरन्त आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (603)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क स्कूल शिक्षा सुनिश्चित किये जाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (604)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बजट में 6 प्रतिशत धनराशि आवंटित करने तथा सभी स्तरों पर बजटीय आवंटन में कटौती न करने की आवश्यकता के बार में कोई उल्लेख नहीं है।" (605)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक एसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी बहस शुरु करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक जीवन के स्वस्थ विकास तथा ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में लोक-संस्कृति के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया हो।" (606)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में काम के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (607)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली तथा मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (608)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के प्रश्न से सम्बन्धित ऊरुग्वे व्यापार वार्ता में तीसरी दुनिया के देशों के प्रति अमरीकी प्रशासन के दुराग्रहपूर्ण रवैये का कोई उल्लेख नहीं है।" (675)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण अफ्रीका की सरकर की रंगभेद की नीति के अभी तक बरकरार रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (676)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में धर्म-निरपेक्षता तथा जन-कल्याण के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा अन्य लोक सेवकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (609)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम तथा शिक्षा के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (610)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'स्वास्थ्य तथा आवास के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (611)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को आवश्यक आर्थिक तथा राजनैतिक शक्तियों का उचित हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र-राज्यों के वर्तमान संबंधों को नया रूप देने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (612)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान भाड़ा समकरण नीति में, जो देश में विभिन्न भागों में वृद्धि और विकास में असंतुलन का कारण बनी हुई है, परिवर्तन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (613)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल-श्रम को समाप्त करने के लिये तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (614)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के कथित प्रतिकूल प्रभाव तथा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (615)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्यमान आर्थिक संकट को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों से बार-बार कर्ज लेने की बजाय कोई भारतीय हल ढूंढने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (616)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेल निकालने के कार्य को युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (617)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों के लिए कानून बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (618)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायिक सुधारों के लिये कानून बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (619)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सघन तथा सटे हुए क्षेत्रों में रहरहे- आदिवासी तथा अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के लिये स्वशासन सुनिश्चित् करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (620)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय युवा तथा खेल नीति तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (621)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (622)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्द उद्योगों को पुनः खोलने तथा उद्योगों में रुग्णता को दूर करने के लिये तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (623)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन उद्योग का तथा कुछ प्राथमिक औद्योगिक इकाईयों जैसे बंगाल पोटरीज, मोहिनी मिल्स, इत्यादि के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (624)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिये कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (625)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता से किये गये वायदों के अनुसार बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (626)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के झुग्गी झोंपड़ियों में आवास तथा पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (627)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुफसल प्राप्त करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का व्यापक रूप से विस्तार करने के लिये राज्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (628)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तुरन्त कम करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (629)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रास्फिति को कम करने और अप्रत्याशित अनुपात में आर्थिक संकट पैदा करने वाले काले धन की निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (630)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी का भी कोई उल्लेख नहीं है।" (631)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीनों में भूमि के वितरण जैसे आमूल भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (632)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय और जूट का व्यापार सरकार द्वारा किये जाने का, जिनसे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है, कोई उल्लेख नहीं है।" (633)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी और रोजगार की कमी पर रोक लगाने और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से काम के घंटे और कार्यभार कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (634)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित निदेश नीति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (635)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (636)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 2000 ई० तक 'सभी के लिये स्वास्थ्य' के सम्बन्ध में आल्मा-आटा सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (637)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिदिन की चौदह आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ती दर पर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (638)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के आदिवासी लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं और उनके सर्वांगीण उत्थान की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (639)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित/जनजाति क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (640)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनजातीय लोगों द्वारा अपनी जातीय संस्कृति, भाषा तथा रहन-सहन के ढंग की रक्षा करने के उद्देश्य से उनके द्वारा स्व:शासन अथवा होम लैण्ड जैसी मांगों को पूरा करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (641)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (642)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी पूजा स्थलों के सम्बन्ध में 15 अगस्त, 1947 की यथास्थिति बनाये रखने वाले प्रस्तावित विधेयक में विवादाग्रस्त स्थल राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है। (671)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि संविधान में उल्लिखित समाजवाद के आदर्शों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा।" (672)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से करोड़ों बच्चों में नया उत्साह पैदा होगा।" (673)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आदिवासी जो अब जागृत हो गए हैं; की आकांक्षाओं का आदर किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें न्यायोचित महत्व दिया जाएगा।" (674)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मेरे दोस्त श्री बूटा सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव लाए हैं मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं आज कुछ बुनियादी सवाल बोलने वाला हूं जो भले ही सदन में पहले बहस में आए हों लेकिन जिस तरह से उन बुनियादी सवालों पर बहस होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वह नहीं हो रही है। बूटा सिंह जी शायद चले गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि मुझे करीब अठ्ठारह महीनों से सदन में बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन आज मैं इस सदन के सब सांसदों से निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि अपने अभिभाषण के दरमियान जिस चीज़ का उल्लेख नहीं आया हो उस पर भी मैं बात करूंगा और उठाऊंगा। लोक सभा में, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया में महत्वपूर्ण प्रजातन्त्र का अंग है, जिस तरीके से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, इसकी कुछ झलक आज प्रश्नकाल में हम लोगों के सामने आई है। राष्ट्र और दल, हम सारे सांसद संसद् सदस्य होने के पहले जो शपथ लेते हैं, पहले हम लोग संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं और राष्ट्र के प्रति भी निष्ठा प्रकट करते हैं। बूटा सिंह जी, हो सकता है कि इतने सचेत नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस दल और हिन्दुस्तान राष्ट्र दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। मैं कहना चाहता हूं संतोष जी और अन्तुले जी हमारे सामने बैठे हैं, कि यह सरासर असत्य है कि दल बदलता रहता है। जैसे पिछले चालीस सालों के दरमियान आपके दल की सरकार रही, बीच में ढाई साल दूसरे दलों की सरकार आ गई।

लेकिन हिन्दुस्तान राष्ट्र में कुछ शाश्वत सत्य रहता है। राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र हम सब का है लेकिन दल बदलता है, दल की सरकार बदलती है इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि बूटा सिंह जी, जो केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में रह चुके हैं, आगे चलकर यह गलती न करें। मैं आज बताना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण हेतु जो-जो चीजें हम लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन से सीखी थीं और जिनको हम लोगों ने संविधान में प्रकट किया है, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दल ने आज़ादी के 45 साल के दरम्यान, 40 साल या 42 साल राज किया, उसने सारे संविधान और राष्ट्रीय आन्दोलन के जो आदर्श और जो मूल्य थे, उसको उसने भुला दिया है और उसको याद नहीं रख रहे हैं। मैं आज कह रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलता है तो स्वाभाविक ढंग से मान जाता है, संविधान के प्रिएम्बल के प्रति संविधान के प्रिएम्बल में हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने शपथ ली है कि हम इस देश में एक राष्ट्र निर्माण करेंगे और ऐसा राष्ट्र निर्माण करने के लिए कटिबद्ध होंगे, संकल्प लेंगे, कर्म करेंगे, जो राष्ट्र की बुनियाद है, जो राष्ट्र का चित्र है, वह एक धर्म निरपेक्ष, समाजवादी और वैलफेयर स्टेट का होगा। धर्म निरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र बनेगा और इस समाजवादी, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की जो बुनियाद है, हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आप देखिएगा कि दो तरह की धाराएं हिन्दुस्तान में आज़ादी के बाद चलीं, एक तो धारा गांधीजी की है। कुछ संसद् सदस्यों ने कल सुना कि गांधी जी आज़ादी के कुछ महीनों के बाद गुज़र गये, उसके बाद जो लोग प्रधान मंत्री बने, जिन्होंने सरकार को चलाया, मैं आज उसमें बुनियादी तौर पर अन्तर देखता हूँ कि एक गांधी जी की धारा थी और एक गांधी जी की धारा जो उनकी मौत के बाद धारा बनी, उसमें गांधी जी की धारा से हटकर बुनियादी अन्तर हुआ, दोनों धाराओं में। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज यहां कहा जाता है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मैं एक वाक्य आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि "भारत का सबसे बड़ा संसाधन इसकी जनता है।" जनता का मतलब, आप लोग हमसे सहमत होंगे, हम यहां जो बैठे हैं, वह नहीं हैं, जो करोड़ों जनता संसद् से बाहर हैं, उससे है। उसमें हम भी हैं लेकिन करोड़ों जनता जो है, उनके प्रति प्रतिबद्धता है, उनके हम नुमाइन्दे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि जब यह जनता ही हमारी पूंजी है, जनता ही हमारे साधन हैं तो इसका मतलब इस राष्ट्र में पिछले 40 सालों से, खासकर के जो सरकार 40 साल में रही और जो आज भी भले ही अल्पमत में सरकार में हैं, मैं आज कहता चाहता हूँ कि इस अभिभाषण में तीन चीज़ों के बारे में बुनियादी तौर पर मैं उठाना चाहता हूँ, जो हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं। हिन्दुस्तान के तीन दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से जूझने का जो एक कार्यक्रम, जो एक एजेण्डा, जो एक सिद्धांत, विचार, दर्शन इस अभिभाषण में रहना चाहिए था, उसका अभाव है, इसमें वह नहीं के बराबर है। वह है कि पिछले कई सालों से हम कुछ पाश्चात्य देशों से एक विचार उधार लाये, वह है कंज्यूमरिष्ट कलचर। कंज्यूमरिष्ट कल्चर, उसको मैं कहता हूं पंचतारा संस्कृति, फाइव स्टार कलचर। दूसरी चीज है केन्द्रीकरण अर्थात् सारे आर्थिक और प्रशासनिक क्षमता, पावर सारी दिल्ली में केन्द्रित है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में केन्द्रित है, यह हिन्दुस्तान का दूसरा दुश्मन है। तीसरा है कि जो राष्ट्र है, उसकी सार्वभौमित्व की रक्षा करने हेतु देश में साम्प्रदायिकता की भावना में वृद्धि हो जाना। इन तीनों चीज़ों का अभाव है, तो मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का जो बयान किया गया है, वे क्या कहते हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं। कल विरोधी दल की तरफ से, पासवान जी ने यह बात कही थी कि हम लोग अपार गरीबी

के बारे में नहीं सोच सकते । अपार गरीबी के कारण मां भूखे बच्चे को कुवें में डाल देती है । इस बात को सुनकर केन्द्रीय मंत्री, श्री राजेश पॉलेट, तैश में आकर खड़े हो गए । वे क्या बोले, मैं सुन नहीं पाया । लेकिन मैं आपके समक्ष एक बहुत सनसनी चीज़ रखना चाहता हूं । उस बारे में आप जानते हैं कि इस सदन में बहस भी हुई है और यह भी सही है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की यात्रा से उस पर देश में ज्यादा बहस होने लगी और वह स्थान उड़ीसा में काला–हांडी है । मैं आप से कहना चाहता हूँ कि कालाहांडी में बहुत सालों से लोग भूखे मरते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार कहती थी कि यह सरासर झूठ है । इतना होने पर भी सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन सौभाग्यवश उड़ीसा के हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने चिट्ठी को रिट–पैटीशन मानकर आदिवासियों की, एक सैशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर किया कि आप जा कर देखिए कि सचमुच में क्या वहां भुखमरी हुई है । इस बारे में रपट आई है, यह किताब की शक्ल, में तो नहीं मिली, लेकिन मैं उस रपट का ज़िक्र करना चाहता हूँ । उस रपट में कहा गया है :

[अनुवाद]

"उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त बैद्यनाथ मिश्र आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि एक पिछड़े ज़िले कालाहांडी में, 1989 में कम से कम पांच व्यक्ति भूख से मर गये थे इस प्रकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार का बार–बार मना करना गलत सिद्ध हुआ ।

आयोग ने हाल ही में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सिदीबाधी गांव में फरवरी, 1989 के दौरान चार आदिवासी भूख से मर गये थे तथा उसी वर्ष जून में देपुर गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु भयंकर सूखे तथा बेरोज़गारी के फलस्वरूप हुई ।

श्री मिश्र, को जोकि कटक के अवकाश प्राप्त ज़िला न्यायाधीश थे ज़िले में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 2 मई, 1990 को नियुक्ति की । जिसे समाचार–पत्रों ने स्वतः ही छाप दिया ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने यह चीज़ रखी और मैं शासक दल से कहना चाहता हूं कि यह कोई मनगढंत चीज़ नहीं है । मतलब यह है कि जब पांच आदिवासियों की, बच्चों की मां-बाप की, मौत की बातें हाईकोर्ट के मुकर्रर जज ने कही तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है । रिपोर्ट को देखता हूं तो हम लोगों को लगता है कि शासक दल की ओर इस चीज़ को मानना पडेगा कि देश में इस तरह के लाखों लोग मरते होंगे, लेकिन संसद् को कोई खबर नहीं है । संसद् बेखबर रहती है । आज जो समाज की स्थिति है, उससे बेखबर रहती है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह है---कंज़्यूमरिस्ट कल्चर । इसको हमारे लायक दोस्त श्री सैफुद्दीन चौधरी चैटर्जी साहब कहेंगे दूसरे अर्थों में पूंजीवादी नीति । मैं उस बात को जान-बूझकर कह रहा हूँ कि कंज़्यूमरिस्ट कल्चर और पूंजीवाद में, दोनों में, कोई अन्तर नहीं है । मैं जो बात कहने जा रहा हूं, उसको सुनकर आप दंग रह जायेंगे । "यूनिसैफ" विश्व व्यापी संस्था है । इस संस्था ने हाल ही में बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट दी है । बच्चों की संस्था होने के नाते आपको

इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में हिन्दुस्तान के बारे में जो जिक्र किया गया है, उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

"इस वर्ष मरने वाले सभी बच्चों में से तीस प्रतिशत बच्चे जिन्हें प्रतिरोधी टीके नहीं लगाये गये थे केवल तीन देशों भारत, बंगला देश तथा पाकिस्तान के थे।"

[हिन्दी]

वे कौन-कौन से देश हैं :—हिन्दुस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान। उसके बाद आगे चलते हैं :—

[अनुवाद]

" यह एशिया की जनसंख्या का केवल विस्तृत ब्यौरा ही नहीं है बल्कि दक्षिण एशिया में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या अफीका की तुलना में दो गुणी से भी अधिक है।"

[हिन्दी]

इस संसद् में जिन लोगों के ध्यान में रहा होगा कि अफ्रीका हम से पीछे है। कम से कम यूनिसेफ की रिपोर्ट से ये बात दिमाग से दूर हो जानी चाहिए कि अफ्रीका हम लोगों से आगे है। तो ये जो हजारों की तादाद में बच्चे मरते हैं वे किस परिवार से आते हैं, किस इलाके से आते हैं और यही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। फिर संविधान की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। संसद् के संविधान में डायरेकटिव प्रिंसिपल के बारे में जो कहा गया है, हो सकता है बाद में संतोष मोहन देव जी और दूसरे दोस्त लोग जो सामने बैठे हैं वे हमसे सहमत होंगे कि रविराय जी जो कह रहे हैं वह ठीक है, लेकिन यह बाहर नहीं कहेंगे, वह है कंसन्ट्रेशन आफ वैल्थ। डायरेकटिव प्रिंसिपल निर्देश हैं सरकार को कि देश का जो कंसन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ है वह डायवर्सीफाई होना चाहिए, लेकिन आज मैं सारे संसद के सामने, सरकार के आंकड़ों से प्रमाणित करना चाहता हू कि कहां हैं हम लोग, कहां है संविधान और कहां हकीकत है ?

मैं आप लोगों के सामने यह चीज रखना चाहता हूँ कि कंज्यूमरिस्ट कल्चर या दूसरी तरह स कहा जाए पूंजीवादी अर्थ नीति ने कहां तक देश को पहुँचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, 1972 में बिरला परिवार के आंकड़े 589.42 करोड़ थे, 1988–89 में 6974.06 करोड़ एक परिवार का, उसके बाद टाटा के 640.38 करोड़ थे और आज रिलेयंस का क्या हाल है इसका 34.27 करोड़ या 1976 में और पिछले 10–11 सालों में 1988–89 में वे छलांग मार कर पहुंच गए 3241.24 तक।...(**व्यवधान**)... अध्यक्ष महोदय, हमको खुशी है हमारे दोस्त यहां बैठे हैं वे भी कह रहे थे कि ये कोई बड़े लोगों के नुमाईंदे नहीं हैं, बड़े लोगों के परिवार में जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन उनको भी लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। कहां देश जा रहा है, शायद इसके लिए वे टाटा और बिरला परिवार में जन्म नहीं लिए होंगे, मध्यम परिवार में जन्म लिए होंगे। लेकिन मैं आपको कहना

चाहता हूं कि यह देश कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, हम लोग कहां जा रहे हैं। . . . (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, हमको तकलीफ से कहना पड़ता है कि पिछलें 20 साल से कुछ उच्च, मध्यम वर्ग के लोग पंचवर्षीय योजना के चलते बढ़ते जा रहे हैं और उन की जो जरूरत की चीजें हैं –कलर टी० वी० वगैरह–वगैरह। हम लोग जो एक लाख करोड़ विदेशी कर्जा लिए हैं और कांग्रस के जमाने में भी तीन वार तीन गुणा बढ़ा है। इसका हमारे पास कोई अध्ययन नहीं हुआ, आप कोई अध्ययन आर्डर करा दें कि यह पैसा कहां और किस तरीके से खर्च हुआ तो दूसरी बात है। लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि हिन्दुस्तान में जो उच्च, मध्यम वर्ग और करोड़पति लोग, जिनको मैंने गिनाया, हो सकता है सारा रुपया 80–85 प्रतिशत रुपया अनप्रोडकटीव एक्सपेंडीचर में खर्च हुआ हो, खेती और उद्योग के सुधार में खर्च नहीं हुआ। यह एक गंभीर चीज है कि पंचतार का संस्कृति कंज्यूमरिस्ट कल्चर और पूंजीवाद की नीति किस तरीके से देश को ले गई है, इसका आपको अन्दाजा लगाना चाहिए।

इसलिए मैं आज आपके समक्ष कहना चाहता हूं कुछ चीज़ें का मैंने जिक्र किया, पूंजीपतियों की पूंजी जिस तरह से बढ़ी, इसका जिक्र किया, आज मैं आप लोगों के समक्ष जिक्र करना चाहता हूं कि हम लोग यहां बैठ हुए हैं, वाजपेयी के दोस्त भी हमारे साथ सहमत होंगे, हम सब जाति तोड़ने वाले लोग हैं, जाति तोड़ने में विश्वास रखते हैं और इधर भी जितने लोग बैठ हैं, सब जाति तोड़ने में विश्वास रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने संविधान लिखा, वे राम विलास पासवान जी, चटर्जी साहब या सैफुद्दीन चौधरी जैसे कोई क्रांतिकारी लोग नहीं थे, वे बड़े विद्वान और विधिवेता थे। . . . . (**व्यवधान**) क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते हां उदारवादी विचार वाले कह सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, हम लोग जाति तोड़ने वाले लोग हैं और मैं कहना चाहता हू कि आज हम एक चीज सीख लें कि हम जो सांसद हैं, हमारे पिताजी, दादा जी किसी जाति में जन्मे होंगे, लेकिन हमारी कोई जाति नहीं है, हम जातिविहीन समाज चाहते हैं लेकन अध्यक्ष महोदय यहां एक षडयंत्र है, 1931 का सेंसस आखिरी जाति पर आधारित सेंसस है, उसके बाद के जो सेंसस हुए हैं, उसमें जाति का कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को मानना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि हजारों सालों से ओ चीजें चली आ रही हैं, आज हमारे सामने यह प्रश्न है संसद के सामने प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत करने का प्रश्न है कि देश में मनुस्मृति चलेगी या डा. अंबेडकर का संविधान चलेगा, यह प्रश्न है। मैं आज इस बुनियादी सवाल को उठाना चाहता हूं कि यहां पर मनुस्मृति चलगी या डा. अंबेडकर का संविधान चलेगा। मैं आज कहना चाहता हूं कि हम लोग जो जाति तोड़ने वाले हैं, हम लोगों को कहा गया कि संविधान के तहत चलिए, मेरे जैसा आदमी तो संविधान से भी आगे जाएगा, लेकिन आज मैं संविधान तक ही अपने को सीमित रखता हूं। यह कहा गया है कि हिन्दू समाज में दो तरह की चीजें हैं, हिन्दू समाज को दो भागों में बांट दिया गया, एक द्विज और एक शूद्र, जो कहेगा कि यह बात सही नहीं है ती मैं कहूगा आई बैग टू डिफर यू, यह जो शुद्र और द्विजों में हिन्दू समाज को डिवाइड किया है, इससे सारे लोग सहमत होंगे कि जो शूद्र हैं, वे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ये हर दृष्टि से परसोना नानग्रेटा हैं, मनुष्य नहीं हैं, उनको मनुष्य माना गया है मनुस्मृति में तो हजारों साल से चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1500 साल से हम लोग विदेशी हमलावरों के शिकार रहे हैं, इतहिास गवाह है, आखिरी हमला चीन का हुआ। विदेशी हमलावरों ने स्वीकार किया है, अंग्रेज इतिहासकारों

ने हमको पाठ पढ़ाया है कि क्यों हम लोग शिकार हुए, इसलिए कि राजाओं में झगड़े हुए, चक्रवर्ती राजाओं में झगड़े हुए। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं जिस नजरिए से इतिहास को देखता हूं वह यह है कि शूद्र जो मेहनत करता है, जो खून–पसीना चाहता है, जिसके कंधे पर चढ़ कर हम इमारत में रहते हैं, जिनकी तादाद समाज में अगर महिलाओं को भी मिला दिया जाए तो 80–85 प्रतिशत है, हजारों साल तक इन लोगों से हम लोग उदासींन रहे, सियासत में और न प्रशासन में इनके साथ कोई संबंध रखा गया, जब मुट्ठीभर ब्रिटिश सेनाएं आई तो किसान जो हल चलाता था, उसने कहा हमारा क्या वास्ता है, ले लो हिन्दुस्तान। यह जो करोड़ों लोगों के प्रति उदासीनता थी वह इसके लिए जिम्मेदार है, हमारी स्लेवरी के लिए जिम्मेदारी है। इतना होने के बाद जातियों को तोड़ने हेतु संविधान लिखा गया है कि इनको विशेष अवसर दो। इस पर हम ने फ्रांसीसी क्रांति की बात की, वही उधार का ज्ञान कि "समान–अवसर" इसको हम पकड़े हुए हैं, समान अवसर का सिद्धांत, लेकिन संविधान के आर्टीकल 15(4), 16(4) में यह साफ लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में जो सामाजिक, शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, उनको विशेष अवसर दें तथा इन्हें हाथ पकड़ कर उठाओ। जाति तोड़ने वालों को हम लोग मानते हैं। इसके लिए और भी जरिया है, लेकिन सबसे बुनियादी जो संविधान का आदेश है वह है विशेष अवसर सिद्धांत का मानो विशेष अवसर के सिद्धांत को मानने के लिए 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत संविधान में लिखा गया है।

5.00 म. प.

मैं जवाहर लाल नेहरु को धन्यावाद देना चाहता हूँ। उन्हें संविधान मे संशोधन करना पड़ा कि समान अवसर सबको दिए जाएं। मैं सारे सांसदों से कह रहा हूँ, जो भी कारण हों, जब कोई क्रांन्तीकारी कदम वी० पी० सिंह सरकार के जरिए हुआ, वह लागू हुआ। संसद में बार–बार बहस हुई। सारी पार्टियां उनके चुनाव घोषणापत्र से कटिबद्ध थीं कि इसको हम मानेंगे। 27 प्रतिशत आरक्षण जब दिया गया नौकरियों में, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपकी जगह पर बैठकर देख रहा था कि दिल्ली में हमारे लड़के, बच्चे, पोता-पोती ने सेल्फ इमोलेशन कर लिया। मान लीजिए इस सदन में इस तरह। की बहस होती कि हम सारे सांसद जाति तोड़ने वाले हैं। लेकिन जाति तोड़ने का महत्वपूर्ण हिस्सा संविधान में दिया गया है कि जाति प्रथा को हटाने के लिए विशेष अवसर सिद्धांत को मानना पड़ेगा। सारी दुनियां में इस सिद्धांत को माना गया है। जो पिछड़ा है उसको हाथ पकड़ कर उठाओ उसको अवसर तो। मैंने मनु का जिक्र इसलिए किया कि यहां कोई राम जी के बारे में सवाल पूछे तो हमारा जवाब है कि हम धर्म और राजनीती को नहीं मिलायेंगे। एक बार पार्टीशन हो चुका है। इससे क्या सबक नहीं मिला? इसलिए धर्मनिरपेक्षता और जाति तोड़ने के साथ-साथ समान विशेष अवसर सिद्धांत को मान कर आगे बढ़ना है। मैं मानता हूं जो दूसरों में बहुत गरीब हैं, उनके लिए यह लोग कहते हैं कि 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत आरक्षण रखो। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि यह जो दुनियां में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, संसद है, यहां सब जाति तोड़ने वाले हैं, लेकिन विशेष अवसर के सिद्धांत को, उस आदेश को मानना चाहिए। इसमें "आर्थिक" नहीं ले आना चाहिए। जब आप बुद्धिजीवियों से बात करोगे तो उनका तर्क होता है, जो बहुत अच्छा लगता है, कि आर्थिक समानता क्यों नहीं करते। हम लोगों के जो देश का इतिहास है वह फ्रांस,

इंगलैंड और अमेरिका के इतिहास से भिन्न है इसमें अन्तर है। यूरोपियन समाज में कहीं जाति प्रथा जैसी संस्था नहीं है। जाति नामक संस्था दुनियां में और कहीं नहीं है। हिन्दुस्तान में यह है। इसलिए संविधान तैयार करने वालों ने विशेष अवसर सिद्धांत का हमें आदेश दिया था। वी पी सिंह सरकार का क्या कसूर है ? इतना ही है न जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है उस पर अमल करने का ऐलान किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण करने के लिए गांधी जी का जो मूल्य है, जिसको हमने लिपिबद्ध किया है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के प्रति हमने कसम खाई है, मैं बहुत व्याकुलता के साथ, मानसिक पीड़ा, तड़प के साथ आपसे और सांसदों से कह रहा हूँ कि बिहार में और बंगाल में, मैं दोनों राज्यों का नाम जानबूझ कर लेता हूँ, मैं जब स्पीकर था, मैं पटना गया था, एक हमारे पत्रकार दोस्त को बुलाया, मैं लालू प्रासाद यादव को जानता हूँ मैंने उनसे पूछा कि कैसे चल रहा है, आज आपसे उनकी बात कहना चाहता हूँ, वे कहने लगे कि इसके लिए जो–जो मुख्य मंत्री बिहार में थे, कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर, उन सब लोगों की राय साम्प्रदायिक दंगे के बारे में एक थी। प्रशासन से जो मैसेज आना चाहिए कि बिहार में मुख्य मंत्री कोई साम्प्रदायिक दंगे को बर्दाश्त नहीं करेगा, यह मैसेज नहीं जाता था। इसलिए दंगा होता था। भागलपुर का ताजा उदाहरण है। उसके बाद दंगा इसलिए नहीं हुआ कि सारा प्रशासन और मुख्य मंत्री कटिबद्ध हो गए और शासन को आदेश दिया गया कि हम लोग साम्प्रदायिक दंगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग, सारे सांसद, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कोई दंगा नहीं चाहता, लेकिन दंगा हो जाता है। क्योंकि जो संविधान में मूल्यों का वर्णन है, उसके प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, उसमें खामी है, जिसके चलते भाई भाई को मारता है, उसका खून भी पी जाता है। हम चिन्तित हैं कि हिन्दुस्तान का भविष्य क्या होगा। हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में कई महीनों से सारे सांसद चिन्तित हैं। हिन्दुस्तान की इंटीग्रिटी का क्या होगा, हिन्दुस्तान के भविष्य का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति ले कर कह रहा हूं कि इस संसद में यह मैसेज आना चाहिए कि हम सब जितने भी सांसद हैं हम एक चीज पर कटिबद्ध हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो और दंगे में कोई आदमी मरे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो धर्म-निरपेक्षता की बुनियाद है, समाजवाद की बुनियाद है उसको मजबूत करने के लिए पिछले 45 सालों के दरमियान 40 साल जो पिछली सरकारों में रहे उसने कुछ नहीं किया। दिशाहीन होकर सरकार चलती रही, इसलिए आज हमको भुगतना पड़ रहा है। विरोधी दल भी सरकार में था, मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल जो ढाई साल सरकार में था उसकी जिम्मेदारी मैं विरोधी दल के नेता की मानता हूं। लेकिन आप तो 40 साल रहे। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी सारी बुनियादी चीजों को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के वक्तव्य में तीन दुश्मन जो मैंने गिनाए––साम्प्रदायिकता, कंज्यूमरिस्ट कल्चर और केन्द्रीयकरण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

केन्द्रीयकरण के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं राजीव गांधी जी जब प्रधान मंत्री थे एक विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में उनके विचार सुनाता हूं। उसमें कहा था, जिले और गांव को पावर्स देने के लिये उन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं हमारे संविधान के

91-M/J(N)249LSS—14

दो खम्भे हैं—केन्द्र और राज्य। केन्द्र-राज्य में पावर्स के बारे में, विभाजन के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं पिछले 45 सालों के दरमियान शायद 90 बार राज्य सरकारों को खत्म किया गया। मैं आज कहना चाहता हूं कांग्रेस दल ने खुद अपनी सरकार को 30-40 बार खत्म किया। मैं कहना चाहता हूं आज समय आ गया है, हम दुनियां में गरीब राज्यों में गिने जाते हैं इसलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि देश को मजबूत करने के लिये हजारों सालों से शुद्र लोग किसान, मजदूर, जिनको साधारण जीवन से हटा दिया गया था उनको फिर से मेनस्ट्रीम में लाना है और सबसे जरूरी है हम सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीयकरण के खिलाफ लड़ें, उसके खिलाफ जूझें।

(अनुवाद)

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : क्या ऐसा है कि आप पंचायती राज का अनुमोदन कर रहे हैं ?

श्री रवि राय : कृपया ध्यान दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं शायद इनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि राजीव गांधी जी का जो प्रस्ताव था उसमें हमें खुशी होती यदि पंचायतों और जिलों को पावर्स देने के साथ-साथ राज्यों के बारे में भी उसमें जिक्र होता। मैं तो चार खम्भों में विश्वास करता हूं। यह संविधान में कमजोरी है कि दो खम्भे हैं। डायरेक्टीव प्रिंसिपल्स की चालीसवीं धारा में लिखा गया है कि राज्य सरकारें पंचायत की देखभाल कर सकती हैं। सवाल यह है कि एक राज्य सरकार ने पच्चीस साल तक पंचायतों का चुनाव नहीं किया। राज्य सरकार ने पच्चीस साल तक गांव वालों को संवैधानिक व्यक्तित्व नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी का जो प्रस्ताव था और जो त्रुटि थी उसको पूरा करना चाहिए। केन्द्र, राज्य, जिला तथा गांव और अभी फिलहाल संविधान में दो खम्भों का अभाव है। जिले और गांवों को संविधान में परिवर्तन करके लाना चाहिए। उसके बारे में वी० पी० सिंह सरकार ने कुछ सोचा था और एक बिल भी पेश हो गया था। शुद्र लोगों को पावर देने के सिलसिले में उसके साथ केन्द्रीयकरण जुड़ा हुआ है। जो साधारण आदमी गांव में बैठा हुआ है तो राजीव जी ने जो आंकड़े दिए थे वह उसके साथ सहमत है। तीनों प्रधान मंत्री में से राजीव गांधी नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सौ रुपया गांव वालों को दिया जाता है उसमें से पन्द्रह रुपया पहुंचता है। आप डीसेन्ट्रलाइज्ड इकोनोमी और डीसेन्ट्रा-लाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे और साधारण आदमी को पावर नहीं देंगे तो वे आगे नहीं आ पायेंगे। वे गलती कर सकते हैं तो हम लोग भी संसद में बैठकर गल्ती करते हैं। उनको गल्ती करने की इजाजत देना ही प्रजातन्त्र है। उनको प्रजातन्त्र से वंचित कर दिया है। हम लोग चारों खम्भे इस राष्ट्र में संविधान में परिवर्तन करके लाए ताकि देश सुधर जाए। देश को सुधारने का नैतिक कर्तव्य है। जैसे केन्द्रीयकरण को महत्व देते हैं तो उसी तरह हम गांवों और जिले को महत्व दें जिनको वंचित कर दिया गया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सवालों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सारे दल के सभी मुझे ध्यान से सुनें, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सोचता हूं कि आगे रेल बजट और साधारण बजट के सिलसिले में और मंत्रालयों की बहस होगी। बुनियादी नीति के मुद्दे पर सारे मंत्रालयों को किस तरह से दुरुस्त किया जायेगा। बजट सत्र खत्म होने पर हम लोग सितम्बर के अन्त तक देश के सामने कुछ चीजें रख पाएं। उसमें मंडल

कमीशन की सिफारिशों को लागू करना, जांत-पांत को समाप्त करने के सिलसिले में मंडल कमीशन में जो सिफारिशें दी गई हैं उसको कार्यान्वित करना। जो कंज्युमरिस्ट कल्चर है जो कैन्सर की तरह सारे बाडी पालिटिक को खाता जा रहा है उसमें मसल और मनी पावर आता है, उसको दुरूस्त करना है। हो सकता है कि हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। श्री बूटा सिंह जी जो प्रस्ताव लाएं हैं, राष्ट्रपति जी के लिए धन्यवाद देने का, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इसके सिवाए कुछ नहीं है कि यह एक लंगड़ी सरकार के लिए बैसाखी है। अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण को एक रस्म अदायगी समझती है जो कि विशिष्ट छाप तथा विशिष्ट भाषा, अनाप शनाप तथा दकियानूसी सिद्धान्त पर आधारित है। **(व्यवधान)**

राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह नहीं पाता कि सरकार लोगों की जटिल समस्याओं के प्रति और देश में व्याप्त संकट के प्रति सजग है। अभिभाषण में मूल तथा मौलिक समस्याओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार उनकी पहचान न हो पाने के कारण राष्ट्रपति के अभिभाधण में इस सरकार द्वारा इनके हल करने की कार्य योजना के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने कहा है। यह अभिभाषण न तो उन्हें उजागर करता है और न ही समग्र रूप से यह देश को कोई दिशा प्रदान करता है।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहले कोई अभिभाषण सुन रहा था–मुझे ऐसे अनेक अभिभाषणों के अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला है–मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूर्व में कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषणों की वास्तव में पुनरावृत्ति मात्र है वही वायदे, वही अधिक दिखावा तथा वही आतमसं-तुष्ट घमंड की भावना के अलावा कुछ नया नहीं होता है।

सरकार ने इस सदन को यह सूचित करने में अपने विवेक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है कि इस सरकार को लोगों का पूर्ण अधिदेश प्राप्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र अथवा नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति इस देश के केवल 36 या 37 प्रतिशत लोगों का ही समर्थन प्राप्त हुआ है, इसमें भी श्री राजीव गांधी की हत्या से उत्पन्न सहानुभूति से मिला समर्थन भी सम्मिलित है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उसके बावजूद भी उन्हें केवल 37 प्रतिशत समर्थन ही प्राप्त हुआ ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, श्रीमान्, जब हम उनको यह कहते हुए सुनते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी की महान उपलब्धि है तथा जैसा कि सरदार बूटा सिंह कह रहे थे कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को यह कार्य सौंपा है तो यह बात प्रधान मंत्री द्वारा कल अपनाये गए दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। इस

सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि श्री गुलाम नबी आजाद तथा मेरे भतीजे श्री रंगराजन कुमार-मंगलम के समस्त प्रयत्नों तथा उकसावे के बावजूद वे 241 से अधिक मत प्राप्त नहीं कर सके। यदि हमारे सभी सदस्य उपस्थित होते–हम उसके सम्बन्ध में बहुत सतर्क नहीं थे–तथा कल आपके विरुद्ध मतदान किया होता तो आज यह सरकार नहीं रहती। यह बात नहीं समझी जा रही है आज यहां कोई सरकार नहीं होती। **(व्यवधान)**

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : कल आपके सदस्य उपस्थित क्यों नहीं थे ? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न एक मंत्री की ओर से किया जा रहा है जिनके पास एक विभाग का स्वतन्त्र प्रभार है, जिससे इस सरकार की अपनी स्थिति को समझने में पूर्णतः असमर्थता और कोई प्रयास न करने का पता चलता है। सरकार में उन गुणों की कमी है जो होने चाहिए . . . **(व्यवधान)** . . .परन्तु, उनको इस सरकार की वर्तमान स्थिति का आभास होना चाहिए। यद्यपि हम इस सरकार को कल ही बर्खास्त कर सकते थे परन्तु हमने यह नहीं किया। हम इस सरकार को उत्तेजना में नहीं देखना चाहते। परन्तु हम इसे कोई जीवन दान भी नहीं दे सकते। हम राष्ट्र को प्रभावित करने वाली मूल समस्याओं, प्रमुख समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि आज राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं, वे 18 महीनों की तथाकथित निष्क्रियता के कारण ही उत्पन्न नहीं हुई हैं। बल्कि ये चालीस वर्षों के आपके और आपके बेनामदार कुशासन के फलस्वरूप ही एकत्रित हुई हैं।

कांग्रेस पार्टी को यह नहीं समझना चाहिए कि जनता ने उनकी नीतियों अथवा कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है अथवा उनके पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर ही उन्हें इस देश पर शासन करने का अधिकार दे दिया है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1989 में हुए चुनावों के दौरान इस देश की जनता ने – मुझे विश्वास है कि, तुरन्त और बिना कोई आंसू बहाये कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। ऐसा लगता है कि आप वह सब भूल गए हैं। महज आत्मिक स्तुति से आपको कोई लाभ नहीं होगा। क्या आपने इस बारे में आत्म-विश्लेषण किया है कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या 415 से घटकर 191 क्यों रह गई है? वह भी तब जबकि श्री राजीव गांधी स्वयं इस कार्य का संचालन कर रहे थे। आजकल हमें सरकार से, कम से कम प्रधानमंत्री और सदन के नेता से बड़ी-बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। वे आज भी आम राय की बात कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आम राय की बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने यह बिल्कुल ही ठीक कहा है कि विशाल जनादेश वाली सरकार के गठन के दिन अब लद गये हैं। **(व्यवधान)** अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये उन्हें यह बात समझनी होगी। उन्होंने आम राय की बात की है। परन्तु कांग्रेसी ढंग की आम राय से क्या तात्पर्य है। आखिर वे किस प्रकार की आम राय की बात कर रहे हैं ? उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आम राय पर पहुंचने का प्रयास करने से पहले वे विश्वास मत के पारित होने की प्रतीक्षा करेंगे। परन्तु इसी बीच, अनेक एकपक्षीय निर्णय लिये जा चुके हैं जिनके बेहद दूरगामी परिणाम होंगे। देश की समूची आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया गया है। देश की गरिमा और सम्मान को गिरवी रख दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, से तमाम प्रकार की शर्तों के साथ, जिनके बारे में सदन को अभी तक विश्वास में नहीं लिया गया है ऋण लिये गये हैं। आयात-निर्यात और विदेशी व्यापार नीतियों में आमूल परिवर्तन कर दिए गये हैं।

कल, हमें बताया गया था कि दो-तीन दिनों में श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित तथा इस सदन द्वारा अनेकों बार अनुमोदित वर्तमान आत्म-निर्भरता की नीति को पूरी तरह से बदल कर एक नयी उद्योग नीति की घोषणा की जायेगी। इस बारे में क्या स्पष्टीकरण है। इससे मेरे मित्र श्री मुरली देवड़ा अवश्य ही प्रसन्न होंगे। परन्तु क्या आम सहमति का यही तरीका है ? क्या आप इस देश के साथ मनमाना व्यवहार केवल इसलिये कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक विश्वास मत प्राप्त नहीं किया है। इस सरकार को यह अधिकार कहां से मिला ? किसने दिया ? जनता ने उन्हें यह अधिकार नहीं दिया है। उनके चुनाव घोषणा-पत्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं था। जी हां, अपने चुनाव घोषणा-पत्र की वे लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और यही मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है उसके लिए एक फालतू और रद्दी कागजात भर है। यही कारण है कि हम लोग यह महसूस करते हैं कि एक निर्णय लिये जाने के पश्चात् अब इस चर्चा का क्या औचित्य है ?

कल प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बेहद प्रसन्न थे कि अनेकों देशों की ओर से उन्हें बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। आनिवासी भारतीय भी डा० मनमोहन सिंह और सरकार के पास बधाई सन्देश भेज रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा था। परन्तु क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि इस देश की जनता की ओर से भी आपको बधाई-सन्देश प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं-उन लोगों की ओर से जो इस देश को समृद्ध बनाने के लिये अपना खून-पसीना बहा रहे हैं, उस आम आदमी, कामगार और किसान की ओर से जो खेतों में हल जोतकर इस देश के लोगों के लिये अनाज पैदा कर रहा है ?

क्या आपने उनका विश्वास प्राप्त कर लिया है ? क्या उन लोगों ने भी आपको बधाई सन्देश भेजे हैं ? आप बढ़ती हुई कीमतों की समस्या से कैसे निपटेंगे। अतएव, इस प्रकार के दृष्टिकोण से इस देश का भला नहीं होगा। यह निर्णय तो सरकार को ही लेना होगा कि उसे किस प्रकार अपना कार्य करना है। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें यह तथ्य जान लेना कि आपसी रजामन्दी के सहारे ही वे शासन कर सकते हैं, उनके हित में ही होगा। विनम्रता के भाव का पालन करने से ही उन्हें लाभ हो सकता है। यदि आप गोपनीय ढंग से और अनियमित ढंग से कार्य करना चाहते हैं तो विपक्ष से किसी प्रकार के सहयोग की आशा मत रखिए। महोदय, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस देश में कांग्रेस सरकार को विगत में कोई अवसर नहीं मिला था। रबि राय जी ने हमें बिल्कुल सही याद दिलाया है कि कुछ वर्षों को छोड़कर, श्री जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस पार्टी ने ही अबाधित रूप से शासन चलाया है हालांकि आप लोगों ने श्री लाल बहादुर शास्त्री को हमेशा एक बौना आदमी ही माना और भूले से भी कभी उसका नाम नहीं लिया। तथापि, इस बारे में निर्णय स्वयं आप लोगों को लेना है। परन्तु आपको अनेक अवसर मिले अवश्य थे। परन्तु आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं ? उनमें से कुछ उपलब्धियों का उल्लेख तो अभी हमारे वरिष्ठ साथी श्री रबि राय ने किया है। महोदय, कांग्रेस पार्टी यह मानती थी कि इस देश के पिछड़े वर्गों, भूखों और अशिक्षितों तथा बेरोजगार करोड़ों लोगों को सदैव उनका समर्थन करना चाहिए। और आप केवल तथाकथित समृद्ध और वैभवशाली लोगों की इच्छापूर्ति में ही सहायक बनते हैं। अन्ततः सभी का आपके तथाकथित गौरव पूर्ण शासन का परिणाम हमारे सामने है। यही कारण हैं कि एक वर्ग विशेष के लोगों के पास आज पहले से कई गुना दौलत हो गई है।

हमें यह नहीं मालूम कि उनको दौलत पहले से कितने गुणा बढ़ गई है। इस सम्बन्ध में अभी-अभी कुछ आंकड़े दिये गये थे। काला धन बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, केवल मनुष्य के जीवन और रुपये का अवमूल्यन हुआ है। यही आपकी उपलब्धि है। अतएव, आप कांग्रेस की नीतियों और संस्कृति के बारे में क्या कह सकते हैं।?

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहां की स्थिति यहां से कहीं बेहतर है। यही कारण है कि वे लोगों के अधिक और अधिक समर्थन के साथ सभा में वापस लौट रहे हैं। अत:एव, हमें कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उन पर हमें अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। महोदय, आज ये लोग जो आम राय की बात कर रहे हैं, वो किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि संसदीय गणित के कारण विवश होकर कर रहे हैं। उनका यह हृदय-परिवर्तन वास्तविक नहीं है। उनकी कार्य-प्रणाली में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि वे आम राय और चर्चा के रास्ते पर चलने हेतु बाध्य हैं। अन्यथा, वे अपना अस्तित्व बनाये नहीं रख सकते। परन्तु महोदय, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें केवल यहाँ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनता का बहुत ही अल्प जनादेश प्राप्त हुआ है न कि शासन करने के लिये। परन्तु इसके बावजूद जबकि वे शासन कर रहे हैं, तो उन्हें देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। और उसके लिये, यह आवश्यक है कि जहां तक बुनियादी परिप्रेक्ष्य का सम्बन्ध है, बुनियादी समस्याओं को पक्षपाती अथवा मनमाने ढंग की अपेक्षा सही और कारगर ढंग से सुलझाने का सच्चा प्रयास किया जाये।

कल हमारे सामने विचारार्थ अनेक मुद्दे थे। मेरी पार्टी के एक अन्य वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। और महोदय, कल कामरेड सैफुद्दीन चौधरी ने अधिकांशत: मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किये थे। उनका भाषण उच्चकोटि का था और मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई–दक्षिण) : आप कृपया यह ध्यान रखिए कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं न कि श्री सैफुद्दीन चौधरी के भाषण पर।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें एक उच्च कोटि के वक्तव्य देने के लिये बधाई दे रहा हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण और कल सदन में व्यक्त किये गये विचारों में कोई खास अन्तर नहीं है।

यहां यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि जहां तक इस देश के लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं का सम्बन्ध है, अभिभाषण में उनका कोई उल्लेख नहीं है। श्री रवि राय ने उनमें से कुछ बुनियादी मुद्दों को उठाया है।

जहां तक केन्द्र और राज्य सम्बन्ध का प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस बारे एक भी शब्द नहीं कहा गया है। जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, सरकारिया आयोग को कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा गठित किया गया। इस संबंध में जांच करके आयोग ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु इसकी सिफारिश को क्रिया-

न्वित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि उस प्रतिवेदन से आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के लिये कांग्रेस सरकार को बहुत फटकारा था आज भी, केन्द्र के हाथों में ही सारी शक्ति को केन्द्रित करने के प्रयास जारी हैं। हांलाकि, उस दिन राष्ट्रपति के लम्बे अभिभाषण से मानो लोगों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी, तथापि केन्द्र-राज्य-सम्बन्धों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया।

इस देश की जनता के रोजमर्रा के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही मल्यवृद्धि के बारे में भी आपने क्या कहा है। जरा देखिए कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र को किस तरह नकारा जा रहा है। चुनाव घोषना पत्र में यह कहा गया था कि प्रथम सौ दिनों के भीतर-भीतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को घटाकर जुलाई 1990 के बराबर कर दिया जायेगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि:

> "आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि जिसका कमजोर वर्गों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, विशेष चिन्ता का विषय है। सरकार मुद्रास्फिति को रोकने को उच्च प्राथमिकता देती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।"

इस प्रतिबद्धता का क्या हुआ ? हमें इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि इस सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से आम आदमी का जीना दूभर हो जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गये ऋण और रुपये के अवमूल्यन तथा आयात नीति के उदारीकरण के कारण मुद्रास्फिति और मूल्यवृद्धि और अधिक रफ्तार से बढ़ेगी। कीमतों में वृद्धि होना आवश्यम्भावी है और इस बारे में कोई संदेह नहीं है। पैट्रोलियम बिल में भी अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। यह वृद्धि किस हद तक होगी यह तो हम नहीं जानते परन्तु पता लगाने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसका सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा क्योंकि अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धान्त यह है कि जब रुपये का अवमूल्यन होता है तो मुद्रास्थिति का दबाव बढ़ता है और कीमतों में वृद्धि होती है।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, मैं श्री चेन्नीथाला की स्थिति को समझता हूं। उन्होने एक बेहद कठिन कार्य को अंजाम देना है। उनका कार्य तनी हुई रस्सी या संतुलन साधने जैसा दुष्कर कार्य है। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य और युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका कार्य रोजगार के अवसर पैदा करना है। ऐसा कैसे सम्भव हो सकता है। कांग्रेस सरकार और रोजगार का सह-अस्तित्व असंभव है। आपकी जनता के प्रति क्या वचनबद्धता है। आपने यह वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रथम 365 दिनों में 10 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे और सन् 2000 प्रारम्भ होने से पूर्व 100 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। क्या यह एक ईमानदार वायदा है ? क्या राष्ट्रपति ने आगामी एक वर्ष में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में कोई संकेत दिया है ? उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए था। अभिभाषण में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है :—

> "उत्पादक रोजगार के अवसरों में तीव्र वृद्धि करना हमारी आयोजना और आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा।"

बस इतना ही । एक वर्ष में लोगों को नौकरियों के अवसर पैदा करने के वचन का क्या हुआ ? आप अपने इस वादे को किस प्रकार पूरा करेंगे ? इस विषय में अभिभाषण में क्या उल्लेख किया गया है ? अभिभाषण में तो इसकीको ई चर्चा तक भी नहीं की गई है । आप जनता का उपहास कर रहे हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा क्या आप रोजगार के अधिकार को इस देश की जनता का मूलभूत अधिकार मानते हैं ? मैं श्री चेन्नी थाला से यह जानना चाहता हू कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं अथवा नहीं ? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार इस बात के प्रति वचनबद्ध थी और हमने उनका समर्थन किया था । उस समय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने इसका उल्लेख किया था । परन्तु इस अभिभाषण में काम के इस मूलभूत अधिकार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है ।

जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । मुझे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा गठित की गई समिति का एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । तत्कालीन विधि मंत्री उसके सभापति थे । इसमें कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व था । लेकिन कठिनाई यह थी कि प्रत्येक समय श्री भगत आते थे और कहते थे, "मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख सकता हूं । मेरी पार्टी कोई निर्णय नहीं ले सकती" हालांकि फिर भी, उन्होंने समिति का सदस्य बने रहना जारी रखा । कुछ निर्णय सर्वसम्मिति से लिए गए थे ।

1971 में अध्यक्ष द्वारा गठित समिति का मैं सदस्य था जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधि था । समिति के सभापति स्व० जगन्नाथ राव, जो सदन के एक वरिष्ठ तथा बहुत सम्मानित सदस्य थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे । 1971 में यथाशीघ्र सर्वसम्मति से सिफारिशें की गई थी । लेकिन उनमें से अभी एक को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है । चुनाव और न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सुधार के प्रति इस सरकार की वचन बद्धता क्या है ? प्रतिदिन, हम सुनते हैं कि लोग इस क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहें हैं लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की नीति अथवा कार्यक्रम क्या हैं ? इस बात को कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता ।

राजीव गांधी के शासन काल में उद्योगों की रुग्णता अपनी चरमसीमा पर पहुंच गई थी । एक लाख से भी अधिक उद्योग इकाइयां रुग्ण थीं । उनमें से कई तो बन्द हो गई थी । लाखों मजदूर या कामगर सड़क पर आ गए थे ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : ऐसा अधिकांशत पश्चिम बंगाल में हुआ था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप स्वंय को इस खुशफहमी में रखना चाहते हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है । एक लाख, चौबीस हजार इकाइयों में से कितनों का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल से है ? और यदि आपका कहना ठीक भी है तो यह आप की गलत उद्योग नीतियों का कुफल था । तथापि, यदि वे पश्चिम बंगाल को लेकर संतुष्ट हैं । तो उन्हें रहने दीजिए किन्तु यह उनकी उपेक्षा को ही प्रदर्शित करता है जिस पर मुझे दया आती है । कठिनाई यह है कि ये लोग आज मंत्री हैं, जो हमारे भाग्यविधाता हैं, रुग्ण उद्योगों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, कैसे उन्हें

पुनः शुरू किया जाए; कैसे कामगारों को पुनः काम उपलब्ध कराया जाए, इसमें कामगारों का क्या कसूर है? रेलवे के लोगों का क्या कसूर है जो आज भी अपने-अपने रोजगार से वंचित है। रेल कर्मचारियों के बारे में इस सरकार की नीति क्या है जिन्हें बिना किसी जांचपड़ताल के ही नौकरी से निकाल दिया गया था? यदि आपने उसके बारे में कुछ सुना है तो यह कार्यवाही संविधान के अनुसार 311(2) के अंतर्गत की गई थी। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किये गये, मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। इस सरकार का अस्तित्व किसलिए है? मेरी समझ से येनकेन प्रकारेण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ०) से ऋण प्राप्त करने तथा लोगों को यह बताने के लिए कि उन्होंने ऐसा करके कोई त्रुटि नहीं की है। हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितनी मुद्रा का भुगतान किया जाना था; कब किया जाना था, किसको किया जाना था, आप कितना ऋण प्राप्त करने जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। आज आप देश में आर्थिक आंतक की स्थिति पैदा करके, लोगों को संत्रष्त कर, यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि यदि आप इसका भुगतान नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति चूककर्ताओं जैसी हो जाएगी तथा भारत चिली हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा, आदि, आदि। उनका तात्पर्य केवल इसी बात से था। जब हमने एक बैठक आयोजित की थी, जैसा कि श्री गुप्ता ने ठीक ही कहा, तो हम से जो कुछ कहा गया वह केवल यही था कि हम कठिनाई में हैं लेकिन किसी भी कठिनाई की ओर इंगित नहीं किया गया। अतः वही इसकी समाप्ति थी। आज लोगों को पता नहीं है, सदन को पता नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है, जबकि ऋण प्राप्त हो चुका है, अवमूल्यन किया जा चुका है, सोना गिरवी रखा जा चुका है तथा पूरे देश की नीति में परिवर्तन किया जा चुका है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): वे अपने आपको गिरवी कब रखेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने पहले ही देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को गिरवी रख दिया है। जहां तक संचार माध्यम का सम्बन्ध है, प्रसार भारती अधिनियम को इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। हमें याद है, अनेक सुझाव आए थे और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कांग्रेस पार्टी द्वारा रखे गये कई सशोधनों को स्वीकार कर दिया था और अंतः इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। सरकार का इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं है? क्या इसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक वाक्य भी कहे जाने योग्य नहीं है? और आज हम सुनते हैं कि लोगों को व्यक्तिगत रूप से नए चैनल प्रदान किए जाएगे। वे स्वायत्तता की बात न करके स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता के बीच अन्तर क्या है? उस बात के लिए इस सदन की वचनबद्धता थी और उसे कांग्रेस सहित सभी दलों ने समर्थन दिया और संशोधनों का सुझाव दिया था जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था। हमने सदन के बाहर एक बैठक भी आयोजित की थी और उसके बाद हम कुछ संशोधनों पर सहमत हो गए थे। अनेक बैठकें आयोजित की गई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया था। प्रसार भारती अधिनियम अब कूड़े की टोकरी में फेंक दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है? हम जानना चाहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में इस सरकार की सर्वाधिक स्पष्ट नीति क्या है?

मुझे आज सुबह अवसर नहीं मिल सका। मैं रेलमंत्री से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता था। उन्होंने मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के संबंध में अप्रासंगिक रूप से कुछ कहा था कि क्या निजी क्षेत्र पर अथवा सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भार करेगा। यहां पर निजी क्षेत्र कहां से आ जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, आप को बजट पर बोलने का अवसर मिलेगा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं दोषरोपण नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए समय नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछने का प्रयत्न कर रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव दे रहा हू कि आप यह प्रश्न बजट पर चर्चा के दौरान भी पूछ सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, प्रधानमंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए। यह एक ऐसा मौलिक प्रश्न है जिसका संबंध सिर्फ रेलवे से ही नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति इस सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? इसका परिणाम क्या होगा ? किन-किन क्षेत्रों में आप निजी क्षेत्र को आगे आने की अनुमति प्रदान करने जा रहे हैं ? कई कोर क्षेत्र भी हैं। हम प्रतिदिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाते रहते हैं कि पैट्रोलियम के आयात का बिल हमारे सकल आयात बिल का लगभग 25 प्रतिशत भाग होता है।

तै० प्रा० गै० आ० के बारे में गम्भीर शिकायतें थी कि इसे समुचित रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ नियन्त्रण लगाए गए है ? तेल शोध कार्य में विदेशी सहयोग अथवा विदेशी भागेदारी की योजना भी तैयार की जा रही है। यह हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि हम इस देश में पैट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि कर सकें तो निश्चय ही हमारा आयात कम हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप हम विदेशी मूद्रा की भारी भरकम राशि बचा सकेंगे ।

तेल शोध कार्य के मामले में ते० प्रा० गै० आ० के कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण इसके समुचित कार्य संचालन को लेकर बहुत ही गम्भीर शिकायत है । हम उसे कह चुके हैं :

सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आप निजी क्षेत्रों की भागीदारी को अनुमति प्रदान करेंगे ? यह मैं सरकार से जानना चाहूंगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अवश्य ही कुछ कहना चाहिए। परन्तु यह अभिभाषण, जिसे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उसके कार्यों का चार्टर होना चाहिए। इसबारे में कोई भी संकेत नहीं देता कि सार्वजनिक क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। भूतपूर्व प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस देश को यह वचन दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च नियन्त्रणकर्ता होगा। आत्म-निर्भरता का हमारा सिद्धान्त सार्वजनिक क्षेत्र को आपेक्षित स्थान तथा शक्ति प्रदान करते हुए इसी पर आधारित है। अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में, किसी को भी सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता को कम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुरा नाम देना बहुत आसान काम है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आप उचित ढंग से नियुक्त नहीं करते हैं।

आप उनके कार्यों में दखल देते हैं। आप वहां पर अपने लोगों को अनावश्यक रूप से अधिक संख्या में नियुक्त करवाते हैं। आप उनके कार्यों में दखलंदाजी करते हैं। आप उन्हें धनराशि उपलब्ध नहीं कराते है। मैं आरोप लगाता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र को जानबूझकर अच्छे ढंग से कार्य नहीं करने दिया जाता ताकि इसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन किया जा सके और इसके स्थान पर निजी क्षेत्र को लाया जा सके। इसका कारण यह है कि यह ऐसी सरकार है जो शीर्ष पर बैठे उद्योगपतियों द्वारा चलाई जा रही है। आप सत्ता में उन्हीं के कारण विराजमान हैं और इसके बदले में आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। वास्तविक स्थिति यही है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजीकरण के बारे में सरकार की नीति क्या है ? हम समाचार-पत्रों में बहुत कुछ पढ़ते हैं परन्तु इस अभिभाषण में एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया गया है। आप में उसे कहने का साहस होना चाहिए। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के आदेश पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब हमारे सम्मुख सम्पन्न कार्य की स्थिति होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए ।

दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह योजना का प्रश्न है। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस देश में योजना की प्रक्रिया जारी रहेगी अथवा नहीं ।

जब मैंनें कहा कि श्री प्रणव मुखर्जी ही शायद परि समापक हैं तो ऐसा लगा कि यह एक मजाक है । लेकिन आयोजन की ओर सरकार के दृष्टिकोण के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा गया था **(व्यवधान)** श्री प्रणव मुखर्जी, यदि कांग्रेस सत्ता में आए, तो किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे थे। श्री पी० वी० नरसिंह राव इस समिति के सभापति थे। मैंने इसे अखबार में पढ़ा है। इसके अनसार, "कांग्रेस आयोजन प्रक्रिया को शीघ्र ही पुनर्स्थापित करेगी"। श्री प्रणव मुखर्जी को नियुक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहींहु आ है। मैं आशा करता हूं कि वह अभी अपने पद पर ही बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ आश्वासन दिये हैं कि कुछ परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएंगी जोकि विलम्बित पड़ी है।

पृष्ठ आठ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में निम्नलिखित कहा गया है --

"देश की विद्यमान विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। योजना आयोग ने योजना तैयार करने का कार्य 1988 में प्रारम्भ किया था, तथापि सरकार में लगातार परिवर्तन के कारण योजना सम्बन्धी दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। सरकार आठवीं योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

अब ऐसा लगता है कि इसे तैयार करने में कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा। मुझे भय है कि उस समय तक योजना भवन कहीं बिड़ला अथवा टाटा को न बेच दिया जाए। हम जानते हैं कि यह सब कुछ मात्र प्रचार करने के लिए किया गया। उन्होंने कभी भी घोषणा-पत्र के बारे में परवाह नहीं की अतः यह अभिभाषण, केवल उनके वादों को ही पूरा नहीं करता बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन की कुछ मौलिक अवधारणाओं के भी विपरीत जाता है ।

मेरी अंतिम बात लेकिन महत्वहीन नहीं, यह है कि सभी ने यह आशा की थी कि आज राष्ट्र जिस बीमारी का सामना कर रहा है, अर्थात् देश में साम्प्रदायिक शक्तियों को जिस तरह से पाला पोषा जा रहा है उस ओर सर्वाधिक बल दिया जाएगा।

एक विधान भी लाए जाने का उल्लेख है, जैसा कि हमने भी मांग की थी कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बरकरार रखा जाए, और उसका ही इसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन हम अभिभाषण में इस खतरे के प्रति जिसका सामना आज देशवासी कर रहे हैं; सरकार की न तो कोई जागरूकता ही और न ही इससे लड़ने की उसकी कोई वचनबद्धता का ही जिक्र पाते हैं।

कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर मेरी पार्टी के सदस्य चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देने में असमर्थ हूं। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार श्री बूटा सिंह जी बोले, वह बाहर के प्रतिबन्धित श्रोताओं के उपयोग के लिए ही अधिक उपयुक्त होगा, न कि सदन के लिए अथवा इस देश के लिए, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दसवीं लोक सभा का चुनाव एक ऐसे संकट के काल से गुजरा है जिसने कि साम्प्रदायिक नफरत और हिंसक वातावरण का रूप लिया था। हमारे कई भाइयों ने जो कई वर्षों से लगातार इसका प्रयास करते रहे उसका यह प्रतिफल रहा कि दसवीं लोकसभा के चुनावों ने एक हिंसक रूप लिया जिस में कि हमारे राष्ट्र के नेता आदरणीय राजीव जी को भी इसमें बलिदान देना पड़ा। आज राजीव जी हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन कांग्रेस का घोषणापत्र उनकी धरोहर है और उसी पर आधारित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया है। ऐसे में हम सभी का यह फर्ज हो जाता है कि जो सपना राजीव गांधी जी ने देखा था, वह जो दिशा इस देश को देना चाहते थे, उसे पूरा करने के लिये संकल्प लेना होगा। मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि आज के राजनीतिक वातावरण में जिस तरह का यह दसवीं लोक सभा का गठन हुआ है, उसमें प्रत्येक राजनैतिक दल अपनी पार्टी आधारित सकुचित, अतिरंजित विचारधारा से ऊपर उठकर आपसी सहयोग का वातावरण तैयार करेगा जिसमें कि राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा हो। राष्ट्रीय सकट, जो हमारे देश में आज चाहे राजनैतिक रूप में हो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक हो, उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान हम सब लोग मिलकर, बैठकर कर सकते हैं यहा नहीं कर सकते हैं। आज जनता ने इस कसौटी पर हमें खरा उतरने के लिए यहां भेजा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव में जिस प्रकार की घटनाए हुई, जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुई, जिस प्रकार से साम्प्रदायिक वातावरण, साम्प्रदायिक कटुता का वातावरण तैयार किया गया, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा और हमारा जो पीपुल्स रिप्रेजेण्टेटिव्ज एक्ट है, उसमें किस प्रकार हम इन सारी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। पिछली आठवीं लोकसभा के अन्दर इस पर प्रयास किया गया था लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकले और जिन कुरीतियों को रोकने के लिए अनेक बिन्दु इसमें लगाये गये थे, वह नाकामयाब साबित हुए। इसलिए यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने है। यदि आज देश में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था

और प्रजातन्त्र के प्रति विश्वसनीयता हमें कायम रखनी है तो हमें इस पर गहरा चिन्तन करना पड़ेगा और इसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा।

आज देश में जो संकट हैं, उनमें सबसे बड़ा संकट मैं मानता हूँ, जनता का प्रजातन्त्रीय व्यवस्था से, प्रजातन्त्र और न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रति उठता हुआ विश्वास। आज आम आदमी को यह भरोसा नहीं होता कि हमें न्याय मिलेगा। कार्यपालिका का काम करने का तरीका न्यायापालिका के काम करने का तरीका इतना अविश्वसनीय होता जा रहा है कि यदि हमने इस पर गहन चिन्तन करके इसे सुधारने का प्रयास नहीं किया तो हमारा प्रजातन्त्र स्वंय खतरे में पड़ जायेगा। आज देश में जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी, आर० एस० एस० और विश्व हिन्दू परिषद् ने बनाने का प्रयास किया है, उसकी वजह से राष्ट्र में जो साम्प्रदायिक संकट खड़ा हुआ है जो कटुता हिन्दुओं और मुसलमानों में पैदा हुई है, यदि उस खाई को पाटने का प्रयास नहीं किया गया तो हम इस देश में हिन्दू मुसलमान एकता और इस राष्ट्र की जो धरोहर है, उसे एक रख पाने में हमें कठिनाई पैदा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। साम्प्रदायिकता के जो नये विचार हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने दिये हैं उन पर भी हमें गहन चिन्तन करना पड़ेगा। एक तरफ आडवाणी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र में विश्वास नहीं करता। उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार यहां किया था उसमें साफ शब्दों में कहा है "मैं मानता हूँ कि मजहबी राज्य की कल्पना हिन्दुस्तान की परम्परा के खिलाफ है, हिन्दुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, हिन्दुस्तान के इतिहास के खिलाफ है।" यह विचारधारा माननीय आडवाणी जी की लोक सभा में तो है लेकिन लोक सभा के बाहर उनके विचार, उनके सहयोगियों के विचार ठीक इसके विपरीत हैं। हिन्दू राष्ट्र की कल्पना और हिन्दू राष्ट्र की जो परिभाषा विश्व हिन्दू परिषद और शिव सेना के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लोग जो देते हैं वह ठीक आडवाणी जी की परिभाषा के विपरीत है। भारतीय जनाता पार्टी का चरित्र हमेशा से दोमुखी रहा है –कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राम जन्म-बाबरी मस्जिद के . . . **(व्यवधान)** . .

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आडवाणी जी के भाषण पर बोल रहे हैं या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज जन्म भुमि और बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर पूरे देश में हिन्दू-मुसलमानों के बीच में कटुता पैदा करने का षड्यन्त्र इन्होंने रचा। उससे आज इस देश में इस देश के अस्तित्व को खतरा हो चुका है। लेकिन उसमें भी इनकी दोमुखी बात है–हम मंदिर वहीं बनायेंगे, लेकिन मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे। मस्जिद को रि-लोकेट किया जाए, रि-लोकेट कैसे होगा इसकी आज तक किसी ने हमें जानकारी नहीं दी है। शायद इसके बारे में उनकी कोई योजना नहीं है। देशभर में राम मंदिर के नाम से सैंकड़ों-करोड़ों रुपयों का चन्दा उगाया गया। एक बेचारे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी ने इनसे हिसाब मांग लिया, तो यह बात हमारे दोस्तों को कैसे मजूर हो सकती थी, उस व्यक्ति को मजबूर कर दिया गया और आज वह नौकरी से बाहर है। लेकिन सैंकड़ों-करोड़ों रुपया जनता से उगाया गया, जिसका आज तक किसी को पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। . . . **(व्यवधान)** . . .

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : हिसाब हर साल ऑडिट होता है।. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का अगला भविष्य क्या होगा, यह आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों को देख लीजिए। डेढ़ साल के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ है, वह आज लोक सभा के चुनाव के नतीजों में परिलक्षित होता है।

उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी है। आज पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगी हुई है। आप कितनी ईमानदारी से वहां कार्य करते हैं, कितनी ईमानदारी से हमारे अल्पसंख्यक भाईयों में विश्वास पैदा करते हैं, इस पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करेगी। रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का जो हल है, वह चर्चा के माध्यम से हि है। चर्चा के साथ चर्चा में आप सफल नहीं होते हैं, तो जो रास्ता हमने अपनाया था, वही रास्ता आज अपनाने की बात करतें हैं, कितनी इमानदारी से करते हैं, यह तो आग चल कर मालूम पड़ेगा ।. . . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : किससे बात की जाए। जिनसे बातचीत हो रही थी, वे तो बीच से उठ कर चले गए ।. . . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक समझोते पर हस्ताक्षर किए। उस समझौते पर हस्ताक्षर नवम्बर, 1979 में हुआ था। उस समझौते में यह बिन्द तय किया था कि आप हमें शिलान्यास करने दीजिए, हम उस मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक कि अदालत का फैसला नहीं हो जाता है। इस बात से आप कैसे इंकार कर सकते हैं फिर भी दोमुखी बातें वहां हस्ताक्षर कर लिए, शिलान्यास कर लिया और फिर उसके विपरीत काम उल्टा चला दिया। इनका उद्देश्य राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद मसले को हल करने में नहीं है। इनका उद्देश्य वोटों से संबंधित है और भावनाओं को वोटों में परिवर्तित करने में है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का पी ए सी का जो व्यवहार रहा है, मैं इस बात को सदन में कहना चाहूंगा कि प्रोविंशियल-आर्म्ड-कांस्टेबलरी, जो उत्तर प्रदेश की है, जिसमें हो सकता है दीक्षित जी जब डी जी पी रहे हों, तो उसमें उनका योगदान रहा हो, उसका चरित्र बहुत ही साम्प्रदायिक है। उसकी वजह से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने जो रैपिड-एक्शन-फार्स का गठन करने का उल्लेख किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

6.00 म० प्र०

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहां के अल्पसंख्यक, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाईयों में विश्वास पैदा करने के लिए प्रोविंशियल आर्मड् कांस्टेबुलरी को तत्काल डिसबैंड कर देना चाहिए और उसकी जगह एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें कि हर जाति, हर समुदाय के लोगों को उसमें स्थान मिले। श्रीमान्, साम्प्रदायिक दंगे एक रोजमर्रा का वातावरण बनता जा रहा है। इसमें दंगा-पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार को निश्चित मापदंड बनाना पड़ेगा।

ऐसी कई जगह हमें देखने को मिलीं जहां लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा दिया गया—हजार या दो हजार रुपए। इसलिए इस बारे में शासन को कुछ पहल करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के बारे में मैं दो शब्द का निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार का जो चरित्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र परिलक्षित होता है। उसमें पूरी तरह से व्यापारियों के प्रति जो निर्णय लिए गए, वे उनके हित में लिए गए। सेल्स टैक्स कम किया गया, तेंदु पत्ते के व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया, मजदूरों के साथ कुठाराघात किया गया और किसानों के साथ भी कुठाराघात किया गया। **(व्यवधान)** मध्य प्रदेश के अन्दर ही ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी न सारी मर्यादा और परम्पराओं को अलग रख कर उन्होंने कार्य किया, जिसका नतीजा उनको पिछले लोक सभा चुनाव में भुगतना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के लिए काम होना चाहिए, हम सब इससे सहमत हैं इस पर हमें आपत्ति नहीं है लेकिन मण्डल आयोग की जो रिपोर्ट है, जिस प्रकार मण्डल आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है, वे उसमें, अपने आप में कई बिन्दु ऐसे हैं जोकि विवादास्पद हैं। जिनका उल्लेख उन्होंने किया था, उन्होंने खुद उसे अस्वीकार किया। इसलिए मण्डल आयोग का जो स्वरूप है उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं लेकिन पिछड़ा वर्ग कौन-सा ? क्या लाखों लखपति और करोड़पति हमारे पिछड़े वर्ग के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए, कतई नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन में साफ शब्दों में कहा है कि आज पिछड़ा वर्ग को आरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन जाति के साथ-साथ आर्थिक आधार भी उसका होना चाहिए। जो परिवार इंकम टैक्स पेई हैं, इनकम टैक्स देते हैं उनकें बच्चों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। चन्द्रजीत जी हमारे बीच में हैं या और बड़े-बड़े लोग हैं उनके बच्चों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं निकलता है।

मध्य प्रदेश में हमने महाजन आयोग का गठन किया था, कांग्रेस पार्टी में, उस समय सरकार ने किया था और उस पर हमने जाति और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था, उनको फायदा दिया था और यही हमारा विरोध जनता दल के साथियों से है कि आपने मण्डल आयोग का जो उपयोग किया उसका आपने राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया है। आपने पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। . . . **(व्यवधान)** . . . माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता दल तथा पिछड़े वर्ग को मदद करने के लिए यदि वाकई आप में ईमानदारी होती तो जाति के आधार के साथ-साथ आर्थिक आधार पर भी उसको रखना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के कृषि मजदूरों की हालत जो अत्यंत दयनीय है। हमारे भूतपूर्व श्री राजीव गांधी जी ने एक आयोग का गठन किया था, कृषि मजदूरों के लिए जिदा भाई जी वेद जी की अध्यक्षता में। उसने अपना प्रतिवेदन दिया या नहीं इसकी जानकारी नहीं है लेकिन इस देश को आवश्यकता है कि हम इस देश के करोड़ों, जो गांवों में रहने वाले कृषि मजदूर हैं, जिनको कि आज हम मिनिमम वेजिज नहीं दिलवा पा रहे है उनके आर्थिक उत्थान के लिए भी हम कार्यक्रम तैयार करें और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है विशेष तौर से शासन से कि इसको या तो फिर से रिवाइज किया जाए या इसके लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाए . . . **(व्यवधान)** . . .

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल किया है, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ अगर मिले तो केवल उन परिवारों को मिले जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उन परिवारों को परिचय पत्र दिया जाना चाहिए और उसी आधार पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रीकरण चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, आज उसकी आवश्यक मैं महसूस करता हूं और आदरणीय राजीव जी ने उसके तहत पंचायती राज कानून और नगर पालिका कानून लाने का प्रयास किया था। इस देश की अनेक समस्याओं को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण करें। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से, जिस ईमानदारी और गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि राजनीतिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लिए प्रयास किया जाए, जिससे इस समस्या का निदान किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ज्यूडिशल रिफार्मस् की बात नहीं की गई है, मैं माननीय साथी सोमनाथ चटर्जी साहब की इस बात से सहमत हूं, उन्होंने यह बात उठाई है। उन्होंने कहा कि इस देश में न्याय-प्रणाली से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। माननीय राजीव जी ने इस बारे में प्रयास किया था, विचार किया था, कई जगह घोषणा भी की थी, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है, इसका मुझे दुःख है और मुझे भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर गहन विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वामपंथी साथी माननीय सोमनाथ जी टाटा और बिड़ला की बात तो यहां कर रहे हैं, लेकिन आज का जो आर्थिक माहौल है, उस आर्थिक माहौल में हमें जो हमारे प्रिकसीव आईडियाज हैं, उनसे अलग हट कर देश के बारे में सोचना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार को टाटा जी के साथ हल्दिया में साझा कंपनी बनाने में ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां टाटा, बिड़ला के प्रति जो विचार हैं, उन्हें वे बदलना नहीं चाहते। इन विचारों को उनको बदलना पड़ेगा, उनको व्यावहारिक होना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया विवरण की व्याख्या कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : दोस्त अगर आपको टाटा और बिड़ला में इतनी ही अरुचि है तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों... **(व्यवधान)** ...

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : आपने रवि राय जी की स्पीच सुनी है?

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने सुनी है और मैंने सोमनाथ चटर्जी साहब की स्पीच भी सुनी है। आज जो दसवीं लोक सभा का गठन हुआ है, इसमें यदि हम लोग अपने संकुचित और पार्टी

आधारित विचारों से ऊपर नहीं उठे, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने विचार नहीं किया तो हम अपने मतदाताओं के प्रति न्याय नहीं करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह कोई राजनीतिक आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि हमारी सरकार चले या न चले, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर यदि आपने सामूहिक रूप से बैठकर विचार नहीं किया तो न इतिहास आपको बख्शेगा और न जनता आपको बख्शेगी, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही बुधवार 17 जुलाई, 1991 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

18.08 म०प्र०

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार 17 जुलाई, 1991/26 आषाढ़ 1913 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

J(N)249LSS—225—13-12-91—GIPS